



जी.एस.टी.



एफएक्यू

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड



केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
नई दिल्ली

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)
पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
(एफएक्यू)

द्वितीय संस्करण : 31 मार्च 2017

प्रस्तावना

सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एण्ड कस्टम्स (सी.बी.ई.सी) के अंतर्गत सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, एक्साइज एण्ड नारकोटिक्स-नासेन द्वारा जी.एस.टी. पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हुआ है। ये जी. एस.टी. पर सामान्य प्रश्न 21 सितंबर 2016 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा जारी किए गए थे, जो जून 2016 के मॉडल जी.एस.टी. कानून पर आधारित थे। जीएसटी पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों को पूरे देश में प्रसारित करने के लिए कई क्षेत्रीय भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया था।

प्रथम संस्करण जारी होने के बाद से कई महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। अब तक जी.एस.टी. परिषद द्वारा कई नियमों के साथ सी.जी. एस.टी, एस.जी.एस.टी, आई.जी.एस.टी, यू.टी.जी.एस.टी. और प्रतिपूर्ति उपकर के मसौदों को कानूनी मंजूरी दे दी गई है। संसद में केन्द्रीय विधेयक पेश किए गए हैं, राज्यों से संबंधित कानून वहां से संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किए जाएंगे। जैसा कि प्रथम संस्करण लाने के समय वादा किया गया था, संसद में पेश किए गए पूर्व विधेयकों के आधार पर नासेन द्वारा एफएक्यू का दूसरा संस्करण तैयार किया गया है। मैंने इन प्रयासों के लिए महानिदेशक, नासेन और उनकी टीम को बधाई दी और मुझे यह विश्वास है कि यह कर अधिकारियों, व्यापार और जनता के बीच जी.एस.टी. के बारे में ज्ञान और जागरूकता फैलाने में एक अहम भूमिका प्रदान करेगा।



नजीब शाह
अध्यक्ष, सीबीईसी

विषय—सूची

1. वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का अवलोकन.....	3
2. करारोपण (Levy) और कर से छूट.....	23
3. पंजीकरण.....	33
4. आपूर्ति का अर्थ तथा संभावना.....	53
5. आपूर्ति का समय.....	63
6. जी.एस.टी. में मूल्यांकन.....	71
7. कर का जी.एस.टी. भुगतान.....	77
8. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स.....	89
9. जॉब वर्क.....	97
10. इनपुट टैक्स क्रेडिट.....	105
11. जी.एस.टी. में इनपुट सेवा वितरक की अवधारणा.....	117
12. रिटर्न की प्रक्रिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान.....	125
13. आंकलन और लेखा-परीक्षण.....	137
14. प्रतिदाय/रिफंड.....	149
15. मांग और वसूली.....	161
16. जी.एस.टी. में अपील, समीक्षा और संशोधन.....	171
17. अग्रिम न्यायिक निर्णय.....	181
18. निपटान आयोग (विलोपित).....	191
19. निरीक्षण, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी.....	195
20. अपराध और दंड, अभियोजन और संयुक्तिकरण.....	219
21. आई.जी.एस.टी. अधिनियम का अवलोकन.....	237
22. वस्तुओं और सेवाओं का आपूर्ति स्थल.....	245
23. जी.एस.टी. पोर्टल पर दृश्यपटल व्यापारिक (Frontend Business) प्रक्रिया.....	257
24. परिवर्ती प्रावधान.....	277

श्री समीर बजाज, अपर निदेशक, नासेन, की देखरेख में श्री दीपक माटा, सहायक निदेशक, नासेन, मुंबई और संजीव नायर, परीक्षक, सीईएसटीएटी मुंबई, द्वारा निर्मित।

श्री पी.के. मोहंती, सलाहकार, सीबीईसी (अध्याय 1); श्री विशाल प्रताप सिंह, डीसी (जी.एस.टी.), जी.एस.टी. पॉलिसी विंग, सीबीईसी (अध्याय 2), डॉ. पी.डी. वाघेला, सीसीटी, गुजरात (अध्याय 3 और 7); श्री डी.पी. नागेन्द्र कुमार, प्रधान अपर महानिदेशक, डीजीसीईआई, बंगलुरु (अध्याय 4 और 6); श्री उपेंद्र गुप्ता, आयुक्त, जी.एस.टी., सीबीईसी (अध्याय 8 और 11); श्री ऋत्विक् पांडे, सीसीटी, कर्नाटक (अध्याय 12); श्री अरुण कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव, सीटीडी, बिहार (अध्याय 13); श्री खालिद अनवर, वरिष्ठ जेसीटी, पश्चिम बंगाल (अध्याय 14 और 24); श्री अजय जैन, प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, अहमदाबाद (अध्याय 15); श्री बी. बी. अग्रवाल, प्रधान आयुक्त, हैदराबाद (अध्याय 16); श्री शशांक प्रिया, एडीजी, डी.जी. जी.एस.टी., सीबीईसी (अध्याय 17 और 20); श्री जी.डी. लोहानी, सीसीई, फरीदाबाद (अध्याय 21 और 22); और श्री प्रकाश कुमार, सीईओ, जी.एस. टी.एन (अध्याय 23), द्वारा समीक्षित।

एफएक्यू पर टिप्पणियाँ और सुझाव कृपया dg.nacen-cbec@nic.in पर भेजे जा सकते हैं

अस्वीकरण:

जी.एस.टी. पर यह एफएक्यू नासेन द्वारा संकलित किये गये हैं और इसे स्रोत प्रशिक्षकों द्वारा संचालित किया गया है जो जून 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र में जारी मॉडल जी.एस.टी. कानून के मसौदे पर आधारित है। यह एफएक्यू/प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न, प्रशिक्षण और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।

इस पुस्तिका में जानकारियाँ केवल एक सामान्य अवलोकन प्रदान करने के इरादे से दी गई हैं और इन्हें कानूनी सलाह या राय अपनाने के इरादे से नहीं दिया गया है। कृपया अधिक विवरण के लिए संबंधित अधिनियमों सीजीएसटी/एस.जीएसटी/यूटीजीएसटी/आईजीएसटी का संदर्भ प्राप्त करें।

सीजीएसटी/एसजीएसटी/अधिनियमों के संदर्भित प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम और एसजीएसटी अधिनियम के प्रावधान अधिकांश रूप में समान हैं। संसद में सीजीएसटी अधिनियम की शुरुआत की गई है। एसजीएसटी अधिनियमों को संबंधित राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित किया जायेगा। कुछ प्रावधान राज्यों के लिए विशिष्ट हो सकते हैं और सीजीएसटी अधिनियम में नहीं हो सकते हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का अवलोकन

1. वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का अवलोकन

प्र 1. वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) क्या है?

उत्तर: यह वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है। इसे पिछले चरणों में, क्षतिपूर्ति (सेटऑफ) हेतु उपलब्ध करके भुगतान के क्रेडिट प्राप्त करने के लिए उत्पादक से अन्तिम उपभोग के सभी चरणों पर लगाने के लिए प्रास्तावित किया गया है। संक्षेप में, केवल मूल्य संवर्धन (value addition) पर ही कर लगाया जाएगा और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

प्र 2. उपभोग पर गंतव्य आधारित कर की वास्तव में क्या अवधारणा है?

उत्तर: उस कर—प्राधिकरण को कर की प्राप्ति, जिसके अधिकार क्षेत्र के स्थान पर उपभोग किया जाएगा और जिसे आपूर्ति स्थल भी कहा जाता है, उपर्जित है।

प्र 3. किस मौजूदा कर को जी.एस.टी. में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित किया गया है?

उत्तर: जी.एस.टी. में निम्नलिखित करों को प्रतिस्थापित किया जायेगा:

- (i) आज के समय केंद्र द्वारा वर्तमान समय पर लगाए और संग्रह किए जाने वाले कर:
 - क. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
 - ख. उत्पाद शुल्क (दवाईयां और प्रसाधन पदार्थ)
 - ग. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं)
 - घ. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़ों की वस्तुएं)

- ड. अतिरिक्त सीमा शुल्क (सामान्यतः सीवीडी से जाना जाता है)
- च. अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क (एसएडी)
- छ. सेवा कर
- ज. केंद्रीय अधिभार और उपकर जहां तक वे वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित हैं

(ii) उन राज्य करों को स्पष्ट करें जिन्हें जी.एस.टी. में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

- क. राज्य वैट (मूल्य वर्धित कर)
- ख. केंद्रीय बिक्री कर
- ग. विलास कर (लकजरी टैक्स)
- घ. प्रवेश कर (सभी रूपों में)
- ड. मनोरंजन और मनोरंजक कर (सिवाय तब जब स्थानीय निकायों द्वारा करारोपण किया गया है)
- च. विज्ञापनों पर कर
- छ. क्रय कर
- ज. लॉटरी, शर्त और जुए पर कर
- झ. राज्य अधिभार और उपकर जहां तक वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं

जी.एस.टी. परिषद केंद्र और राज्यों को केंद्रीय, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा करों, उपकरों और अधिभारों के करारोपण के लिये सिफारिश करेगी जिन्हें जी.एस.टी. में सम्मिलित किया जा सकता है।

प्र 4. जी.एस.टी. के अंतर्गत उपरोक्त करों को सम्मिलित करने के लिये किन सिद्धांतों को अपनाया गया था?

उत्तर: विभिन्न केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय करों का परीक्षण करने के बाद जी.एस.टी. में सम्मिलित करने की संभावना की पहचान की

गई थी। पहचान करने के समय, निम्न सिद्धान्तों को ध्यान में रखा गया था:

- (i) सम्मिलित किये जाने वाले करों या उपकरणों को मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति में, या तो वस्तु की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति होनी चाहिये।
- (ii) सम्मिलित किये जाने वाले करों या उपकरणों को लेनदेन की शृंखला का हिस्सा होना चाहिये जो आयात/विनिर्माण/वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं के एक स्थान पर प्रारम्भ के साथ दूसरे स्थान पर वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग पर समाप्त होता है।
- (iii) करों या करारोपण (लेवी) सम्मिलित करने के परिणाम स्वरूप राज्य के भीतर और अंतर-राज्य स्तर में टैक्स क्रेडिट का मुक्त प्रवाह होना चाहिए। जो कर, उपकरण और फीस विशेष रूप से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित नहीं हैं, जी.एस.टी. के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किये जाने चाहिए।
- (iv) केंद्र और राज्यों को व्यक्तिगत रूप से राजस्व निष्पक्षता का प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

प्र 5: किन वस्तुओं को जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखा जाना प्रस्तावित है?

उत्तर— संविधान के अनुच्छेद 366 (12ए) जैसा कि 101 संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित हैं, वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, मानव के उपभोग के लिए एल्कोहल की आपूर्ति को छोड़कर, पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) कर के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए संविधान में जीएसटी की परिभाषा के माध्यम से मानव उपयोग के लिए एल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा है। अस्थायी रूप से, पाँच पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात् पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमानन

टर्बाइन ईंधन को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि यह किस दिनांक से जीएसटी में शामिल किए जायेंगे। इसके आलवा विद्युत को जीएसटी से बाहर रखा गया है।

प्र 6: जी.एस.टी. क्रियान्वित करने के बाद उपरोक्त वस्तुओं के करारोपण के संबंध में क्या स्थिति होगी?

उत्तर: उपरोक्त वस्तुओं के संबंध में मौजूदा कराधान प्रणाली (वैट और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) अस्तित्व में जारी रहेगी।

प्र 7. जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों की क्या स्थिति होगी ?

उत्तर: तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जीएसटी के अधीन होंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्र इन उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आरोपित करने हेतु सशक्त होगा।

प्र 8. किस प्रकार का जी.एस.टी. लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।

उत्तर: यह केंद्र और राज्यों के साथ एक साथ सामान्य कर आधार पर आरोपित एक दोहरा जी.एस.टी. होगा। वस्तुओं या सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर केंद्र द्वारा लगाये गये कर को केंद्रीय जी.एस.टी. (सी.जी.एस.टी.) कहा जायेगा तथा राज्यों द्वारा लगाये करों को राज्य जी.एस.टी. (एस.जी.एस.टी.) कहा जायेगा। इसी प्रकार केंद्र द्वारा प्रत्येक अंतर-राज्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) लगाने तथा प्रशासित करने की व्यवस्था है।

प्र. 9. दोहरा जी.एस.टी. क्यों आवश्यक है?

उत्तर: भारत एक संघीय देश है, जहां केंद्र और राज्यों को उनके उपयुक्त कानून के माध्यम से करारोपण और एकत्र करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। दोनों सरकार के स्तर पर अलग-अलग जिम्मेदारियों

के निष्पादन के अनुसार संविधान में शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है जिसके लिये उन्हें संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता होती है। दोहरा जी.एस.टी., इसीलिये, वित्तीय संघवाद की संवैधानिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

प्र 10. कौन सा प्राधिकरण जी.एस.टी. करारोपण और उसका प्रशासन करेगा?

उत्तर: केंद्र, सी.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. का करारोपण और प्रशासन करेगा, जबकि संबंधित राज्य, एस.जी.एस.टी. का करारोपण और प्रशासन करेंगे।

प्र 11. भारत के संविधान को हाल ही में जी.एस.टी. के संदर्भ में क्यों संशोधित किया गया था?

उत्तर: वर्तमान में, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अधिकार स्पष्ट रूप से संविधान में सीमांकित किये गये हैं जिनमें संबंधित क्षेत्रों के बीच लगभग किसी तरह का ओवरलैप नहीं है। केंद्र के अधिकार में वस्तुओं के विनिर्माण (सिवाय मानव उपभोग के लिये एल्कोहल, अफीम, नशीले पदार्थों आदि को छोड़कर) पर कर लगाने की शक्तियां हैं, जबकि राज्यों के अधिकार में वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अंतर-राज्य बिक्री के मामले में केंद्र सरकार को वस्तुओं की बिक्री पर कर (केंद्रीय बिक्री कर) लगाने की शक्ति है लेकिन, कर पूरी तरह से राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है। जहां तक सेवाओं का प्रश्न है, केवल केंद्र को सेवा कर लगाने के लिये सशक्त किया गया है।

जी.एस.टी. प्रस्तुत करने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता थी ताकि केंद्र और राज्यों को एक साथ कर लगाने और एकत्र करने के लिये सशक्त किया जा सके। भारत के संविधान को संविधान के (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा हाल ही में इस प्रयोजन के लिये संशोधित किया गया था। संविधान

का अनुच्छेद 246ए केंद्र और राज्यों को कर लगाने और जी.एस.टी. एकत्र करने के लिए सशक्त करती है।

प्र 12. किस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के एक विशेष लेन-देन के लिये कर एक साथ केंद्रीय जी.एस.टी. (सी.जी.एस.टी.) और राज्य जी.एस.टी. (एस.जी.एस.टी.) के अंतर्गत लगाया जाएगा?

उत्तर: केंद्रीय जी.एस.टी. और राज्य जी.एस.टी. को एक साथ प्रत्येक वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन पर लगाया जायेगा सिवाय छूट दी गई वस्तुओं और सेवाओं और जी.एस.टी. के दायरे से बाहर की वस्तुओं और उन लेनदेन को छोड़कर जिनका मूल्य निर्धारित सीमा से नीचे है। आगे, दोनों पर एक कीमत या मूल्य पर कर लगाया जायेगा राज्य वैट के विपरीत जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में सेनवैट जोड़कर वैट लगाया जाता है। जबकि सी.जी.एस.टी. के प्रयोजन के लिये देश के भीतर आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तकर्ता के स्थान का कोई अर्थ नहीं है और एस.जी.एस.टी. तभी लगाया जाएगा जब आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तकर्ता एक ही राज्य के भीतर स्थित हैं।

चित्रण I: मान लीजिए कि सी.जी.एस.टी. की दर 10 प्रतिशत और एस.जी.एस.टी. की दर 10 प्रतिशत है। जब उत्तर प्रदेश में स्टील का एक थोक व्यापारी एक निर्माण कंपनी को स्टील की सलाखों और छड़ों की आपूर्ति करता है जो उसी राज्य के भीतर स्थित है; मान लें कि 100 रुपये में, डीलर 10 रुपये का सी.जी.एस.टी. और 10 रुपये का एस.जी.एस.टी. माल के मूल दाम में जोड़कर वसूल करेगा। उस सी.जी.एस.टी. की रकम केंद्र सरकार के खाते में जमा करनी है, जबकि एस.जी.एस.टी. के हिस्से की राशि संबंधित राज्य सरकार के खाते जमा करना आवश्यक होगा। जाहिर है, कि उसे वास्तव में 20 रुपये (10+10 रुपये) नकद राशि में जमा करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि वह इस दायित्व को अपनी खरीद पर भुगतान किये गये सी.जी.एस.टी. या एस.जी.एस.टी. के (इनपुट, कहते हैं) के विरुद्ध समायोजित करने का हकदार होगा। लेकिन सी.जी.एस.टी. भुगतान

करने के लिए उसे केवल अपनी खरीद पर सी.जी.एस.टी. क्रेडिट का उपयोग करने की ही अनुमति दी जाएगी जबकि सी.जी.एस.टी. के लिये वह अकेले एस.जी.एस.टी. के क्रेडिट का उपयोग कर सकता है। दूसरे शब्दों में, एस.जी.एस.टी. क्रेडिट को, आमतौर पर, एस.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न ही एस.जी.एस.टी. क्रेडिट को सी.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

चित्रण II: मान लीजिए, फिर अनुमानतः कि सी.जी.एस.टी. की दर 10 प्रतिशत और एस.जी.एस.टी. की दर भी 10 प्रतिशत है। जब मुंबई में स्थित एक विज्ञापन कंपनी महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थित एक साबुन विनिर्माण कंपनी के लिए विज्ञापन सेवाओं की आपूर्ति करती है, आईये मान लेते हैं कि 100 रुपये, विज्ञापन कंपनी सेवा की मूल कीमत पर 10 रुपये सी.जी.एस.टी. और 10 रुपये एस.जी.एस.टी. शुल्क लगायेगी। उसे सी.जी.एस.टी. का हिस्सा केंद्र सरकार के खाते में, और एस.जी.एस.टी. हिस्सा संबंधित राज्य सरकार के खाते में जमा करना आवश्यक होगा। बेशक, उसे फिर से, वास्तव में 20 रुपये (10+10 रु) का नकद भुगतान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह इस दायित्व को अपनी खरीद पर भुगतान किये गये सी.जी.एस.टी. या एस.जी.एस.टी. के (इनपुट जैसे स्टेशनरी, ऑफिस उपकरण, कलाकारों की सेवाएं इत्यादि कहते हैं) के विरुद्ध समायोजित करने का हकदार होगा। लेकिन सी.जी.एस.टी. भुगतान करने के लिए उसे केवल अपनी खरीद पर सी.जी.एस.टी. क्रेडिट / जमा का उपयोग करने की ही अनुमति दी जाएगी जबकि एस.जी.एस.टी. के लिये वह अकेले एस.जी.एस.टी. के क्रेडिट का उपयोग कर सकता है। दूसरे शब्दों में, सी.जी.एस.टी. क्रेडिट को, आमतौर पर, एस.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न ही एस.जी.एस.टी. क्रेडिट को सी.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्र 13. वे कौन से लाभ हैं जो देश को जी.एस.टी. से प्राप्त होंगे?

उत्तर: जी.एस.टी. का प्रस्तुतीकरण भारत के अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। बहुत सारे केंद्रीय और राज्यों के करों को एकल कर में मिलाकर और पूर्व-चरणों के करों को समाप्त करने की अनुमति देकर, यह व्यापक रूप से गिरावट के बुरे प्रभावों को काफी हद तक कम करने में मदद करेगा और समान राष्ट्रीय बाजार के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा फायदा समग्र माल पर कर बोझ में कमी है, जिसका वर्तमान समय में 25 से 30 प्रतिशत होने का अनुमान है। जी.एस.टी. की प्रस्तुतीकरण हमारे उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी प्रतिस्पर्धी बनाएगा। अध्ययनों से ज्ञात होता है, कि इससे आर्थिक विकास में तुरन्त तेजी आ जाती है। वही केंद्र और राज्यों के लिए भी कर आधार को व्यापक करने से राजस्व लाभ हो सकता है, व्यापार में वृद्धि और कर अनुपालन भी बेहतर होगा। अंतिम लेकिन कम नहीं है, इस कर की पारदर्शी प्रकृति के कारण, इसका प्रशासन भी आसान होगा।

प्र 14. आई.जी.एस.टी. क्या है?

उत्तर: जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत, अंतर-राज्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर केंद्र द्वारा एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) कर लगाया और एकत्र किया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद 269ए के अंतर्गत, अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर जी.एस.टी. लगाया जाएगा और भारत सरकार द्वारा एकत्र किया जायेगा और कथित कर को केंद्र और राज्य के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जायेगा जिस प्रकार संसद द्वारा वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर कानून बनाकर किया जा सकता है।

प्र 15. जी.एस.टी. कर लगाने के लिए कौन इसकी दरें तय करेगा?

उत्तर: सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. केंद्र और राज्यों द्वारा

संयुक्त रूप से तय की गई दरों पर लगाया जाएगा। दरों को जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाएगा।

प्र 16. जी.एस.टी. परिषद की क्या भूमिका होगी?

उत्तर: जी.एस.टी. परिषद के गठन में केंद्रीय वित्त मंत्री (जो परिषद के अध्यक्ष होंगे), राज्यमंत्री (राजस्व) और राज्य वित्त/कराधान मंत्री सम्मिलित होंगे जो केंद्र और राज्यों को निम्न पर अपनी सिफारिशें करेंगे:

- (i) केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाये करों, उपकरों और अधिभारों पर जिन्हें जी.एस.टी. के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है;
- (ii) वस्तुओं और सेवाओं पर जो जी.एस.टी. के अधीन की जा सकती हैं या जिन्हें छूट दी जा सकती है;
- (iii) जिस तारीख को पेट्रोलियम कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर जी.एस.टी. लगाया जाएगा;
- (iv) मॉडल जी.एस.टी. कानून, करारोपण के सिद्धांत, आई.जी.एस.टी. का संविभाजन और वे सिद्धांत जो आपूर्ति स्थल को निर्धारित करते हैं;
- (v) कुल बिक्री की वह सीमा रेखा जिसके नीचे वस्तुओं और सेवाओं को जी.एस.टी. से छूट दी जा सकती है;
- (vi) वह दरें जिनमें जी.एस.टी.बैंड सहित न्यूनतम तय दरें शामिल हैं;
- (vii) प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कोई विशेष दर या निर्धारित अवधि के लिए तय की गई दरें;
- (viii) उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और

उत्तराखंड के संबंध में विशेष प्रावधान; तथा
(ix) जी.एस.टी. से संबंधित कोई अन्य मामला, जिसपर
परिषद निर्णय ले सकती है;

प्र 17. जी.एस.टी. परिषद के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं?

उत्तर: जी.एस.टी. परिषद की प्रक्रिया केंद्र और राज्यों के साथ-साथ राज्यों के बीच जी.एस.टी. के विभिन्न पहलुओं पर सामंजस्य बनाये रखना सुनिश्चित करेगी। संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 में यह प्रावधान किया गया है कि जी.एस.टी. परिषद, अपने विभिन्न कार्यों के निष्पादन में जी.एस.टी. की सामंजस्य संरचना की जरूरत और वस्तुओं और सेवाओं के अनुकूल राष्ट्रीय बाजार के विकास के लिए निर्देशित की जायेगी।

प्र 18. जी.एस.टी. परिषद द्वारा कैसे निर्णय लिया जाएंगे?

उत्तर: संविधान का (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 प्रावधान करता है कि जी.एस.टी. परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में कम से कम कुल उपस्थित सदस्यों के 3/4 के बहुमत से मतदान करने के बाद लिया जाएगा। बैठक में कुल डाले गये मतों के 1/3 हिस्से का महत्व केंद्र सरकार के मतों का और बाकी सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलकर कुल डाले गये मतों का 2/3 हिस्से का महत्व होगा। जी.एस.टी. परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से आधे के साथ बैठकों का कोरम गठित होगा।

प्र 19. प्रस्तावित जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत कौन जी.एस.टी. भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है?

उत्तर: जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत कर देय योग्य व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति पर कर देय होगा। जब कर देय योग्य व्यक्ति का कुल कारोबार 20 लाख रु. (पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 लाख रु.) की छुट सीमा को पार करता है तब उस पर कर का दायित्व बनता है। सिवाय कुछ विशिष्ट

मामलों को छोड़कर कराधीन व्यक्ति जी.एस.टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है भले ही उसने निर्धारित सीमा रेखा की छूट को पार नहीं किया है। सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी.अंतर-राज्य में आपूर्ति की गई सभी वस्तुओं और/या सेवाओं पर देय है। सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी संबंधित अधिनियमों की अनुसूचियों में निर्दिष्ट दरों पर देय हैं।

प्र 20. जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत छोटे कर दाताओं के लिये क्या लाभ उपलब्ध हैं?

उत्तर: एक वित्तीय वर्ष में समग्र रूप से कुल कारोबार (20 लाख और पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी राज्य के लिए 10 लाख तक) करने वाले कर दाताओं को कर से छूट प्राप्त होगी। आगे ऐसे व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में समग्र कारोबार 50 लाख रु. से कम है, वे सरलीकृत योजना का विकल्प चुन सकते हैं, जहाँ एक राज्य में कुल कारोबार पर रियायती दर पर कर देय होगा।

कुल कारोबार में सभी कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति, छूट प्राप्त वस्तुओं की आपूर्ति और निर्यात की वस्तुएँ और/या सेवाएँ का समग्र मूल्य शामिल किया जाएगा। कुल कारोबार में कर अर्थात् जीएसटी का मूल्य शामिल नहीं किया जायेगा। समग्र कारोबार की गणना सम्पूर्ण भारत के आधार पर की जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए छूट सीमा (10 लाख रु.) होगी। छूट सीमा को योग्यता वाले सभी कर दाताओं के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लाभों के साथ कर भुगतान का विकल्प होगा। अंतरराज्यीय आपूर्ति करने वाले कर दाता या रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करने वाले कर दाता छुट सीमा के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

प्र 21. जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा?

उत्तर: एच.एस.एन. (हार्मोनाइज्ड सिस्टम आफ नॉमॅक्लेचर) कोड को

जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। करदाताओं जिनकी कुल बिक्री/टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम है, वे 2 अंकों के कोड का उपयोग कर पाएंगे और वह करदाता जिनकी कुल बिक्री/टर्नओवर 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक है वह 4 अंकों के कोड का उपयोग करेंगे। ऐसे करदाताओं को जिनकी कुल बिक्री 1.5 करोड़ रुपये के नीचे है उन्हें अपने चालान/बिलों पर एचएसएन कोड का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

सेवाओं को सर्विस एकाउंटिंग कोड के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा (एस.ए.सी.)

प्र 22. जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत आयात पर किस प्रकार कर लगाया जायेगा?

उत्तर: वस्तुओं और सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और देश में वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर आई.जी.एस.टी. लगाया जाएगा। कर की घटना का गंतव्य सिद्धांत पालन करेंगे और एस.जी.एस.टी. के मामले में कर राजस्व उस राज्य द्वारा प्राप्त किया जायेगा जहां आयातित वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जा रहा है। वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर पिछले चरण में भुगतान किया गया जी.एस.टी. कर पूरा और सारा (full and final) सेट-ऑफ (वापसी) पुनः प्राप्त हो जाएगा।

प्र 23. जी.एस.टी. के अंतर्गत निर्यात से कैसे व्यवहार किया जाएगा?

उत्तर: निर्यात को शून्य दर की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात पर कोई कर देय नहीं होगा, हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट पर जमा सुविधा उपलब्ध रहेगी और उसे निर्यातकों को रिफंड कर दिया जाएगा।

प्र 24. जी.एस.टी. के अंतर्गत संरचना योजना (composite scheme)

का क्या कार्यक्षेत्र है?

उत्तर: वे छोटे करदाता जिनकी एक वित्तीय वर्ष में टर्नओवर (50 लाख रुपए) तक है, संरचना कर के पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत करदाता बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लाभ प्राप्त किए, एक राज्य में एक वर्ष के दौरान अपने कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कर का भुगतान करेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी / यूटीजीएसटी के लिए कर की न्यूनतम दर (उत्पादकों के लिए 1% और अन्य मामलों में 0.5% अनुसूची-II के पैरा 6 (बी) में उल्लेखित विशिष्ट सेवाओं अर्थात् भोजन परोसने की सेवाएँ अथवा मानव उपयोग के लिए अन्य वस्तुओं के लिए 2.5%) से कम नहीं होगा। संरचना कर का विकल्प चुनने वाला करदाता अपने ग्राहकों से कोई कर नहीं लेगा। सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर उपरोक्त उल्लेखित 50 लाख रु. की सीमा को 1 करोड़ रु. तक बढ़ा सकती है।

अंतर-राज्यीय आपूर्ति करने वाले करदाता अथवा ई-कामर्स ऑपरेटर्स के माध्यम से आपूर्ति करने वाले करदाता जिनके लिए स्रोत पर कर संग्रह करना आवश्यक है संयोजन योजना के पात्र नहीं होंगे।

प्र 25. क्या संरचना योजना वैकल्पिक या अनिवार्य होगी?

उत्तर: वैकल्पिक है।

प्र 26. जी.एस.टी.एन.. क्या है और जी.एस.टी. व्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है?

उत्तर: जी.एस.टी.एन. वस्तुओं एवं सेवाओं का कर एक नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) है। यह एक विशेष प्रयोजन के लिये माध्यम है जिसे जी.एस.टी.एन. कहा जाता है और इसे जी.एस.टी. की जरूरतों को पूरा करने के लिये स्थापित किया गया है। जी.एस.टी.एन. केंद्रीय और राज्य सरकारों, कर दाताओं और अन्य हितधारकों को जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के लिये आईटी बुनियादी सुविधाएं साझा करेगा।

जी.एस.टी.एन. के काम में, अन्य बातों के साथ, शामिल होंगे: (i) पंजीकरण की सुविधा; (ii) केन्द्रीय और राज्य के अधिकारियों को रिटर्न अग्रेषित करना; (iii) आई.जी.एस.टी. की संगणना और निपटान; (iv) बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरणों का मिलान करना; (v) केन्द्र और राज्य सरकारों को करदाताओं के रिटर्न/वापसी की जानकारी के आधार पर विभिन्न एमआईएस सूचना प्रदान करना; (vi) करदाताओं के प्रोफाइल का विश्लेषण प्रदान करना; और (vii) इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिलान, उलटने और पुर्नदावा करने के लिये उसी के अनुकूल इंजन का संचालन करना।

जी.एस.टी.एन.. पंजीकरण, भुगतान, रिटर्न और एम.आई.एस./रिपोर्ट के लिए एक आम जी.एस.टी. पोर्टल और एप्लीकेशंस विकसित कर रहा है। जी.एस.टी.एन.. में मौजूदा कर प्रशासन में उपयोग की जा रही आईटी प्रणालियों के साथ एक आम जी.एस.टी. पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा और करदाताओं के लिए इंटरफ़ेस का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जी.एस.टी.एन. 19 राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों (मॉडल II राज्यों) के लिये मूल्यांकन, लेखा परीक्षण, रिटर्न, अपील इत्यादि के लिये एक बैक-एंड मॉड्यूल भी विकसित कर रहा है। सीबीईसी और मॉडल I राज्य (15 राज्य) स्वयं अपने जी.एस.टी. बैक-एंड सिस्टम विकसित कर रहे हैं। जी.एस.टी. के फ्रंट-एंड सिस्टम को बैक-एंड सिस्टम से एकीकृत कर प्रक्रिया सुगम करने के लिये पहले से ही परीक्षण पूरा कर लिया जायेगा।

प्र 27. जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत विवादों का समाधान कैसे किया जायेगा?

उत्तर: संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 प्रदान करता है कि वस्तुओं और सेवाओं की परिषद या उसके कार्यान्वयन की सिफारिशों से उत्पन्न किसी भी विवाद में निर्णय देने के लिये एक मैकेनिज़्म स्थापित करेगी—

- (क) भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच; या
- (ख) भारत सरकार और कोई राज्य या एक से अधिक राज्य एक तरफ तथा एक या एक से अधिक राज्य दूसरी तरफ, के बीच; या
- (ग) दो या अधिक राज्यों के बीच,

प्रश्न सं. 28 अनुपालन रेटिंग तंत्र का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 149 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को निर्दिष्ट पैरामीटर के अनुपालन के रिकार्ड पर आधारित एक अनुपालन रेटिंग सौंपी जाएगी। ऐसी रेटिंग को पब्लिक डोमेन पर भी डाला जाएगा। एक संभावित ग्राहक, आपूर्तिकर्ताओं के अनुपालन रेटिंग को देखने में सक्षम हो जाएगा और किसी विशेष आपूर्तिकर्ता से लेनदेन करने अथवा नहीं करने का निर्णय ले सकता है। यह कर देय योग्य व्यक्तियों के मध्य एक स्वस्थ प्रतियोगिता उत्पन्न करेगा।

प्रश्न सं. 29 क्या कार्यवाही योग्य दावे जीएसटी के लिए उत्तरदायी है।

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 2(52) के अनुसार कार्यवाही योग्य दावों को वस्तुएँ के रूप में माना जाएगा। अनुसूची-III जिससे सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम के धारा 7 के साथ पढ़ा जाए, ऐसी लेन देन/गतिविधियों को सूचीबद्ध करता है, जिन्हें ना तो वस्तुओं की आपूर्ति और ना ही सेवाओं की आपूर्ति समझा जाएगा। अनुसूची की सूची में कार्यवाही योग्य दावे जो कि, लॉटरी, शर्त और जुआ के अतिरिक्त, शामिल हैं, इस प्रकार जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत केवल लॉटरी, शर्त और जुएं को आपूर्ति माना जाएगा। अन्य सभी कार्यवाही योग्य दावों को आपूर्ति नहीं माना जाएगा।

प्रश्न सं. 30 क्या प्रतिभूतियों का लेन देन जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य होगा।

उत्तर: प्रतिभूतियों को विशेष रूप से वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं की परिभाषा से बाहर रखा गया है। इस प्रकार प्रतिभूतियों में लेन-देन जीएसटी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रश्न सं. 31 सूचना वापसी की अवधारणा क्या है।

उत्तर: सूचना वापसी का विचार स्वतंत्र तृतीय पक्ष के स्रोतों से प्राप्त जानकारी के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों के अनुपालन के स्तर की पुष्टि पर आधारित है। सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 150 के अनुसार बहुत से प्राधिकरण पंजीकरण के अभिलेख या खाते का विवरण या कोई अवधिक रिटर्न या कर भुगतान के विवरण वाले दस्तावेज और वस्तुओं और सेवाओं या दोनों के लेन-देन का विवरण या बैंक खाते से लेन-देन या विद्युत का उपयोग था वस्तुओं की अदला-बदलिया बिक्री या खरीद का लेन-देन, उस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत संपत्ति पर ब्याज अधिकार, इस संबंध में इस अवधि की निर्धारित समय में निर्धारित प्रारूप और तरीके द्वारा जैसा कि प्राधिकरण या एजेंसी निर्धारित करे इस अवधि में सूचना वापसी करना आवश्यक है। इसमें असफल होने का परिणाम धारा 123 के अंतर्गत दंड हो सकता है।

प्रश्न सं. 32 अलग-अलग कम्पनियों के पास विभिन्न प्रकार के लेखा सॉफ्टवेयर पैकेज हैं और अभिलेख रखने के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं है। विभाग इस तरह के जटिल सॉफ्टवेयरों को समझने योग्य कैसे होगा?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 153 के अनुसार, मामले के अनुसार, मामले की प्रकृति और जटिलता और राजस्व हित को देखते हुए, विभाग जाँच, पूछताछ, संवीक्षा या कोई अन्य कार्यवाही के स्तर पर एक विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

प्रश्न सं. 33 क्या प्राप्तकर्ता द्वारा वापस की गई वस्तुओं पर कर के उपचार के संबंध में जीएसटी के अंतर्गत कोई प्रावधान है।

उत्तर: हाँ, धारा 34 ऐसी परिस्थितियों से संबंधित है। जहां पर प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं को वापस किया गया है, वहाँ पर पंजीकृत व्यक्ति (वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता) प्राप्तकर्ता को एक क्रेडिट नोट जिसमें निर्धारित विवरण शामिल हो जारी कर सकता है। आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेडिट नोट के विवरण को उस महीने की रिटर्न में जिसके दौरान ऐसा क्रेडिट नोट जारी किया गया लेकिन सितम्बर के बाद नहीं अनुगामी वर्ष जिसमें आपूर्ति की गई या प्रासंगिक वार्षिक रिटर्न की फाईलिंग जो भी पहले हो में घोषणा करेगा। प्राप्तकर्ता द्वारा अपने उसी अवधि के वैध कर रिटर्न या उसके बाद की किसी कर अवधि से क्रेडिट नोट का विवरण इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए संबंधित कमी से मिलान होगा और आपूर्तिकर्ता द्वारा आउटपुट कर दायित्व का दावा प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) में संबंधित कमी से मिलाने होने पर इसे अंततः स्वीकार किया जाएगा और दोनों पक्षों को सूचित किया जाएगा।

प्रश्न सं. 34 मुनाफाखोरी के विरुद्ध क्या उपाय है?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 171 के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में किसी प्रकार के टैक्स में कमी य इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ को मूल्यों में अनुरूप कमी के माध्यम से प्राप्तकर्ता को अग्रेसित किया जाएगा। सरकार द्वारा एक प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है जो यह जाँच करे कि क्या किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट या कर की दरों में कमी वास्तव में वस्तुओं या सेवाओं में या दोनों की आपूर्ति में मूल्यों के अनुरूप कमी हुई है।

करारोपण (Levy) और
कर से छूट

2. करारोपण (Levy) और कर से छूट

प्र सं. 1 जी.एस.टी. करारोपण की शक्तियाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं?
उत्तर: संविधान के अनुच्छेद 246ए, जो कि संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम 2016 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, संसद और राज्य विधान सभाएँ दोनों को जी.एस.टी. उदाहरणार्थ केन्द्रीय कर (सी.जी.एस.टी.) और राज्य कर (एस.जी.एस.टी.) या संघ शासित क्षेत्र कर (यू.टी.जी.एस.टी) के संबंध में कानून बनाने की समावर्ती शक्तियाँ प्रदान करता है। हालांकि अंतर-राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के संबंध में अनुच्छेद 246(ए) खण्ड 2, जिसे अनुच्छेद 269 (ए) के साथ पढ़ा जाए, संसद को विधान बनाने की विशेष शक्ति का प्रावधान करता है। उदाहरणार्थ एकीकृत कर (आई.जी.एस.टी.)।

प्र सं. 2 जी.एस.टी के अंतर्गत कराधीन घटना क्या है?

उत्तर: जी.एस.टी. के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति कर योग्य घटना है। सी.जी.एस.टी और एस.जी.एस.टी/यू.टी.जी.एस.टी. अंतरराज्यीय आपूर्ति पर भारित होगा। आईजीएसटी राज्यों के अन्दर की आपूर्ति पर लगाया जाएगा।

प्र सं. 3 क्या बिना पारस्परिक लाभ के की गई आपूर्ति, जी.एस.टी के अंतर्गत आपूर्ति के दायरों में आएंगे?

उत्तर: हाँ, लेकिन केवल वह गतिविधियाँ जो कि सी.जी.एस.टी अधिनियम/एस.जी.एस.टी अधिनियम के अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है। उपरोक्त प्रावधान आई.जी.एस.टी अधिनियम के साथ-साथ यू.टी.जी.एस.टी. अधिनियम में भी अपनाया गया है।

प्र सं. 4 एक धमार्थ संस्था द्वारा आवश्यक वस्तुओं को देना एक करयोग्य गतिविधि होगी?

उत्तर: जी.एस.टी. के अंतर्गत आपूर्ति करयोग्य होने के लिए, लेन-देन व्यापार की बढ़ोतरी एवं विकास के लिए होना चाहिए। चूंकि धमार्थ

गतिविधियों के लिए आपूर्ति लाभ का उद्देश्य शामिल नहीं है। अतः जी.एस.टी. के अंतर्गत कर योग्य आपूर्ति नहीं है।

प्र सं. 5 वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए लेन-देन को कौन अधिसूचित कर सकता है?

उत्तर: जी.एस.टी. परिषद की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार किसी गतिविधि को सेवाओं के आपूर्ति नहीं अपितु वस्तुओं की आपूर्ति अथवा वस्तुओं की आपूर्ति नहीं अपितु सेवाओं की आपूर्ति अथवा न तो वस्तुओं की आपूर्ति, न ही सेवाओं की आपूर्ति अधिसूचित कर सकता है।

प्र सं. 6 संरचना आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति क्या है? ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं?

उत्तर: समग्र आपूर्ति, ऐसी आपूर्ति जिसमें दो या अधिक कर योग्य वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों या उनका संयोजन सम्मिलित हो, जो कि सामान्य रूप से जुड़ी हो और व्यापार के सामान्य क्रम में एक दूसरे से जोड़ कर आपूर्ति की गई हो, जहाँ पर एक प्रमुख आपूर्ति हो। उदाहरण के लिए जब कोई उपभोक्ता टी.वी. सेट खरीदता है और उसे टी.वी. के साथ वारंटी और रखरखाव अनुबंध भी मिलता है तो यह आपूर्ति एक समग्र आपूर्ति है। इस उदाहरण में टी.वी. की आपूर्ति प्रमुख आपूर्ति है, वारंटी और रखरखाव सेवा सहायक आपूर्ति है।

मिश्रित आपूर्ति वस्तुओं या सेवाओं की एक से अधिक व्यक्तिगत आपूर्ति या एक ही कीमत के लिए एक दूसरे से मिलकर बनाई गई संयोजन का संयोजक है, जो सामान्यतः अलग से आपूर्ति की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक दुकानदार रेफ्रिजरेशन के साथ पानी भंडारण की बोटलों को बेचता है। बोटलों और रेफ्रिजरेटर की अलग-अलग कीमत लगा कर बेचा जा सकता है।

प्र सं. 7 जी.एस.टी के अंतर्गत संरचना आपूर्ति और मिश्रित आपूर्ति के क्या उपचार है?

उत्तर: संरचना आपूर्ति को मूल आपूर्ति की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। मिश्रित आपूर्ति को उस विशेष वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा जो करो की उच्चतम दरों को आकर्षित करेगा।

प्र सं. 8 क्या जी.एस.टी के अंतर्गत सभी वस्तु एवं सेवाएँ कर योग्य है?

उत्तर: मानव उपभोग के लिए एल्कोहलिक शराब के अलावा सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति कर योग्य है पेट्रोलियम क्रूड, हार्ड स्पीड डीजल, मोटर स्प्रीट (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन की आपूर्ति भविष्य की तिथि से कर योग्य प्रभावी होंगी। यह तारीख जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

प्र सं. 9 रिवर्स चार्ज का क्या मतलब है?

उत्तर: इसका मतलब है कि कर का भुगतान करने का दायित्व, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता, जो आपूर्ति की अधिसूचित श्रेणियों संबंधित है के बजाय वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर होता है।

प्र 10. क्या संरचना योजना के अंतर्गत एक कराधीन व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है?

उत्तर: नहीं, संरचना योजना के अंतर्गत कराधीन व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्र 11. उस मामले में क्या निहितार्थ होंगे जब आपूर्ति की प्राप्ति अपंजीकृत व्यक्तियों से हो?

उत्तर: अपंजीकृत व्यक्ति से आपूर्ति के मामले में, पंजीकृत व्यक्ति जो वस्तु या सेवाओं को प्राप्त कर रहा है, रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

प्र सं. 12 क्या आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता के अलावा कोई भी व्यक्ति जी.एस.टी. के तहत कर का भुगतान कर सकता है।

उत्तर: हाँ, केन्द्रीय/राज्य सरकार उन सेवाओं को निर्दिष्ट कर सकती है जिन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा भुगतान किया जाएगा, यदि ऐसी सेवाओं को इसके माध्यम से आपूर्ति की जाती है और अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर लागू होंगे जैसा कि अगर वह वही व्यक्ति है जो सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

प्र 13. संरचना योजना के अंतर्गत कर भुगतान के विकल्प की सीमा रेखा क्या है?

उत्तर: संरचना योजना के लिए एक वित्तीय वर्ष में टर्नओवर/कुल बिक्री की 50 लाख रुपये सीमा है।

प्र सं. 14 संरचना योजना के लिए कर की दरें क्या है!

उत्तर: विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दरें हैं। राज्य या संघ शासित क्षेत्रों में सामान्य मामलों में वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता (यानी व्यापारियों) के कुल कारोबार का 0.5% संयोजन दर है। यदि संयोजन योजना का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति निर्माता है तो राज्य या संघ शासित क्षेत्र में कुल कारोबार पर कर की दर 1% है। रेस्तरां सेवाओं के मामलों में, राज्य या संघ शासित क्षेत्रों में कारोबार पर कर की दर 2.5% है। यह सभी दरें एक अधिनियम के अंतर्गत है और अन्य अधिनियम में भी समान दरें ही लागू होंगी। इसलिए प्रभावी ढंग से संरचना दर (सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी./यू.टी.जी.एस.टी. के अंतर्गत संयुक्त दर) सामान्य आपूर्तिकर्ता, निर्माता और रेस्तरां सेवा के लिए क्रमशः 1%, 2% और 5% है।

प्र सं. 15 एक वित्तीय वर्ष के दौरान संरचना योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति जिसका कारोबार एक वर्ष के दौरान 50 लाख रु. से अधिक है अर्थात वह दिसम्बर में 50 लाख रु. का कारोबार पार कर जाए। क्या उसे संयोजन योजना के अंतर्गत वर्ष के शेष बचे

माह यानी 31 मार्च तक कर का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी?

उत्तर: नहीं, विकल्प का लाभ उस दिन से समाप्त हो जाएगा जिस दिन वित्तीय वर्ष के दौरान उसका कुल कारोबार 50 लाख से अधिक हो जाएगा।

प्र सं. 16 ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक से अधिक पंजीकरण है क्या वह व्यक्ति कुछ पंजीकरणों के लिए संयोजन योजना का विकल्प चुनने का पात्र होगा।

उत्तर: सभी पंजीकृत व्यक्तियों जिनके पास एक स्थाई खाता संख्या (पैन) हैं उन्हें संयोजन योजना का विकल्प चुनना है। अगर एक पंजीकृत व्यक्ति सामान्य योजना का विकल्प चुनता है तो अन्य संयोजन योजना के लिए अयोग्य हो जाते हैं।

प्र सं. 17 क्या एक निर्माता और सेवा आपूर्तिकर्ता द्वारा संयोजन योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

उत्तर: हाँ, सामान्यतः एक निर्माता संयोजन योजना का विकल्प चुन सकता है। हालांकि एक वस्तु निर्माता, जो कि जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाएगा, इस योजना के लिए विकल्प नहीं चुन सकता है। यह योजना रेस्तरां सेवाओं को छोड़कर सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं है।

प्र सं. 18 संयोजन योजना का विकल्प चुनने के लिए कौन पात्र नहीं है।

उत्तर: व्यापक तौर पर संयोजन योजना का विकल्प चुनने के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की पाँच श्रेणी योग्य नहीं है। यह निम्नलिखित हैं—

- (i) रेस्तरां सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवा आपूर्तिकर्ता।
- (ii) वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता जो कि सी.जी.एस.टी अधिनियम/एस.जी.एस.टी. अधिनियम/यू.टी.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य नहीं है।

- (iii) वस्तुओं के अंतर-राज्यीय आपूर्तिकर्ता।
- (iv) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति।
- (v) कुछ निश्चित अधिसूचित वस्तुओं के निर्माता।

प्र सं. 19 क्या संयोजन योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का दावा कर सकता है।

उत्तर: नहीं, संयोजन योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) का दावा नहीं कर सकता है।

प्र सं. 20 क्या ग्राहक जो एक पंजीकृत व्यक्ति से खरीद करता है जो कि संयोजन योजना के अंतर्गत है वह इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत संयोजन कर का दावा कर सकता है।

उत्तर: नहीं, जो ग्राहक पंजीकृत व्यक्ति से वस्तु खरीदता है जो कि संयोजन योजना के अंतर्गत है वह संयोजन इनपुट टैक्स क्रेडिट के पात्र नहीं है। क्योंकि एक संयोजन योजना का आपूर्तिकर्ता कर चालान जारी नहीं कर सकता है।

प्र 21. क्या संरचना कर ग्रहकों से वसूला जा सकता है?

उत्तर: नहीं, संरचना योजना के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति को कर संग्रह की अनुमति नहीं है। इसका अर्थ कि संरचना योजना के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता कर चालान जारी नहीं कर सकता है।

प्र 22. संरचना योजना के लिए पत्रता निश्चित करने हेतु 'समग्र कारोबार' की गणना कैसे की जाएगी।

उत्तर: समग्र कारोबार की गणना करने की पद्धति धारा 2(6) में प्रदान किया गया है। तदनुसार, कुल कारोबार का अर्थ है एक पैन वाले किसी व्यक्ति की सभी बाह्य आपूर्ति का मूल्य (कर योग्य आपूर्तियाँ+छूट प्राप्त आपूर्तियाँ+ निर्यात+अंतरराज्यीय आपूर्तियाँ) और इसमें केंद्रीय कर (सीजीएसटी), राज्यकर (एसजीएसटी), संघशासित

क्षेत्रकर (यूटीजीएसटी), एकीकृतकर (आईजीएसटी), क्षतिपूर्ति उपकर के अंतर्गत आरोपित कर शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, आपूर्तियों का मूल्य, जिन पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर देय है, कुल कारोबार की गणना के हिसाब में नहीं ली जाएगी।

प्र सं. 23 यदि कोई व्यक्ति शर्तों का उल्लंघन कर, संयोजन योजना चुनता है तो दंडनीय परिणाम क्या है?

उत्तर: यदि एक करदेय योग्य व्यक्ति ने संयोजन योजना के अंतर्गत कर का भुगतान किया है, यद्यपि वह इस योजना के पात्र नहीं थे तब व्यक्ति दंड के लिए उत्तरदायी होगा और कर एवं दंड के निर्धारण के लिए धारा 73 या 74 के प्रावधान लागू होंगे।

प्र सं. 24 क्या जी.एस.टी. कानून सरकार को आपूर्तियों पर जी.एस.टी. कर आरोपित करने की छूट प्रदान करने की शक्ति देता है।

उत्तर: हाँ, सार्वजनिक हित में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जी.एस.टी. परिषद की सिफारिश पर पूरी तरह या आंशिक रूप से, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर या तो पूरी तरह से या शर्तों के अधीन जी.एस.टी. आरोपित करने से छूट प्रदान कर सकता है। आगे सरकार विशेष परिस्थितियों में अपवादात्मक प्रकृति के अंतर्गत विशेष आदेश द्वारा किसी भी वस्तु या सेवाएँ या दोनों को छूट प्रदान कर सकती है। यह एस.जी.एस.टी अधिनियम और यू.टी.जी.एस.टी. अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि सी.जी.एस.टी अधिनियम के अंतर्गत दी गई कोई छूट उस अधिनियम के अंतर्गत छूट माना जाएगा।

प्र सं. 25 जब वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को एकत्र किए जाने वाले सभी करों से पूरी तरह से छूट प्रदान की गई है, क्या कोई व्यक्ति कर चुका सकता है?

उत्तर: नहीं, छूट वाले वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति, प्रभावी दर से अधिक कर एकत्रित नहीं करेगा।

पंजीकरण

3. पंजीकरण

प्र 1. जी.एस.टी. में पंजीकरण करवाने के क्या लाभ हैं?

उत्तर: वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अंतर्गत पंजीकरण करवाना व्यवसाय को निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगा:

- वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को कानूनी रूप में मान्यता प्राप्त होती है
- इनपुट वस्तुओं या सेवाओं के समुचित कर भुगतान के लेखा को जिन्हें वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या व्यापार द्वारा दोनो पर देय जी.एस.टी. भुगतान के लिये प्रयोग किया जा सकता है।
- अपने खरीदारों से कानूनी तौर पर कर जमा करने और वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर खरीदार या प्राप्तकर्ताओं को देय करों को क्रेडिट करने के लिये अधिकृत किया है।
- वस्तु एवं सेवा कर कानूनों के तहत प्रदान किए गए कई अन्य लाभों और विशेषाधिकारों का लाभ उठाने का पात्र होने के लिए।

प्र 2. क्या बिना जी.एस.टी. पंजीकरण किया व्यक्ति आईटीसी और कर एकत्र कर सकता है?

उत्तर: नहीं, जी.एस.टी. पंजीकरण के बिना कोई भी व्यक्ति न तो अपने ग्राहकों से जी.एस.टी. एकत्रित कर सकता है और न ही अपने द्वारा भुगतान किए गए जी.एस.टी. के किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है।

प्र 3. पंजीकरण की प्रभावी तिथि क्या होगी?

उत्तर: पंजीकरण के लिए जहां पर आवेदन किया गया है उसकी प्रस्तुति के 30 दिनों के भीतर व्यक्ति पंजीकरण करने के लिए

उत्तरदायी हो जाता है, पंजीकरण की प्रभावी तिथि उसके पंजीकरण के अपने दायित्व की तिथि होगी, जिस दिन वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हुआ।

जहाँ आवेदक द्वारा पंजीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है उसके 30 दिनों के बाद वह पंजीकरण का उत्तरदायी बन जाता है, पंजीकरण की प्रभावी तिथि उसे पंजीकरण प्रदान करने की तारीख होगी।

स्वतः पंजीकरण के मामले में, अर्थात् स्वेच्छा से पंजीकरण लेना जबकि कर भुगतान के लिए सीमा में छूट की सीमा के भीतर है, पंजीकरण की प्रभावी तिथि पंजीकरण के आदेश की तिथि होगी।

प्र 4. मॉडल जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत कौन व्यक्ति पंजीकरण लेने के लिए उत्तरदायी हैं?

उत्तर: सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 22 के अनुसार हर आपूर्तिकर्ता (अपने एजेंट सहित) जो कर योग्य आपूर्ति करता है अर्थात् वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति जो वस्तु एवं सेवा कर कानून के तहत कर के लिए कर योग्य होती है और उनकी कुल बिक्री एक वित्त वर्ष में बीस लाख रूपयों की सीमा से अधिक है, वह राज्य या दिल्ली या पुदुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र में जहाँ से वह कर योग्य आपूर्ति करता है। वह अपने को पंजीकृत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ग्यारह विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में (जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 279ए (4) (जी) में वर्णित है, पंजीकरण के उत्तरदायित्व के लिए यह सीमा दस लाख रूपये हैं।

इसके अलावा अधिनियम की धारा 24 में आपूर्तिकर्ताओं की कुछ श्रेणियों का उल्लेख किया गया है जो पंजीकरण लेने के लिए उत्तरदायी होंगे, भले ही उनका कुल/समुचित कारोबार 20 लाख रूपये की सीमा से नीचे हो।

दूसरी ओर अधिनियम की धारा 23 के अनुसार कृषि उत्पादों की आपूर्ति के सम्बन्ध में एक कृषक, विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत गैर कर योग्य या पूर्णतः छूट वाले सामानों और/या सेवाओं की आपूर्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

प्र 5. कुल बिक्री क्या है?

उत्तर: सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 2(6) के अनुसार सकल व्यापार की मात्रा (टर्न ओवर) में कुल मूल्य शामिल है:

- (i) सभी कर योग्य आपूर्तियां,
- (ii) छूट प्राप्त आपूर्तियां,
- (iii) वस्तुओं और/या सेवाओं का निर्यात और
- (iv) एक ही पैन वाले व्यक्ति के द्वारा सभी अंतरराज्यीय आपूर्ति।

उपरोक्त की अखिल भारतीय आधार पर गणना की जाएगी और सी.जी.एस.टी. अधिनियम, एस.जी.एस.टी. अधिनियम, यू.टी.जी.एस.टी. अधिनिम एवं आई.जी.एस.टी. अधिनियम के तहत लगाये गए करों को शामिल नहीं किया जाएगा। कुल कारोबार में कर योग्य व्यक्ति द्वारा किए गए सभी सामान शामिल होंगे चाहे वह अपने खाते पर हों या अपने सभी प्रिंसिपलों की ओर से किया गया हो।

सकल टर्न ओवर में आपूर्ति जिस पर रिवर्स चार्ज आधार पर कर लगाया जाता है और आवक आपूर्ति के मूल्य, शामिल नहीं होंगे।

जॉब वर्क कार्य पूरा होने के बाद माल का मूल्य जॉब वर्कर के टर्न ओवर में शामिल करने योग्य नहीं है। यह प्रिंसिपल द्वारा माल की आपूर्ति के रूप में माना जाता है और तदनुसार प्रिंसिपल के टर्न ओवर में शामिल होगा।

प्र 6. कौन से मामलों में पंजीकरण अनिवार्य है?

उत्तर: सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 24 के अनुसार निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों को सीमित सीमा के वावजूद अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी;

- क) व्यक्ति जो किसी प्रकार की अंतर-राज्य कराधीन आपूर्ति कर रहे हैं;
- ख) अस्थायी कराधीन व्यक्ति;
- ग) वे व्यक्ति जिन्हें रिवर्स प्रभार के अंतर्गत कर भुगतान करना आवश्यक है;
- घ) धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दर भुगतान हेतु उत्तरदायी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर,
- ङ) गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति,
- च) व्यक्ति जो धारा 51 के अंतर्गत कर कटौती हेतु उत्तरदायी हो।
- छ) व्यक्ति जो अन्य पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों की ओर से वस्तुओं और या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, चाहे एजेन्ट के रूप या अन्य।
- ज) इनपुट सेवा वितरक (चाहे अधिनियम के अन्तर्गत अलग से पंजीकृत है या नहीं)
- झ) व्यक्ति जो धारा 52 के अन्तर्गत कर एकत्र करने हेतु अपेक्षित है।
- ञ) प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर
- ट) भारत में एक पंजीकृत व्यक्ति के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के बाहर से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन जानकारी और डाटाबेस पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति करता है।
- ठ) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिसे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार इवाप परिषद को सिफारिश

पर अधिसूचित किया जा सकता है।

प्र सं. 7 वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम के तहत पंजीकरण लेने की समय सीमा क्या है?

उत्तर: किसी व्यक्ति को पंजीकरण तीस दिनों के भीतर लेना होगा जिस दिन से वह पंजीकरण लेने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। ऐसे तरीके से तथा उन नियमों के अधीन जैसे कि पंजीकरण नियमों में निर्धारित हो, ले लेना चाहिए। एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी कर योग्य व्यक्ति की व्यापार प्रारम्भ करने से कम से कम 5 दिन पहले पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए।

प्र 8. यदि एक व्यक्ति एक ही पैन नंबर के साथ अलग-अलग राज्यों में व्यवसाय संचालित कर रहा है, क्या वह एक ही पंजीकरण के साथ व्यवसाय संचालित कर सकता है?

उत्तर: नहीं। प्रत्येक वह व्यक्ति जो पंजीकरण लेने के लिए उत्तरदायी है उसे प्रत्येक उन राज्यों में अलग-अलग पंजीकरण लेना आवश्यक है जहां पर वह व्यवसाय संचालित कर रहा है और सीजीएसटी/एसजीएसटी की धारा 22 के उपधारा (1) के अनुसार जीएसटी भुगतान के उत्तरदायी है।

प्र 9. एक व्यक्ति जिसके एक राज्य में कई व्यापारिक व्यवसाय हैं क्या वह अलग पंजीकरण प्राप्त कर सकता है?

उत्तर: हाँ। धारा 25 की उपधारा (2) के प्रावधान के संदर्भ में एक व्यक्ति को एक राज्य में कई व्यापार व्यवसाय/कार्यक्षेत्र के संचालन के लिये प्रत्येक ईकार्ड का अलग पंजीकरण प्राप्त करना चाहिये, इन शर्तों के अधीन जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है।

प्र 10. क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से पंजीकृत करे हालांकि तब जब वह जी.एस.टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं भी हो सकता है?

उत्तर: हाँ। धारा 25 की उप-धारा (3) के संदर्भ में, हालांकि, एक

व्यक्ति अनुसूची धारा 22 के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिये उत्तरदायी नहीं होते हुए भी, अपनी स्वेच्छा से स्वयं को पंजीकृत कर सकता है, और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों, जो एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति पर लागू होते हैं, उस व्यक्ति पर भी लागू होंगे।

प्र 11. क्या पंजीकरण प्राप्त करने के लिये स्थायी खाता संख्या (पैन) अनिवार्य है?

उत्तर: हाँ। प्रत्येक व्यक्ति के पास सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 25(6) के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करने की पात्रता के क्रम में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी किया गया स्थायी खाता संख्या (पैन) रखना अनिवार्य होगा।

हालांकि उपरोक्त धारा 25(6) के प्रावधानों के अनुसार धारा 51 के तहत कर कटौती करने के लिए एक व्यक्ति को पैन के बदले आयकर अधिनियम के अन्तर्गत एक कर कटौती और संग्रह खाता पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए ले सकता है।

इसके अलावा, धारा 25 (7) के अनुसार एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए पैन अनिवार्य नहीं है। जिसे किसी भी अन्य दस्तावेज, जिसे निर्धारित किया जा सकता है, के आधार पर पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है।

प्र 12. क्या सक्षम अधिकारी के माध्यम से विभाग, इस अधिनियम के अंतर्गत स्वतः एक व्यक्ति के पंजीकरण को आगे बढ़ा सकता है?

उत्तर: हाँ। धारा 25 की उप-धारा (8) के अनुसार, जहां एक व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने के लिये उत्तरदायी है और पंजीकृत करवाने में विफल रहता है, सक्षम अधिकारी, कोई भी कार्रवाई बिना पक्षपात किये कर सकता है अर्थात्, या एम.जी.एल. या किसी अन्य प्रचलित कानून के अंतर्गत की जा सकती है, ऐसे व्यक्ति को उस ढंग से पंजीकृत करने के लिए कार्यवाही कर सकता है पंजीकरण नियमों में, जिसे निर्धारित किया जा सकता है।

प्र 13. क्या एक सक्षम अधिकारी पंजीकरण के लिये किये गये आवेदन को अस्वीकार कर सकता है?

उत्तर: हाँ, सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 25 के उपधारा 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी पंजीकरण के लिए आवेदन को सत्यापन के बाद अस्वीकार कर सकते हैं।

प्र 14. क्या किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया पंजीकरण स्थायी है?

उत्तर: हाँ, एक बार पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने पर वह स्थायी हो जाता है जब तक कि उसे अभ्यर्पण, रद्द, निलंबित या वापस नहीं ले लिया जाता।

प्र 15. क्या संयुक्त राष्ट्र निकायों के लिये जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है?

उत्तर: हाँ, सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 25 (9) के संदर्भ में सभी अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों, वाणिज्य दूतावास या विदेशी देशों के दूतावास और अधिसूचित किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति की जी.एस.टी. पोर्टल एक अद्वितीय पहचान संख्या (UIN) प्राप्त करना आवश्यक होगा। कथित आईडी की संरचना जी.एस.टी.आई.एन. के अनुरूप सभी राज्यों में एक समान होगी और वह केंद्र और राज्यों के लिए भी एक समान होगी। इस यूआईएन की उनके द्वारा प्राप्त किये गए माल और सेवाओं को अधिसूचित आपूर्ति पर भुगतान किये गए करों के धनवापसी का दावा करने के लिए और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए जिसे अधिसूचित किया जा सकता है, की आवश्यकता होगी।

प्र 16. संयुक्त राष्ट्र निकायों को आपूर्ति करने वाले कराधीन व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है?

उत्तर: इन संगठनों को आपूर्ति करने वाले कराधीन आपूर्तिकर्ता से चालान/बिल पर यूआईएन. उल्लिखित करने की अपेक्षा की जाती

है और ऐसी आपूर्ति को दूसरे पंजीकृत व्यक्ति (बी2बी) को की जाने वाली आपूर्ति माना जायेगा और इन बिलों को आपूर्तिकर्ता द्वारा अपलोड किया जाएगा।

प्र 17. क्या सरकारी संगठन के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है?

उत्तर: सरकारी प्राधिकरणों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को जो जी.एस.टी. माल की आगे आपूर्ति नहीं कर रहे (और इसलिये जी.एस.टी. पंजीकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं है) लेकिन अंतर-राज्यीय खरीद कर रहे हैं, उन्हें संबंधित राज्य कर प्राधिकारियों द्वारा जी.एस.टी. पोर्टल के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान संख्या (आई.डी.) प्रदान किया जाएगा।

प्र 18. एक अस्थायी कराधीन व्यक्ति कौन है?

उत्तर: अस्थायी कर योग्य व्यक्ति को सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 2 (20) में परिभाषित किया गया है जिसका मतलब है वह व्यक्ति जो कभी-कभी माल एवं सेवाओं के क्रम या व्यापार के आगे बढ़ाने में चाहे प्रमुख (प्रीसिपल) या एजेंट या किसी अन्य क्षमता में किसी राज्य या एक संघीय क्षेत्र में जहाँ उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, सौदा करता है।

प्र 19. अप्रवासी/एन.आर.आई. कराधीन व्यक्ति कौन है?

उत्तर: सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 2(77) के अनुसार अनिवासी कर योग्य व्यक्ति का मतलब किसी भी व्यक्ति से है जो कभी-कभी सामानों और/या सेवाओं की आपूर्ति चाहे प्रमुख या एजेंट के रूप में या किसी अन्य क्षमता में लेकिन जिनका भारत में व्यवसाय या निवास का निश्चित स्थान नहीं है, लेन-देन करते हैं।

प्र 20. एक आकस्मिक कराधीन व्यक्ति और अप्रवासी कराधीन व्यक्ति को जारी किये पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि क्या है?

उत्तर: धारा 27(1) के संदर्भ में जो कि प्रावधानों के साथ पठनीय

है “आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति” को जारी किये गए पंजीकरण प्रमाण पत्र, पंजीकरण हेतु दिए गए आवेदन पत्र में निर्दिष्ट अवधि या पंजीकरण को प्रभावी तारीख से 90 दिन, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगा। हालांकि उचित अधिकारी उक्त कर योग्य व्यक्ति के अनुरोध पर अवधि को जो 90 दिनों की अवधि से अधिक न हो उपरोक्त 90 दिनों की पूर्व अवधि की वैधता से आगे बढ़ा सकता है।

प्र 21. क्या इस विशेष श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करने के समय एक “आकस्मिक कराधीन व्यक्ति” और “अप्रवासी कराधीन व्यक्ति” को कोई अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता है?

उत्तर: हाँ। जबकि एक सामान्य कराधीन व्यक्ति को धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने के समय पंजीकरण प्राप्त करने के लिए राशि जमा करना आवश्यक नहीं होता, लेकिन एक आकस्मिक कराधीन व्यक्ति या एक अप्रवासी कराधीन व्यक्ति, धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन करने के समय उस अवधि के लिये अनुमानित कर देयता के बराबर की राशि में कर की अग्रिम राशि जमा करेंगे जिस अवधि के लिये उक्त व्यक्ति पंजीकरण की मांग करता है। यदि पंजीकरण की अवधि को प्रारम्भिक नब्बे दिनों की अवधि से आगे बढ़ाया जाता है, अनुमानित कर देयता के लिए अग्रिम कर की अतिरिक्त राशि के बराबर की उतनी रकम जमा की जायेगी जितने समय के लिये उस अवधि को नब्बे दिनों से आगे बढ़ाने की मांग की गई है।

प्र 22. क्या पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन करने की अनुमति है?

उत्तर: हाँ। धारा 20 के अनुसार, सक्षम अधिकारी, इस तरह की जानकारी जो उसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी गई है या उसने स्वयं उसका पता लगाया है, पंजीकरण विवरणों में इस ढंग से संशोधन

स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है और उस अवधि के भीतर जैसा निर्धारित की जा सकती है। इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि सक्षम अधिकारी द्वारा जानकारी के संशोधन की अनुमति केवल कुछ प्रमुख क्षेत्रों के लिए ही आवश्यक होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए, पंजीकृत व्यक्ति स्वयं भी संशोधन कर सकता है।

प्र 23. क्या पंजीकरण प्रमाणपत्र के रद्दीकरण की अनुमति है?

उत्तर: हाँ। सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 29 में व्यक्त स्थितियों में, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किये गये पंजीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी, या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या आवेदन करने पर, निर्धारित तरीके से, पंजीकृत कराधीन व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति की मौत के मामले में उसके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा, पंजीकरण को इस तरीके और उस अवधि के भीतर रद्द कर सकता है, जिस रूप में वह निर्धारित किया जा सकता है। पंजीकरण नियमों के अनुसार रद्दीकरण के लिए आदेश एससीएन का उत्तर प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर जारी किया जाना है (उन मामलों में जहाँ रद्दीकरण को उचित अधिकारी द्वारा स्वयं बनाने का प्रस्ताव किया गया है) या रद्दीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से (उन मामलों में जहाँ कर योग्य व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी इस तरह के रद्दीकरण के लिए आवेदन करता है। तीस दिनों के अंदर जारी किया जाना है।)

प्र 24. क्या सी.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण रद्द करने का अर्थ एस.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत भी रद्द करना है?

उत्तर: हाँ। एक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण रद्द (जैसे सी.जी. एस.टी. अधिनियम) करना दूसरे अधिनियम (अर्थात् एस.जी.एस.टी. अधिनियम) के अंतर्गत भी रद्द माना जायेगा। (धारा 29(4))

प्र 25. क्या एक सक्षम अधिकारी स्वयं पंजीकरण रद्द कर सकता है?

उत्तर: हाँ, सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 29(2) में उल्लिखित कुछ निश्चित परिस्थितियों में, सक्षम अधिकारी अपने स्वयं के विवेक पर पंजीकरण रद्द कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में सी.जी.एस.टी अधिनियम के किसी भी निर्धारित प्रावधान या इसके तहत बनाए गये नियमों का उल्लंघन, एक रचना व्यापारी (कम्पोजीशन डीलर) द्वारा लगातार तीन करों की लिए रिटर्न विवरणी नहीं दाखिल करना या छः महीने की निरन्तर अवधि के लिए नियमित करदाता द्वारा रिटर्न की गैर प्रस्तुति और स्वैच्छिक पंजीकरण की तारीख से छः महीने के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं करना, शामिल है। हालांकि, पंजीकरण रद्द करने से पहले संक्षम अधिकारी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। (धारा 29 (2)(इ) का प्रावधान)।

प्र 26. क्या होगा जब पंजीकरण जानबूझकर गलत बयान, धोखाधड़ी या तथ्यों को दबाकर प्राप्त किया गया है?

उत्तर: ऐसे मामलों में, सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व प्रभाव से पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। धारा 29(2)(e)।

प्र 27. क्या जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं के पंजीकरण के लिए केंद्रीकृत विकल्प उपलब्ध है?

उत्तर: नहीं, हर राज्य में कराधीन आपूर्ति के लिए करदाता को अलग-अलग पंजीकरण करना होगा।

प्र 28. यदि करदाता के एक राज्य में विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्र हैं, क्या उसे राज्य में इस तरह के प्रत्येक व्यावसायिक कार्यक्षेत्र के लिए अलग-अलग पंजीकरण प्राप्त करना होगा?

उत्तर: नहीं। हालांकि सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 25(2) के अनुसार करदाता के पास इन व्यवसायों के लिये स्वतंत्र रूप से इस तरह के अलग अलग पंजीकरण प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है।

प्र 29. एक आई.एस.डी. कौन है?

उत्तर: आई.एस.डी. आगत (इनपुट) सेवा वितरक/डिस्ट्रीब्यूटर से जाना जाता है और सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 2(61) के अनुसार इस रूप में परिभाषित किया गया है। मूल रूप से यह एक कार्यालय है जिसका प्रमुख काम इनपुट सेवाओं की प्राप्ति की दिशा में कर चालान/बिल प्राप्त करना है और आगे आपूर्तिकर्ता को अनुपात में क्रेडिट वितरित करना है (पैन एक समान होना चाहिए)।

प्र 30. क्या आई.एस.डी. को मौजूदा करदाता पंजीकरण के अतिरिक्त पृथक पंजीकृत करना आवश्यक होगा?

उत्तर: हाँ। आई.एस.डी. पंजीकरण करदाता के एक कार्यालय के लिए है जो कि सामान्य पंजीकरण से अलग होगा।

प्र 31. क्या एक करदाता के बहुल आई.एस.डी. हो सकते हैं?

उत्तर: हाँ। एक करदाता के विभिन्न कार्यालय आई.एस.डी. के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्र 32. एक व्यवसाय के हस्तांतरण पर क्या दायित्व (जहां तक पंजीकरण का संबंध है) हो सकते हैं?

उत्तर: हस्तांतरणीय या उत्तराधिकारी इस तरह के हस्तांतरण या उत्तराधिकार के प्रभाव से पंजीकृत करने के लिए उत्तरदायी हो जायेगा और उसे हस्तांतरण या उत्तराधिकार की प्रभावी तारीख से नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा। (धारा 22(3))।

प्र 33. क्या वे सभी निर्धारित/डीलरों जो पहले से ही मौजूदा केंद्रीय उत्पाद/सेवा कर/वैट कानून के अंतर्गत पंजीकृत हैं उन्हें नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा?

उत्तर: नहीं, जीएसटीएन इस तरह के सभी निर्धारित/डिलरों को जी.एस.टी एन नेटवर्क में स्थानान्तरित कर देगा और नियुक्त दिन

जी.एस.टी. आई.एन. नम्बर के साथ एक अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा जो विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद छः माह के अन्दर अन्तिम पंजीकरण पत्र में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अस्थायी पंजीकरण को अन्तिम रूप में परिवर्तित करने के लिए पंजीकृत व्यक्ति को पंजीकरण के सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज एवं सूचनाएँ निर्धारित अवधि में जमा करने को कहा जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने का परिणाम उनके अस्थायी जी.एस.टी.आई.एन नंबर के रद्द में परिणत होगा।

सेवा करदाता जिनके पास केंद्रीकृत पंजीकरण है उन्हें अपने संबंधित राज्यों में जहां से वे अपना व्यापार संचालित कर रहे हैं नये सिरे से पंजीकरण के लिये आवेदन करना होगा।

प्र 34. क्या जॉब वर्कर/कार्यकर्ताओं का पंजीकृत होना अनिवार्य होगा?

उत्तर: नहीं, एक जॉब वर्कर सेवाओं का आपूर्ति है और पंजीकरण के लिए सभी बाध्य होगा जब उसका कारोबार 20/10 लाख की निर्धारित सीमा पार कर लेगा।

प्र 35. क्या वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति जॉब कार्यकर्ता के व्यवसाय स्थल से दी जाएगी?

उत्तर: हाँ। लेकिन केवल उन मामलों में जहां जॉब कार्यकर्ता पंजीकृत है या यदि नहीं तो, व्यवसाय के प्रमुख द्वारा यह घोषित किया है कि जॉब कार्यकर्ताओं के कार्यस्थल उसका अपना अतिरिक्त व्यापारिक स्थल है।

प्र 36. पंजीकरण के समय क्या निर्धारिती को अपने सभी व्यवसायिक स्थल घोषित करने होंगे?

उत्तर: हाँ। सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 2(89) और 2(85) में प्रमुख व्यवसायिक स्थल और व्यावसायिक स्थल

को क्रमशः अलग अलग परिभाषित किया गया है। करदाता को पंजीकरण प्रपत्र में प्रमुख व्यवसायिक स्थल के साथ साथ अपने सारे अतिरिक्त व्यावसायिक स्थलों का ब्यौरा घोषित करना होगा।

प्र 37. क्या उन छोटे डीलरों या जिन डीलरों के पास कोई बुनियादी आईटी सुविधाएं नहीं हैं, उनकी सुविधा के लिये कोई प्रणाली है?

उत्तर: ऐसे करदाता जो आईटी-कुशल नहीं हैं, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी:—

टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर (टी.आर.पी): एक कराधीन व्यक्ति स्वयं अपना पंजीकरण आवेदन तैयार कर सकते हैं/ रिटर्न भर सकते हैं या टी.आर.पी. को संपर्क कर सकते हैं। टी.आर.पी. कथित पंजीकरण दस्तावेज/निर्धारित प्रारूप में रिटर्न कराधीन व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तैयार करेगा। टी.आर.पी. द्वारा तैयार किये प्रारूप में सम्मिलित जानकारियों की शुद्धता और कानूनी जिम्मेदारी केवल कराधीन व्यक्ति पर होगी और टी.आर.पी. किसी त्रुटि या गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सुविधा केंद्र (एफ.सी.): दस्तावेजों की विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कराधीन व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सारांश शीट सहित प्रारूपों और दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और/या अपलोडिंग के लिए जिम्मेदार होंगे। एफसी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए आम एफसी पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के बाद, स्वीकृति/पावती का एक प्रिंट-आउट लेगा और एफसी द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद वह कराधीन व्यक्ति को उसके रिकार्ड के लिये सौंप दिया जायेगा। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर की गई सारांश शीट को एफसी स्कैन करने के बाद अपलोड कर देगा।

प्र 38. क्या जी.एस.टी.आई.एन पंजीकरण में डिजिटल हस्ताक्षर के

लिए कोई सुविधा उपलब्ध है?

उत्तर: करदाताओं के पास मान्य डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने का विकल्प होगा। आधार नम्बर के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को दर्ज करके या डी.एस.सी. के माध्यम से ई-हस्ताक्षर करके आवेदन पत्र एवं अन्य कागजातों पर हस्ताक्षर करने के दो विकल्प होंगे। हालांकि कम्पनियाँ या सीमित देयता भागीदारी सरूयाओं को केवल डी.एस.सी. के माध्यम से अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना होगा। हस्ताक्षर उद्देश्य के लिए केवल स्तर-2 और स्तर-3 डी.एस. सी. प्रमाण पत्र स्वीकार्य होंगे।

प्र 39. ऑनलाइन आवेदन पर निर्णय के लिए क्या समय सीमा होगी?

उत्तर: यदि सूचनाएं तथा अपलोड किये गये दस्तावेज़ सही क्रम में पाये जाते हैं, राज्य और केंद्रीय प्राधिकारी आवेदन को स्वीकृति दे देंगे और उस स्वीकृति को तीन सामान्य काम के दिनों के भीतर आम पोर्टल पर संचारित कर देंगे तो उन्हें जवाब देना होगा। यदि वे इस अवधि में आवेदन पत्र में किसी कमी या विसंगति को बताते हैं तो आवेदक को ऐसे संचार के सात दिनों के भीतर कमी या विसंगति को दूर करना होगा। इसके उपरान्त इसे संचार के सात दिनों के भीतर प्राधिकारी को आवेदन को मंजूरी देने या अस्वीकार करने का समय होगा। जब कर योग्य व्यक्ति कमियों को हटाने का संचार करेगा। यदि विभागीय अधिकारियों द्वारा कथित समय रेखा के अंदर कोई जवाब नहीं दिया जाता है। पोर्टल स्वतः पंजीकरण उत्पन्न कर देगा।

प्र 40. यदि ऑनलाइन आवेदन में कोई प्रश्न उठाया जाता है तब आवेदक द्वारा उत्तर करने के लिये कितना समय होगा?

उत्तर: यदि सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान, कोई कर प्राधिकारी कोई प्रश्न उठाता है या कोई त्रुटि सूचित करता है, तो उसके बारे में तीन

सामान्य कार्य दिवसों के भीतर जी.एस.टी. के आम पोर्टल के माध्यम से आवेदक और अन्य कर प्राधिकरणों को सूचित किया जाएगा। आवेदक कमी के विवरण की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर प्रश्न का उत्तर देगा/त्रुटि का सुधार देगा/प्रश्न का उत्तर देगा।

अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्राप्त करने पर, प्रासंगिक कर प्राधिकरण सात सामान्य कार्य दिवसों के भीतर अपने उत्तर देंगे।

प्र 41. पंजीकरण से इन्कार करने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर: यदि पंजीकरण से इन्कार कर दिया जाता है, आवेदक को बोलने वाला आदेश (Speaking orders) के माध्यम से इस तरह के इन्कार करने के कारणों के बारे में सूचित किया जाएगा। आवेदक को प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा। सीजीएसटी अधिनियम के धारा 26 की उपधारा (2) के अनुसार, एक प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण के लिए किये आवेदन की किसी भी अस्वीकृति को अन्य कर प्राधिकरण (अर्थात् एस.जी.एस.टी. अधिनियम/ सी.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत) द्वारा पंजीकरण के लिए किये आवेदन की अस्वीकृति समझा जाएगा। (अर्थात् एसजीएसटी अधिनियम/यूटीजीएसटी अधिनियम/सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत)।

प्र 42. क्या आवेदन निपटान से संबंधित किसी प्रकार का संचार हो सकता है?

उत्तर: आवेदक को जी.एस.टी. आम पोर्टल द्वारा ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से उसके पंजीकरण आवेदन की स्वीकृति देने या इन्कार करने के तथ्य के बारे में सूचित किया जाएगा। इस चरण पर आवेदक को क्षेत्राधिकारिक विवरण सूचित किये जाएंगे।

प्र 43. क्या जी.एस.टी.एन पोर्टल से पंजीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड किया जा सकता है ?

उत्तर: यदि पंजीकरण प्रदान किया जाता है तो आवेदक जी.एस.टी.

आम पोर्टल से पंजीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

प्र सं. 44 क्या रजिस्ट्रेशन रद्दीकरण के आदेश को वापिस लिया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, लेकिन केवल उन मामलों में जहाँ प्रारंभिक रद्दीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं किया गया है और न कि कर योग्य व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के अनुरोध पर एक व्यक्ति जिसका पंजीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं रद्द कर दिया गया है, उचित अधिकारी को उक्त रद्दीकरण आदेश संचारित करने के तीस दिनों भीतर पंजीकरण के रद्दीकरण आदेश को वापस करने के लिए आवेदन कर सकता है। उचित अधिकारी पंजीकरण के रद्दीकरण आदेश को वापस करने हेतु किये गए आवेदन को प्राप्ति के या सूचना/स्पष्टीकरण की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर पंजीकरण रद्द करने के आदेश को या पंजीकृत व्यक्ति के आवेदन को निरस्त कर सकता है।

प्र सं. 45 क्या पंजीकरण रद्द करने से उस व्यक्ति पर कोई कर दायित्व लागू होता है जिसकी पंजीकरण रद्द हो गई है?

उत्तर: हाँ, सी.जी.एस.टी/एस.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 29(5) के अनुसार हर पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति या जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है स्टॉक में रखी गई इनपुट और अर्धनिर्मित माल में निहित इनपुट या स्टॉक में रखे हुए माल में निहित इनपुट या पूंजीगत माल या प्लांट एण्ड मशीनरी में निहित इनपुट टैक्स क्रेडिट का इलेक्ट्रॉनिक नकद/कैश लेजर में डेबिट के जरिए राशि का भुगतान करेगा या इन मालों पर देय आउटपुट टैक्स, इनमें जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा।

प्र सं. 46 आस्थायी और गैर निवासी कर योग्य व्यक्तियों के बीच अंतर क्या है?

उत्तर: आस्थायी और गैर निवासी कर योग्य व्यक्तियों को सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी अधिनियम में अलग-अलग अनुभाग 2(20) एवं

2(77) में क्रमशः परिभाषित किया गया है। कुछ अंतर नीचे दिये गये हैं।

आस्थायी कर योग्य व्यक्ति :	गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति
कभी-कभी किसी राज्य या यू.टी. में सामानों या सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लेन-देन का कार्य करता है जहाँ उनके व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है।	कभी-कभी समसामयिक माल की आपूर्ति या सेवाओं से सम्बाधित लेन-देन करता है लेकिन भारत में व्यापार का कोई निश्चित स्थान और निवास नहीं होता।
एक पैन नम्बर रखता है।	पैन नम्बर नहीं रखता है, एक गैर निवासी व्यक्ति अगर पैन नम्बर वाला है तो आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकरण ले सकता है।
सामान्य कर दाता व्यक्ति जैसा हो आवेदन पत्र जैसे जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन-01	गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए अलग आवेदन पंजीकरण फार्म जैसे जी.एस.टी रजि. 10
व्यापार के अनुक्रम या बढ़ोतरी में लेन-देन करता है।	परिभाषा में व्यापार परिक्षण उपलब्ध नहीं है
साधारण जी.एस.टी, आर-1, जी.एस.टी आर-2, जी.एस.टी. आर-3 दाखिल करना पड़ता है।	प्रारूप आर-5 में अलग सरलीकृत रिटर्न दाखिल करना पड़ता है।
सभी आवक आपूर्तियों के आईटीसी का दावा कर सकते हैं।	आईटीसी केवल माल और या सेवाओं के आयात पर ही मिल सकता है।

आपूर्ति का अर्थ तथा संभावना

4. आपूर्ति का अर्थ तथा संभावना

प्र 1. जी.एस.टी. के अंतर्गत कराधीन घटना क्या है?

उत्तर: जी.एस.टी. के अंतर्गत कराधीन घटना किसी प्रतिफल के प्रयोजन से वस्तुओं और/या सेवाओं या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये की गई आपूर्ति होगी। प्रचलित अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत कराधीन घटनाएं जैसे विनिर्माण, बिक्री, या सेवाओं के प्रावधानों को कराधीन घटना जिसे आपूर्ति के रूप में कहा जाता है सम्मिलित किये जाएंगे।

प्र 2. 'आपूर्ति' का क्या अर्थ है?

उत्तर: शब्द 'आपूर्ति' बहुत व्यापक शब्द है और इसमें वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति के सभी रूप जैसे बिक्री, स्थानांतरण, वस्तु विनिमय, अदला-बदली, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निपटान करना या करने के विचार पर एक व्यक्ति द्वारा उसके व्यापार को आगे बढ़ाने के प्रयोजन के लिये सहमति देना शामिल है। इसमें सेवाओं का आयात भी शामिल है। मॉडल जी.एस.टी. कानून आपूर्ति के दायरे के भीतर बिना प्रतिफल के कुछ लेनदेन को शामिल करने की भी व्यवस्था प्रदान करता है।

प्र 3. एक कराधीन आपूर्ति क्या है?

उत्तर: एक 'कराधीन आपूर्ति' का अर्थ वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है जिसपर जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्गत कर देय होता है।

प्र 4. वे कौन से आवश्यक तत्व होते हैं जो सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति का गठन करते हैं?

उत्तर: आदेश में एक 'आपूर्ति' का गठन करने के लिए, निम्न तत्वों को संतुष्ट करना आवश्यक है, यानि –

- (i) ऐसी गतिविधियाँ जिसमें वस्तु या सेवाएँ या दोनों की आपूर्ति शामिल हो;
- (ii) आपूर्ति माना जाएगा बशर्ते विशेष रूप से प्रदान किया गया हो;
- (iii) व्यापार के कम में या व्यापार को आगे बढ़ाने के प्रयोजन के लिये की गई आपूर्ति;
- (iv) आपूर्ति कराधीन क्षेत्र में की गई है;
- (v) आपूर्ति कराधीन आपूर्ति है; तथा
- (vi) आपूर्ति कराधीन व्यक्ति द्वारा की गई है।

प्र 5. क्या एक लेनदेन जिसमें एक या उससे अधिक उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं किया गया है, अभी भी जी.एस.टी. के अंतर्गत उसे आपूर्ति माना जा सकता है?

उत्तर: हाँ, कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत जैसे सेवाओं के आयात (धारा 3(1)(ख)) या बिना प्रतिफल के की गई आपूर्ति, सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की अनुसूची-I के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई है, जहां प्रश्न 4 में पूछे गये उत्तर में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक सामग्री संतुष्ट नहीं हैं, इसे फिर भी जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत आपूर्ति माना जायेगा।

प्र 6. धारा 3 की अनुपस्थिति में वस्तुओं का आयात सुस्पष्ट है। क्यों?

उत्तर: वस्तुओं के आयात को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अलग से निपटा जाता है, जिसमें अतिरिक्त सीमा शुल्क के स्थान पर आई.जी.एस.टी. को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत बुनियादी सीमा शुल्क के साथ लगाया जाएगा।

प्र 7. क्या निजी-आपूर्ति जी.एस.टी. के अंतर्गत कराधीन है?

उत्तर: अंतर्राज्यीय स्वयं आपूर्तियां जैसे स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर

या कंसाइनमेन्ट बिक्री आईजी.एस.टी के अन्तर्गत कर योग्य होगी, यद्यपि इस तरह के लेन-देन में प्रतिफल का भुगतान शामिल नहीं हो सकता है। हर आपूर्तिकर्ता जी.एस.टी कानून के अन्तर्गत या उस राज्य या संघीय क्षेत्र में पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा, जहाँ से वह मॉडल जी.एस.टी. लॉ की धारा 22 के अन्तर्गत माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति करता है। हालांकि व्यापार उहर्वाधर के रूप में पंजीकरण के लिए चयन नहीं करने के विषय में आन्तरिक राज्य स्वयं आपूर्तियाँ कर योग्य नहीं हैं।

प्र 8. क्या माल की आपूर्ति गठित करने के लिए शीर्षक और/या कब्जे का हस्तांतरण एक लेनदेन के लिये आवश्यक है?

उत्तर: एक लेनदेन के लिये शीर्षक के साथ ही साथ कब्जा दोनों को ही वस्तुओं की आपूर्ति के रूप में विचार किया जाना चाहिये। यदि नाम का हस्तांतरण नहीं किया गया है, लेनदेन को अनुसूची II (1) (b) के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति माना जायेगा। कुछ मामलों में, कब्जे को तुरन्त हस्तांतरित किया जा सकता है लेकिन नाम को भविष्य की तारीख में हस्तांतरित किया जा सकता है जैसे स्वीकृति के आधार पर बिक्री के मामले में या किराया खरीद व्यवस्था की तरह। ऐसे लेन-देनों को भी माल की आपूर्ति के रूप में कहा जाएगा।

प्र 9. “कार्यान्वित करने या व्यापार को आगे बढ़ाने के क्रम में की गई आपूर्ति” से क्या मतलब है?

उत्तर: व्यवसाय को धारा 2(17) के तहत परिभाषित किया गया है। जिसमें व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशे व्यवसाय आदि शामिल हैं। व्यापार में कोई भी गतिविधि या लेन-देन में शामिल है जो उपयुक्त गतिविधियों के लिए आकस्मिक और सहायक है। इसके अलावा कोई सरकार द्वारा किये गये किसी भी गतिविधि या एक राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी जिसमें वे सार्वजनिक प्राधिकरण

के रूप में कार्यरत है, उन्हें व्यवसाय के रूप में परिभाषित जाएगा। उपरोक्त से यह ध्यान दिया जा सकता है कि जी.एस.टी कानून के तहत किसी भी गतिविधि को आगे बढ़ावा देने की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है।

प्र 10. एक व्यक्ति निजी इस्तेमाल के लिए एक कार खरीदता है और एक साल के बाद उसे डीलर को बेच देता है। क्या वह लेनदेन सीजीएसटी/एसजीएसटी के अनुसार आपूर्ति होगा? उत्तर के लिये कारण बताएं।

उत्तर: नहीं, क्योंकि व्यक्ति द्वारा आपूर्ति व्यापार या व्यापार को आगे बढ़ाने के क्रम में नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था, उक्त कार को अधिग्रहण करने पर क्योंकि यह गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए किया गया था।

प्र 11. एक एयर कंडीशनर का व्यापारी अपने व्यापार के स्टॉक से अपने आवास पर निजी इस्तेमाल के लिए एक एयर कंडीशनर स्थानांतरित करता है। क्या वह लेन-देन आपूर्ति माना जाएगा?

उत्तर: जी हां, अनुसूची-I की क्रम संख्या 1 के अनुसार व्यापारिक परिसम्पत्तियों का स्थायी स्थानान्तरण या निपटान जहाँ सम्पत्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में लिया गया है, जी.एस.टी के तहत एक आपूर्ति का गठन करेगा जहाँ कोई भी प्रतिफल शामिल नहीं है।

प्र 12. क्या एक क्लब या संघ या सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों को सेवाओं या वस्तुओं की व्यवस्था करना आपूर्ति के रूप में माना जाएगा?

उत्तर: हाँ। एक क्लब, संघ, सोसाइटी या किसी भी ऐसे निकाय के द्वारा अपने सदस्यों को सुविधाओं की व्यवस्था करना एक आपूर्ति के रूप में माना जायेगा। इसे सीजीएसटी/एसजीएसटी के अधिनियम

की धारा 2(17) में 'व्यापार' की परिभाषा में शामिल किया गया है।

प्र. सं. 13 जी.एस.टी कानून के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की आपूर्तियाँ क्या हैं?

उत्तर: (i) कर योग्य एवं छूट वाली आपूर्ति (ii) अन्तर्राज्यीय और आंतरिक राज्य की आपूर्ति (iii) समग्र और मिश्रित आपूर्ति और (iv) शून्य रेटेड आपूर्ति।

प्र 14. अंतर-राज्य आपूर्ति और राज्य के भीतर (राज्यान्तरिक) आपूर्ति क्या हैं?

उत्तर: अंतर-राज्य और राज्य के भीतर आपूर्ति को विशेष रूप से आईजीएसटी अधिनियम की धारा 7(1), 7(2) और 8(1), 8(2) में क्रमशः परिभाषित किया गया है। सरल शब्दों में, जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य में स्थित है उसे राज्य के भीतर और जहां यह अलग-अलग राज्यों में है इसे अंतर-राज्य आपूर्ति माना जायेगा।

प्र सं. 15. क्या वस्तुओं के उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा? क्यों?

उत्तर: वस्तुओं के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण को सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा क्योंकि इस प्रकार के हस्तांतरण में वस्तुओं का शीर्षक/नाम हस्तांतरित नहीं हुआ। इस तरह के लेन-देन को विशेष रूप से एम.जी.एल. की अनुसूची-II में सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।

प्र सं. 16. क्या काम के अनुबंधों और कंटेरिंग सेवाओं को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा? क्यों?

उत्तर: काम के अनुबंध और कंटेरिंग सेवाओं को सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की अनुसूची-II में निर्दिष्ट किये अनुसार सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।

प्र. सं. 17 क्या सॉफ्टवेयर की आपूर्ति जी.एस.टी कानून के अन्तर्गत माल की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में की जाएगी?

उत्तर: मॉडल जी.एस.टी कानून की अनुसूची- 11 की क्र.सं. 5(2) (डी) के अन्तर्गत विकास, डिजाइन, प्रोग्रामिंग अनुकूलन, उन्नयन, वृद्धि, सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन को सूचीबद्ध सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।

प्र 18. क्या किराया खरीद आधार पर वस्तुओं की आपूर्ति को वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति माना जायेगा? क्यों?

उत्तर: किराया खरीद पर की गई वस्तुओं की आपूर्ति को वस्तुओं की आपूर्ति माना जायेगा क्योंकि इसमें शीर्षक/नाम का हस्तांतरण हुआ है, हालांकि भविष्य की तारीख पर।

प्र सं. 19 सी.जी.एस.टी/एस.जी.एस.टी/यू.टी.जी.एस.टी अधिनियम के तहत एक समग्र आपूर्ति क्या है?

उत्तर: समग्र आपूर्ति का अर्थ है ऐसी आपूर्ति जो एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्राप्तकर्ता को जो दो या अधिक आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति, या उसके किसी भी संयोजन जो कि स्वभाविक रूप से इकट्ठा करके और व्यापार के सामान्य अनुक्रम में एक दूसरे के साथ मिलकर आपूर्ति की गई, जिनमें से एक प्रमुख आपूर्ति है। उदाहरण के लिए, जहाँ सामान पैक किया जाता है और बीमा के साथ निर्यात किया जाता है, माल की आपूर्ति, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा एक समग्र आपूर्ति है और माल की आपूर्ति एक प्रमुख आपूर्ति है।

प्र. सं. 20 जी.एस.टी. के तहत समग्र आपूर्ति पर कर देयता कैसे निर्धारित की जाएगी।

उत्तर: एक संयुक्त आपूर्ति जिसमें दो या अधिक आपूर्तियाँ शामिल है, जिनमें से एक प्रमुख आपूर्ति है, को इस तरह के प्रमुख आपूर्ति

को आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।

प्र. सं. 21 मिश्रित आपूर्ति क्या है?

उत्तर: मिश्रित आपूर्ति का मतलब माल या सेवाओं या उसके किसी भी संयोजन की दो या दो से अधिक व्यक्तिगत आपूर्ति, एक एकल मूल्य के लिए कर योग्य व्यक्ति द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर किया जाता है, जहाँ ऐसी आपूर्ति एक समग्र आपूर्ति का गठन नहीं करती है। उदाहरण के लिए डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, मिठाई, चॉकलेट, केक, ड्राइफ्रूट, वातित पेय पदार्थ की आपूर्ति और फलों का रस जब एक ही कीमत के लिए आपूर्ति की जाती है तब मिश्रित आपूर्ति होती है। इनमें से प्रत्येक सामान की अलग से आपूर्ति की जा सकती है और यह किसी भी अन्य पर निर्भर नहीं है। यदि इन मदों की अलग से आपूर्ति की जाती है तो यह मिश्रित आपूर्ति नहीं होगी।

प्र. सं. 22 मिश्रित आपूर्ति पर जी.एस.टी के तहत कर निर्धारित कैसे किया जाएगा।

उत्तर: एक मिश्रित आपूर्ति जिसमें दो या अधिक आपूर्तियाँ शामिल है, उन्हें विशेष आपूर्ति के रूप में माना जाएगा जो कर की उच्चतम दर आकर्षित करती हो।

प्र सं. 23 क्या कोई ऐसी गतिविधियाँ है जिन्हें न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाता है।

उत्तर. हाँ, मॉडल जी.एस.टी कानून के अनुसूची-।।। में कुछ गतिविधियों की सूची है। जैसे कि— (i) किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता को अपने रोजगार के अनुक्रम में या उसके सम्बन्ध में। (ii) किसी भी कानून के तहत स्थापित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा सेवाएँ। (iii) संसद सदस्यों, राज्य विधान सभाओं, स्थानीय अडि कारियों के सदस्यों तथा संवैधानिक कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये

कार्य। (iv) अंतिम संस्कार, दफन, शमशान, या मुर्दाघर और (v) भूमि की बिक्री और (vi) लॉटरी, सट्टेबाजी और जुएँ के आलावा दावेदार दावे न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।

प्र. सं. 24 जी.एस.टी के तहत शून्य रेटेड सप्लाई से क्या मतलब है?

उत्तर: शून्य रेटेड सप्लाई से तात्पर्य है माल और/या सेवाओं का निर्यात या एसईजेड डवलपर एसईजेड यूनिट को माल या सेवाओं की आपूर्ति।

प्र. सं. 25 क्या बिना प्रतिफल के सेवाओं का आयात कर योग्य होगा?

उत्तर: एक सामान्य सिद्धांत के रूप में बिना किसी प्रतिफल के धारा 3 के अन्तर्गत सेवाओं के आयात को जी.एस.टी. के अन्तर्गत आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। हालांकि, एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर से किसी सम्बन्धित व्यक्ति से या किसी भी अन्य प्रतिष्ठा से व्यापार थे अनुक्रम या प्रगति में बिना प्रतिफल थे किये गये आयात थे अनूसूर्या-1 के क्र० स० 4 के अन्तर्गत आपूर्ति थे रूप में माना जायेगा।

आपूर्ति का समय

5. आपूर्ति का समय

प्र 1. आपूर्ति का समय क्या है?

उत्तर: आपूर्ति का समय निर्धारित करता है कि कब जी.एस.टी. कर का दायित्व उत्पन्न होता है। यह भी इंगित करता है कि कब आपूर्ति पूर्ण कर दी गई समझी जायेगी। सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिये अलग-अलग समय प्रदान करता है।

प्र 2: कब वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में जी.एस.टी. करारोपण दायित्व उत्पन्न होता है?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 12 और 13, वस्तुओं की आपूर्ति का समय प्रदान करती है। वस्तुओं की आपूर्ति का समय निम्नलिखित में पहले होगा, अर्थात्

- (i) आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान जारी करने की तिथि या अंतिम तिथि जिस पर उन्हें धारा 28 के तहत आपूर्ति के संबंध में चालान जारी करना आवश्यक है; या
- (ii) जिस तारीख पर आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति के संबंध में भुगतान प्राप्त होता है।

प्र सं. 3 वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में वाउचर की आपूर्ति के मामले में आपूर्ति का समय क्या है ?

उत्तर: वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में वाउचर की आपूर्ति का समय होगा

- क) वाउचर जारी करने की तारीख, अगर आपूर्ति उस बिंदू पर पहचान योग्य है।
- ख) अन्य सभी मामलों में वाउचर की मुक्ति की तिथि।

प्र सं. 4 सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2, 3, 4 या 6 या धारा 13 के अनुसार जहाँ आपूर्ति का

समय निर्धारित करना संभव नहीं है, आपूर्ति का समय कैसे निर्धारित किया जाएगा?

उत्तर: वहाँ धारा 12(5) के साथ-साथ धारा 13(5) में एक अवशिष्ट प्रविष्टि है जो स्पष्ट करती है कि यदि आवधिक रिटर्न दर्ज किये जाने हैं, तब इन आवधिक रिटर्न भरने की देय तिथि आपूर्ति का समय होगा। अन्य मामलों में, यह वह तारीख होगी, जिस पर सी.जी.एस.टी./एस. जी.एस.टी./आईजी.एस.टी. का भुगतान किया गया है।

प्र 5 “भुगतान की प्राप्ति की तारीख” का क्या मतलब है?

उत्तर: यह दोनों स्थितियों में सबसे पहले की वह तारीख है जिस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा उसके लेखा खातों में भुगतान की तारीख दर्ज की गई है या वह तारीख जब भुगतान उसके बैंक खाते में जमा किया गया है।

प्र 6 मान ले कि,आग्रिम भुगतान किया जाता है या जारी किये गये इनवॉइस,आंशिक भुगतान के किये है, क्या आपूर्ति का समय पूरा आपूर्ति कवर करेगा ?

उत्तर: नहीं,। आपूर्ति की उस सीमा तक किया हुआ माना जाएगा जो चालान या उस सीमा किया हुआ माना आंशिक भुगतान द्वारा कवर किया हुआ है।

प्र 7 रिवर्स चार्ज के तहत देय कर के मामले मे माय का समय क्या है?

उत्तर: आपूर्ति का समय निम्न तिथियों का सबसे जल्द होगा।

- क) वस्तु की प्राप्ति की तारीख या
- ख) जिस तिथि पर भुगतान किया जाता है या
- ग) आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान किया जारी करने की तारीख से तत्काल 30 दिनों की तारीख।

प्र 8 रिवर्स चार्ज के तहत देय कर के मामले में सेवा की आपूर्ति

का समय क्या है?

उत्तर: आपूर्ति का समय निम्नलिखित तिथियों के पहले होगा।

- क) जिस तिथि पर भुगतान किया जाता है, या
- ख) आपूर्ति द्वारा चालान जारी की तारीख से तुरंत 60 दिनों के बाद की तारीख।

प्र: 9 ब्याज, देरी से शुल्क या जुर्माना या किसी भी प्रतिफल के देरी से भुगतान के संबंध में यदि अतिरिक्त मूल्य वृद्धि की जाती है तो इन मामलों में आपूर्ति का समय क्या होगा?

उत्तर: ब्याज, देर से शुल्क या जुर्माना या प्रतिफल के भुगतान में देरी के कारण मूल्य में किसी अतिरिक्त वृद्धि के संबंध में आपूर्ति का समय वही तिथि होगी जिस पर आपूर्तिकर्ता को ऐसे अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त होंगे।

प्र 10 क्या आपूर्ति के समय में कोई परिवर्तन होता है, जहाँ टैक्स की दर में बदलाव के पहले या बाद में आपूर्ति पूरी हो जाती है?

उत्तर: हाँ, ऐसे मामले में धारा 14 के प्रावधान लागू होंगे।

प्र 11 वहाँ आपूर्ति का समय क्या होगा जहाँ टैक्स की दर बदलने से पहले आपूर्ति कर दी जाती है ?

उत्तर: ऐसे मामले में आपूर्ति का समय होगा

- i) जहाँ ऐसी आपूर्ति के लिये इनवाइस जारी कर दिये गये हैं और टैक्स की दर में बदलाव के बाद भुगतान भी प्राप्त किया गया है। आपूर्ति का समय भुगतान प्राप्त होने की तिथि या चालान जारी करने की तिथि जो भी पहले हो/या
- ii) जहाँ चालान कर की दर में परिवर्तन से पहले जारी किया गया है परन्तु भुगतान कर की दर में परिवर्तन के बाद होता है आपूर्ति का समय चालान जारी करने की

तिथि होगी, या

- iii) जहाँ भुगतान कर की दर में परिवर्तन से पहले प्राप्त होता है, परन्तु इसी मामले में चालान कर की दर परिवर्तन के बाद जारी किया जाता है, तब आपूर्ति का समय भुगतान प्राप्ति की तिथि माना जाएगा।

प्र 12 आपूर्ति का समय क्या है? जहाँ आपूर्ति टैक्स की दर बदलने के बाद पूरी की जाती है?

उत्तर: ऐसे मामलों में आपूर्ति का समय होगा

- i) जहाँ कर की दर में परिवर्तन के बाद भुगतान प्राप्त होता है। लेकिन कर की दर में परिवर्तन से पहले चालान जारी किया गया है। आपूर्ति का समय भुगतान की तिथि होगी, या
- ii) जहाँ चालान जारी किया गया है और कर की दर में परिवर्तन करने से पहले भुगतान प्राप्त किया गया है, आपूर्ति का समय भुगतान प्राप्ति होने की तारीख या चालान जारी करने की तारीख, जो भी पहले हो, होगी। या
- iii) जहाँ चालान कर की दर में परिवर्तन के बाद जारी किया है लेकिन कर की दर में परिवर्तन करने से पहले भुगतान प्राप्त हुआ है। आपूर्ति का समय इनवॉयस के जारी करने की तारीख होगी।

प्र 13. आईये मान लेते हैं कि 1.6.2017 से प्रभावी कर की दर में 18% से 20% की वृद्धि हुई थी। कर की क्या दर लागू होगी जब सेवाएं प्रदान करने और चालान/बिल जारी करने की तारीख दर में बदलाव से पहले अप्रैल 2017 में किया गया था, लेकिन भुगतान जून 2017 में दर में बदलाव करने के बाद प्राप्त होता है?

उत्तर: 18% की पुरानी दर लागू होगी क्योंकि सेवाएं 1.6.2017 से पहले प्रदान की गई थी।

प्र 14 मान लिजिए कि कर दर में 01-06-2017 से प्रभावी 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जुन 2017 में कर की दर में परिवर्तन के बाद वस्तुओं की आपूर्ति और चालान जारी होने पर टैक्स की दर क्या होगी लेकिन अप्रैल 2017 में पहले ही पूरा भुगतान प्राप्त हो चुका था।

उत्तर: 20% की नई दर लागू होगी क्योंकि वस्तुओं की आपूर्ति तथा इनवॉइस 01/06/2017 के बाद जारी की गई?

प्र 15 वस्तुओं की आपूर्ति के लिए इनवॉइस जारी करने की समय क्या है?

उत्तर: सीजीएसटी अधिनियम की धारा 28 के अनुसार एक पर्जीकृत कर योग्य व्यक्ति एक कर चालान जारी करेगा, जिसमें वस्तु के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में, वस्तु की कीमत के बारे में, उस वस्तु पर लगने वाले कर के बारे में तथा अन्य निर्धारित विवरण समय के पहले या समय पर

- क) प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के लिए सामानों को हटाने, जहाँ आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल है। या
- ब) माल की डिलिवरी या अन्य मामलों में इसके प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराने के लिए

प्रश्न 16 सेवाओं की आपूर्ति के लिए इनवॉइस जारी किए जाने की समयावधि क्या है?

उत्तर: सी जी एस टी/एस जी एस टी अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, एक पर्जीकृत कर योग्य व्यक्ति, सेवा के प्रावधान के पहले या बाद में, लेकिन इस संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर, एक टैक्स चालान वस्तु के बारे में, सेवा का मूल्य, उस पर देय कर और अन्य निर्धारित विवरण दिखाते हुए जारी करेगा।

प्रश्न 17 समय अवधि क्या होगी जिसके अंदर सामानों की निरंतर आपूर्ति के मामले में चालान जारी किया जाना चाहिए।

उत्तर: सामानों की निरंतर आपूर्ति के मामले में जहाँ निरंतर खाता विवरण एवं भुगतान शामिल है, प्रत्येक खाता विवरण जारी होने के पहले या उसी समय या प्रत्येक ऐसे भुगतान को प्राप्त करने के पहले या उसी समय चालान जारी किए जाएंगे, मामलों के अनुसार।

प्रश्न 18 सेवाओं की निरंतर आपूर्ति के मामले में किस समय अवधि के अंदर चालान जारी किया जाना चाहिए।

उत्तर: सेवाओं की निरंतर आपूर्ति के मामले में,

- क) जहाँ भुगतान की नियत तारीख अनुबंध से सुनिश्चित की जा सकती है। प्राप्तकर्ता द्वारा चालान उस तारीख से पहले या बाद में जारी किया जाएगा लेकिन उल्लेखित अवधि के अन्दर चाहे आपूर्ति कर्ता द्वारा भुगतान की प्राप्ति हुई है या ना हो
- बी) जहाँ भुगतान की नियत तारीख अनुबंध से सुनिश्चित हो सकती है। इनवॉइस प्रत्येक ऐसे समय के पहले या बाद में जारी किए जाएंगे जब सेवा का आपूर्तिकर्ता भुगतान प्राप्त करता है लेकिन इस संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर
- सी) जहाँ भुगतान एक घटना के पूरा होने से जुड़ा हुआ है। चालान उस घटना के पूरा होने के पहले या बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन इस संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर

प्रश्न 19 समय अवधि क्या होगी जिसके अन्दर चालान जारी होना चाहिए जहां माल को अनुरोधन पर बिक्री हेतु भेजा या लिया जा रहा है।

उत्तर: बिक्री हेतु मंजूरी पर भेजे गये माल के संबंध में या वापसी के संबंध में चालान आपूर्ति के पूर्व या आपूर्ति के समय या अनुमोदन की तारीख के छः माह के अंदर, जो पहले हो, में जारी किए जाएंगे।

जी.एस.टी. में मूल्यांकन

6. जी.एस.टी. में मूल्यांकन

प्र 1. जीएसटी करारोपण के लिए कराधीन आपूर्ति का अपनाए जाने वाला मूल्य क्या होता है?

उत्तर: वस्तुओं और सेवाओं की कराधीन आपूर्ति का मूल्य आमतौर पर 'लेनदेन का मूल्य' होगा अर्थात् जिस मूल्य पर वास्तव में भुगतान किया गया है या देय है, जब पार्टियां संबंधित नहीं हैं और कीमत एकमात्र प्रतिफल है। सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 15, लेनदेन मूल्य के दायरे से संबंधित विभिन्न समावेशन और बहिष्करण स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए, लेनदेन के मूल्य में वापस/रिफंड जमा राशि तथा आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के समय पर मिली छूट को शामिल करने की अनुमति नहीं होगी।

प्र 2. लेनदेन मूल्य क्या है?

उत्तर: लेनदेन मूल्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की वास्तव में भुगतान की गई या देय उस मूल्य को संदर्भित करता है जहां आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता आपस में संबंधित नहीं हैं और केवल कीमत आपूर्ति का एकमात्र प्रतिफल है। इसमें कोई भी राशि शामिल हो सकती है जिसके भुगतान के लिये आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी है, लेकिन आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा उसके लिये खर्च वहन किया गया है।

प्र 3. क्या सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी और वस्तुओं और सेवाओं के लिये अलग मूल्यांकन का प्रावधान हैं?

उत्तर: नहीं, धारा 15 सभी तीन प्रकार के करों के लिये सामान्य है और यह वस्तुओं और सेवाओं के लिए भी सामान्य है।

प्र 4. क्या अनुबंधित मूल्य आपूर्ति के मूल्यांकन को निर्धारित करने के लिये पर्याप्त नहीं है?

उत्तर: अनुबंधित मूल्य अधिकतर विशेष रूप में "लेनदेन के मूल्य"

को संदर्भित करती है और वह कर संगणना के लिए आधार है। हालांकि, जब मूल्य कुछ कारकों से प्रभावित होती हैं जैसे पक्षों का आपसी संबंध या कुछ लेनदेन जो आपूर्ति माने जाते हैं या जिनकी कोई कीमत नहीं होती, ऐसे लेनदेन के मूल्य को जी.एस.टी. मूल्यांकन नियमों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

प्र 5. क्या सभी मामलों में जी.एस.टी. मूल्यांकन नियमों का संदर्भ लेना आवश्यक है?

उत्तर: नहीं। जी.एस.टी. मूल्यांकन नियमों का संदर्भ लेना केवल उन मामलों में लेना आवश्यक है, जहां मूल्य, धारा 15 की उप धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

प्र 6. क्या धारा 15(1) के अंतर्गत घोषित लेनदेन की कीमत को स्वीकार किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, इसे धारा 15(2) में समावेश करने के लिए जांच करने के बाद स्वीकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लेनदेन का मूल्य यहां तक कि आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तकर्ता के बीच संबंध होने के बावजूद भी स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते उनके आपसी संबंध के कारण मूल्य प्रभावित नहीं हुआ है।

प्र 7. क्या आपूर्ति के बाद छूट या प्रोत्साहनों को लेनदेन के मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए?

उत्तर: हाँ, जहां आपूर्ति के समय या उससे पहले ज्ञात अनुबंध के अनुसार पोस्ट सप्लाइ डिस्काउंट की स्थापना की जाती है और जहां विशेष छूट प्रासंगिक चालान से जुड़ी होती है और प्राप्तकर्ता ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को ऐसी आरोपणीय छूट में बदल किया है, ऐसी स्थिति में छूट की अनुमति मॉडल जी.एस.टी. कानून की धारा 15 के अंतर्गत दी जाती है।

प्र 8. क्या आपूर्ति के समय या उससे पहले अनुमत आपूर्ति-पूर्व छूट को लेन देन के मूल्य में सम्मिलित किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, बशर्ते उसकी सामान्य व्यापार के अभ्यास के क्रम में अनुमति दी गई है और विधिवत चालान/बिल में दर्ज किया गया है।

प्र 9. मूल्यांकन नियम कब लागू होते हैं?

उत्तर: मूल्यांकन के नियम तब लागू होते हैं जब (i) प्रतिफल पैसे के रूप में हैय (ii) पक्ष आपस में संबंधित हैं या आपूर्ति किसी निर्दिष्ट वर्ग के आपूर्तिकर्ता की है; और (iii) घोषित किया गया लेनदेन का मूल्य विश्वसनीय नहीं है।

प्र 10. धारा 15(2) में निर्दिष्ट कौन से समावेशन है जिन्हें लेनदेन के मूल्य में जोड़ा जा सकता है?

उत्तर: धारा 15 (2) में निर्दिष्ट समावेशन जो लेनदेन के मूल्य में जोड़ा जा सकता है वह निम्न प्रकार से है।

- (क) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता से एस.जी.एस.टी./सी.जी.एस.टी अधिनियम और वस्तु एवं सेवाकर (राजस्व हानि हेतु राज्यों की प्रतिपूर्ति) अधिनियम 2016 के अतिरिक्त अलग से किसी भी अधिनियम के अंतर्गत आरोपित कोई भी कर, शुल्क, उपकर।
- (ख) आपूर्तिकर्ता ऐसी आपूर्ति के संबंध में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन वह जोकि आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के द्वारा किया गया हो और जिसमें भुगतान किया मूल्य शामिल हो या वस्तु और सेवाओं के लिए देय हो।
- (ग) आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के प्राप्तकर्ता को प्रभारित कमीशन और पैकिंग जैसे आकस्मिक व्यय, आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा

किसी भी चीज के लिए भारत कोई भी मूल्य वस्तुओं या सेवाओं की सुपुर्दगी के समय या पहले या जैसा भी मामला हो।

- (घ) किसी भी आपूर्ति के लिए किसी भी विचार से देरी से भुगतान के लिए ब्याज, देरी पर शुल्क या दण्ड।
- (ड) केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को छोड़कर अन्य सब्सिडी सीधे मूल्य से जुड़ी हुई है।

कर का जी.एस.टी. भुगतान

7. कर का जी.एस.टी. भुगतान

प्र 1. जीएसटी व्यवस्था में किया जाने वाला भुगतान क्या होगा?

उत्तर: जीएसटी व्यवस्था में, किसी भी राज्यांतरिक (राज्य के भीतर) आपूर्ति के लिए, किया जाने वाला करों का भुगतान केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी, केन्द्र सरकार के खाते में जमा होगा) और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश जीएसटी (एसजीएसटी, संबंधित राज्य सरकार के खाते में जमा होगा)। किसी भी अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए, किया जाने वाला कर भुगतान एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) है जिसमें दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी के घटक सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त, पंजीकृत व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों को कर स्रोत पर कटौती (टीडीएस) और कर स्रोत पर एकत्रित (टीसीएस) सरकारी खाता में भुगतान करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, जहां लागू हो, ब्याज, जुर्माना, फीस और कोई भी अन्य भुगतान करना आवश्यक होगा।

प्र 2. जीएसटी का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है?

उत्तर. आमतौर पर जीएसटी भुगतान का दायित्व वस्तुओं या सेवा आपूर्तिकर्ता का है। हालांकि कई निर्दिष्ट मामलों में जैसे आयात और अन्य अधिसूचित आपूर्तियों के लिये, रिवर्स प्रभार व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्तकर्ता पर यह दायित्व डाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त अंतर राज्य सेवाओं की आपूर्ति के कुछ अधिसूचित मामलों में जी. एस.टी. का भुगतान करने की देयता ई-कॉमर्स आपरेटरों पर डाली जा सकती है, जो ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं। साथ ही सरकार के विभागों को जो विक्रेता को एक विशिष्ट सीमा से अधिक भुगतान करते हैं (एक कॉन्टैक्ट पर 2.5 लाख धारा 51(1)डी के अंतर्गत) उन पर टी.डी.एस. कटौती करने की आवश्यकता है और ई-कॉमर्स आपरेटरों को उनके द्वारा की गई आपूर्ति के शुद्ध मूल्य (अतः वस्तु और/या सेवाओं के कर योग्य आपूर्ति का कुल मूल्य लेकिन सेवाओं

के ऐसे मूल्यों को छोड़कर जिस पर आपरेटर जी.एस.टी का भुगतान सी.जी.एस.टी अधिनियम 2017 की धारा 9 (5) के अंतर्गत करने के लिए उत्तरदायी है) पर कर (टीसीएस) एकत्रित करने के पश्चात सरकार के पास जमा करना है।

प्र 3. जीएसटी का भुगतान करने की देयता कब होती है ?

उत्तर. भुगतान को दायित्व वस्तु की आपूर्ति के समय उत्पन्न होता है—जैसा कि धारा 12 में स्पष्ट किया गया है और सेवाओं की आपूर्ति के समय में धारा 13 वर्णन किया गया है। समय आम तौर पर इन तीन में से सबसे पहले का समय होगा, अर्थात् भुगतान की प्राप्ति, चालान/बिल जारी करने या आपूर्ति पूरा हो जाने के बाद की तिथि। उपरोक्त धाराओं में विभिन्न स्थितियों की परिकल्पना की गई और अलग-अलग कर अंक स्पष्ट किये गये हैं।

प्र 4. जीएसटी भुगतान प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर. प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान प्रक्रियाओं की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:

- भुगतान के सभी माध्यमों में जीएसटीएन आम पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक उत्पन्न चालान/बिल और मैनुअल/हाथ से भरे चालान का उपयोग नहीं होगा;
- करदाताओं को परेशानी मुक्त, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर कर के भुगतान की सुविधाएं प्रदान करना;
- आसानी से ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा;
- इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में तर्कसंगत कर संग्रह के आंकड़े/ डाटा;
- सरकारी खातों में कर राजस्व का तेजी से प्रेषण;
- बिना कागज़ लेनदेन;
- तीव्र लेखांकन और रिपोर्टिंग;

- सभी प्राप्तियों के इलेक्ट्रॉनिक मिलान;
- बैंकों के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएं;
- डिजिटल चालान का भण्डारण

प्र 5. भुगतान कैसे किया जा सकता है?

उत्तर. भुगतान निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है:

- (i) आम पोर्टल पर अनुरक्षित करदाता के ऋण खाता बही में नामे के माध्यम से – केवल कर का भुगतान किया जा सकता है। ऋण खाता बही में ब्याज, जुर्माना और शुल्क का भुगतान नामे द्वारा नहीं किया जा सकता।

करदाताओं को (इनपुट टैक्स क्रेडिट) इनपुट/आदानों पर भुगतान का क्रेडिट लेने और उसका उपयोग आउटपुट कर के भुगतान करने के लिए अनुमति दी जायेगी। हालांकि, सीजीएसटी के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट को एसजीएसटी के भुगतान के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा और विलोमतः। आईजीएसटी के क्रेडिट को आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के भुगतान के लिए उस अनुक्रम में उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

- (ii) आम पोर्टल पर अनुरक्षित करदाता के नकद खाता बही के नामे द्वारा नकद रूप में। विभिन्न माध्यमों से नकद खाता बही में राशि जमा की जा सकती है, अर्थात्, ई-भुगतान (इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड); पैसा भेजने का सबसे तेज तरीका/रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस)/ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी); जीएसटी जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत बैंकों की शाखाओं में काउंटरों पर भुगतान।

प्र 6. आपूर्तिकर्ता द्वारा करों के भुगतान कब किये जाने चाहिये?

उत्तर. एक आम करदाता द्वारा करों का भुगतान आगामी महीने की 20 तारीख तक मासिक आधार पर किया जाना चाहिये। नकद भुगतान सबसे पहले नकदी खाता बही में जमा किया जाएगा और करदाता मासिक रिटर्न के भुगतान के समय खाता बही को डेबिट करेगा और अपने रिटर्न पर प्रासंगिक डेबिट प्रविष्टि संख्या दर्ज करेगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भुगतान क्रेडिट खाता बही से डेबिट किया जा सकता है। मार्च महीने के लिए करों का भुगतान 20 अप्रैल तक किया जाएगा। संयोजन करदाताओं को तिमाही आधार पर कर का भुगतान करना आवश्यक होगा।

प्र 7. क्या कर के भुगतान की समय सीमा को बढ़ाया या मासिक किशतों में भुगतान किया जा सकता है?

उत्तर. नहीं, स्वयं मूल्यांकन दायित्व (self-assessed liability) के मामले में इसकी अनुमति नहीं है। अन्य मामलों में, सक्षम प्राधिकारी को समयावधि बढ़ाने या किशतों में भुगतान की अनुमति देने के अधिकार से सशक्त किया गया है। (सी.जी.एस.टी/एस.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 80)।

प्र 8. उस स्थिति में क्या होगा जब कराधीन व्यक्ति रिटर्न तो भरता है, लेकिन कर की रकम जमा नहीं करता?

उत्तर. ऐसे मामलों में, रिटर्न एक वैध रिटर्न के रूप में नहीं मानी जाती। धारा 2 (117) एक मान्य रिटर्न को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है धारा 39 की उप धारा 1 के अंतर्गत प्रस्तुत रिटर्न जिस पर स्वयं मूल्यांकन कर का पूर्ण भुगतान किया गया है। यह केवल एक वैध रिटर्न है जो प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट कर क्रेडिट (आई.टी.सी.) की अनुमति के लिए प्रयोग की जाएंगी। दूसरे शब्दों में, यदि आपूर्तिकर्ता ने पूर्ण स्वयं मूल्यांकन कर का भुगतान नहीं किया है और अपनी रिटर्न दाखिल नहीं की है तो प्राप्तकर्ता को आई.टी.सी. की पुष्टि नहीं होगी।

प्र 9. कौन सी तारीख को कर जमा करने की देय-तिथि के रूप में माना जाता है चैक प्रस्तुति या देय तिथि या सरकारी खाते में राशि जमा करने की तारीख?

उत्तर. यह सरकार के खाते में जमा की तारीख है।

प्र 10. ई-बहीखाते क्या हैं?

उत्तर. इलेक्ट्रॉनिक बहीखाते या ई-बहीखाते प्रत्येक पंजीकृत करदाता से संबंधित नकदी और इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक करदाता के पास एक इलेक्ट्रॉनिक कर देयता रजिस्टर भी होगा। एक बार जब एक करदाता आम पोर्टल (जीएसटीएन) पर पंजीकृत हो जाता है, 2 ई-खाते (नकद और इनपुट टैक्स क्रेडिट) और एक इलेक्ट्रॉनिक कर देयता रजिस्टर स्वचालित रूप से खुल जाएगा और उसके अपने डैशबोर्ड पर प्रदर्शित हो जाता है।

प्र 11. कर देयता रजिस्टर क्या है?

उत्तर. कर देयता रजिस्टर एक करदाता की किसी विशेष महीने की कुल कर देनदारी (शुद्ध करने के बाद) प्रतिबिंबित करेगा।

प्र 12. नकद खाता बही क्या है?

उत्तर. नकद खाता बही करदाता के खाते पर सभी जमा नकद और टीडीएस/टीसीएस प्रतिबिंबित करेगा। जानकारी वास्तविक समय के आधार पर परिलक्षित होगी। यह खाता बही जीएसटी के खाते में होने वाले किसी भी भुगतान के लिये प्रयोग की जा सकती है।

प्र 13. एक आईटीसी खाता बही क्या है?

उत्तर. अपने आप मूल्यांकन किये गये मासिक रिटर्न के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी खाता बही में दर्शाये जाएंगे। इस खाता बही में क्रेडिट/जमा को कर के भुगतान के लिये प्रयोग किया जा सकता है न कि ब्याज, जुर्माना, फीस आदि के रूप में अन्य कोई राशि।

14. जीएसटीएन और अधिकृत बैंकों के बीच क्या संपर्क/कड़ी है?

उत्तर. वहाँ जीएसटीएन और बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के बीच वास्तविक समय दोतरफा कड़ी होगी। सीपीआईएन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिंग के माध्यम के साथ सत्यापन और भुगतान प्राप्त करने और चालान पहचान संख्या (सीआईएन) बैंक द्वारा आम पोर्टल पर स्वचालित रूप से भुगतान प्राप्ति की पुष्टि के लिए भेज दिये जाएंगे। इस प्रक्रिया में बैंक के कौशियर या टेलर या करदाता सहित किसी के द्वारा भी कोई मैनुअल हस्तक्षेप शामिल नहीं किया जाएगा।

प्र 15. क्या करदाता कई बैठकों में चालान उत्पन्न कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ, करदाता आंशिक रूप से चालान को भर सकते हैं और अस्थायी रूप में चालान को बाद में पूरा करने के लिये सुरक्षित “save” रख सकते हैं। एक सुरक्षित चालान को अंतिम रूप देने से पहले एडिट “edit” किया जा सकता है। करदाता द्वारा चालान को अंतिम रूप देने के बाद, वह करों के भुगतान के उपयोग के लिए, चालान उत्पन्न कर सकते हैं। प्रेषक को अपने रिकॉर्ड के लिए चालान प्रिंट करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

प्र 16. एक ऑनलाइन उत्पन्न किये गये चालान को संशोधित किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं। चालान उत्पन्न करने के लिये जीएसटीएन पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद, करदाता या उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा भुगतान के विवरण को भरना होगा। वह भविष्य में अद्यतन करने के लिए चालान को प्रक्रिया के बीच “save” सुरक्षित कर सकता है। यद्यपि एक बार जब चालान को अंतिम रूप दे दिया जाता है और सीपीआईएन उत्पन्न हो जाता है, करदाता द्वारा उसमें आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

प्र 17. क्या चालान वैधता की कोई अवधि है?

उत्तर: हाँ, चालान उसके उत्पन्न होने के बाद पंद्रह दिनों के लिए वैध होगा और उसके बाद उसे सिस्टम से हटा दिया जायेगा। हालांकि, करदाता अपनी सुविधा के लिए एक अन्य चालान भी उत्पन्न कर सकता है।

प्र 18. सीपीआईएन क्या है?

उत्तर: सीपीआईएन को एक आम पोर्टल पहचान संख्या (सीपीआईएन) से जाना जाता है जिसे चालान उत्पन्न करने के समय दिया जाता है। यह चालान की पहचान करने के लिए 14 अंकों की एक अद्वितीय संख्या है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सीपीआईएन 15 दिनों की अवधि के लिए मान्य रहता है।

प्र 19. एक सीआईएन क्या है और इसका क्या औचित्य है?

उत्तर: सीआईएन चालान पहचान संख्या व्यक्त करता है। यह एक 17 अंकों की संख्या है अर्थात् सीपीआईएन के 14 अंक और बैंक कोड के 3-अंक। सीआईएन अधिकृत बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उत्पन्न किया जाता है जब कथित बैंकों या आरबीआई द्वारा भुगतान वास्तव में प्राप्त हो जाता है उनके द्वारा आयोजित प्रासंगिक सरकारी खाते में जमा किया जाता है। यह इंगित करता है कि भुगतान प्राप्त हो चुका है और उचित सरकारी खाते में जमा हो गया है। सीआईएन अधिकृत बैंकों द्वारा उत्पन्न होता है। सीआईएन अधिकृत बैंक द्वारा करदाता के साथ साथ जीएसटीएन को भेजा जाता है।

प्र 20. कर के भुगतान का क्या क्रम होगा जहां करदाता की पिछले महीनों की देनदारियां पेश हैं?

उत्तर: धारा 49(8) भुगतान का आदेश निर्धारित करती है जहां करदाता की वर्तमान रिटर्न की अवधि के अतिरिक्त भी कर भुगतान का दायित्व बाकी है। ऐसी स्थिति में, भुगतान के आदेश का पालन किया जाना चाहिये: सबसे पहले पिछली अवधि का अपने आप किये मूल्यांकन का कर और ब्याज; उसके बाद वर्तमान अवधि के लिये

अपने आप किये मूल्यांकन किये कर और ब्याज; और उसके बाद कोई भी अन्य देय राशि जिसमें धारा 73 या 74 के अंतर्गत किसी मांग की पुष्टि की गई है।

प्र 21 उपरोक्त संदर्भ में “अन्य देय राशि” शब्द का क्या अर्थ है?

उत्तर: शब्द “अन्य देय राशि” का अर्थ है ब्याज, जुर्माना, फीस या अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम के अंतर्गत देय किसी भी अन्य राशि।

प्र 22 ई-एफपीबी क्या है?

उत्तर: ई-एफपीबी इलेक्ट्रॉनिक फोकल प्वाइंट शाखा व्यक्त करता है। ये अधिकृत बैंकों की शाखाएं हैं जो जीएसटी का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत की गई हैं। प्रत्येक अधिकृत बैंक अखिल भारत के लेनदेन के लिये अपनी केवल एक ई-एफपीबी के रूप में एक शाखा को नामांकित करेगा। ई-एफपीबी को सभी सरकारों के लिए प्रत्येक प्रमुख मद के नीचे खाते खोलने होंगे। कुल 38 खातों (सीजीएसटी, आईजीएसटी लिए एक-एक तथा प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के लिए एक एक एसजीएसटी) खोलना होगा। जीएसटी के लिये कथित ई-एफपीबी द्वारा प्राप्त की गई कोई भी राशि कथित ई-एफपीबी द्वारा आयोजित उचित खाते में जमा कर दी जाएगी।

एनईएफटी/आरटीजीएस लेनदेन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ई-एफपीबी के रूप में कार्य करेगा।

प्र 23. टीडीएस क्या है?

उत्तर: टी.डी.एस. का अर्थ है स्रोत पर कर की कटौती है। धारा 51 के अनुसार यह प्रावधान सरकार और सरकारी उपकरणों और अन्य अधिसूचित संस्थाओं के लिए संविदागत भुगतान करने के लिए है, जहां पर करार के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता को कुल आपूर्ति का 2.5 लाख से अधिक है। जब ऐसे करार के अंतर्गत भुगतान किया जाता

है तब संबंधित सरकार या प्राधिकरण भुगतान की गई कुल राशि का 1 प्रतिशत कटौती करेगा और निर्धारित जी.एस.टी.खाते में जमा करेगा।

प्र 24. इस टीडीएस के लिए आपूर्तिकर्ता आपने रिटर्न दाखिल करते समय कैसा खाता रखेगा ?

उत्तर: टीडीएस के रूप में दिखाई गई कोई भी राशि संबंधित आपूर्तिकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक नगदी लैजर में दिखाई देगी और वह इस राशि का उपयोग कर, ब्याज, फीस और किसी भी अन्य राशि के प्रति उसकी देयता का निर्वाहन करने के लिए कर सकता है।

प्र 25. ऐसे टी.डी.एस. के लिए टी.डी.एस. कटौतिकर्ता कैसा खाता रखेगा ?

उत्तर: टी.डी.एस. कटौतिकर्ता ऐसे टी.डी.एस. के लिए निम्नप्रकार से खाता रखेगे।

1. इस तरह के कटौतिकर्ता को सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने की आवश्यकता है।
2. उन्हे माह के 10 दिन से एकत्रित टी.डी.एस. को प्रेषित करने की आवश्यकता है। जिसमें टी.डी.एस. एकत्रित किया गया था और जी.एस.टी.और 7 में रिपोर्ट किया गया था।
3. टी.डी.एस. के रूप में जमा राशि आपूर्तिकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक नगदी लैजर में दिखाई देगी।
4. टी.डी.एस. में कटौती करने के पांच दिनों के भीतर उस व्यक्ति को जिनकी टी.डी.एस. कटौती की गई है उन्हें टी.डी.एस प्रमाण-पत्र जारी करने की आवश्यकता होती है, जिसमें असफल रहने पर प्रतिदिन 100 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये ऐसे कटौतिकर्ता के द्वारा देय होंगे।

प्र 26. स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) क्या है?

उत्तर: यह प्रावधान केवल सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत ई-वाणिज्य ऑपरेटर के लिए लागू है। प्रत्येक ई-वाणिज्य ऑपरेटर, जो एजेंट नहीं है, को उस राशि का एक प्रतिशत रोकना आवश्यक है जो आपूर्तिकर्ता को वास्तविक भुगतान करने के समय उस पर देय है। ऐसी रोकी गई कथित राशि कथित ई-वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा आगामी महीने की 10 तारीख तक उचित जीएसटी खाते में जमा कर दी जायेगी। टीसीएस के रूप में जमा राशि आपूर्तिकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता बही में दर्शायी जायेगी।

प्र. 27 “कर योग्य आपूर्ति का शुद्ध मूल्य” इस अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय: है?

उत्तर “कर योग्य आपूर्ति का शुद्ध मूल्य” क अभिप्राय: कुल वस्तुओं या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति के कुल मूल्य से है, जो धारा 9(5) के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त सभी कर योग्य पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किसी भी माह में आपूर्ति की गई है, जिसमें से उक्त माह में आपूर्तिकर्ता द्वारा लाटाई गई आपूर्ति कम की जा चुकी है।

प्र 28. जीएसटी भुगतान के लिए जीएसटीएन पोर्टल में क्रेडिट कार्ड का पूर्व पंजीकरण करना आवश्यक है?

उत्तर: हाँ। करदाता जिस क्रेडिट कार्ड से कर का भुगतान करना चाहता है उसे जीएसटीन पर अनुरक्षित आम पोर्टल के साथ उसका पूर्व-पंजीकरण करना आवश्यक है। जीएसटीएन क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदाता से कार्ड के सत्यापन की पुष्टि प्राप्त करने के लिये बैंक के साथ समन्वय कर सकता है। क्रेडिट कार्ड के प्रयोग द्वारा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिये बिना मौद्रिक सीमा भुगतान की अनुमति दी जा सकती।

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स

8. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स

प्र 1. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है?

उत्तर: इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब डिजिटल पर डिजिटल उत्पाद या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्र 2. ई-कॉमर्स ऑपरेटर कौन हैं?

उत्तर: इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं या प्लेटफॉर्म का मालिक, संचालन या प्रबंधन करता है।

प्र 3. क्या ई-कॉमर्स ऑपरेटर को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है?

उत्तर: हाँ, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिये सीमारेखा छूट (threshold exemption) का लाभ उपलब्ध नहीं है और वह उनके द्वारा आपूर्ति मूल्य की परवाह किये बिना पंजीकृत कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

प्र 4. क्या ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने वाला वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता सीमारेखा छूट प्राप्त करने का हकदार होगा?

उत्तर: नहीं, ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के लिए सीमारेखा छूट उपलब्ध नहीं है और उन्होंने कितने मूल्य की आपूर्ति की है उसकी परवाह किये बिना वे पंजीकरण करवाने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह आवश्यकता, हालांकि, केवल तभी लागू होती है जब आपूर्ति ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की जाती है जिसके लिए स्रोत पर कर एकत्र करना अनिवार्य है।

प्र 5. क्या एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसकी आपूर्ति उसके द्वारा की गई है, बजाय वास्तविक आपूर्तिकर्ता के?

उत्तर: हां, लेकिन केवल कुछ अधिसूचित सेवाओं के मामले में। ऐसे मामलों में कर का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा यदि ऐसी सेवाओं की आपूर्ति उसके माध्यम से की जाती है और कथित इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर उसी प्रकार से अधिनियम लागू होगा जिस प्रकार कोई व्यक्ति कथित सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

प्र 6. क्या अधिसूचित सेवाओं पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों को सीमारेखा छूट का लाभ उपलब्ध होगा?

उत्तर: नहीं, सीमारेखा छूट ऐसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए उपलब्ध नहीं है जिन्हें उनके द्वारा प्रदान की गई अधिसूचित सेवाओं पर कर का भुगतान करना अनिवार्य है।

प्र 7. स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) क्या है?

उत्तर: ई-कॉमर्स ऑपरेटर को उसके द्वारा की गई कराधीन आपूर्ति के शुद्ध मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं की दर से गणना की गई राशि के बराबर रकम एकत्रित करना आवश्यक है, जहां कथित आपूर्ति के संबंध में प्रतिफल कथित ऑपरेटर द्वारा एकत्र किया जाना है। इस प्रकार एकत्र की गई राशि को स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) कहा जाता है।

प्र 8. यह बहुत आम है कि ग्राहक ई-कॉमर्स कंपनियों को माल वापस भेज देते हैं। इस प्रकार वापस भेजे गये माल को कैसे समायोजित किया जाएगा?

उत्तर: एक ई-कॉमर्स कंपनी को केवल कराधीन आपूर्ति के शुद्ध मूल्य पर कर एकत्र करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, वापस लौटाई गई आपूर्ति के मूल्य को कराधीन आपूर्ति के कुल मूल्य में समायोजित किया जाता है।

प्र 9. “कराधीन आपूर्ति का शुद्ध मूल्य” क्या है?

उत्तर: “कराधीन आपूर्ति के शुद्ध मूल्य” का मतलब कराधीन वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का सकल मूल्य है, उन सेवाओं को छोड़कर जिसमें समग्र कर ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा देय है, जिसका भुगतान किसी भी महीने के दौरान सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा ऐसे ऑपरेटर के माध्यम से किया गया है और कथित महीने में वापस की गई कराधीन आपूर्ति को सकल/कुल मूल्य से घटा दिया जाएगा।

प्र 10. क्या प्रत्येक ई-कॉमर्स ऑपरेटर को वास्तविक आपूर्तिकर्ता की ओर से कर एकत्रित करना आवश्यक है?

उत्तर: हां, हर ई-कॉमर्स ऑपरेटर को ऐसी आपूर्ति के संबंध में कर एकत्र करना आवश्यक है, जहां आपूर्ति से संबंधित प्रतिफल ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा एकत्रित किया जा रहा है।

प्र 11. ई-कॉमर्स ऑपरेटर को किस समय कथित कर एकत्र करना चाहिए?

उत्तर: ई-कॉमर्स ऑपरेटर को उस महीने के दौरान कर एकत्र करना चाहिए जिस महीने उसके द्वारा आपूर्ति की गई थी।

प्र 12. ई-कॉमर्स ऑपरेटर को कितने समय के भीतर सरकारी खाते में कथित टीसीएस जमा करना चाहिए?

उत्तर: ऑपरेटर द्वारा एकत्र की गई राशि का भुगतान उचित सरकार के खाते में एकत्र की गई राशि के महीने की समाप्ति के बाद के 10 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है।

प्र 13. वास्तविक आपूर्तिकर्ता इस टीसीएस का दावा कैसे कर सकता है?

उत्तर: ऑपरेटर द्वारा उपयुक्त सरकार के खाते में जमा की जाने वाली टीसीएस की रकम वास्तविक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता (जिसकी तरफ से कथित कर का भुगतान किया गया है) के नकद बहीखाते में दर्शायी जाएगी। वास्तविक आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के संबंध में कर देयता के निर्वहन के समय भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्र 14. क्या ई-कॉमर्स ऑपरेटर को कोई विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है? वे कैसी विस्तृत जानकारियां हैं जिन्हें विवरण में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है?

उत्तर: हां, हर ऑपरेटर को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें उसके द्वारा की गई वस्तुओं और सेवाओं की बाहर भेजी/आउटडोर आपूर्ति सम्मिलित है, इसमें उसको वापस भेजी गई वस्तुओं और सेवाओं की वापस लौटाई गई आपूर्ति भी सम्मिलित है, और उसे महीने के दौरान उसके द्वारा टीसीएस के रूप में एकत्रित रकम कथित महीने की समाप्ति के दस दिन के भीतर दिखानी होगी। ऑपरेटर को वित्तीय वर्ष के अंत से लेकर 31 दिसंबर के दिन एक वार्षिक विवरण दर्ज करना होगा जिसमें कितनी राशि का कर एकत्र किया गया है दर्शाया जाएगा।

प्र 15. ई-कॉमर्स प्रावधानों में मिलान की क्या अवधारणा है और यह कैसे काम करेगा?

उत्तर: एक कैलेंडर माह के दौरान आपूर्ति के विवरण और एकत्र की गई राशि, और प्रत्येक ऑपरेटर द्वारा प्रस्तुत किये गये उसकी आउटडोर आपूर्ति के विवरणों का संबंधित आपूर्तिकर्ता के उसी महीने या उससे पिछले महीने के वैध रिटर्न विवरण के साथ मिलान किया जाएगा। जहां आउटवर्ड आपूर्ति के विवरण, जिसपर कर एकत्र किया

गया है, जैसा कि ऑपरेटर द्वारा उसके विवरण में घोषित किया गया है संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा घोषित विस्तृत विवरण से मिलान नहीं होता तब ऐसे अंतर की सूचना दोनों/व्यक्तियों को कर दी जाएगी।

प्र 16. यदि विवरण का मिलान नहीं हो पाता तब क्या होगा?

उत्तर: किसी भुगतान से संबंधित आपूर्ति का मूल्य जिसके संबंध में किसी विसंगति को सूचित किया गया है और जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा विसंगति सूचित करने वाले महीने पर उसके द्वारा उसके वैध रिटर्न पर दर्ज नहीं किया गया है उसे कथित आपूर्तिकर्ता के आउटपुट दायित्व में जोड़ दिया जाएगा, आगामी कैलेंडर महीने के लिये जिस कैलेंडर महीने में विसंगति सूचित की गई थी। संबंधित आपूर्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर देयता में किसी राशि को जोड़ी गई राशि पर इस तरह की आपूर्ति के संबंध में देय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

प्र 17. क्या कर अधिकारियों के पास कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त हैं?

उत्तर: कोई भी प्राधिकारी जिसका पद उपायुक्त से कम न हो, नोटिस प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर विनिर्दिष्ट ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर को नोटिस जारी कर सकता है।

जॉब वर्क

9. जॉब वर्क

प्र 1. जॉब वर्क क्या है?

उत्तर: जॉब वर्क का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे पंजीकृत कराधीन व्यक्ति के सामान/माल पर कोई अन्य शोधन या प्रसंस्करण करने का दायित्व लेना। वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के माल का शोधन या प्रसंस्करण करता है, उसे जॉब-वर्कर कहा जाता है और वह व्यक्ति जिससे माल मूल रूप से संबंधित है, उसे प्रधान-प्रमुख (principal) कहते हैं।

यह परिभाषा, अधिसूचना नं. 214/86-सीई, दिनांक 23.03.1986, में दी गई परिभाषा से अधिक व्यापक है। उपरोक्त अधिसूचना में जॉब-वर्क इस प्रकार परिभाषित किया गया था। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जॉब-वर्क की गतिविधि उत्पादन के समतुल्य माना जाए। इस प्रकार जॉब-वर्क की परिभाषा स्वयं ही जीएसटी-व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, जॉब वर्क से संबंधित कराधान की आधारभूत योजना में परिवर्तन को दर्शाती है।

प्र 2. क्या एक कराधीन व्यक्ति द्वारा एक जॉब-वर्कर को भेजा गया माल 'आपूर्ति' समझा जाएगा और उस पर जीएसटी का उत्तरदायित्व होगा, क्यों?

उत्तर: हाँ। यह आपूर्ति की तरह ही समझा जाएगा, क्योंकि 'आपूर्ति' में सभी प्रकार की आपूर्ति समाहित है। जैसे – विक्रय अंतरण, इत्यादि। तथापि पंजीकृत कर-योग्य व्यक्ति (प्रधान/प्रमुख) सूचना देकर और उन शर्तों के अधीन जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, कोई भी इनपुट (उत्पादक सामग्री) अथवा कैपिटल गुड्स (पूँजीगत वस्तु) जॉब-वर्कर को जॉब-वर्क के लिए बिना कर का भुगतान किए भेज सकता है, और तत्पश्चात् किसी अन्य जॉब-वर्कर/जॉब वर्कर्स के पास भेज सकता है। ऐसे माल/सामान के बाहर भेजने या आपूर्ति

के 1 साल/3 साल के अंदर principal या तो जॉब-वर्क की समाप्ति के बाद या अन्य स्थिति में, ऐसे इनपुट या कैपिटल गुड्स को वापस लाएगा या अन्यथा जॉब-वर्कर के व्यावसायिक स्थल से कर का भुगतान करने के पश्चात बाहर भेजेगा या निर्यात की स्थिति में कर का भुगतान करके/नहीं करके (जैसी स्थिति हो) बाहर भेजेगा।

प्र 3. क्या जॉब-वर्कर के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है?

उत्तर: हाँ, क्योंकि जॉब-वर्क एक सेवा है, इसलिए जॉब-वर्कर को पंजीकरण प्राप्त करना होगा, यदि उसका कुल टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक है तो।

प्र 4. अगर प्रिंसिपल के माल की जॉब-वर्कर के परिसर से सीधी आपूर्ति होती है, तो क्या वह माल जॉब-वर्कर के कुल टर्नओवर में शामिल किया जाएगा?

उत्तर: नहीं, यह माल प्रिंसिपल के कुल टर्नओवर में शामिल होगा। तथापि जॉब-वर्क करने के लिए जॉब-वर्कर द्वारा उपयोग में लाए गए वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य इसमें सम्मिलित होगा।

प्र 5. क्या प्रिंसिपल इनपुट्स और कैपिटल गुड्स को बिना अपने परिसर में लाए हुए ही सीधा जॉब-वर्कर के परिसर में भेज सकता है?

उत्तर: हाँ, प्रिंसिपल ऐसा कर सकता है। ऐसे परिदृश्य में इनपुट या कैपिटल गुड्स पर दिए कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी प्रिंसिपल ले सकता है। ऐसा इनपुट या कैपिटल गुड्स क्रमशः 1 या 3 साल के अंदर अवश्य ही वापस प्राप्त होना चाहिए, ऐसा न कर पाने पर मूल विनिमय (transaction) को आपूर्ति समझा जाएगा और प्रिंसिपल को उसके अनुसार ही कर का भुगतान करना होगा।

प्र 6. क्या प्रिंसिपल सीधे जॉब-वर्कर के परिसर से माल की

आपूर्ति कर सकता है, बिना अपने परिसर में लाए हुए?

उत्तर: हाँ। लेकिन प्रिंसिपल को अपंजीकृत जॉब-वर्कर के परिसर को अपना अतिरिक्त व्यावसायिक स्थल घोषित करना चाहिए। अगर जॉब-वर्कर पंजीकृत व्यक्ति है तो माल जॉब-वर्कर के परिसर से सीधे ही भेजा जा सकता है। आयुक्त ऐसे सामान/माल को अधिसूचित कर सकता है जिसको सीधे जॉब-वर्कर के परिसर से भेजा जा सकता है।

प्र 7. किन परिस्थितियों में प्रिंसिपल बिना जॉब-वर्कर के परिसर को अपना अतिरिक्त व्यावसायिक स्थल घोषित किए ही, सीधे उसके परिसर से सामान भेज सकता है?

उत्तर: वस्तुओं की आपूर्ति सीधा, बिना अतिरिक्त व्यापार का स्थल घोषित किए हुए जॉब वर्कर के व्यापार स्थल से दो परिस्थितियों में की जा सकती है। जहाँ जॉब-वर्कर पंजीकृत कराधीन व्यक्ति हो या प्रिंसिपल ऐसे सामान की आपूर्ति करता हो जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित हो?

प्र 8. जॉब-वर्कर को भेजे गए इनपुट्स/कैपिटल गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के संबंध में क्या प्रावधान हैं?

उत्तर: प्रिंसिपल जॉब-वर्कर को भेजे गए इनपुट्स/कैपिटल गुड्स पर दिए गए कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार है, चाहे इन्हें उसके परिसर में प्राप्त करने के बाद भेजा गया हो या बिना परिसर में लाए हुए सीधे जॉब-वर्कर के पास भेजा गया हो। तथापि इनपुट्स या कैपिटल गुड्स जॉब-वर्कर होने के बाद वापस लाए जाने चाहिए या जॉब वर्कर के परिसर से उनकी आपूर्ति होनी चाहिए, जैसी स्थिति हो उनके बाहर भेजे जाने के एक या तीन साल के अंदर।

प्र 9. क्या होता है जब निर्धारित समयावधि के अंदर इनपुट्स या

कैपिटल गुड्स वापस प्राप्त न किए जाए या जॉब-वर्कर के परिसर से बाहर न भेजे जाएं?

उत्तर: ऐसी स्थिति में, यह माना जाएगा कि जिस तिथि पर इनपुट्स या कैपिटल गुड्स प्रिंसिपल द्वारा बाहर भेजा गया उसी तिथि पर प्रिंसिपल ने जॉब-वर्कर को इनपुट्स सा कैपिटल गुड्स की 'आपूर्ति' की (अथवा जहाँ इनपुट्स या कैपिटल गुड्स सीधे जॉब-वर्कर के परिसर में भेजे गए, वहाँ जॉब-वर्कर द्वारा उन्हें प्राप्त करने की तिथि पर)। अतः प्रिंसिपल उसके अनुसार कर देने के लिए उत्तरदायी होगा।

प्र 10. कुछ कैपिटल गुड्स जैसे जिग्स और फिक्सचर्स एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग लायक नहीं रहते और सामान्यतः स्कैप की तरह बेच दिए जाते हैं। जॉब-वर्क प्रावधानों में ऐसी वस्तुओं का क्या उपचार है?

उत्तर: कैपिटल गुड्स को तीन साल के अंदर वापस लाने की शर्त Moulds, Dies, Jigs, Fixtures या उपकरणों पर लागू नहीं हैं।

प्र. 11 जॉब-वर्क के दौरान बने हुए Waste और Scrap का क्या उपचार है?

उत्तर: जॉब-वर्क के दौरान उत्पादित Waste और Scrap जॉब-वर्कर सीधे अपने व्यावसायिक परिसर से कर के भुगतान के पश्चात आपूर्ति कर सकता है, यदि वह पंजीकृत है। यदि वह पंजीकृत नहीं हैं, तो ऐसी वस्तुएँ प्रिंसिपल द्वारा कर का भुगतान करने पर आपूर्ति होंगी।

प्र 12. क्या मध्यवर्ती वस्तुएं भी जॉब-वर्क के लिए भेजी जा सकती हैं?

उत्तर: हाँ। जॉब-वर्क के उद्देश्य से, इनपुट शब्द मध्यवर्ती माल को समाहित करता है, जो प्रिंसिपल या जॉब-वर्कर द्वारा इनपुट पर कोई

शोधन या प्रसंस्करण करने के दौरान उत्पन्न हुई हों।

प्र 13. जॉब-वर्क से संबंधित proper account (यथोचित खाता) के रख-रखाव के लिए कौन जिम्मेदार हैं?

उत्तर: यह पूर्ण रूप से प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, कि वह जॉब-वर्क से संबंधित इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का यथोचित खाता बनाकर उसका रख-रखाव करे।

प्र 14. क्या जॉब-वर्क के प्रावधान हर तरीके/प्रकार के माल पर लागू होते हैं?

उत्तर: नहीं। यह तभी लागू होता है जब पंजीकृत कराधीन व्यक्ति कराधीन माल भेजने की इच्छा रखता है। दूसरे शब्दों में, ये प्रावधान Exempted या Non taxable goods पर लागू नहीं होता, या फिर जब भेजने वाला पंजीकृत कराधीन व्यक्ति से अलग कोई व्यक्ति हों।

प्र 15. क्या यह आवश्यक है कि जॉब-वर्क के प्रावधान 'प्रिंसिपल' द्वारा अनुपालित किए जाएँ?

उत्तर: नहीं। प्रिंसिपल इनपुट्स या कैपिटल गुड्स को जीएसटी का भुगतान करने के बाद, बिना विशेष प्रक्रिया का अनुपालन किए ही भेज सकता है। ऐसी स्थिति में जॉब-वर्कर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा और जीएसटी का भुगतान करने के बाद प्रसंस्कृत माल को वापस भेजेगा (जॉब-वर्क पूरा करने के बाद)

प्र 16. क्या जॉब-वर्कर और प्रिंसिपल को एक ही क्षेत्र में स्थित होना चाहिए?

उत्तर: नहीं। यह अनिवार्य नहीं है। क्योंकि जॉब-वर्क के प्रावधान IGST Act और UTGST Act दोनों में लिए गए हैं और इसलिए जॉब-वर्कर और प्रिंसिपल एक राज्य में, एक संघ क्षेत्र में या विभिन्न राज्य और संघ-क्षेत्र में स्थित हो सकते हैं।

इनपुट टैक्स क्रेडिट

10. इनपुट टैक्स क्रेडिट

प्र 1. इनपुट टैक्स क्या है?

उत्तर: इनपुट टैक्स का अर्थ है, किसी पंजीकृत व्यक्ति को वस्तु या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगने वाला केन्द्रीय कर (सी.जी.एस.टी.) या राज्य कर (एस.जी.एस.टी.) या एकीकृत कर (आई.जी.एस.टी.) या संघ शासित क्षेत्र कर (यू.टी.जी.एस.टी.)। इसमें रिवर्स चार्ज बेसिस पर और आयात पर लगने वाला एकीकृत कर (आई.जी.एस.टी.) भी शामिल है। इसमें संयोजन करारोपण के रूप में दिया कर शामिल है।

प्र 2. क्या रिवर्स चार्ज के आधार पर भुगतान किया गया जी.एस.टी. इनपुट टैक्स माना जाएगा?

उत्तर हाँ, इनपुट टैक्स की परिभाषा इसे इसमें शामिल करती है।

प्र 3. क्या इनपुट टैक्स उन करो को (सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी./आई.जी.एस.टी.) शामिल करता है जो इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स पर दिए जाते हैं?

उत्तर हाँ, इसमें इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विसेज व कैपिटल गुड्स पर दिए गए कर शामिल है।

प्र 4. क्या जी.एस.टी. में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगे सारे कर का क्रेडिट मिलता है?

उत्तर एक पंजीकृत व्यक्ति खुद को आपूर्ति ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर दिए गए कर का क्रेडिट ले सकता है, जो कि उसके व्यवसाय के अनुसरण व बढ़ोत्तरी की प्रक्रिया में प्रयोग हो। यह अन्यों शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन है।

प्र 5. इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए अनिवार्य शर्तें क्या हैं?

उत्तर निम्नलिखित चार शर्तों का संतुष्टिकरण आवश्यक है, यदि

एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति आई.टी.सी लेना चाहता है,

- (क) उसके पास कर चालान या डेविट नोट या कर भुगतान का अन्य दस्तावेज हो जैसा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए निर्धारित किए गए हैं।
- (ख) उसने वस्तुएं, या सेवाएं या दोनों प्राप्त की हो।
- (ग) आपूर्तिकर्ता ने वास्तव में आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान सरकार को किया हो।
- (घ) उसने धारा 39 के अंदर रिटर्न भरा हो।

प्र 6. जहां किसी चालान के सामान किस्त या भाग में प्राप्त हों वहां एक पंजीकृत व्यक्ति कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हकदार होगा?

उत्तर पंजीकृत व्यक्ति केवल अंतिम भाग अथवा किस्त की प्राप्ति पर ही क्रेडिट का हकदार होगा।

प्र 7. क्या कोई व्यक्ति आपूर्तिकर्ता को बिना आपूर्ति के मूल्य और उस पर लगने वाले कर का भुगतान किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है।

उत्तर. हाँ, प्राप्तकर्ता आई.टी.सी. ले सकता है। लेकिन चालान निर्मित होने के 180 दिन के अंदर उसे मूल्य व कर का भुगतान करना होगा। यह शर्त लागू नहीं होगी अगर कर रिवर्स चार्ज बेसिस पर देय है।

प्र 8. उस स्थिति में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए आई.टी.सी. का क्या होगा यदि उसने चालान जारी होने के 180 दिन के अन्दर आपूर्ति के मूल्य व कर का भुगतान नहीं किया हो?

उत्तर ऐसी स्थिति में आई.टी.सी का मूल्य, व्यक्ति के उत्पाद पर कर देयता (Output Tax liability) में जोड़ी जाएगी। उसको ब्याज भी देना होगा। तथापि मूल्य व कर का भुगतान करके वह पुन आई.टी.

सी. ले सकता है।

प्र 9 उस स्थिति में आई.टी.सी. किसे प्राप्त होगी, जहां वस्तु कराधीन व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भेजा गया हो (Bill to -ship to—परिदृश्य) ?

उत्तर जब वस्तु किसी तीसरे व्यक्ति को कराधीन व्यक्ति के निर्देश पर प्राप्त हो, तब यह माना जाएगा कि वस्तु पंजीकृत व्यक्ति को प्राप्त हुआ जिस दिन वह तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। अतः आई. टी.सी उस व्यक्ति को उपलब्ध होगा, जिसके निर्देश पर वस्तु तीसरे व्यक्ति को पहुँची।

प्र 10. आई.टी.सी. लेने के लिए समय—सीमा व कारण क्या है?

उत्तर कोई पंजीकृत व्यक्ति वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए निर्गत चालान या डेबिट नोट का, धारा 39 में निर्धारित रिटर्न भरने को अंतिम तारीख के बाद आई.टी.सी. नहीं ले सकता है। सितंबर महीने के लिए उस वित्त वर्ष के बाद जिससे कि ऐसा चालान या डेबिट नोट से संबंधित चालान जुड़ा हो या कि प्रासंगिक वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख, जो भी पहले हो। इस प्रकार से आई.टी.सी लेने की उपरी समय—सीमा अगले वित्त वर्ष की 20 अक्टूबर है या वार्षिक रिटर्न जमा करने की, जो भी जल्दी हो।

इस प्रतिबंध का अंतर्निहित तर्क यह है कि अगले वित्तीय वर्ष के सितम्बर महीने के बाद रिटर्न में कोई संशोधन नहीं होगा। अगर वार्षिक रिटर्न सितम्बर के पहले भरा जाता है, तब वार्षिक रिटर्न भरने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा।

प्र 11. जहां पंजीकृत कराधीन व्यक्ति ने आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीकृत सामान के मूल्य में कर—भाग पर अवमूल्यन का दावा किया हो, वहां आई.टी.सी. की अनुमति होगी?

उत्तर ऐसे कर भाग पर जिस पर अवमूल्यन का दावा किया गया हो, वहां आई.टी.सी की अनुमति नहीं होगी।

प्र 12. क्या कराधीन वस्तुओं की आपूर्ति के प्रत्येक इनपुट पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट लिया जा सकता है?

उत्तर हॉ, कानून में दी गई एक छोटी सूची की वस्तुओं को छोड़कर। यह सूची मुख्यतः व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुओं, ऐसे इनपुट जिनका उपयोग अचल सम्पत्ति के निर्माण में किया जाए (प्लांट और मशीनरी को छोड़कर), कारखाना परिसर के बाहर बिछाया गयी पाईपलाइन, दूरसंचार टॉवर इत्यादि, और वह कर जो कर अपवंचन के परिणामस्वरूप दिया गया हो।

प्र 13. एक कराधीन व्यक्ति सूचना तकनीक के व्यवसाय में है। वह अपने कार्यकारी निदेशकों के लिए एक कार खरीदता है। क्या वह ऐसे मोटर कार की खरीद पर दिए गए जी.एस.टी. कर का आई.टी.सी. ले सकता है?

उत्तर नहीं, मोटर कार पर आई.टी.सी. केवल तभी लिया जा सकता है जब कराधीन व्यक्ति जन-यातायात के व्यवसाय में हो या माल ट्रांसपोर्ट करता हो या मोटर-कार में प्रशिक्षण की सेवा देता हो।

प्र 14. कई बार माल नष्ट या गुम हो जाता है अन्य कारणों से क्या एक व्यक्ति ऐसी वस्तुओं पर आईटीसी ले सकता है?

उत्तर: नहीं, गुम हुए, चोरी, विनष्ट और बट्टे खाते में डाले गए सामान पर आईटीसी नहीं लिया जा सकता। इसके अतिरिक्त उपहार अथवा मुफ्त सैम्पल के रूप में दिए गए सामान पर भी आईटीसी नहीं मिल सकता।

प्र 15. व्यावसायिक उद्देश्य से बनी इमारत के निर्माण में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओं पर आईटीसी लिया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, प्लांट और मशीनरी के अलावा किसी अन्य अचल सम्पत्ति के निर्माण में प्रयुक्त वस्तुओं व सेवाओं पर आईटीसी नहीं ली जा सकती। प्लांट और मशीनरी में केवल उपकरण, औजार और

नींव द्वारा जमीन से जुड़ी मशीन अथवा संरचनात्मक सपोर्ट से जमीन में जुड़ी मशीन आते हैं। यह अन्य वस्तुओं में भूमि, इमारत को बाहर रखते हैं ।

प्र 16. नव-पंजीकृत व्यक्ति के लिए आईटीसी पात्रता क्या होगी?

उत्तर: पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति पंजीकरण मिलने के एक दिन पहले तक स्टॉक में रखे इंपुट्स, अर्धनिर्मित और निर्मित वस्तुओं में प्रयुक्त इंपुट्स का आईटीसी ले सकता है। अगर व्यक्ति पंजीकरण लेने के योग्य है, और पंजीकरण लेने की योग्यता हासिल करने के 30 दिन के अंदर उसने पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है तो जिस दिन वह कर भुगतान करने के योग्य हुआ उसके ठीक एक दिन पहले तक स्टॉक में पड़े इनपुट और अर्ध-निर्मित एवं निर्मित वस्तुओं में प्रयुक्त इनपुट्स पर वह आई.टी.सी ले सकता है।

प्र 17. एक व्यक्ति 01.08.2017 को कराधीन हुआ और 15.08.2017 को पंजीकरण प्राप्त किया। ऐसा व्यक्ति इस तिथि तक स्टॉक में उपलब्ध इनपुट कर आई.टी.सी. प्राप्त करने योग्य होगा?

क) 01.08.2017

ख) 31.07.2017

ग) 15.08.2017

घ) वह पिछली अवधि के लिए क्रेडिट प्राप्त नहीं कर सकता है।

उत्तर. 31.07.2017

प्र 18. ऐसे व्यक्ति के लिए जो ऐच्छिक पंजीकरण प्राप्त करता है, स्टॉक में रखे इनपुट्स पर आई.टी.सी की योग्यता क्या होगी?

उत्तर ऐसा व्यक्ति पंजीकरण के दिन के ठीक एक दिन पहले तक स्टॉक में पड़े इनपुट्स, अर्ध-निर्मित व निर्मित वस्तुओं में प्रयुक्त

इनपुट्स पर आई.टी.सी. लेने का हकदार होगा।

प्र 19. अगर किसी पंजीकृत व्यक्ति के संविधान में परिवर्तन होता है, तो आई.टी.सी योग्यता क्या होगी?

उत्तर पंजीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में पड़े अनुपयुक्त आई.टी.सी. का अंतरण नई ईकाई को करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि देयताओं के अंतरण का वहां विशिष्ट प्रावधान हो।

प्र 20. जहां वस्तुएं या सेवाएं या दोनों जो एक कराधीन व्यक्ति प्राप्त करता है, उनका उपयोग कराधीन और गैर-कराधीन दोनों आपूर्तियों को प्रभावित करने में होता है, क्या वहां पंजीकृत कराधीन व्यक्ति को आईटीसी लेने की अनुमति है?

उत्तर: ऐसी स्थिति में केवल कराधीन आपूर्ति के फलस्वरूप ही आईटीसी लिया जा सकता है। उपयुक्त क्रेडिट के आकलन का तरीका नियमों द्वारा बताया जाएगा।

प्र 21. अगर आईटीसी केवल कराधीन आपूर्तियों को प्रभावित करने वाली वस्तुओं, सेवाओं अथवा दोनों पर मिलेगा, तो क्या उन छूट प्राप्त आपूर्तियों पर आईटीसी का नुकसान नहीं करेगा, जब उनका निर्यात होगा?

उत्तर: आईटीसी के उद्देश्य के लिए शून्य दर आपूर्ति कराधीन आपूर्ति के अंतर्गत रखी गई है। शून्य दर आपूर्ति की गुंजाइश आईजीएसटी आधिनियम में रखी गई है, यह तक कि इसमें छूट प्राप्त आपूर्तियां भी आती हैं।

प्र 22. क्रेडिट लेने के लिए कराधीन आपूर्तियों के संगणन के लिए, इनमें से कौन सा सम्मिलित है—

क. शून्य दर आपूर्तियां

ख. छूट प्राप्त आपूर्तियां

ग. दोनों

उत्तर: शून्य दर आपूर्तियां

प्र 23. जहां एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग अंशतः व्यवसाय और अंशतः अन्य उद्देश्य के लिए होता है, वहां क्या आईटीसी के लिए वह व्यक्ति योग्य होगा।

उत्तर: केवल व्यवसाय के उद्देश्य से प्रयुक्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का आईटीसी मिलेगा। उपयुक्त क्रेडिट के संगणन का तरीका नियमों द्वारा बताया जाएगा।

प्र 24. कम्पाउंडिंग स्कीम के तहत कर देने वाला व्यक्ति कम्पाउंडिंग सीमा को पार कर जाता है, क्या वह आईटीसी ले सकता है? यदि हां, तो किस तारीख से?

उत्तर: जिस तिथि से वह कम्पाउंडिंग स्कीम की अर्हता योग्य होना बंद करता है, उसके ठीक एक दिन पहले तक स्टॉक में उपलब्ध इंपुट्स, स्टॉक में पड़े निर्मित व अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं में प्रयुक्त इंपुट्स पर आईटीसी ले सकता है। पूंजीगत वस्तुओं (निर्धारित प्रतिशत प्वाइंट्स से अवमूल्यित किया हुआ) पर भी ले सकता है। उपयुक्त क्रेडिट के संगणन का तरीका नियमों द्वारा बताया जाएगा।

प्र 25. क्या बैंकिंग कंपनियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं?

उत्तर: बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान के साथ-साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो विशिष्ट सेवाएं प्रदान करती हैं, या तो अनुपातिक क्रेडिट लेगी या उपयुक्त आईटीसी का पचास प्रतिशत लेने के लिए पात्र होगी।

प्र 26. महोदय 'क' जो कि एक पंजीकृत व्यक्ति है, 30.07.2017 तक कम्पोजिशन स्कीम के तहत कर का भुगतान कर रहे थे। 'क' रेगुलर स्कीम के तहत कराधीन हो जाता है। क्या वह आईटीसी के

योग्य हैं।

उत्तर: 30.07.2017 के दिन तक स्टॉक में रखे इंपुट्स, स्टॉक में रखे अर्ध-निर्मित, निर्मित माल में प्रयुक्त इंपुट्स और पूंजीगत वस्तुओं (निर्धारित प्रतिशत प्वाइंट से अवमूल्यित किया हुआ) पर श्री 'क' आईटीसी लेने के योग्य हैं।

प्र 27. श्री 'ख' ने ऐच्छिक पंजीकरण के लिए 05.06.2017 को आवेदन किया और 22.06.2017 को उन्हें पंजीकरण मिला। श्री 'ख' स्टॉक में रखे इंपुट्स पर इस तारीख से आईटीसी लेने के योग्य हैं

उत्तर: 21.06.2017 तक स्टॉक में रखे इंपुट्स, स्टॉक में रखे अर्ध-निर्मित और निर्मित वस्तुओं में प्रयुक्त इंपुट्स पर श्री 'ख', आईटीसी लेने के योग्य होंगे। पूंजीगत वस्तुओं पर श्री 'ख' क्रेडिट नहीं ले सकते हैं।

प्र 28. किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए आईटीसी का क्या होगा, जो कम्पोजिशन स्कीम चुनता है या वस्तुएं या सेवाएं या दोनों जो उसके द्वारा आपूर्ति की जाती हैं, पूर्ण रूप से छूट मिल जाएं।

उत्तर: पंजीकृत व्यक्ति को स्टॉक के संबंधित आईटीसी के बराबर भुगतान करना होगा। कम्पोजिशन स्कीम चुनने अथवा छूट मिलने के ठीक एक दिन पहले जो स्टॉक होगा, उसी के अनुसार। पूंजीगत वस्तुओं के संदर्भ में देय राशि की गणना निर्धारित प्रतिशतता प्वाइंट के अनुसार होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में पर्याप्त शेष है, तो इसका भुगतान इस खाते में डेबिट करके हो सकता है, अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाते को डेबिट करके भुगतान होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में कोई शेष रह जाता है, तो वह समाप्त हो जाएगा।

प्र 29. क्या आईटीसी लेने के समयावधि पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तर: नए पंजीकरण की स्थिति में, कम्पोजिशन से सामान्य स्कीम में आना, छूट से कराधीन सेवाओं, इन स्थितियों में ऐसी आपूर्ति के संबंध में कर बिल के निर्गत होने के 1 साल के बाद आईटीसी नहीं ले सकते हैं।

प्र 30. क्या होता है जब प्राप्तकर्ता द्वारा दिया गया आंतरिक आपूर्ति का विवरण आपूर्तिकर्ता के बाह्य आपूर्ति विवरण से साम्य न रखे?

उत्तर: इस स्थिति में दोनों पक्षों को सूचना दी जाएगी। अगर विषमता का संशोधन नहीं होता है, तब वह मूल्य, जिस महीने में असंगति सूचित हुई है उसके अगले महीने के रिटर्न में प्राप्तकर्ता के उत्पाद देयताओं में जोड़ा जाएगा।

प्र 31. क्या आईटीसी केवल संगति निर्धारण के बाद ही मिलती है?

उत्तर: नहीं, आईटीसी अस्थायी रूप से 2 महीने के लिए ली जा सकती है। आपूर्ति विवरण, सिस्टम से मिलाया जा सकता है और असंगति की सूचना आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता को दी जाती है। अगर असंगति जारी रहती है, तो ली गई आईटीसी स्वतः वापस हो जाएगी।

प्र 32. क्या अस्थायी रूप से प्राप्त आईटीसी का उपयोग सभी देयताओं के भुगतान के लिए किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, इसका उपयोग केवल रिटर्न में स्व-आंकलित आउटपुट कर के भुगतान के लिए होगा।

प्र 33. कर-प्रभाव क्या होगा जब पूंजीगत वस्तुएं, जिन पर आईटीसी लिया गया है कराधीन व्यक्ति द्वारा आपूर्तित हों?

उत्तर: पूंजीगत वस्तुओं, प्लांट या मशीनरी की आपूर्ति की स्थिति

में जिस पर आईटीसी लिया गया हो, पंजीकृत व्यक्ति इन पर लिए गए आईटीसी में से प्रतिशतता प्वाइंट के बराबर अवमूल्यन कर जैसा कि इस संबंध में निर्धारित किया जाए, या ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के विनिमय मूल्य पर कर के बराबर अवमूल्यन, जो भी ज्यादा हो, उतने मूल्य का भुगतान करेगा।

प्र 34. किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति पर कर—निहितार्थ क्या होगा जिस पर आईटीसी लिया गया हो?

उत्तर: पंजीकृत व्यक्ति आईटीसी में से प्रतिशतता प्वाइंट या विनिमय मूल्य पर कर जो भी ज्यादा हो, अवमूल्यन कर के भुगतान करेगा। लेकिन, रिफरेक्टरी ब्रिक्स के संदर्भ में, माउल्ड्स और डाईस, जिग्स और फिक्सचर्स जब स्क्रेप की तरह आपूर्ति हों, ऐसी स्थिति में व्यक्ति विनिमय मूल्य पर कर का भुगतान कर सकता है।

जी.एस.टी. में इनपुट सेवा
वितरक की अवधारणा

11. जी.एस.टी. में इनपुट सेवा वितरक की अवधारणा

प्र 1. इनपुट सेवा वितरक (आई.एस.डी.) क्या है?

उत्तर 1 आई.एस.डी से से अभिप्राय है वस्तु या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता का कार्यस्थल जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति हेतु एक रशीद प्राप्त करता है उक्त सेवाओं हेतु, कर योग्य वस्तु या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता जिसका पेन आई.एस.डी. के समान है, भुगतान किए गए केन्द्रीय कर (सी.जी.एस.टी), राज्य कर (एस.जी.एस.टी)/केन्द्र शासित क्षेत्र कर (यू.टी.जी.एस.टी.) या एकीकृत कर (आई.जी.एस.टी) के लिए जमा के वितरण के प्रयोग के लिए एक निर्धारित दस्तावेज जारी करता है।

प्र 2. आई.एस.डी. के रूप में पंजीकरण के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?

उत्तर अलग से पंजीकृत होने पर भी आई.एस.डी को पृथक पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यक है। पंजीकरण की अंतिम सीमा आई.एस.डी. पर लागू नहीं है। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत आई.एस.डी. का पंजीकरण का स्थानानंतरण जो जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। यदि वे आई.एस.डी. (आगत सेवा वितरक) के रूप में राज्य में कार्य करना चाहते हैं, तो उन्हें नई व्यवस्था के अंतर्गत नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

प्र 3. आई.एस.डी. द्वारा क्रेडिट के वितरण हेतु कौन से दस्तावेज होंगे?

उत्तर क्रेडिट का वितरण कार्य के लिए एक खास रूप से परिकल्पित दस्तावेज द्वारा किया जाएगा। उक्त दस्तावेज में वितरण की जाने वाले इनपुट क्रेडिट की राशि शामिल होगी।

प्र 4. क्या आई.एस.डी. सभी आपूर्तिकर्ताओं को इनपुट क्रेडिट वितरित कर सकता है?

उत्तर नहीं। इनपुट सेवाओं की इनपुट कर क्रेडिट सिर्फ उन्हीं पंजीकृत व्यक्तियों के बीच वितरित किया जाएगा जिन्होंने व्यापार की प्रक्रिया या उसे बढ़ाने में आगत सेवाओं का प्रयोग किया है।

प्र 5. कई बार आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यापार की प्रक्रिया या उसे बढ़ावा देने में प्रयोग की गई इनपुट सेवाओं परिमाण से सीधा संबंध बनाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में, आई.एस.टी. द्वारा आई.टी.सी का वितरण कैसे किया जाना है?

उत्तर ऐसी परिस्थिति में, वितरण एक फामूला पर आधारित होगा। पहले वितरण इनपुट कर क्रेडिट के उन्ही प्राप्तकर्ताओं को किया जाएगा जिनपर वितरित किए गए इनपुट सेवा आरोप्य है। दूसरे, कार्यरत इकाईओं के बीच वितरण किया जाएगा। तीसरे अवधि के दौरान प्राप्तकर्ता के वितरण राज्य या केन्द्रीय शासित प्रदेश में कुल बिक्री से सभी प्राप्तकर्ताओं जिनपर वितरित इनपुट सेवा आरोप्य है का कुल योग के अनुपात में होगा। अंतिम में, वितरित किया गया क्रेडिट वितरित किए जाने वाले उपलब्ध क्रेडिट कैसे ज्यादा नहीं होना चाहिए।

प्र 6. आई.एस.डी. के लिए प्रयोग में आने वाली कुल बिक्री में क्या शामिल है?

उत्तर आई.एस.डी. हेतु कुल बिक्री में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के प्रविष्टि 84 एवं सूची II की प्रविष्टि 51 एवं 54 के अंतर्गत कोई भी शुल्क या आरोप्य कर शामिल नहीं है।

प्र 7. क्या आई.एस.डी. को रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है?

उत्तर हाँ, आगामी माह की 13 तारीख तक मासिक रिटर्न दायर

करने के लिए आई.एस.डी. की आवश्यकता है।

प्र 8. क्या एक कंपनी के कई आई.एस.डी. हो सकते हैं?

उत्तर: हाँ, विभिन्न कार्यालयों में जैसे विपणन प्रभाग, सुरक्षा विभाग, आदि अलग-अलग आई.एस.डी. के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्र 9. आई.एस.डी. द्वारा वितरित किए गए अतिरिक्त/गलत क्रेडिट की वसूली के लिए क्या प्रावधान हैं?

उत्तर: धारा 73 और 74 आई.एस.डी. के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर आई.एस.डी. से वितरित किए गए अतिरिक्त/गलत क्रेडिट की वसूली के प्रावधान करती है।

प्र 10. क्या आई.एस.डी. द्वारा सी.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. क्रेडिट अलग-अलग राज्यों में स्थित इकाइयों को आई.जी.एस.टी. के रूप में वितरित किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ। सी.जी.एस.टी. क्रेडिट आई.जी.एस.टी. के रूप में और आई.जी.एस.टी. क्रेडिट आई.जी.एस.टी. के रूप में आई.एस.डी. द्वारा अलग-अलग राज्यों में स्थित इकाइयों को वितरित किया जा सकता है।

प्र 11. क्या आई.एस.डी. द्वारा एस.जी.एस.टी./यू.टी.जी.एस.टी. क्रेडिट आई.जी.एस.टी. क्रेडिट के रूप में विभिन्न राज्यों में स्थित इकाइयों को वितरित किया जा सकता है?

उत्तर हाँ, आई.एस.डी., एस.जी.एस.टी./यू.टी.जी.एस.टी. क्रेडिट को विभिन्न राज्यों में स्थापित प्राप्तकताओं को आई.जी.एस.टी. के रूप में वितरित कर सकता है।

प्र 12. क्या आई.एस.डी. सी.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. क्रेडिट को सी.जी.एस.टी. क्रेडिट के रूप में वितरित कर सकता है?

उत्तर: हाँ, सी.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. क्रेडिट को आई.एस.

डी. द्वारा सी.जी.एस.टी. के रूप में एक ही राज्य में स्थित इकाइयों के लिये वितरित किया जा सकता है ?

प्र 13. क्या एस.जी.एस.टी./यू.टी.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. क्रेडिट को एस.जी.एस.टी./यू.टी.जी.एस.टी. क्रेडिट के रूप में वितरित किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, आई.एस.डी. एक ही राज्य में स्थित इकाइयों के लिए एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. क्रेडिट वितरित कर सकते हैं।

प्र 14. आई.एस.डी. की सभी इकाइयों के बीच कैसे समान क्रेडिट वितरित किया जाना चाहिए?

उत्तर: सभी इकाइयों द्वारा इस्तेमाल किया गया समान क्रेडिट आई.एस.डी. द्वारा यथानुपात आधार पर वितरित किया जा सकता है अर्थात् प्रत्येक ईकाई के टर्नओवर/कुल बिक्री और उन इकाइयों की सकल टर्नओवर के आधार पर जिन्हें क्रेडिट वितरित किया गया है।

प्र 15. आई.एस.डी. राज्यों के बाहर प्राप्तकर्ताओं को सी.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. वितरित कर सकते हैं जैसे

(क) आई.जी.एस.टी.

(ख) सी.जी.एस.टी.

(ग) एस.जी.एस.टी.

उत्तर: (क) आई.जी.एस.टी.

प्र 16. आई.एस.डी. राज्य के भीतर सी.जी.एस.टी. क्रेडिट वितरित कर सकते हैं जैसे

- (क) आई.जी.एस.टी.
- (ख) सी.जी.एस.टी.
- (ग) एस.जी.एस.टी.
- (घ) उपरोक्त में से कोई एक

उत्तर: (ख) सीजीएसटी

प्र 17. एक से अधिक आपूर्तिकर्ता द्वारा इस्तेमाल इनपुट सेवा कर के भुगतान पर क्रेडिट होगा।

- (क) उन आपूर्तिकर्ताओं में उस राज्य की टर्नओवर के यथानुपात आधार पर वितरित किया जाएगा जो कथित इनपुट सेवाओं का प्रयोग करते हैं।
- (ख) समान रूप से सभी आपूर्तिकर्ताओं के बीच वितरित किया है।
- (ग) केवल एक आपूर्तिकर्ता को वितरित किया गया है।
- (घ) वितरित नहीं किया जा सकता।

उत्तर: (क) उन आपूर्तिकर्ताओं में उस राज्य की टर्नओवर के यथानुपात आधार पर वितरित किया जाएगा जो कथित इनपुट सेवाओं का प्रयोग करते हैं।

प्र 18. क्या विभाग द्वारा अतिरिक्त वितरित क्रेडिट को वसूल किया जा सकता है ?

उत्तर: नहीं, अतिरिक्त वितरित किये गये क्रेडिट को ब्याज के साथ आई.एस.डी. से विभाग द्वारा वसूल किया जा सकता है। क्रेडिट की वसूली के लिए धारा 73 अथवा 74 के प्रावधान लागू होंगे।

प्र 19. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में वितरित क्रेडिट के क्या दृशपरिणाम हो सकते हैं?

उत्तर: अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में वितरित क्रेडिट उस इकाई से ब्याज सहित वसूले जा सकते हैं जिसने वितरित किया है।

रिटर्न की प्रक्रिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान

12. रिटर्न की प्रक्रिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान

प्र 1. रिटर्न का क्या उद्देश्य है?

- उत्तर: क) कर प्रशासन सूचना के हस्तांतरण के लिये साधन है
- ख) कर प्रशासन के अनुपालन का सत्यापन कार्यक्रम है
- ग) निर्धारित सीमित अवधि के भीतर करदाता की कर देनदारियों को अंतिम रूप देना; एक निश्चित अवधि के लिए कर देनदारी की घोषणा करना;
- घ) नीतिगत निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारियां प्रदान करना;
- ङ) कर प्रशासन के लेखा परीक्षा और करचोरी विरोधी कार्यक्रमों का प्रबंधन।

प्र 2. जी.एस.टी. व्यवस्था के अंतर्गत किसे रिटर्न भरने की आवश्यकता है?

उत्तर जी.एस.टी. के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को किसी न किसी प्रारूप में रिटर्न दायर करना होगा। पंजीकृत व्यक्ति को या तो मासिक (सामान्य आपूर्तिकर्ता) या तो तिमाही आधार (संयोजन योजना के विकल्प लेने वाले आपूर्तिकर्ता) पर रिटर्न दायर करना होगा। आई.एस.डी. को उस माह के दौरान वितरित किए गए क्रेडिट का विवरण दिखाते हुए मासिक रिटर्न फाइल करना होगा। कर की कटौती हेतु व्यक्ति (टी.डी.एस.) एवं कर वसूली हेतु व्यक्तियों (टी.सी.एस) को भी जैसा भी निर्धारित हो कटौती की गई/वसूल की गई राशि एवं अन्य विवरण दिखाने वाले मासिक रिटर्न भी फाइल करना होगा। एक अनिवासी कर आरोप्य व्यक्ति को भी किए गए कार्य अवधि हेतु रिटर्न फाइल करना होगा।

प्र 3. रिटर्न में किस प्रकार की जावक आपूर्ति के विवरण दाखिल करने होंगे?

उत्तर: एक सामान्य पंजीकृत करदाता को एक महीने में की गई विभिन्न प्रकार की जावक आपूर्तियों के संबंध में आपूर्ति के विवरण जी.एस.टी.आर.-1 में दाखिल करने होंगे, यथा पंजीकृत व्यक्तियों को की गई जावक आपूर्तियां, गैर-पंजीकृत व्यक्तियों (उपभोक्ताओं) को की गई जावक आपूर्तियां, क्रेडिट/डेबिट नोट्स के विवरण, शून्य मूल्यांकित, छूट प्राप्त और गैर-जी.एस.टी. आपूर्तियां, निर्यात, और भविष्य की आपूर्ति के संबंध में प्राप्त अग्रिम राशि।

प्र 4. क्या चालान/बिलों की स्कैन की गई प्रतिलिपी जी.एस.टी.आर.-1 के साथ अपलोड की जाएगी?

उत्तर: नहीं। चालान/बिलों की स्कैन की गई प्रतिलिपी को अपलोड नहीं किया जाएगा। चालान/बिलों के केवल कुछ पूर्व निर्धारित हिस्सों को अपलोड करने की आवश्यकता है।

प्र 5. क्या सभी चालान/बिलों को अपलोड करना होगा?

उत्तर: नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि क्या बी2बी या बी2सी और क्या वह अंतर-राज्य या राज्य के भीतर की गई आपूर्तियां हैं।

बी2बी की आपूर्तियां, सभी बिलों/चालानों, चाहे वह अंतर-राज्य या राज्य के भीतर की आपूर्तियां हैं, उन्हें अपलोड करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आईटीसी प्राप्तकर्ताओं द्वारा लिया जाएगा, जिसके लिये चालान/बिलों का मिलान किया जाना आवश्यक है।

बी2सी आपूर्तियां, इसके अंतर्गत आमतौर पर अपलोडिंग करना आवश्यक नहीं हो सकता क्योंकि खरीदार आईटीसी प्राप्त नहीं करेगा। हालांकि गंतव्य आधारित सिद्धांत लागू करने के क्रम में, अंतर-राज्य बी2बी की आपूर्ति में 2.5 लाख रुपये से अधिक मूल्य के चालान/बिल अपलोड करने होंगे। राज्य के भीतर चालानों/बिलों के लिए 2.5 लाख रुपये और सभी राज्यों के भीतर राज्य चालान/

बिलों के, राज्यवार सारांश प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

प्र 6. क्या चालान/बिल में दिये गये प्रत्येक मद के विवरण अपलोड करने होंगे?

उत्तर: नहीं। वास्तव में विवरण अपलोड करना आवश्यक नहीं होगा। वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में केवल एचएसएन कोड सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में लेखा कोड भरना पड़ेगा। रिटर्न दायर करने वाला व्यक्ति द्वारा कितने न्यूनतम अंक अपलोड करने होंगे यह उसके पिछले साल के कारोबार पर निर्भर करेगा:

प्र 7. क्या प्रत्येक लेनदेन का मूल्य भरना होगा? यदि कोई प्रतिफल (Consideration) नहीं है तब क्या होगा?

उत्तर: हाँ। न केवल मूल्य बल्कि कराधीन मूल्य भी भरना होगा। कुछ मामलों में दोनों अलग-अलग हो सकते हैं।

किसी मामले में यदि कोई प्रतिफल नहीं है, लेकिन यह अनुसूची 1 के आधार पर आपूर्ति है, कराधीन मूल्य को अपलोड करना होगा।

प्र 8. क्या एक प्राप्तकर्ता अपने जी.एस.टी.आर.-2 में जानकारी भर सकता है जो आपूर्तिकर्ता द्वारा छूट गई है?

उत्तर: हाँ, प्राप्तकर्ता अपने आप चालान/बिलों को भर सकता है यदि उसके आपूर्तिकर्ता द्वारा उन्हें अपलोड नहीं किया गया। ऐसे चालानों/बिलों पर भी अस्थाई क्रेडिट (प्रोविजनल क्रेडिट) प्रावधिक क्रेडिट दिया जाएगा लेकिन उनका मिलान होना आवश्यक है। मिलान हो जाने पर, यदि चालान/बिल आपूर्तिकर्ता द्वारा अपलोड नहीं किया है, उन दोनों को सूचित कर दिया जाएगा। यदि त्रुटि को सुधारा गया है, अस्थाई क्रेडिट (प्रोविजनल क्रेडिट) की पुष्टि कर दी जाएगी। पर यदि इनका बेमेल कायम रहता है, तो ऐसी असंगति की सूचना मिलन के बाद वाले महिने के रिटर्न में प्राप्तकर्ता के उत्पाद कर देयता की राशि में जोड़ दिया जाएगा।

प्र 9. क्या कराधीन व्यक्ति को जी.एस.टी.आर.-2 में कुछ भरना होगा या जी.एस.टी.आर.-1 में रखे (auto-populated) सारे विवरण स्वतः ले लिये जाएंगे?

उत्तर: जबकि जी.एस.टी.आर.-2 के एक बड़े हिस्से में विवरण स्वतः ले लिये जाएंगे, वहाँ कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें केवल प्राप्तकर्ता ही भर सकता है जैसे आयात के विवरण, गैर-पंजीकृत व्यक्ति से खरीदारी के विवरण या संरचना आपूर्तिकर्ता (*composition suppliers*) और छूट प्राप्त/गैर-जी.एस.टी./शून्य जी.एस.टी. आपूर्तिकर्ता आदि।

प्र 10. क्या होगा यदि चालान/बिल का मिलान नहीं होता? क्या आईटीसी दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा ? यदि इन्कार किया गया है, आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी है?

उत्तर: अगर जी.एस.टी.आर.-2 में चालान/बिल विपरीत पक्ष के जी.एस.टी.आर.-1 के चालान/बिल के साथ मिलान नहीं खाता तब इस बेमेल के विषय में, आपूर्तिकर्ता को सूचित किया जाएगा। यदि दोनों पक्ष को सूचित करने के बाद भी अगर त्रुटि/बेमेल में सुधार नहीं किया गया तो आई.टी.सी. को उलट दिया जाएगा। बेमेल दो कारणों से हो सकता है। सबसे पहले, यह प्राप्तकर्ता के पक्ष में गलती की वजह से हो सकता है, और इस तरह के मामले में, आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। दूसरे, इसकी संभावना हो सकती है कि कथित आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान/बिल जारी किया गया था लेकिन उसने वह अपलोड नहीं किया और उसपर कर का भुगतान नहीं किया है। ऐसे मामले में, आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई की जाएगी। संक्षेप में, यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई है लेकिन उसने कर का भुगतान नहीं किया है तब सभी बेमेल, कार्यवाही में परिणत होंगे।

प्र 11. यदि एक आपूर्तिकर्ता को बाद में गलती का पता चलता है और वह जानकारी भर देता है, ऐसी स्थिति में रिवर्स इनपुट टैक्स

क्रेडिट के संबंध में कानूनी स्थिति क्या होगी?

उत्तर: किसी भी चरण पर, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष की सितंबर से पहले, आपूर्तिकर्ता अपने जी.एस.टी.आर.-3 के उस महीने जब वह बिल/चालान को अपलोड करने के बाद इस तरह के छूट गये चालान/बिल पर शुल्क और ब्याज का भुगतान कर सकता है। इस प्रकार प्राप्तकर्ता को उस चालान/बिल पर स्वचालित रूप से आईटीसी का लाभ प्राप्त हो जाएगा। व्युत्क्रमण (*reversal*) के समय जी.एस.टी.एन. के स्वचालित प्रणाली के माध्यम से प्राप्तकर्ता द्वारा ब्याज के भुगतान की राशि को भी वापस लौटा दिया जाएगा। प्राप्तकर्ता उत्पाद कर दायित्व को उस हद तक कम करने के लिए योग्य होगा, जिस राशि के लिए आपूर्तिकर्ता ने बेमेल में सुधार किया है। वियर्यन के दौरान प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाएँ गये ब्याज को भी उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में संबंधित मद में जमा करवाकर प्राप्तकर्ता को वापस किया जाएगा।

प्र 12. जी.एस.टी.आर.-2 की खास विशेषता क्या है?

उत्तर: जी.एस.टी.आर.-2 की खास विशेषता यह है कि एक प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त की गई आपूर्ति के विवरण स्वचालित आधार पर विपरीत पक्ष द्वारा जी.एस.टी.आर.-1 में अपलोड करने के बाद भर जाता है।

प्र 13. क्या संरचना योजना (composition scheme) के अंतर्गत करदाताओं को भी जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-2 दायर करना आवश्यक है?

उत्तर: नहीं। संरचना करदाताओं को जावक या आवक आपूर्ति के किसी भी विवरण को दर्ज करना आवश्यक नहीं है। उन्हें तिमाही की समाप्ति के बाद वाले माह की 18 तारीख तक फार्म-जीएसटीआर-4 में तिमाही रिटर्न दायर करना होगा। चूंकि वे किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के पात्र नहीं हैं, उनके लिये जी.एस.टी.आर.-2 की कोई प्रासंगिकता नहीं है और जैसा कि वे अपने प्राप्तकर्ता को कोई क्रेडिट

पारित नहीं करते, वहाँ उनके लिए जी.एस.टी.आर.-1 की भी कोई प्रासंगिकता नहीं है। अपने रिटर्न में, उन्हें कर के भुगतान के साथ जावक आपूर्तियों के विवरणों के सारांश घोषित करने होंगे। उन्हें अपनी तिमाही रिटर्न पर अपनी खरीदारी के विवरण भी देने होंगे, उनमें से अधिकांश स्वचालित रूप से सिस्टम पर प्राप्त हो जाएंगे।

प्र 14. क्या इनपुट सेवा वितरक/कों (आई.एस.डी.) को अपने रिटर्न के साथ जावक और आवक आपूर्तियों के अलग-अलग विवरण दाखिल करना आवश्यक है?

उत्तर: नहीं, आई.एस.डी. को केवल जी.एस.टी.आर.-6 में एक रिटर्न दायर करना आवश्यक है और रिटर्न में उन्हें सेवा प्रदाताओं से प्राप्त क्रेडिट और सहायक कंपनियों को उनके द्वारा वितरित क्रेडिट के विवरण उपलब्ध हैं। चूंकि उनके रिटर्न में इन पहलुओं को शामिल किया गया है, इसलिये वहाँ आवक और जावक आपूर्ति के अलग विवरणों को दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्र 15. कैसे एक करदाता उसकी ओर से स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) का क्रेडिट प्राप्त करता है? क्या उसे क्रेडिट प्राप्त करने के लिये कटौतीकर्ता से प्राप्त टीडीएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?

उत्तर: जी.एस.टी. के अंतर्गत, कटौतीकर्ता जी.एस.टी.आर.-7 प्रारूप में अपने रिटर्न में दर्शायी गई उन सभी कटौतियों के कटौतीवार विवरण प्रस्तुत करेगा जो उसे कटौती की तारीख के आगामी महीने की 10 तारीख को दाखिल करनी होगी। कटौतीकर्ता द्वारा कटौती के विवरण स्वचालित रूप से जी.एस.टी.आर.-2 में अपलोड हो जाएंगे। करदाता को जी.एस.टी.आर.-2 में उसकी ओर से की गई कटौती पर क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए इन विवरणों की पुष्टि करना आवश्यक होगा। इस क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए वह भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र केवल करदाता के रिकॉर्ड के लिए

रखा जाएगा और आम पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्र 16. किन सभी करदाताओं को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है?

उत्तर: आई.एस.टी., अस्थिर/अनिवासी करदाता, संयोजन योजना के अंतर्गत करदाता, टीडीएस/टी.सी.एस. कटौती करने वाले करदाताओं को छोड़कर सभी करदाता जो जी.एस.टी.आर.-1 से 3 में रिटर्न दाखिल करते हैं उन्हें वार्षिक रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। आकस्मिक करदाताओं, अनिवासी करदाताओं, आई.एस.डी. और स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

प्र 17. क्या एक वार्षिक रिटर्न और अंतिम रिटर्न एक ही है?

उत्तर: नहीं, वार्षिक रिटर्न प्रत्येक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति द्वारा दाखिल करना होगा जो सामान्य रूप में कर का भुगतान करता है या संयुक्त करदाता (*compounding taxpayer*). है अंतिम रिटर्न केवल उन पंजीकृत कराधीन व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाएगा जिन्होंने पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया है। इसे रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर दाखिल करना होगा।

प्र 18. यदि रिटर्न दाखिल कर दिया गया है, यदि कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है तब उस कैसे संशोधित किया जा सकता है?

उत्तर: जी.एस.टी. में चूंकि रिटर्न व्यक्तिगत लेन-देन के विवरणों में से बनाया जाता है, वहाँ संशोधित रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं है। रिटर्न संशोधित करने की जरूरत तभी उत्पन्न हो सकती है जब चालान/बिलों के समूह या डेबिट/क्रेडिट नोट में बदलाव करना आवश्यक है। पहले से ही प्रस्तुत किये रिटर्न को बदलने के बजाय, प्रणाली उन लेनदेन (चालान/बिलों या डेबिट/क्रेडिट नोट्स) के विवरणों में बदलाव करने की अनुमति देगी जिनमें संशोधन करना

आवश्यक है। पूर्व में घोषित विवरणों का संशोधन भविष्य में किसी भी जी.एस.टी.आर-1/2 में, संशोधन हेतु दिये गए विशेष कोष्ठकों (tables) में जानकारी भर कर किया जा सकता है।

प्र 19. करदाता कैसे अपने रिटर्न दाखिल कर सकते हैं?

उत्तर: करदाताओं के पास विवरणों और रिटर्न दाखिल करने के विभिन्न साधन उपलब्ध होंगे। सबसे पहले, वे अपने विवरण और रिटर्न सीधे आम पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, यह करदाताओं के लिये चालान/बिलों की ज्यादा संख्या के कारण जटिल और ज्यादा समय खर्च करने वाला हो सकता है। ऐसे करदाताओं के लिए, स्वचालित उपलब्ध (auto populated) विवरण डाउनलोड करने के बाद ऑफलाइन प्रयोग द्वारा विवरण तैयार करने के बाद उन्हें आम पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। जी.एस.टी.एन. ने जी.एस.टी. सुविधा प्रदाता (जीएसपी) का एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है जो आम पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा।

प्र 20. जी.एस.टी. के अंतर्गत परेशानी मुक्त अनुपालन के लिए करदाता को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

उत्तर: जी.एस.टी. के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक, अगले महीने की 10 तारीख तक जी.एस.टी.आर-1 में जावक आपूर्ति के विवरण को समय से अपलोड किया जाना है। यह कैसे सबसे अच्छा हो वह करदाता द्वारा जारी किये गए बी 2 बी चालानों की संख्या पर निर्भर करेगा। अगर यह संख्या कम है तो करदाता एक ही बार में सारी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। अगर इन चालानों की संख्या ज्यादा है तो चालान (या डेबिट, क्रेडिट नोट्स) एक नियमित आधार पर अपलोड किया जाना चाहिए। जी.एस.टी.एन एक वास्तविक समय के आधार पर (Real time basis) चालान को नियमित रूप से अपलोड की अनुमित देगा। जब तक कि बयान (स्टेटमेंट) वास्तविक रूप से जमा न हो जाए, यह प्रणाली करदाता को अपलोड किये गए चालान को संशोधित करने की अनुमति देगा। अतः करदाताओं द्वारा नियमित

रूप से चालान अपलोड करना हमेशा फायदेमंद होगा। आखिरी समय की भीड़ अपलोडिंग को मुश्किल कर सकती है और संभावित विफलता और डिफॉल्ट का खतरा उत्पन्न हो सकता है। दूसरी बात, आपूर्तिकर्ताओं के चालान को अपलोड करवाने को करदाताओं द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए। यह इनपुट टैक्स क्रेडिट की बिना किसी परेशानी और देरी से उपलब्धता सुनिश्चित करवाने में मददगार होगा। प्राप्तकर्ता भी नियत तारीख के निकट चालान अपलोड करने की बजाए अपने आपूर्तिकर्ताओं को नियमित आधार पर चालान अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह प्रणाली प्राप्तकर्ताओं को यह देखने की अनुमति भी देगा कि क्या आपूर्तिकर्ता ने उनसे संबद्ध चालान को अपलोड किया है या नहीं। जी.एस.टी.एन. प्रणाली किसी करदाता के अनुपालन के स्तर के बाने में ट्रैक रिकार्ड (Track Record) भी प्रदान करेगा खासकर आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने चालानों का समय पर अपलोड किए जाने का ट्रैक रिकार्ड (Track Record) जिसमें जारी चालानों में ऑटो रिवर्सल का विस्तृत विवरण हो। जी.एस.टी. के आम पोर्टल में एक ही जगह पर पूरे भारत के आंकड़े और डाटा उपलब्ध होंगे जो करदाता हेतु एक बहुमूल्य सेवा होगी। चालानों के नियमित अपलोड करने की व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु प्रयास चल रहे हैं और आशा की जाती है कि इस दिशा में एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो जाएगा। करदाताओं को जी.एस.टी. के दायरे में आसान और परेशानीमुक्त अनुपालन के लिए इस पारिस्थितिकी तंत्र का कुशल उपयोग करना चाहिए।

प्र 21. क्या करदाता द्वारा स्वयं रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है?

उत्तर: नहीं, एक पंजीकृत करदाता व्यक्ति अपने रिटर्न विधिवत केन्द्रीय या राज्य कर प्रशासन द्वारा स्वीकृत एक कर रिटर्न प्रिपेयरर (Tax Return Preparer) के माध्यम से भी दाखिल कर सकता है।

प्र 22. निर्धारित तिथि के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने के क्या दुष्परिणाम हैं?

उत्तर: एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति जो निर्धारित तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करता है उसे प्रति दिन सौ रूपये विलंब शुल्क देना होगा जो अधिकतम पांच हजार रूपये तक हो सकता है। निर्धारित तिथि तक वार्षिक रिटर्न उपलब्ध न करने पर रू 100/— का विलंब शुल्क प्रतिदिन तब तक वसूला जाएगा जब तक यह विलंब होता है, ऐसी दशा में कि गणना की गई अधिकतम राशि राज्य में उसकी कुल बिक्री के 0.25 प्रतिशत से ज्यादा न हो।

प्र 23 यदि किसी दस्तावेज के आधार पर आई.टी.सी. एक बार से अधिक लिया गया हो, तो क्या होगा?

उत्तर यदि सिस्टम एक ही दस्तावेज पर एक बार से अधिक लिए गए आई.टी.सी. की खोज करता है, तो ऐसे क्रेडिट की राशि को रिटर्न में प्राप्तकर्ता की उत्पाद कर दायित्व से जोड़ दिया जाएगा (धारा 42 (6))

प्र 24 जी.एस.टी.आर-1 एवं जी.एस.टी.आर-2 में बेमेल के कारण सिस्टम द्वारा खोजे गए क्रेडिट एवं उत्पाद कर की राशि के रूप में वसूली गई राशि पर पुनः दावा किया जा सकता है?

उत्तर हां, त्रुटि पाए जाने वाले माह/तिमाही का वैध रिटर्न में आपूर्तिकर्ता द्वारा, मामले के अनुसार, बीजक या डेबिट नोट के विवरण की घोषणा करके एक बार बेमेल में सुधार हो जाने पर उक्त राशि का पुनः दावा अगले कर अवधि हेतु उत्ताद कर दायित्व घटाकर किया जा सकता है, (धारा 42(7)) अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी क्रेडिट नोट के संबंध में भी ऐसे ही प्रावधान बनाए गए हैं।

आंकलन और लेखा-परीक्षण

13. आंकलन और लेखा-परीक्षण

प्र 1. अधिनियम के अंतर्गत देय करों का आंकलन करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है?

उत्तर: अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति एक कर अवधि के लिये स्वयं अपने देय कर का आंकलन करने के लिये जिम्मेदार होगा और इस तरह मूल्यांकन के बाद उसे धारा 39 के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करना आवश्यक होगा।

प्र 2. अस्थायी (प्रोविजनल) आधार पर एक कराधीन व्यक्ति कर का कब भुगतान कर सकता है?

उत्तर: चूंकि एक करदाता को अपने स्वयं मूल्यांकन आधार पर कर का भुगतान करना पड़ता है, अस्थायी आधार पर कर के भुगतान का अनुरोध करदाता से प्राप्त होना चाहिये जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, कोई भी कर अधिकारी स्वप्रेरणा से अस्थायी आधार पर कर भुगतान के आदेश नहीं दे सकता। यह सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 60 द्वारा संचालित है। अस्थायी आधार पर कर का भुगतान तभी किया जा सकता है जब सक्षम अधिकारी उसे एक आदेश के माध्यम से इसकी अनुमति दे देता है। इस उद्देश्य के लिए, कराधीन व्यक्ति को सक्षम अधिकारी को लिखित अनुरोध देना होगा, जिसमें वह अस्थायी आधार पर कर भुगतान करने का कारण बताएगा। कराधीन व्यक्ति द्वारा इस तरह के अनुरोध केवल ऐसे मामलों में किये जा सकते हैं जहां जहां वह निम्न निर्धारित करने में असमर्थ है:

- क) उसके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य, या
- ख) उसके द्वारा आपूर्ति किये जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के कर की दर।

ऐसे मामलों में कराधीन व्यक्ति को एक निर्धारित प्रपत्र में एक प्रतिज्ञापत्र निष्पादित करना होगा, और इस तरह की जमानत या सुरक्षा सहित जैसा उचित अधिकारी उचित समझता है।

प्र 3. वह आखिरी समय क्या होगा जिसमें अंतिम आंकलन किया जाना आवश्यक है ?

उत्तर: अंतिम आंकलन का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा अस्थायी आंकलन आदेश के सूचना की तारीख से छह महीने के भीतर पारित किया जाएगा। हालांकि, पर्याप्त कारण दिखाये जाने पर और उनके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, उपरोक्त छह महीने की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है:

क) संयुक्त/अपर आयुक्त द्वारा, आगे छह महीने आगे की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, और

ख) आयुक्त द्वारा, उस अवधि के लिये जैसी वह उचित समझता है, चार माह से अधिक नहीं।

अतः अस्थायी आंकलन अधिकतम पांच वर्ष तक अस्थायी रह सकता है।

प्र 4. जहां अंतिम आंकलन के अनुसार कर देयता का दायित्व अस्थायी आंकलन की तुलना में अधिक है, क्या कराधीन व्यक्ति ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा?

उत्तर: हाँ, वह मूल देय कर की तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

प्र 5. यदि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत दाखिल रिटर्न में किसी विसंगति पाए जाने के मामले में उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता तब ऐसी स्थिति में अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है?

उत्तर: यदि कराधीन व्यक्ति सूचित किए जाने के 30 दिनों के भीतर

(संबंधित अधिकारी द्वारा बढ़ाई जाने योग्य) संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता या विसंगतियों को स्वीकार करने के बाद भी उचित अवधि के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता, तब सक्षम अधिकारी निम्नलिखित में से किसी एक का आश्रय ले सकता है;

- (क) अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत लेखा-परीक्षण / ऑडिट आयोजित करने की कार्यवाही करेगा;
- (ख) धारा 66 के अंतर्गत एक विशेष लेखा-परीक्षा के आयोजन का निर्देश देगा जो कि इस उद्देश्य हेतु आयुक्त द्वारा मनोनित चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत लेखाकार द्वारा किया जाएगा, या
- (ग) अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत निरीक्षण, तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा; या
- (घ) अधिनियम की धारा 73 या 74 के अंतर्गत कर एवं अन्य बकाये की पुष्टि के लिए कार्यवाही को आगे बढ़ायेगा।

प्र 6. अगर एक कराधीन व्यक्ति कानून (धारा 39 के अंतर्गत मासिक / त्रैमासिक) या 45 (अंतिम रिटर्न) के अनुसार आवश्यक रिटर्न भरने में असफल होता है, तो कर अधिकारी के पास क्या उपाय है?

उत्तर: सक्षम अधिकारी को पहले सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत डिफॉल्टर कराधीन व्यक्ति को नोटिस जारी करना होगा, जिसमें उसे 15 दिनों की अवधि के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। अगर कराधीन व्यक्ति निर्दिष्ट समय के भीतर रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी रिटर्न डिफॉल्टर के कर दायित्व का मूल्यांकन उसके सर्वोत्तम निर्णय के साथ करने लिए आगे बढ़ेगा, जो उसके साथ उपलब्ध सभी संबंधित दस्तावेज को ध्यान में रखते हैं। (धारा 62)

प्र 7 किस परिस्थिति में धारा 60 के अंतर्गत जारी किए गए सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन आदेश वापस लिए जा सकते हैं?

उत्तर सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ निर्णय आदेश, स्वतः वापस माना जाएगा यदि कराधीन व्यक्ति डिफॉल्ट अवधि कि लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय जारी प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर वैध रिटर्न दायर करता है(यानि रिटर्न फाइल करता है और उसके उसके द्वारा आकलित कर जमा करता है)।

प्र 8 धारा 62 (सर्वश्रेष्ठ निर्णय) और धारा 63 (नॉन फाइलर) के अंतर्गत आंकलन आदेश जारी करने की समय सीमा क्या?

उत्तर: धारा 62 या धारा 63 के अंतर्गत एक आंकलन आदेश पारित करने की समय सीमा वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियम तारीख से पांच वर्ष है।

प्र 9. एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में कानूनी आधार क्या है जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है लेकिन पंजीकरण प्राप्त करने में असफल रहा है।

उत्तर सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 63 में यह प्रावधान है कि ऐसे मामले में, समक्ष अधिकारी कर दायित्व का आंकलन कर सकते हैं और संबंधित कर अवधि के लिए आपने सर्वश्रेष्ठ निर्णय के लिए आदेश दे सकते हैं। हालांकि, वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर इस तरह का आदेश पारित किया जाना चाहिए, जिसमें कर का भुगतान न करें।

प्र 10. किन परिस्थितियों में कर अधिकारी सारांश आंकलन आरंभ कर सकते हैं?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 64 के अनुसार,

सारांश आंकलन राजस्व हितों की सुरक्षा के लिए तब शुरू किया जा सकता है जब:

- क) सक्षम अधिकारी के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं कि एक कराधीन व्यक्ति ने अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए दायित्व वहन किया है, और
- ख) सक्षम अधिकारी ऐसा मानता है कि आंकलन आदेश पारित करने में देरी करने से राजस्व हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस तरह के आदेश अपर/संयुक्त आयुक्त से अनुमति प्राप्त करने के बाद पारित किया जा सकता है।

प्र 11. अपीलीय उपाय के अतिरिक्त, क्या किसी अन्य आंकलन के लिए करदाता के लिए एक सारांश आंकलन के मुताबिक उपलब्ध है?

उत्तर एक कराधीन व्यक्ति जिसके विरुद्ध सारांश आंकलन आदेश पारित किया गया है, आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अधिकार क्षेत्र के अपर/संयुक्त आयुक्त से उसकी वापसी का आवेदन कर सकता है। यदि उक्त अधिकारी को आदेश गलत लगता है, तो वह इससे वापस ले सकता है और सक्षम अधिकारी को सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या 74 के अंतर्गत कर दायित्व के निर्धारण के लिए निर्देशित कर सकता है। यदि अपर/संयुक्त आयुक्त त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन सारांश आदेश (सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 64) पाता है, तो अपने अनुसार सामान प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं।

प्र 12 क्या कराधीन व्यक्ति के विरुद्ध सारांश आंकलन आदेश जरूरी है?

उत्तर नहीं, कुछ मामलों में, जब माल परिवहन के अंतर्गत होते

है या गोदाम में जमा होते हैं, और ऐसे सामानों के संबंध में कराधनीन व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है, ऐसे सामानों के प्रभारी व्यक्ति को कराधनीन व्यक्ति माना जाएगा और इसका आंकलन (सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 64 के लिए प्रावधान) किया जाएगा।

प्र 13. करदाताओं की लेखा-परीक्षण कौन कर सकते हैं?

उत्तर जीएसटी अधिनियम में निम्नलिखित तीन प्रकार से लेखा-परीक्षण किया जा सकता है।

(क) चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत एकाउंटेंट: द्वारा लेखा परीक्षण प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसका कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक है, उसके खातों को चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षण में प्राप्त किया जा सकता जाएगा। (सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 35(5))

(ख) विभाग द्वारा लेखा परीक्षण: आयुक्त या सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा उनके द्वारा प्राधिकृत सीजीएसटी या एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का कोई अधिकारी के किसी भी पंजीकृत व्यक्ति के लेखा परीक्षण का आयोजन कर सकते हैं। लेखा परीक्षा की आवृत्ति और तरीके नियत अवधि में निर्धारित की जायेगी। (सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 65)

(ग) विशेष लेखा परीक्षा: यदि, संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, यदि विभाग का मानना है कि मूल्य सही ढंग से घोषित नहीं किया गया है या लाभ उठाया गया क्रेडिट सामान्य सीमा में नहीं है तो विभाग विशेष लेखा परीक्षण का आदेश दे सकता है जो कि चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार जिनको विभाग द्वारा नामांकित किया गया है, द्वारा किया जाएगा।

(सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 66)

प्र 14. क्या लेखा-परीक्षण आयोजित करने से पहले कोई पूर्व सूचना आवश्यक है?

उत्तर: हाँ, पूर्व सूचना आवश्यक है और कराधीन व्यक्ति को लेखा-परीक्षण के संचालन करने से कम से कम 15 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए।

प्र 15. कितनी अवधि के भीतर लेखा-परीक्षण पूरा किया जाता है?

उत्तर: लेखा-परीक्षण प्रारंभ होने की तारीख से 3 महीने या आयुक्त के अनुमोदन के अधीन अधिकतम 6 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है।

प्र 16. लेखा-परीक्षण शुरू करने का क्या मतलब है?

उत्तर: शब्द 'लेखा-परीक्षण का प्रारंभ' महत्वपूर्ण है क्योंकि लेखा-परीक्षण प्रारंभ होने की तारीख के संदर्भ में एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना है। लेखा-परीक्षण के प्रारंभ का अर्थ आगे निम्न में से एक है:

- क) जिस तारीख को लेखा-परीक्षण अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड/खातों के लेखा-परीक्षण के लिये मांग करने पर उन्हें उपलब्ध कराया जाता है, या
- ख) करदाता के व्यापारिक स्थान लेखा-परीक्षण की वास्तविक शुरुआत/स्थापना।

प्र 17. जब एक कराधीन व्यक्ति लेखा-परीक्षण के नोटिस प्राप्त करता है तब उसके क्या दायित्व हैं?

उत्तर: कराधीन व्यक्ति के लिए निम्न आवश्यक हैं:

- क) उपलब्ध खातों/रिकार्डों या अधिकारी द्वारा मांगे गए

खाते/रिकार्डों के सत्यापन की सुविधा प्रदान करना।

ख) लेखा-परीक्षण के संचालन के लिए आवश्यक ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने, और

ग) समय पर लेखा-परीक्षण पूरा करने के लिए सहायता प्रदान।

प्र 18. लेखा-परीक्षण के समापन पर सक्षम अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी ?

उत्तर: सक्षम अधिकारी अधिकतम तीस दिनों के भीतर लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों के संबंध में अपने निष्कर्षों, निष्कर्षों के कारणों और कराधिन व्यक्त के अधिकारों और दायित्वों के बारे में सूचित करेंगे।

प्र 19. किन परिस्थितियों के अंतर्गत एक विशेष लेखा-परीक्षण स्थापित किया जा सकता है?

उत्तर: कुछ सीमित परिस्थितियों में ही विशेष लेखा-परीक्षण स्थापित किया जा सकता है जहां छानबीन, जांच, आदि के दौरान, यह पता लगता है कि मामला जटिल है या राजस्व का जोखिम/हिस्सा बहुत अधिक है। यह शक्ति सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 66 में दी गई है।

प्र 20. विशेष लेखा-परीक्षण के लिए कौन नोटिस दे सकता है?

उत्तर: विशेष लेखा-परीक्षण के लिए सहायक/उपायुक्त केवल आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बाद नोटिस दे सकता है।

प्र 21. विशेष लेखा-परीक्षण कौन करेगा?

उत्तर: आयुक्त द्वारा नामित चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत लेखाकार लेखा-परीक्षण शुरू कर सकते हैं।

प्र 22. लेखा-परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए क्या समय सीमा

है?

उत्तर: लेखा परीक्षक को 90 दिनों के भीतर या 90 दिनों के लिये आगे विस्तारित अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

प्र 23. विशेष लेखा-परीक्षण की लागत कौन वहन करेगा?

उत्तर: लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक सहित परीक्षण और लेखा-परीक्षण के खर्च को आयुक्त द्वारा निर्धारित और वहन किया जाएगा।

प्र 24. विशेष लेखा-परीक्षण करने के बाद कर प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जा सकती है?

उत्तर: निष्कर्षों/विशेष लेखा-परीक्षण की टिप्पणियों के आधार पर, सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या 74 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

प्रतिदाय / रिफंड

14. प्रतिदाय / रिफंड

प्र 1. प्रतिदाय / रिफंड क्या है?

उत्तर: प्रतिदाय रिफंड के बारे में सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 54 में चर्चा की गई है। “ प्रतिदाय / रिफंड ” के अंतर्गत शामिल हैं—

- (क) इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता बही में बची हुई राशि जिसका विवरण रिटर्न में भी दिया गया हो।
- (ख) कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उपयोग ना किया जा सका हो निम्नलिखित के संबंध में—(i) शून्य दर पर ही गई आपूर्तियाँ जिन पर कर का भुगतान किया गया हो अथवा— (ii) उन मामलों में जहाँ पर क्रेडिट इकट्ठा हो गया है क्योंकि आदानों, (इनपुट की दर के कारण संचित किया गया क्रेडिट आउटपुट आपति पर लगा करों की दर से अधिक है निल दर व पूर्णतया: छूट प्राप्त आपूर्ति को छोड़कर)
- (ग) जहाँ कर का भुगतान विशिष्ट संस्था अथवा संयुक्त राष्ट्र या किसी अनेक शाखाओं वाले वित्तीय संस्थान या संगठन जिसको संयुक्त राष्ट्र (प्रिवलेज एंड इम्यूनिटिज़) एक्ट, 1947 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है या वाणिज्य दूतावासो व विदेशी दूतावासों की आवक आपूर्ति, पर किया गया हो।

प्र 2. क्या अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रतिदाय / रिफंड की अनुमति दी जा सकती है?

उत्तर: अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रतिदाय / रिफंड की अनुमति धारा-54 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों में दी जा सकती है।

- (i) शून्य दर पर की गई आपूर्तियाँ जिन पर कर का भुगतान ना किया गया हो,

- (ii) उन मामलों में जहाँ पर क्रेडिट इक्वटा हो गया है। क्योंकि आदानों/इनपुट की दर के कारण संचित किया गया क्रेडिट आउटपुट आपूर्ति पर लगने वाले करों की दर से अधिक है (निल दर व पूर्णतया: छूट प्राप्त आपूर्ति को छोड़कर)

यद्यपि उन मामलों में उपर्युक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिदाय/रिफंड नहीं लिया जा सकेगा जहाँ भारत के बाहर वस्तुओं का निर्यात शुल्क के अधीन है व उन मामलों में जहाँ वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता सेवाओं के आपूर्तिकर्ता अथवा दोनो के आपूर्तिकर्ता ने सेंट्रल टैक्स की धन वापसी का लाभ लिया हो या संबंधित आपूर्ति पर किए गए संपूर्ण एकीकृत कर भुगतान का प्रतिदान/रिफंड लिया हों।

प्र 3. क्या अप्रयुक्त आई.टी.सी. पर प्रतिदाय/रिफंड दिया जा सकता है, उन मामलों में जहाँ भारत के बाहर वस्तुओं के निर्यात निर्यात शुल्क के अधीन हैं?

उत्तर: नहीं। सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 54(3) के दूसरे प्रावधान अनुसार उन मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रतिदाय/रिफंड की अनुमति नहीं दी जा सकती जहाँ भारत के बाहर वस्तुओं का निर्यात शुल्क अधीन है।

प्र.4: क्या वित्त वर्ष के अंत में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिदाय/रिफंड (जीएसटी लागू होने के बाद) मिलेगा।

उत्तर. नहीं जीएसटी कानून के अंतर्गत इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि वित्त वर्ष के अंत में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिदाय/रिफंड मिलेगा। इसे अगले वित्त वर्ष ले जाया जा सकता है।

प्र 5. मान लीजिए कि एक कराधीन व्यक्ति ने गलती से आईजी.एस. टी./सी.जी.एस.टी. को अंतर-राज्य/राज्य के भीतर की आपूर्ति के रूप में भुगतान किया है, लेकिन उसकी प्रकृति को बाद में स्पष्ट कर

दिया है। क्या गलत तरीके से भुगतान किये सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. को आई.जी.एस.टी. के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है या उसके विपरीत?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम धारा-77 के अंतर्गत कराधीन व्यक्ति गलत तरीके से भुगतान किये गए जी.एस.टी/सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. को सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. के विरुद्ध समायोजित नहीं कर सकता है परन्तु व गलती से भुगतान किए गए कर का प्रतिदाय/रिफंड से सकता है।

प्र 6. क्या दूतावासों या संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई खरीदारी पर कर लगेगा या छूट दी जा सकती है?

उत्तर: दुतावासों या संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई खरीद पर कर लगेगा जिसका की सी जी एस टी अधिनियम की धारा 54 (2) के तहत बाद में प्रतिदाय/रिफंड दावा प्रस्तुत किया जा सकता हैं। इस संबंध में प्रतिदाय रिफंड का दावा सी जी एस टी/एस जी एस टी प्रतिदाय नियमों के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार जिस महीने आपूर्ति प्राप्त हुई उस महीने की आखरी तारीख से छः माह की अवधि समाप्त होने से पहले किया जा सकता है (सी जी एस टी/एस जी एस टी अधिनियम की धारा 26(1) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ और वाणिज्य दूतावास या दूतावासों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करना आवश्यक है और उनके द्वारा की गई खरीद उनकी विशिष्ट पहचान संख्या उनके आपूर्तिकर्ताओं की जावक आपूर्ति में परिलक्षित होगी।)

प्र 7. प्रतिदाय/रिफंड प्राप्त करने की समय सीमा क्या है?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 54 के स्पष्टीकरण स्वरूप यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित व्यक्ति को प्रासंगिक तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के भीतर आवेदन दाखिल करना आवश्यक हैं।

प्र 8. क्या न्यायविरुद्ध संवर्धन का सिद्धांत प्रतिदाय/रिफंड पर लागू होगा?

उत्तर: न्यायविरुद्ध संवर्धन का सिद्धांत प्रतिदाय/रिफंड के निम्नलिखित मामलों को छोड़कर सभी पर लागू होगा –

- (i) बिना कर के भुगतान के शून्य दर पर की गई वस्तुओं, सेवाओं या दोनो या इन शून्य दर पर की गई आपूर्ति के संबंध में प्रयोग कि जाने वाली इनपुट सर्विस या इनपुट्स पर।
- (ii) अनुपयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि निम्न के संबंध में है
 - (i) बिना कर का भुगतान किये शून्य दर पर की गई आपूर्तियाँ
 - (ii) उन मामलों में जहाँ पर क्रेडिट इकट्ठा हो गया है क्योंकि आदानों/इनपुट की दर के कारण संचित किया गया क्रेडिट आउटपुट आपूर्ति पर लगने वाले करों की दर से अधिक है।
- (iii) उस आपूर्ति पर कर भुगतान का प्रतिदाय/रिफंड जो प्रदान ही नहीं की गई चाहे पुर्ण अथवा आंशिक रूप में, और जिसके संबंध में कोई भी बिल जारी न किया गया हो।
- (iv) कर का प्रतिदाय/रिफंड जबकि सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 77 के तहत कर गलती से कर वसूल कर राज्य या केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करा दिया गया हो।
- (v) यदि भुगतान किए गए कर या ब्याज को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया हैं।
- (vi) सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कर का भार स्वयं भुगता हो।

प्र 9. किसी मामले में यदि कर उपभोक्ता को पारित कर दिया गया है, क्या प्रतिदाय/रिफंड स्वीकृत हो जाएगा?

उत्तर: हाँ, हालांकि, निर्धारित राशि उपभोक्ता के कल्याण कोष में

जमा की जाएगी— सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 57।

प्र 10. क्या प्रतिदाय/रिफंड स्वीकृत करने की कोई समय सीमा है?

उत्तर: हाँ, सभी प्रतिदाय/रिफंड आवेदन के प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर स्वीकृत करना आवश्यक है, यदि रिफंड 60 दिन के भीतर नहीं किया जाता, तो सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत अधिसूचित दर से ब्याज का भुगतान होगा। कुछ शून्य दर की आपूर्ति की श्रेणियों में जहां पर पंजीकृत व्यक्ति सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी अधिनियम धारा 54 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट किया गया है, उन मामलों में प्रतिदाय/रिफंड का दावा 90 प्रतिशत की हद तक लौटाने योग्य है। इन मामलों में प्रतिदाय/रिफंड आवेदन के प्राप्त होने की तारीख के 07 दिन के भीतर रिफंड देना है।

प्र 11. क्या प्रतिदाय/रिफंड पर विभाग द्वारा रोक लगाई जा सकती है?

उत्तर: हां, पर निम्न परिस्थितियों में रोक लगाई जा सकती हैं।

- यदि पंजीकृत विक्रेता द्वारा रिटर्न (नें) प्रस्तुत नहीं की गई है, जब तक वह उक्त रिटर्न (नें) दाखिल नहीं कर देता।
- यदि एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति को कोई कर, ब्याज या जुर्माने का भुगतान करना अनिवार्य है जिसे अपीलीय प्राधिकारी/ट्रिब्यूनल/अदालत द्वारा स्थगित नहीं किया गया है, जब तक वह इस तरह के कर, ब्याज या जुर्माने का भुगतान नहीं कर देता सक्षम अधिकारी बकाया करों को, ब्याज, जुर्माने, देरी से भुगतान इत्यादि रिफंड की राशि से सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 54(11) के अंतर्गत घटा सकता है।

- आयुक्त प्रतिदाय/रिफंड पर रोक लगा सकता है, यदि प्रतिदाय/रिफंड अपील के आदेश के अधीन है, जालसाजी और धोखाधड़ी करके दावा प्रस्तुत किया गया है और उसकी राय में इस तरह की प्रतिदाय/रिफंड का भुगतान राजस्व पर प्रभाव डालेगा।

प्र 12. जहाँ प्रतिदाय/रिफंड पर धारा 54(11) के अंतर्गत रोक लगाई गई है, क्या कराधीन व्यक्ति को ब्याज दिया जाएगा?

उत्तर: यदि अपील के परिणामस्वरूप या आगे की कार्यवाही पर कराधीन व्यक्ति प्रतिदाय/रिफंड के लिए हकदार हो जाता है, तब वह अधिसूचित दरों पर ब्याज पाने का भी हकदार होगा। (सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 54(12))।

प्र 13. क्या प्रतिदाय/रिफंड के लिए कोई न्यूनतम सीमा है?

उत्तर: यदि प्रतिदाय रिफंड की राशि 1000/ रु. से कम है तो प्रतिदाय/रिफंड प्रदान नहीं किया जाएगा। सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 54(14)

प्र 14. पुराने कानून से उत्पन्न प्रतिदाय/रिफंड का भुगतान कैसे किया जाएगा?

उत्तर: पुराने कानून से उत्पन्न प्रतिदाय/रिफंड का भुगतान पुराने कानून के अनुसार किया जाएगा और नकद रूप में भुगतान किया जाएगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध देय नहीं होगा।

प्र 15. क्या प्रतिदाय/रिफंड का भुगतान दस्तावेजों के सत्यापन से पहले किया जा सकता है?

उत्तर: उन मामलों में जहाँ प्रतिदाय/रिफंड का दावा एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, शून्य दरों पर की गई वस्तुओं, सेवाओं की आपुतिर्यो अथवा दोनों मामलों में (पंजीकृत व्यक्ति के अलावा यदि कोई और

व्यक्ति अधिसूचित किया गया हो) 90 प्रतिशत प्रतिदाय/रिफंड की स्वीकृती, अस्थायी तौर पर सत्यापन से पहले कुछ विशेष शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा - 54 की उप-धारा 6 के अनुसार किया जा सकता है।

प्र 16. निर्यात के अंतर्गत प्रतिदाय/रिफंड के मामले में, क्या प्रतिदाय/रिफंड प्रदत्त करने के लिये बी.आर.सी. अनिवार्य है?

उत्तर: वस्तुओं के निर्यात के संबंध में प्रतिदाय/रिफंड के मामलों में, प्रतिदाय/रिफंड नियमों में प्रतिदाय/रिफंड दावा प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के रूप में जमा करने की बी.आर.सी. कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि सेवाओं के निर्यात के लिए प्रतिदाय/रिफंड दावा प्रस्तुत किए जाने के समय बी.आर.सी. का विवरण देना वांछनीय है।

प्र 17. क्या न्यायविरुद्ध संवर्धन का सिद्धांत निर्यात एवं एसईजेड इकाईयों को आपूर्तियों पर लागू होंगे ?

उत्तर: न्यायविरुद्ध संवर्धन का सिद्धांत शून्य दर वाली आपूर्तियों पर लागू नहीं होंगे (जैसे निर्यात एवं एसईजेड इकाईयों को आपूर्ति।

प्र 18. एक व्यक्ति यह कैसे साबित करेगा कि न्यायविरुद्ध संवर्धन के सिद्धांत उसके मामले में लागू नहीं होते हैं?

उत्तर: उन मामलों में जहाँ प्रतिदाय/रिफंड दावा दो लाख रुपये (2 लाख) से कम है वहां आवेदक आत्म-घोषणा जो कि दस्तावेजों और अन्य सबूतों जो प्रतिदाय/रिफंड दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पास है, के आधार पर यह सत्यापित करेगा कि जिस कर के प्रतिदाय/रिफंड के संबंध में दावा किया है उसके द्वारा उस कर को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है। परन्तु उन मामलों में जहाँ प्रतिदाय/रिफंड दावे की राशि दो लाख रुपये (रुपये 2 लाख) से अधिक है उन मामलों में चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि जिस

कर के प्रतिदाय/रिफंड के संबंध में दावा किया गया है उस कर को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है।

प्र 19. मौजूदा समय में वैट/सी.एस.टी. व्यापार के अंतर्गत निर्यातक घोषणा पत्र प्रस्तुत कर बिना कर के भुगतान किये वस्तुएं खरीद सकते हैं। क्या जी.एस.टी. में भी यह प्रणाली अस्तित्व में रहेगी?

उत्तर: नहीं, जी एस टी कानून के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है उन्हें कर का भुगतान करने के बाद वस्तुएं खरीदनी होंगी और अनुप्रयुक्त आई. टी. सी. का प्रतिदाय/रिफंड दावा करना होगा जैसा कि सी जी एस टी/ एस जी एस टी अधिनियम की धारा 54 (3) में चर्चा की गई है।

प्र 20. केंद्रीय कानून के अंतर्गत वर्तमान में, निर्यातकों को शुल्क के भुगतान पर इनपुट/आदानों प्राप्त करने की अनुमति है, उस पर आई.टी.सी. ले सकते हैं और शुल्क का भुगतान करने के बाद वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं (आई.टी.सी. का उपयोग करने के बाद) और तत्पश्चात निर्यात पर भुगतान शुल्क का प्रतिदाय/रिफंड का दावा कर सकते हैं। क्या जी.एस.टी. में भी यह प्रणाली जारी रहेगी?

उत्तर: हाँ, आई जी एस टी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति के पास इस बात का विकल्प है कि वो चाहे तो वस्तुओं/सेवाओं का निर्यात आइ जी एस टी के भुगतान के बिना बांड या लैटर ऑफ अंडरटेकिंग की प्रक्रिया को अपनाते हुए या वह वस्तुओं/सेवाओं का निर्यात आई जी एस टी के भुगतान पर कर सकता है तथा जिसका की बाद में प्रतिदाय/रिफंड दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्र 21. कितने समय के अन्दर प्रतिदाय/रिफंड दावा प्राप्ति की सूचना देनी है?

उत्तर— जहाँ प्रतिदाय/रिफंड दावों से संबंधित प्रार्थना पत्र इलैक्ट्रॉनिक कैश लेजर के संबंध में सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी

अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (6) के तहत है। संबंधित कर अवधि की रिटर्न जमा करने पर प्रतिदाय/रिफंड दावा प्राप्ति सूचना, रिटर्न के जमा होने के साथ ही दे दी जाएगी। बाकी दूसरे मामलों में प्रतिदाय/रिफंड दावा संपूर्ण रूप से प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर सूचना प्रतिदाय/रिफंड दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दे दी जाएगी।

प्र 22. अस्थायी प्रतिदाय/रिफंड के भुगतान के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई?

उत्तर.22- सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस. की धारा 54 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिदाय/रिफंड दावा राशि का 90% (90 प्रतिशत) तक अस्थायी भुगतान, जहां दावा शून्य दर पर की गई आपूर्ति से संबंधित है, प्रतिदाय/रिफंड दावा, संपूर्ण रूप से प्राप्ति की सूचना प्रदान करने की तारीख से सात दिनों के अंदर करना होगा।

प्र 23. क्या प्रतिदाय/रिफंड दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रारूप निर्दिष्ट किया गया है?

उत्तर सभी प्रतिदाय/रिफंड दावा फार्म जीएसटी-आरएफडी-1 में भरना होगा। परन्तु प्रतिदाय/रिफंड दावा, इलैक्ट्रॉनिक नकद लैजर में बकाया राशि के संबंध में, मासिक/तिमाही रिटर्न के द्वारा फार्म जीएसटीआर-3, जीएसटीआर 4 या जीएसटीआर-7, मामलों के अनुसार संबंधित अवधि के लिए किया जा सकता है।

प्र 24. क्या प्रतिदाय/रिफंड दावा स्वीकृत करने के लिए कोई प्रारूप निर्दिष्ट किया गया है?

उत्तर प्रतिदाय/रिफंड दावा सक्षम अधिकारी द्वारा फार्म जीएसटी-आरएफडी-06 के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा यदि प्रतिदाय/रिफंड दावा भुगतान योग्य पाया जाता है साथ ही "पेमेंट एडवाइस" भी फार्म जीएसटी- आरएफडी-05 में जारी की जाएगी।

प्रतिदाय/रिफंड दावा राशि इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रार्थी द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

प्र 25. क्या होगा यदि प्रतिदाय/रिफंड दावे में कोई त्रुटि पाई जाती है।

उत्तर यदि कोई भी त्रुटि, प्रतिदाय/रिफंड दावे के सम्बंध में पाई जाती है तो उसे 15 दिनों के अंदर चिन्हित करना होगा। एक फार्म जीएसटी आर.एफ.डी.-03 भी त्रुटि के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रार्थी को उसी कॉमन पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में दी जाएगी जिससे कॉमन पोर्टल पर प्रार्थी प्रतिदाय/रिफंड दावा त्रुटि निवारण पश्चात जमा कर सकेगा।

प्र 26. क्या प्रतिदाय/रिफंड दावा बिना किसी कारण बताए खारिज किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, जब सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है तब वह प्रार्थी को फार्म जीएसटी-आरएफडी-08 में एक नोटिस जारी कर उसका जवाब जीएसटी-आरएफडी-09 में 15 दिनों के अंदर जमा करने के लिए कहेगा व प्रार्थी के जवाब को ध्यान में रखते हुए प्रतिदाय/रिफंड दावा को स्वीकृत या खारिज करेगा साथ ही इस संबंध में जीएसटी-आरएफडी-06 फार्म में एक आदेश पारित करेगा।

मांग और वसूली

15. मांग और वसूली

प्र 1. कम भुगतान या भुगतान नहीं करने या गलती से राशि वापस लौटाने या गलत तरीके से इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाने या प्रयोग करने पर कर की वसूली के प्रयोजन के लिए क्या धारा लागू होती है?

उत्तर: धारा 73 उन मामलों में जहां धोखाधड़ी/दमन/झूठे बयान आदि नहीं हैं और धारा 74 जहां धोखाधड़ी/दमन/झूठे बयान आदि तत्व पाए जाते हैं।

प्र 2 धारा 73 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी होने के पूर्व, यदि व्यक्ति जिस पर कर आरोप्य हैं, राशि का ब्याज सहित भुगतान कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा?

उत्तर. ऐसे मामलों में सभोचित अधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। { धारा 73 (6) }

प्र 3. यदि धारा 73 के अंतर्गत नोटिस जारी करने के बाद नोटिस प्राप्तकर्ता ब्याज सहित भुगतान कर देता है, क्या ऐसे मामले में न्यायिक निर्णय की आवश्यकता है?

उत्तर: जहां एक व्यक्ति जिसे धारा 73 की उप-धारा (8) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है, नोटिस जारी होने के 30 दिनों के भीतर ब्याज तथा कर का भुगतान कर देता है, उस पर कोई जुर्माना देय नहीं होगा और इस तरह के नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही पूरी हो गई हैं ऐसा मान लिया जाएगा।

प्र 4. कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रासंगिक तिथि क्या होगी?

उत्तर: (i) धारा 73 के मामले में (धोखाधड़ी/तथ्य छुपाना/जानबूझकर दिए गलत बयानों के मामलों को छोड़कर) प्रासंगिक तिथि वार्षिक

रिटर्न दायर करने की नियत तिथि से गिनी जाएगी, जिस वित्तीय वर्ष से माँग संबंधित हैं। कारण बताओं नोटिस को वार्षिक रिटर्न दायर करने के तीन वर्ष के भीतर अधिनिर्णित करना होगा। कारण बताओ नोटिस अधिनिर्णन की समय-सीमा से कम से कम तीन माह पूर्व जारी किया जाना आवश्यक है। { धारा 73(2एवं10) }

(ii) धारा 74 के मामलों में (धोखाधड़ी / तथ्य छुपाना / जानबूझकर दिए गए गलत बयान) प्रासंगिक तिथि वार्षिक रिटर्न दायर करने की नियत तिथि से गिनी जाएगी, जिस वित्तीय वर्ष से वह माँग से संबंधित है। कारण बताओ नोटिस को वार्षिक रिटर्न दायर करने के पाँच वर्ष के भीतर अधिनिर्णित करना होगा। कारण बताओ नोटिस अधिनिर्णित की समय-सीमा से कम से कम छः माह पूर्व जारी किया जाना आवश्यक है। { धारा 74(2एवं10) }

प्र 5. क्या मामलों को अधिनिर्णित करने की कोई समय-सीमा है।?

उत्तर. (i) (धारा 73 के मामले में (धोखाधड़ी / तथ्य छुपाना / जानबूझकर दिए गए गलत बयान के मामलों को छोड़कर) मामलों को अधिनिर्णित करने की समय-सीमा माँग से संबंधित वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिटर्न दायर करने की नियत तिथि से 3 वर्ष है। { धारा 73(10) }

(ii) धारा 74 के मामले में (धोखाधड़ी / तथ्य छुपाना / जानबुझकर दिए गए गलत बयान के मामले) अधिनिर्णित करने की समय-सीमा माँग से संबंधित वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिटर्न दायर करने की नियत से 5 वर्ष है। { धारा 74 (10) }

प्र.6. धाखाधड़ी / तथ्य छुपाना / जानबुझकर दिए गए गलत बयान के मामलों में कर-आरोपित किए गए किसी व्यक्ति को छूट-प्राप्त है जो, सूचना जारी होने से पूर्व माँग की राशि ब्याज सहित भुगतान कर देता है?

उत्तर: हाँ। कर—आरोपित व्यक्ति के पास स्वयं द्वारा निश्चित या यथोचित अधिकारी द्वारा निश्चित कुल कर का 15% कर की राशि ब्याज एवं दण्ड सहित भुगतान करने का विकल्प है, ओर ऐसे भुगतान पर, ऐसे भुगतान किए गए कर पर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। { धारा 74(6) }

प्र 7. यदि धारा 74 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाता है और नोटिस प्राप्तकर्ता भुगतान कर देता है, क्या इस मामले में किसी न्यायिक निर्णय की आवश्यकता है?

उत्तर: जहाँ करदाता धारा 74 की उप—धारा (1) के अन्तर्गत ब्याज सहित कर के 25% समान दण्ड का भुगतान करता है, ऐसे नोटिस को समाप्त मान लिया जाएगा { धारा 74(8) }

प्र 8. यदि कोई नोटिस को धारा 74 के अन्तर्गत कर की पुष्टि एवं दंड के साथ अधिनिर्णित किया गया है, तो क्या नोटिसी के पास कम दंड भुगतान करने का कोई विकल्प है?

उत्तर: हाँ। यदि कोई व्यक्ति आदेश द्वारा निश्चित कुल कर के 50% कर का ब्याज एवं दण्ड सहित भुगतान आदेश प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर कर देता है तब उक्त कर के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त समझी जाएगी। { धारा 74(11) }

प्र 9. ऐसे मामलों में क्या होगा जहाँ धारा 73 एवं 74 के अंतर्गत नोटिस जारी कर दिया गया है पर उक्त धाराओं के अंतर्गत अधिनिर्णयन की निर्धारित अवधि के दौरान आदेश नहीं जारी किए गए हैं?

उत्तर: धारा 75(10) उक्त धाराओं के अंतर्गत निर्धारित समय—सीमा में आदेश जारी न होने की स्थिति में अधिनिर्णयन कार्यवाही समाप्त समझे जाने की स्थिति उपलब्ध कराता है।

प्र 10. जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कर तो एकत्रित करता है लेकिन सरकारी खाते में जमा नहीं करता है तब उस स्थिति में क्या होता है ?

उत्तर: इस अधिनियम के अंतर्गत कर का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति से वसूला गया कर सरकार को भुगतान किया जाना आवश्यक है। ऐसी किसी राशि, जिसका भुगतान न किया गया हो, यथोचित अधिकारी ऐसी राशि एवं दण्ड के बराबर राशि की वसूली हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। { धारा 76 (1 एवं 2)}

प्र 11. किसी मामले में यदि कोई व्यक्ति धारा 76(1) के उल्लंघन में एकत्रित कर जमा नहीं करता, ऐसी स्थिति में उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है?

उत्तर: कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है, एवं ऐसा होने पर, ऐसे नोटिस के जारी होने की तिथि के एक वर्ष के भीतर नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के अनुसरण में आदेश पारित किया जाना चाहिए। { धारा 76 (2 से 6)}

प्र.12: धारा 76 के अन्तर्गत वसूले गए कर जिसका भुगतान सरकार को नहीं किया गया, के मामलों में नोटिस जारी करने की समय सीमा क्या है?

उत्तर: कोई समय—सीमा नहीं है। ऐसे मामले पर पाए जाने पर बिना किसी समय—सीमा के नोटिस जारी किया जा सकता है।

प्र 13. सक्षम अधिकारी के पास कर की वसूली के क्या तरीके उपलब्ध हैं?

उत्तर: यथोचित अधिकारी निम्नलिखित तरीके से देय राशि वसूल सकता :

क) ऐसे व्यक्ति को भुगतान किए जाने वाली राशि में से देय

राशि काटकर।

- ख) ऐसे व्यक्ति से संबंधित किसी माल को रोककर या विक्रय कर के वसूली।
- ग) किसी अन्य व्यक्ति से वसूली, जिससे राशि देय है या देय हो सकती है या ऐसे व्यक्ति से वसूली जिसने राशि रोककर रखी है या बाद में रख सकता है, जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार के खाते में जमा कराना है।
- घ) ऐसे व्यक्ति से संबंधित किसी भी चल या अचल संपत्ति की ज़ब्ती, जब तक कि भुगतान योग्य राशि का भुगतान न कर दिया जाए। यदि 30 दिनों के अंदर देय राशि का भुगतान नहीं किया गया तो, उक्त संपत्ति को बेचकर ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि से देय राशि एवं विक्री खर्च वसूला जाए।
- ङ) जिला के कलेक्टर द्वारा, जिसमें ऐसे व्यक्ति की कोई संपत्ति हो अथवा वह रहता हो या व्यापार करता हो, जैसी कि वह भूमि राजस्व का बकाया हो।
- च) यथोचित मजिस्ट्रेट को आवेदन कर के, जो बदले में राशि वसूलेगें, जैसे कि वह उनके द्वारा लगाया गया कार्ड दण्ड हो।
- छ) इस अधिनियम के अंतर्गत निष्पादित बाण्ड/इंस्ट्रुमेन्ट के प्रवर्तन द्वारा।
- ज) सीजीएसटी बकाया को एसजीएसटी बकाया एवं इस के प्रतिकूल वसूला जा सकता है। { धारा 79(1,2,3,4.) }

प्र 14. क्या बकाया कर का भुगतान किश्तों में किया जा सकता है?

उत्तर: ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, आयुक्त/मुख्य आयुक्त धारा 50 के अर्न्तगत निश्चित सीमाओं एवं शर्तों सहित ब्याज के भुगतान की दशा में भुगतान की समय-सीमा बढ़ा सकते हैं या अधिनियम के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी रिटर्न में स्वतः निर्धारित दायित्व के अनुसार देय राशि के भुगतान मासिक किश्तों में करने को दे सकते हैं, जो 24 से ज्यादा न हो। फिर भी, नियत तिथि को किसी भी एक किश्त के भुगतान में कमी/देरी होने की स्थिति में, उस तिथि को कुल बकाया राशि देय हो जाएगी एवं किसी नोटिस के बिना वसूल ली जाएगी। { धारा 80 },

प्र 15. ऐसे मामलों में क्या होता है जब अपील/संशोधन की कार्यवाही में कर की पुष्टि की गई मांग (कन्फर्म डिमांड) को बढ़ा दिया जाता है?

उत्तर: मांग का नोटिस केवल उस संबंध में किया जाना आवश्यक है जहां देय कर राशि में वृद्धि की जाती है। जहां तक कि राशि की पुष्टि अपील/संशोधन के निपटान से पहले ही हो गई है, तब कर वसूली की कार्यवाही उसी चरण से जारी हो सकती है जहां से कथित अपील/पुर्नविचार के निपटान करने से तुरन्त पहले हो चुकी थी। (धारा 84 (क))

प्र 16. यदि कोई व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है और उसके कुछ निश्चित कर दायित्व हैं और इस बीच वह अपने व्यापार को किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानान्तरित कर देता है, उसकी मौजूदा कर देयता के बारे में क्या होता है?

उत्तर: उस व्यक्ति द्वारा, जिसे व्यापार का अंतरण किया गया हो, संयुक्त एवं पृथक रूप से कर-आरोपित व्यक्ति से अंतरण के समय तक का कर, ब्याज एवं दण्ड देय होगा, भले ही ऐसा बकाया ऐसे अंतरण के पहले निश्चित कर लिए गए हों और भुगतान न किया गया हो या उसे बाद में निश्चित किया गया हो। { धारा 85 (1) }

प्र 17. जब एक कंपनी (कराधीन व्यक्ति) दिवालिया हो जाती/जाता है तब देय कर की राशि का क्या होता है?

उत्तर: जब कोई कंपनी परिसमाप्त हो गई हो, सभी नियुक्त परिसंपत्ति के प्राप्तकर्ता ("लिक्यूडेटर") को इस नियुक्ति की सूचना 30 दिनों के अंदर आयुक्त को देंगे। ऐसी सूचना के प्राप्ति पर आयुक्त लिक्यूडेटर को तीन माह के भीतर कर दायित्व/बकाया को वसूल करने के लिए उपयुक्त राशि अधिसूचित कर सकते हैं। { धारा 88 (1.2) }

प्र 18. कंपनी के निदेशकों (कर आरोपित व्यक्ति) के क्या दायित्व हैं?

उत्तर: जब कोई निजी कंपनी परिसमाप्त होती है और कोई कर या अन्य बकाया ऋणमुक्ति के पहले या बाद में निश्चित किया गया हो, जिसकी वसूली नहीं हो पाई हो, प्रत्येक व्यक्ति जो उस अवधि में कंपनी का निदेशक था जिसमें कर बकाया हुआ, संयुक्त अथवा पृथक रूप से बकाया कर के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा, जब तक कि वह आयुक्त को संतुष्ट न कर दे कि ऐसी वसूली न होने का कारण उसकी तरफ से कंपनी के कोई मामले के संबंध में कोई बड़ी उपेक्षा, गलतफहमी या कर्तव्यों के प्रति उल्लंघन नहीं हैं। { धारा 88(3),89 }

प्र 19. देय कर के भुगतान के लिए साझेदारी प्रतिष्ठान (कराधीन व्यक्ति) के भागीदारों के क्या दायित्व हैं?

उत्तर: किसी भी प्रतिष्ठान के साझेदार संयुक्त और पृथक रूप से किसी भी कर, ब्याज या जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रतिष्ठान/साझेदार साझेदारी अपने किसी भी साझेदार की सेवानिवृत्ति की सूचना आयुक्त को लिखित नोटिस के रूप में देंगे— इस सेवानिवृत्ति अवधि तक कर देयता, ब्याज या जुर्माने का

उत्तरदायित्व कथित साझेदार पर होगा, चाहे वह उस तारीख को निर्धारित किया गया है या उसके बाद। यदि सेवानिवृत्ति की तारीख के एक महीने के भीतर कोई सूचना नहीं दी गई, ऐसे साझेदार की देयता तारीख तब तक जारी रहेगी जब तक आयुक्त द्वारा कथित सूचना प्राप्त नहीं हो जाती। { धारा 90 }

प्र 20. एक कराधीन व्यक्ति की कर देयता का क्या होता है, जिसका व्यापार किसी अभिभावक/न्यासी या एक नाबालिग के एजेंट द्वारा किया जाता है?

उत्तर: जहाँ एक कराधीन व्यक्ति के संबंध में उसके व्यवसाय का संचालन किसी अभिभावक/न्यासी/अव्यस्क या अन्य विवश/अक्षम व्यक्ति के एजेंट द्वारा कथित अव्यस्क/अक्षम व्यक्ति के लाभ के लिए या उसकी ओर से एक किया जाता है, तब ऐसे कर, ब्याज या जुर्माना ऐसे अभिभावक/न्यासी/एजेंट पर लगाया जाता है और उनसे वसूल किया जाएगा। { धारा 91 }

प्र 21. जब एक कराधीन व्यक्ति की संपत्ति वार्ड न्यायालय के नियंत्रण में आ जाती है तब क्या होता है?

उत्तर: जब एक व्यवसाय के कराधीन स्वामी की संपत्ति जिसके संबंध में कर, ब्याज या जुर्माना देय हो वार्ड के न्यायालय/प्रशासक जनरल/सरकारी न्यासी/रिसीवर या प्रबंधक जिसे न्यायालय द्वारा किसी आदेश के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, तब ऐसे लगाये गये कर, ब्याज या जुर्माने को वार्ड के न्यायालय/प्रशासक जनरल/सरकारी न्यासी/रिसीवर या प्रबंधक से उस हद तक वसूल किया जाएगा जैसा कराधीन व्यक्ति पर निर्धारित किया और वसूल किया जाएगा। { धारा 92 }

जी.एस.टी. में अपील,
समीक्षा और संशोधन

16. जी.एस.टी. में अपील, समीक्षा और संशोधन

प्र 1. क्या कोई व्यक्ति जो किसी आदेश या उसके विरुद्ध पारित किये गये निर्णय से असंतुष्ट है उसे अपील करने का अधिकार प्राप्त है?

उत्तर: हाँ। कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी अधिनियम(मों) के किसी आदेश या पारित किये गये निर्णय द्वारा पीड़ित है उसे धारा 107 के अंतर्गत अपील करने का अधिकार है। ऐसा आदेश या निर्णय "न्यायिक निर्णय प्राधिकरण" द्वारा पारित किया जाना चाहिए।

हालांकि, कुछ निर्णयों या आदेशों (जैसे धारा 121 में प्रदान किये अनुसार) अपील करने योग्य नहीं हैं।

प्र 2. अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने की क्या समय सीमा है?

उत्तर: पीड़ित व्यक्ति के लिये, आदेश और निर्णय की सूचना मिलने की तिथि के 3 महीने के भीतर समय सीमा तय की गई है। विभाग (राजस्व) के लिये, 6 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके भीतर समीक्षा कार्यवाही पूरी की जानी होगी और अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की जाएगी।

प्र 3. क्या अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील दायर करने में देरी के लिये क्षमा करने की कोई शक्ति प्राप्त है?

उत्तर: हाँ। वह अपील का आवेदन दायर करने के लिये उसकी निर्धारित 3/6 (3+1/6+1), महीने की अवधि के अंत से एक महीने तक देरी को क्षमा कर सकता है, बशर्ते धारा 107(4) में किये प्रावधान के अनुसार "पर्याप्त कारण" निर्धारित किये जाने चाहिये।

प्र 4. क्या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास किसी अतिरिक्त आधार की अनुमति देने की शक्ति प्राप्त है जिसे अपील ज्ञापन में निर्दिष्ट नहीं किया गया है?

उत्तर: हाँ। उसके पास अतिरिक्त आधार के लिये अनुमति प्रदान करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि की गई चूक जानबूझकर या अनुचित नहीं थी।

प्र 5. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश किसे सूचित किया जाना चाहिये?

उत्तर: अपीलीय प्राधिकारी को सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी क्षेत्राधिकार के आयुक्त को एक प्रति के साथ अपीलकर्ता, प्रतिवादी और न्यायायिक प्राधिकरण को आदेश की प्रति संचारित करना आवश्यक होगा।

प्र 6. अपील प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक अपील के साथ अनिवार्य पूर्व जमा की राशि क्या होगी ?

उत्तर: कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और रद्द आदेश से उत्पन्न दंड की सारी रकम, जिसे अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है और दायर की अपील से संबंधित विवादास्पद कर की बाकी राशि के 10 प्रतिशत समतुल्य होगी।

प्र 7. क्या विभाग अपील प्राधिकरण को अधिक पूर्व जमा राशि के लिये आवेदन कर सकता है?

उत्तर: नहीं

प्र 8. शेष राशि वसूल करने की क्या प्रक्रिया होगी?

उत्तर: उपरोक्त के अनुसार पूर्व-जमा की रकम जमा करने पर, शेष राशि की वसूली लंबित मान ली जाएगी, धारा 107(7) की शर्तों के अनुसार।

प्र 9. क्या किसी अपील में अपील प्राधिकरण किसी मूल प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये शुल्क/जुर्माने/दंड को बढ़ा/प्रतिदाय/आईटीसी की रकम को कम कर सकता है?

उत्तर: अपील प्राधिकरण को किसी जब्ती के बदले फीस या दंड या जुर्माने में वृद्धि या प्रतिदाय या इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को कम करने के लिये आदेश पारित कर सशक्त किया गया है बशर्ते कि अपील करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित हानिकारक आदेश के विरुद्ध कारण बताओ प्रकटीकरण का उचित अवसर दिया गया है। (धारा 107(11) का दूसरा प्रावधान)।

जहां तक कि शुल्क बढ़ाने या अनुचित तरीके से आईटीसी प्राप्त करने का संबंध है, अपील प्राधिकरण केवल प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अपील करने वाले व्यक्ति को एक विशिष्ट एससीएन देने के बाद ऐसा कर सकता है और वह आदेश धारा 73 या धारा 74 के अंतर्गत उल्लिखित निर्धारित समय सीमा के भीतर पारित किया जाना चाहिए (धारा 107(11) का दूसरा प्रावधान)।

प्र 10. क्या अपील प्राधिकरण के पास किसी भी मामले को वापस न्यायिक प्राधिकरण के पास भेजने की शक्ति प्राप्त है?

उत्तर: नहीं। धारा 107(11) की विशिष्ट रूप से व्यक्त करती है कि अपील प्राधिकरण, कथित जांच पूरी करने के बाद जिस रूप में भी अनिवार्य हो सकता है, कथित आदेश पारित कर सकता है, जैसा भी वह न्यायसंगत और उचित समझता है, अपील के विरुद्ध निर्णय या आदेश को प्रमाणित, संशोधित या निरस्त कर सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में वह मामले को उस प्राधिकरण के पास वापस नहीं लौटायेगा जिसके द्वारा निर्णय या आदेश दिया है।

प्र 11. क्या सीजीएसटी/एसजीएसटी प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत उसके मातहत द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकते हैं?

उत्तर: अधिनियम की धारा 2(99) "पुनरीक्षण प्राधिकरण" को इस अधिनियम के अंतर्गत निर्णय या धारा 108 में निर्दिष्ट आदेशों में संशोधन करने के लिये एक नियुक्त या अधिकृत प्राधिकरण के रूप में परिभाषित करती है। अधिनियम की धारा 108 कथित "पुनरीक्षण प्राधिकरण" को उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा पारित किसी आदेश की मांग और निरीक्षण करने के लिये अधिकृत करती है और यदि किसी मामले में वह विचार करता है कि निचले प्राधिकरण द्वारा दिया गया आदेश गलत है जहां तक कि वह राजस्व के लिये नुकसानदेह है और अवैध या अनुचित है या कुछ सामग्री के तथ्यों को ध्यान में नहीं लिया गया है, बेशक वह कथित आदेश के जारी होने के समय पर उपलब्ध थे या नहीं या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अवलोकन के परिणामस्वरूप, वह, यदि आवश्यक हो, नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उचित अवसर प्रदान करने के बाद आदेश को संशोधित कर सकता है।

प्र 12. क्या "पुनरीक्षण प्राधिकरण" कथित संशोधन के लंबित रहने तक अपने सहायक द्वारा पारित किसी आदेश पर रोक लगा सकता है?

उत्तर: हाँ।

प्र 13. क्या अधीनस्थ द्वारा पारित किसी आदेश के संशोधन के लिये जीएसटी के अंतर्गत "पुनरीक्षण प्राधिकरण" की शक्तियों पर कोई रोकटोक है?

उत्तर: हाँ, "पुनरीक्षण प्राधिकरण" निम्न किसी भी आदेश में संशोधन नहीं करेगा यदि:

(क) आदेश धारा 107 या धारा 112 या धारा 117 या धारा 118 के अंतर्गत अपील के अधीन है; या

(ख) धारा 107(2) के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि अभी तक समाप्त

नहीं हुई है या निर्णय या आदेश पारित करने या भावी संशोधित आदेश के बाद तीन साल की अवधि समाप्त हो गई है।

(ग) धारा के अंतर्गत किसी भी प्रारंभिक चरण में संशोधन के लिये आदेश पहले से ही प्राप्त कर लिये गये हैं।

प्र 14. न्यायाधिकरण के पास अपील अस्वीकार करने के लिए कब शक्तियाँ उपलब्ध होंगी?

उत्तर: ऐसे मामलों में जहाँ अपील शामिल है –

- कर राशि या इनपुट कर क्रेडिट या
- कर में अंतर या इनपुट कर क्रेडिट में संलग्न अंतर या
- जुर्माना, फीस व पेन्ल्टी कथित आदेश के अंतर्गत/ कथित आदेश द्वारा निर्धारित जुर्माने की राशि रुपये 50,000/- से अधिक नहीं होगी, न्यायाधिकरण के पास कथित अपील स्वीकार करने के लिये अस्वीकार करने की स्वेच्छा है। (अधिनियम की धारा 112(2))

प्र 15. न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की क्या समय सीमा होनी चाहिये?

उत्तर: पीड़ित व्यक्ति को अपील के विरुद्ध आदेश की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करना होगा। विभाग को समीक्षा कार्यवाही पूरी करनी होगी और संशोधन के अंतर्गत आदेश के पारित होने की तिथि के 6 महीने के भीतर अपील दायर करनी होगी

प्र 16. क्या न्यायाधिकरण उसके समक्ष 3/6 महीने की अवधि के बाद अपील दायर करने पर माफी दे सकता है?

उत्तर: हाँ, न्यायाधिकरण के पास 3/6 महीने के बाद अतिरिक्त

तीन महीने की अवधि की देरी को माफ करने की शक्तियां प्राप्त हैं, बशर्ते अपीलकर्ता द्वारा कथित देरी करने के लिये प्रर्याप्त स्पष्टीकरण प्रकट किया गया है।

प्र 17. न्यायाधिकरण के समक्ष आपत्तियों के विरुद्ध ज्ञापन दायर (Memorandum of cross objections) करने की क्या समय सीमा है?

उत्तर: अपील की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर।

प्र 18. क्या प्रतिदाय/रिफंड की अग्रिम-जमा राशि पर ब्याज देय है?

उत्तर: हाँ, अधिनियम की धारा 115 के अनुसार, जहाँ अपीलकर्ता द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) या धारा 112 की उपधारा (8) के अंतर्गत जमा राशि को अपील प्राधिकारी या अपील न्यायाधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप वापस करना अनिवार्य है, जैसा भी मामला हो सकता है, धारा 56 के अंतर्गत उस पर ब्याज उस प्रतिदाय/रिफंड के संबंध में उसके भुगतान करने की तारीख तक देय होगा।

प्र 19. न्यायाधिकरण से प्राप्त आदेश पर अपील किस मंच को निहित है?

उत्तर: न्यायाधिकरण की राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में निहित होती है यदि उच्च न्यायालय इससे संतुष्ट हो जाता है कि कथित अपील में कानून की बड़ी प्राथमिकता शामिल है। (धारा 117(1))। हालांकि, यदि न्यायाधिकरण के राष्ट्रीय पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा पारित आदेश के मामले में उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी न कि उच्च न्यायालय में (अधिनियम की धारा 109(5)), यदि किसी मामले में कोई मुद्दे में आपूर्ति के स्थान का संबंध है तब केवल

न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ या क्षेत्रीय पीठ अपील पर निर्णय देगी।)

प्र 20. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की क्या समय सीमा है?

उत्तर: आदेश की प्राप्ति की तारीख से 180 दिन के भीतर, आदेश के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है। हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष पर्याप्त कारण प्रकट करने पर आगे देरी को माफ करने की शक्ति प्राप्त है।

अग्रिम न्यायिक निर्णय

17. अग्रिम न्यायिक निर्णय

प्र 1. अग्रिम न्यायिक निर्णय का क्या अर्थ है?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी कानून की धारा 95 एवं यूटीजीएसटी कानून की धारा 12 के अनुसार, अग्रिम न्यायिक निर्णय का अर्थ प्राधिकरण अथवा अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आवेदनकर्ता को उन मामलों में या उन प्रश्नों पर प्रदान किया जाने वाला निर्णय है जैसा कि सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 97(2) अथवा 100(1) में उल्लिखित है जोकि आवेदनकर्ता द्वारा की जा रही अथवा प्रस्तावित माल और/अथवा सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में है।

प्र 2. वे कौन से प्रश्न हैं जिनमें अग्रिम न्यायिक निर्णय की मांग की जा सकती है?

उत्तर: निम्नलिखित मामलों में अग्रिम न्यायिक निर्णय की मांग की जा सकती हैं:

- (क) अधिनियम के अंतर्गत किसी भी वस्तुओं या सेवाओं का वर्गीकरण;
- (ख) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी अधिसूचना जो कर की दर को प्रभावित करती है;
- (ग) मूल्य निर्धारण के प्रयोजनों के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं के अपनाये जाने वाले सिद्धांत;
- (घ) इनपुट कर क्रेडिट के भुगतान या माने गये भुगतान की स्वीकार्यता;
- (ङ) अधिनियम के अंतर्गत किसी भी वस्तुओं या सेवाओं पर कर भुगतान के दायित्व का निर्धारण;
- (च) क्या अधिनियम के अंतर्गत आवेदक का पंजीकृत होना आवश्यक है;

(छ) आवेदक द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में किया गया कोई विशिष्ट कार्य जिसका परिणाम किन्ही वस्तुओं या सेवाओं के रूप में हो अथवा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो, जो इस शब्द के दायरे में आते हों।

प्र 3. अग्रिम न्यायिक निर्णय के तंत्र का क्या उद्देश्य है?

उत्तर: कथित प्राधिकरण के गठन के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- i. आवेदक द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली गतिविधि के संबंध में अग्रिम कर देयता में निश्चितता प्रदान करना है;
- ii. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित (एफडीआई) करना;
- iii. मुकदमेबाजी में कमी;
- iv. पारदर्शिता और किफायत के साथ तत्काल न्यायिक निर्णय घोषित करना

प्र 4. जीएसटी के अंतर्गत अग्रिम न्यायिक निर्णयों (एएआर) के लिए प्राधिकरण की संरचना क्या होगी?

उत्तर: "अग्रिम न्यायिक निर्णय के लिए प्राधिकरण" (एएआर) में सीजीएसटी का एक और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का एक सदस्य शामिल होगा। उन्हें क्रमशः केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उनकी शैक्षिक योग्यताएं और नियुक्ति की शर्तें मॉडल जीएसटी नियमों में निर्धारित की जाएंगी। (धारा 95)।

प्र 5. क्या अग्रिम न्यायिक निर्णय (एएआर) मांग करने वाले व्यक्ति का पंजीकृत होना आवश्यक है?

उत्तर: नहीं, जीएसटी अधिनियम(मों) के अंतर्गत पंजीकृत अथवा पंजीकरण प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति आवेदनकर्ता हो सकता है (धारा 95 बी)।

प्र 6. अग्रिम न्यायिक निर्णय (एएआर) का आवेदन किस समय किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदनकर्ता अग्रिम न्यायिक निर्णय के लिए आवेदन लेनदेन (वस्तुओं अथवा सेवाओं की प्रस्तावित आपूर्ति) अथवा आपूर्ति के संबंध में, जोकि की जाने वाली है, से पहले भी कर सकता है। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि आवेदनकर्ता के मामले में उठाया गया प्रश्न लंबित न हो अथवा किसी कार्यवाही में निर्णीत न हुआ हो।

प्र 7. अग्रिम न्यायिक निर्णय प्राधिकरण को कितने समय में न्यायिक निर्णय सुनाना होगा।

उत्तर: सीजीएसटी/एससीजीएसटी अधिनियम की धारा 98 (6) के अनुसार प्राधिकरण को आवेदन प्राप्त होने की तिथि के 90 दिन के अंदर लिखित में न्यायिक निर्णय सुनाना होगा।

प्र 8. अग्रिम न्यायिक निर्णय (एएआर) के लिए अपीलीय प्राधिकरण क्या है।

उत्तर: अग्रिम न्यायिक निर्णय (एएआर) के लिए अपीलीय प्राधिकरण का गठन एसजीएसटी अथवा यूटीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत होगा एवं इस तरह का एएआर संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के संबंध में सीजीएसटी के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरण माना जाएगा। किसी भी अग्रिम न्यायिक निर्णय से असंतुष्ट आवेदक अथवा क्षेत्राधिकार अधिकारी अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर सकता है।

प्र 9. जीएसटी के अंतर्गत एएआर और एएआर को कैसे गठित किया जाएगा?

उत्तर: प्रत्येक राज्य के लिए एक एएआर और एएआर होगा।

प्र 10. अग्रिम न्यायिक निर्णय किन पर लागू होगा?

उत्तर: धारा 103 प्रदान करती है कि एएआर या एएएआर द्वारा सुनाई अग्रिम न्यायिक निर्णय केवल उस आवेदक पर, जिसने वह 97(2) से संदर्भित किसी भी मामले के संबंध में मांगी है, और आवेदक के कर प्राधिकरण क्षेत्राधिकारी पर बाध्य होगा। इसका स्पष्ट रूप से यह अर्थ है कि अग्रिम न्यायिक निर्णय राज्य में एक ही तरह के कराधीन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। यह केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने अग्रिम न्यायिक निर्णय के लिए आवेदन किया है।

प्र 11. क्या अग्रिम न्यायिक निर्णय को उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के फैसले की अग्रगामी मूल्य होगी?

उत्तर: नहीं, अग्रिम न्याय निर्णय केवल संदर्भित मामले के संबंध में बाध्यकारी होगा। इसका कोई अग्रगामी मूल्य नहीं होगा, यद्यपि, आवेदक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी इसका प्रेरक मूल्य होगा।

प्र 12. अग्रिम न्यायिक निर्णय को लागू करने की क्या समय अवधि है?

उत्तर: अग्रिम न्यायिक निर्णय लागू करने के लिये कानून कोई निश्चित समय अवधि प्रदान नहीं करता। इसके बजाय, धारा 103(2)में, यह उपबंधित है कि अग्रिम न्यायिक निर्णय उस अवधि तक बाध्यकारी होगा जब तक मूल अग्रिम न्यायिक निर्णय को समर्थित कानून, तथ्य या परिस्थितियां बदल नहीं जाते। इस प्रकार जब तक लेनदेन जारी रहेगा एवं जब तक कानून, तथ्य या परिस्थितियां में कोई बदलाव नहीं आता, अग्रिम न्याय निर्णय प्रभावी रहेगा।

प्र 13. क्या एक अग्रिम न्यायिक निर्णय को निरस्त माना जा सकता है?

उत्तर: धारा 104(1) प्रदान करती है कि एक अग्रिम न्यायिक निर्णय

(*abinitiovoid*) प्रारम्भ से ही अवैध माना जाएगा यदि एएआर या एएएआर यह पाता है कि आवेदक द्वारा अग्रिम न्यायिक निर्णय धोखाधड़ी या तथ्यों की सामग्री को दबाकर या तथ्यों की गलत बयानी से प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में, आवेदक पर जीएसटी अधिनियम(मों) के सभी प्रावधान इस प्रकार से लागू होंगे जैसे कथित अग्रिम न्यायिक निर्णय कभी किया ही नहीं गया था (लेकिन उस अवधि को छोड़कर जब अग्रिम न्यायिक निर्णय दिया गया था और उस अवधि तक जब अवैध घोषित किये आदेश जारी किया जाता है)। अग्रिम न्यायिक निर्णय घोषणा को अवैध करार देने का आदेश केवल आवेदक की सुनवाई करने के बाद ही पारित किया जा सकता है।

प्र 14. अग्रिम न्यायिक निर्णय प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर: धारा 97 और 98 अग्रिम न्यायिक निर्णय प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 97 प्रदान करती है कि अग्रिम न्यायिक निर्णय प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को एक निर्धारित प्रपत्र और तरीके से एएआर के लिए आवेदन करना चाहिए। आवेदन का प्रारूप और आवेदन करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया का प्रारूप नियमों में निर्धारित किया जाएगा।

धारा 98 अग्रिम न्यायिक निर्णय के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रदान करती है। एएआर आवेदन की एक प्रति उन अधिकारियों को भेजेगे जिनके क्षेत्राधिकार में आवेदक आता है और सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड की मांग करेगी। इसके बाद एएआर रिकॉर्ड के साथ आवेदन की जांच और आवेदक की सुनवाई कर सकती है। इसके बाद वह या तो आवेदन की स्वीकृति या रद्द करने के आदेश पारित कर देंगे।

प्र 15. किन परिस्थितियों के अंतर्गत अग्रिम न्यायिक निर्णय के आवेदनों को अनिवार्य रूप से अस्वीकार किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि जीएसटी

अधिनियम(मों) के किसी प्रावधान अंतर्गत आवेदक के मामले में आवेदन में उठाया गया प्रश्न किसी कार्यवाही में पहले से ही लंबित है अथवा निर्णीत हो चुका है।

यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो यह अस्वीकरण स्वतः स्पष्ट आदेश के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसमें अस्वीकरण का कारण उल्लिखित हो।

प्र 16. एक बार आवेदन स्वीकार किया जाता है तब एएआर द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये?

उत्तर: यदि आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है, तब एएआर आवेदन प्राप्त करने के नब्बे दिनों के भीतर अपना न्यायिक निर्णय घोषित कर देगा। अपने न्यायिक निर्णय देने से पहले, यह आवेदन और आवेदक या संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा दी गई सामग्री की जांच करेगा।

न्यायिक निर्णय देने से पहले, एएआर को आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के क्षेत्राधिकार के अधिकारियों को भी सुनना होगा।

प्र 17. यदि एएआर के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तब क्या होगा?

उत्तर: अगर वहाँ एएआर के दो सदस्यों के बीच कुछ मतभेद हो जाता है, वे जिस मुद्दे या मुद्दों पर उनके बीच विवाद है उन मुद्दों की सुनवाई के लिए वे एएएआर को संदर्भित कर देंगे। यदि एएआर एएएआर के सदस्य भी इन मुद्दे(दों) के संबंध में एक आम निष्कर्ष पर आने में विफल हो जाते हैं, तब यह मान लिया जाएगा कि एएएआर स्तर पर उन विवादों के संबंध में कोई अग्रिम न्यायिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

प्र 18. एएआर के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए क्या प्रावधान हैं?

उत्तर: एएआर के समक्ष अपील के प्रावधान सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 100 और 101 एवं यूटीजीएसटी की धारा 14 में दिए गए हैं।

यदि आवेदक एएआर के निष्कर्ष से असंतुष्ट है, तब वह एएआर के समक्ष अपील दायर कर सकता है। इसी तरह, यदि सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के संबद्ध या क्षेत्राधिकार अधिकारी एएआर की निष्कर्ष परिणामों के साथ सहमत नहीं है, वह भी एएआर के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। सीजीएसटी/एसजीएसटी के संबद्ध अधिकारी का अर्थ एक ऐसे अधिकारी से है जिसे सीजीएसटी/एसजीएसटी प्रशासन द्वारा आवेदन के संबंध में अग्रिम न्यायिक निर्णय के लिए नामित किया गया है। सामान्य परिस्थितियों में, संबंधित अधिकारी वह अधिकारी है जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक स्थित होगा। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी सीजीएसटी/एसजीएसटी क्षेत्राधिकार का अधिकारी होगा।

कोई भी अपील अग्रिम न्यायिक निर्णय की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। अपील निर्धारित प्रारूप में की जानी चाहिए और निर्धारित तरीके से उसका सत्यापन होना चाहिए। इसे मॉडल जीएसटी नियमों में निर्धारित किया गया है।

अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर करने के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अपील करने के लिए पक्षों की सुनवाई के बाद एक आदेश पारित करेगा। यदि अपील में निर्दिष्ट किसी मुद्दे पर एएआर के सदस्यों के बीच कोई मतभेद है तो, यह समझा जाएगा कि अपील के अंतर्गत किसी भी प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम न्यायिक निर्णय जारी नहीं किया गया है।

प्र 19. क्या अग्रिम न्यायिक निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम में न्यायिक निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण के विनिर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने का उपबंध नहीं है। इस प्रकार आगे कोई अपील नहीं है एवं आवेदक के संबंध में विनिर्णय आवेदक एवं उसके साथ साथ क्षेत्राधिकारी अधिकारी पर बाध्यकारी होगा। यद्यपि रिट अधिकारिता माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष हो सकती है।

प्र 20. क्या एएआर और एएएआर न्यायिक निर्णय की गलतियों में सुधार के लिये कोई आदेश जारी कर सकता है?

उत्तर: हाँ, अधिनियम की धारा 102 एएआर और एएएआर को उसके आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर किसी भी गलती जो अभिलेखों से स्पष्ट हों, को सुधारने के लिय शक्तियां प्रदान करती है। इस तरह की गलतियां प्राधिकारी द्वारा स्वयं भी सूचित की जा सकती हैं या आवेदक द्वारा उनके संज्ञान में लाई जा सकती हैं या निर्धारित की जा सकती है या सीजीएसटी/एसजीएसटी क्षेत्राधिकार अधिकारी द्वारा। यदि सुधार का प्रभाव कर देनदारी की वृद्धि या इनपुट कर क्रेडिट के परिमाण को कम करता है, तब आदेश पारित करने से पहले आवेदक/याचिकाकर्ता को सुना जाना आवश्यक होगा।

निपटान आयोग

18. निपटान आयोग (विलोपित)

(अंतिम जीएसटी अधिनियम में यह अध्याय विलोपित है।)

निरीक्षण, तलाशी, जब्ती
और गिरफ्तारी

19. निरीक्षण, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी

प्र 1. शब्द "तलाशी" का क्या अर्थ है?

उत्तर: कानूनी शब्दकोश के अनुसार और विभिन्न न्यायिक निर्णयों में नोट के रूप में, शब्द "तलाशी", का सरल भाषा में अर्थ, सरकारी मशीनरी की एक कार्रवाई करना, देखना या एक स्थान, क्षेत्र, व्यक्ति, वस्तुओं इत्यादि का बड़ी सावधानी के साथ यह जानने के लिये निरीक्षण करना कि कहीं कुछ छिपाया तो नहीं गया है या किसी अपराध के साक्ष्यों की तलाशी के उद्देश्य के लिए। एक व्यक्ति या वाहन या परिसर आदि की तलाशी केवल कानून के उपयुक्त और वैध अधिकार के अंतर्गत किया जा सकता है।

प्र 2. "निरीक्षण" शब्द का क्या अर्थ है?

उत्तर: एमजीएल के अंतर्गत शब्द "निरीक्षण" एक नया प्रावधान है। यह तलाशी की तुलना में एक नरम प्रावधान है जो अधिकारियों को कराधीन व्यक्ति के व्यापार के किसी भी स्थान पर और इसके साथ ही उस व्यक्ति जो माल के परिवहन में संलग्न है या जो स्वामी है या एक मालगोदाम या गोदाम का ऑपरेटर है उस तक पहुंच बनाने में सक्षम करता है।

प्र 3. "निरीक्षण" कार्यान्वयन करने के आदेश कौन तथा किन परिस्थिति में दे सकता है?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 67 के अनुसार, निरीक्षण का कार्यान्वयन सीजीएसटी/एसजीएसटी के संयुक्त आयुक्त या उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी द्वारा लिखित अधिकार पत्र के अंतर्गत किया जा सकता है। संयुक्त आयुक्त उनसे उच्च अधिकारी इस तरह के प्राधिकार सिर्फ तभी दे सकते हैं जब उनके पास यह विश्वास करने के प्रयाप्त कारण हैं कि संबंधित

व्यक्ति ने निम्न में से एक किया है:

- i. आपूर्ति के किसी लेनदेन को दबाया है;
- ii. हाथ में वस्तुओं के स्टॉक को दबाया है;
- iii. ज्यादा इनपुट कर क्रेडिट का दावा किया है;
- iv. कर के लिए सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है;
- v. एक ट्रांसपोर्टर या गोदाम के मालिक के पास कुछ माल रखा है जिसपर कर को भुगतान बचाया गया है या अपने खातों या माल को इस तरीके से किसी स्थान पर रख दिया है कि कर से बचने की संभावना हो।

प्र 4. क्या इस धारा के अंतर्गत उचित अधिकारी किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति/परिसर का निरीक्षण अधिकृत कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, प्राधिकृति केवल सीजीएसटी/एसजीएसटी के अधिकारी को निम्न में से किसी एक के निरीक्षण करने के लिये दी जा सकती है:

- i. कराधीन व्यक्ति के व्यापार का कोई स्थान;
- ii. एक व्यक्ति जो वस्तुओं के परिवहन के कारोबार में संलग्न है उस व्यक्ति के व्यापार के किसी भी स्थान पर चाहे वह पंजीकृत कराधीन व्यक्ति है या नहीं;
- iii. एक मालिक या मालगोदाम या गोदाम के संचालक के किसी व्यापारिक स्थान पर।

प्र 5. एमजीएल के प्रावधानों के अंतर्गत तलाशी और जब्ती के लिए कौन आदेश दे सकता है?

उत्तर: संयुक्त आयुक्त या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी किसी अधिकारी को लिखित रूप में तलाशी और वस्तुओं, दस्तावेजों, किताबों या अन्य चीजों को जब्त करने की लिखित रूप में प्राधिकृति

दे सकते हैं। संयुक्त आयुक्त इस तरह के प्राधिकार सिर्फ तभी दे सकते हैं जब उनके पास यह विश्वास करने के प्रयाप्त कारण हैं कि कोई माल जब्ती के लिये उत्तरदायी है या कोई दस्तावेज़ या खाते या वस्तुएं किसी कार्यवाही के लिये प्रासंगिक हैं उन्हें किसी स्थान पर छिपाया गया है।

प्र 6. “विश्वास करने के कारण” का क्या अर्थ है?

उत्तर: “विश्वास करने के कारण” तथ्यों को जानने का ज्ञान, हालांकि प्रत्यक्ष ज्ञान के बराबर नहीं, होना है जिससे एक तर्कसंगत, वैसे ही तथ्यों को जानने वाला, व्यक्ति तर्क संगत रूप से उसी तरह के नतीजे पर पहुंचता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 26 के अनुसार , एक व्यक्ति को एक चीज का “विश्वास करने का कारण” रखते हुए कहा जाता है यदि उसके पास उस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण है किन्तु अन्यथा नहीं। “विश्वास करने के लिए कारण” विशुद्ध रूप से व्यक्ति परक विचार से भिन्न बुद्धिमत्तापूर्ण देखभाल एवं मूल्यांकन पर आधारित एक उद्देश्य के लिए दृढ़ संकल्प का चिन्तन है। प्रासंगिक सामग्री और परिस्थितियों के आधार पर एक ईमानदार एवं उचित (तर्कसंगत) व्यक्ति का यह (“विश्वास करने के कारण”) होना चाहिए एवं होना ही चाहिए।

प्र 7. निरीक्षण या तलाशी और जब्ती की प्राधिकृति जारी करने से पहले, क्या कथित “विश्वास करने के कारण” को उचित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना अनिवार्य है?

उत्तर: हालांकि अधिकारी को तलाशी के लिए एक प्राधिकृति जारी करने से पहले इस तरह के विश्वास के लिए कारणों को व्यक्त करना आवश्यक नहीं है, उसे वह सामग्री जिस पर उसका विश्वास आधारित था उसे विश्वास है उसका खुलासा करना होगा। ‘विश्वास करने का कारण’ प्रत्येक मामले में निरपवाद रूप से दर्ज किये जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, यह बेहतर होगा यदि सामग्री/

जानकारी आदि सर्च वारंट जारी करने से पहले या तलाशी की कार्यवाही से पहले दर्ज की जाएं।

प्र 8. सर्च वारंट क्या है और उसकी विषय-वस्तु क्या है?

उत्तर: तलाशी करने के लिये लिखित प्राधिकृति को आमतौर पर सर्च वारंट कहा जाता है। सर्च वारंट जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी संयुक्त आयुक्त या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी है। एक सर्च वारंट में एक तर्कसंगत विश्वास का संकेत होना आवश्यक है जिसके कारण तलाशी की जा रही है। सर्च वारंट में निम्नलिखित विवरण शामिल करना चाहिए:

- i. अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन,
- ii. तलाशी किये जाने वाला परिसर,
- iii. प्राधिकृत तलाशी करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम,
- iv. जारी करने वाले अधिकारी की गोल मुहर सहित पूर्ण पदनाम और नाम,
- v. जारी करने की तारीख और स्थान,
- vi. सर्च वारंट का क्रमांक नंबर,
- vii. वैधता की अवधि अर्थात् एक दिन या दो दिन आदि

प्र 9. सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 130 के प्रावधानों के अंतर्गत कब वस्तुएं जब्ती के लिए उत्तरदायी हो जाती हैं?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 130 के अनुसार, वस्तुओं तब जब्ती के लिए उत्तरदायी हो जाती हैं जब कोई व्यक्ति निम्न गतिविधियों में संलग्न रहता है:

- (i) इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत बने नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी भी वस्तुओं की

- आपूर्ति करता है जो कर की चोरी में परिणत होती है;
- (ii) इस अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी वस्तुओं नहीं रखता;
 - (iii) बिना पंजीकरण हेतु आवेदन इस अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति करता है जिस पर कर का दायित्व है;
 - (iv) कर भुगतान से बचने के इरादे से सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन।

प्र 10. एक अधिकारी द्वारा वैध तलाशी के दौरान किन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है?

उत्तर: एक तलाशी करने वाले अधिकारी के पास तलाशी किये जाने वाले परिसर से वस्तुओं (जो जब्ती के लिए उत्तरदायी हैं) और दस्तावेजों, खाता बहियों या अन्य सामान (सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के लिए प्रासंगिक) की तलाशी और जब्ती करने की शक्तियां होती हैं। तलाशी के दौरान, जिस परिसर पर एक अधिकारी को तलाशी के लिये प्राधिकृत किया गया है यदि उसे प्रवेश करने से इन्कार किया जाता है तब उस अधिकारी के पास परिसर के प्रवेश द्वार को तोड़ने की शक्ति भी प्राप्त है। इसी प्रकार, परिसर के भीतर तलाशी करते समय, वह किसी भी अलमारी या डिब्बे को तोड़ सकता है यदि उसे कथित अलमारी या बॉक्स की जांच करने से इन्कार किया जाता है और उसे उसमें किसी प्रकार की वस्तुओं, खातों, रजिस्टर या दस्तावेज के छिपा होने का संदेह है। वह परिसर को सीलबंद भी कर सकता है यदि उसे प्रवेश करने से इन्कार किया जाता है।

प्र 11. तलाशी के संचालन के लिए क्या प्रक्रिया है?

उत्तर: सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम की धारा 67(10)

निर्धारित करती है कि तलाशी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुरूप क्रियान्वित की जानी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 तलाशी के लिए प्रक्रिया का वर्णन करती है।

प्र 12. तलाशी अभियान के दौरान किन बुनियादी आवश्यकताओं का अवलोकन किया जाता है?

उत्तर: तलाशी के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए:

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध सर्च वारंट के बिना परिसर की तलाशी नहीं ली जानी चाहिए।
- वहाँ निरपवाद रूप से किसी आवास में तलाशी दल के साथ हमेशा एक महिला अधिकारी शामिल रहनी चाहिए।
- तलाशी शुरू करने से पहले अधिकारियों को परिसर के प्रमुख व्यक्ति को अपना पहचान पत्र दिखा कर अपनी पहचान का खुलासा करना चाहिए।
- सर्च वारंट तलाशी शुरू करने से पहले परिसर के प्रमुख व्यक्ति को दिखाकर निष्पादित किया जाना चाहिए और उसके हस्ताक्षर सर्च वारंट पर ले लेने चाहिए जो प्रमाण होगा कि उक्त व्यक्ति ने सर्च वारंट देखा है। कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर भी सर्च वारंट पर लिये जाने चाहिए।
- तलाशी इलाके के कम से कम दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की जानी चाहिए। यदि ऐसे कोई निवासियों उपलब्ध/इच्छुक नहीं हैं, तब पास के किसी अन्य इलाके के निवासियों को तलाशी की गवाही के लिये निवेदन किया जाना चाहिए। गवाहों को तलाशी के उद्देश्य के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए।

- तलाशी की कार्यवाही शुरू करने से पहले, तलाशी आयोजित करने वाले अधिकारियों की टीम को गवाहों सहित परिसर के प्रमुख व्यक्ति को उनकी स्वयं की व्यक्तिगत तलाशी करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। इसी तरह, तलाशी पूर्ण हो जाने के बाद सभी अधिकारियों और गवाहों को एक बार फिर उनकी स्वयं की व्यक्तिगत तलाशी करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।
- तलाशी की कार्यवाही का पंचनामा/महाजर तलाशी स्थल पर तैयार करना अति आवश्यक है। सभी बरामद/जब्त की गई वस्तुओं, दस्तावेजों की सूची तैयार कर पंचनामा/महाजर के साथ संलग्न की जानी चाहिए। पंचनामा/महाजर और सभी बरामद/जब्त की गई वस्तुओं, दस्तावेजों की सूची पर गवाहों, परिसर प्रमुख/परिसर के स्वामी जिसके समक्ष तलाशी का संचालन किया गया है और प्रभारी अधिकारी जिसे तलाशी के लिये प्राधिकृत किया गया है निरपवाद रूप से उन सबके हस्ताक्षर लेने चाहिए।
- तलाशी की समाप्ति के बाद, निष्पादित सर्च वारंट को उसके मूल रूप में उसके जारीकर्ता को तलाशी के संबंध में नतीजे तलाशी के नतीजे के रिपोर्ट सहित वापस लौटा देना चाहिए। जिन अधिकारियों ने तलाशी में भाग लिया है उनके नाम भी तलाशी वारंट के पीछे लिखे जा सकते हैं।
- सर्च वारंट जारीकर्ता अधिकारी को जारी किए गए तथा वापस लौटाए गए सर्च वारंट के रिकार्ड का रजिस्टर बनाना चाहिए तथा प्रयोग किए गए सर्च वारंट को रिकार्ड ने रखना चाहिए।
- अपने संलग्नक के साथ पंचनामा/महाजर की एक प्रति

उस परिसर प्रमुख/परिसर के स्वामी जहां पर तलाशी ली गई थी उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करने के साथ सौंप देनी चाहिये।

प्र 13. क्या एक सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिकारी किसी भी अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत व्यापारिक परिसर में प्रवेश कर सकता है?

उत्तर: हाँ। सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 65 के अनुसार प्रवेश किया जा सकता है। कानून का यह प्रावधान सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत नामित सीजीएसटी/एसजीएसटी या एवं सीएसीजी या एक लागत लेखाकार या चार्टर्ड एकाउंटेंट की एक लेखा-परीक्षण की पार्टी को अनुमति के लिये बनाया गया है, लेखा-परीक्षण, जांच, सत्यापन और निरीक्षण के प्रयोजनों के लिये सर्च वारंट जारी किये बिना भी किसी व्यावसायिक परिसर में प्रवेश किया जा सकता है जैसा राजस्व के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो। हालांकि, उसके लिये सीजीएसटी या एसजीएसटी के अपर/संयुक्त आयुक्त के रैंक के अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृति जारी की जानी चाहिए। यह प्रावधान उस व्यवसायिक परिसर में प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है जिसे कराधीन व्यक्ति द्वारा उसके प्रमुख या अतिरिक्त व्यापारिक स्थल के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया, लेकिन वहां पर उसके खाता बहियां, दस्तावेज, कंप्यूटर आदि रखे हैं जो लेखा-परीक्षण या कराधीन व्यक्ति के खातों के सत्यापन के लिए आवश्यक हैं।

प्र 14. शब्द "जब्ती" का क्या मतलब है?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम में शब्द "जब्ती" को विशेषरूप से परिभाषित नहीं किया गया है। लॉ लैक्सिकॉन शब्दकोष में, "जब्ती" को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एक अधिकारी द्वारा संपत्ति का कब्जा लेने की कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है।

आम तौर पर इसका आशय संपत्ति के मालिक की इच्छा के विरुद्ध जबरन कब्जा प्राप्त करना या जिसके कब्जे में संपत्ति है एवं जो वह उसे बांटना/भाग लेना नहीं चाहता था।

प्र 15. क्या जीएसटी अधिनियम के पास वस्तुओं और वाहनों को नजरबंद (Detention) रखने की भी शक्ति है?

उत्तर: हाँ, सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत एक अधिकारी के पास मालवाहक वाहन (एक ट्रक या अन्य प्रकार का वाहन) के साथ-साथ वस्तुओं को हिरासत में लेने की शक्ति है। ऐस उस तरह की वस्तुओं के साथ किया जा सकता है जिन्हें सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मार्ग में ले जाया जा रहा है या जमा किया गया हो। ऐसी वस्तुएं जिन्हें भण्डारित किया गया हो या स्टोर में जमा किया गया हो परन्तु उनका कोई हिसाब नहीं रखा जाता उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। इस तरह के सामान और वाहन को उनपर लागू कर के भुगतान के बाद या समतुल्य राशि की सुरक्षा राशि प्रस्तुत करने पर छोड़ा जा सकता है।

प्र 16. कानून में "जब्ती" (Seizure) और "हिरासत" (Detention) के बीच क्या भेद है ?

उत्तर: संपत्ति के मालिक या जिस व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति है उस व्यक्ति को समय के किसी विशेष क्षण पर कानूनी आदेश/नोटिस द्वारा संपत्ति में प्रवेश करने से इन्कार करने को हिरासत कहा जाता है। जब्ती विभाग द्वारा वस्तुओं पर वास्तविक कब्जा लेना है। जब्ती का आदेश तब जारी किया जाता है जब यह संदेह होता है कि वस्तुएं जब्ती के लिए उत्तरदायी हैं। हिरासत तब की जाती है जब पूछताछ/जांच करने के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वस्तुएं जब्ती के लिए उत्तरदायी हैं।

प्र 17. जीएसटी अधिनियम में तलाशी (Search) या जब्ती (Seizure) के संबंध में प्रदान किये गये सुरक्षा उपाय क्या हैं?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 67 में तलाशी या जब्ती की शक्ति के संबंध में कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किये गए जाते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं:

- i. जब्त की गई वस्तुएं या दस्तावेज उनके निरीक्षण के लिए आवश्यक अवधि के बाद नहीं रखे जाने चाहिए;
- ii. जिस व्यक्ति की अभिरक्षा में से दस्तावेज़ जब्त किये गये हैं वह दस्तावेजों की फोटोकॉपी ले सकता है;
- iii. जब्त की गई वस्तुओं के लिये, यदि जब्त करने के साठ दिनों के भीतर नोटिस जारी नहीं किया जाता, तब उस व्यक्ति को वह वस्तुएं वापस लौटा दी जाएंगी जिसके कब्जे से वे जब्त की गई थी। साठ दिनों की यह अवधि छह महीने की अधिकतम अवधि तक न्यायोचित आधार पर बढ़ाई जा सकती है;
- iv. जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा सामान/वस्तुओं की सूची बनाई जाएगी;
- v. सीजीएसटी नियमों के अंतर्गत कुछ वस्तुओं की श्रेणियां निर्दिष्ट (जैसे जल्दी खराब होने वाली, खतरनाक आदि) की गई है जिनका जब्ती के तुरंत बाद निपटारा किया जा सकता है;
- vi. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और जब्त करने से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। हालांकि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 की उपधारा (5) के संबंध में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है – बजाय तलाशी से संबंधित किसी रिकार्ड की प्रतिलिपि अपने निकटतम मजिस्ट्रेट, जिसे अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार

है, के पास भेजने के उन्हें सीजीएसटी/एसजीएसटी के प्रमुख आयुक्त/आयुक्त आयुक्त को भेजा जाना है।

प्र 18. क्या कराधीन वस्तुओं के परिवहन के दौरान कोई विशेष दस्तावेज़ रखना अनिवार्य है?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत, एक परिवहन वाहन के प्रमुख को यदि वह ऐसा माल ले जा रहा है जिसका मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है तब उसे एक निर्धारित दस्तावेज़ रखना आवश्यक हो सकता है।

प्र 19. शब्द "गिरफ्तार" (Arrest) का क्या मतलब है?

उत्तर: शब्द "गिरफ्तार" को सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, न्यायिक घोषणाओं के अनुसार, यह अर्थ है किसी व्यक्ति को कानूनी आदेश या अधिकार के अंतर्गत अपने अधिकार में लेना है। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया कहा जाता है जब उसे ले लिया जाता है और कानून वैध वारंट की शक्ति या रंग से उसकी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाता है।

प्र 20. सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी किसी व्यक्ति की "गिरफ्तारी" को कब प्राधिकृत कर सकता है?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी के आयुक्त, एक सीजीएसजी/एसजीएसटी अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये अधिकृत कर सकता है, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति ने अपराध किया है जिसकी सजा सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 132(1) (ए),(बी),(सी),(डी) या धारा 132 (2) के अंतर्गत निर्धारित की गई है। अनिवार्यता इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति को केवल तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जहां कर चोरी

दो करोड़ रुपये से अधिक हो यहां, जहां वह पहले सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया गया हो।

प्र 21. एक व्यक्ति जिसे गिरफ्तारी रखा गया है उसके लिये सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किये सुरक्षा उपाय क्या हैं?

उत्तर: धारा 69 के अंतर्गत एक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किये गये हैं: वे हैं:

- i. यदि एक व्यक्ति को एक संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार किया है, उसे गिरफ्तार करने के आधार के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है;
- ii. यदि एक व्यक्ति को एक गैर-संज्ञेय और जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया है, तब सीजीएसटी/एसजीएसटी के उप/ सहायक आयुक्त उसे जमानत पर रिहा कर सकते हैं और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अंतर्गत वह पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में उन सभी प्रावधानों के अधीन होगा;
- iii. सभी गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए;

प्र 22. गिरफ्तारी के दौरान कौन सी सावधानियों बरती जानी चाहिए?

उत्तर: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में गिरफ्तार करने और उसकी प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। इसलिए सीजीएसटी/एसजीएसटी के सभी क्षेत्र अधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के साथ अच्छी तरह परिचित होना आवश्यक है।

सीआरपीसी, 1973 की धारा 57 के एक प्रावधान पर ध्यान आकर्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रदान करता है कि एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने पर हिरासत में लंबी अवधि तक नहीं रखा जा सकता, मामले की परिस्थिति के अंतर्गत, यह उचित है लेकिन वह 24 घंटों (गिरफ्तारी की जगह से यात्रा के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट की अदालत तक) से अधिक नहीं होगा। इस अवधि के भीतर, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 56 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार किये व्यक्ति को मामलों में क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

डी. के. बसु बनाम प. बंगाल सरकार के मामले का एक ऐतिहासिक फैसला 1997(1) एससीसी 416 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं जिनका गिरफ्तारी करते समय पालन करना आवश्यक था। जबकि इसका संबंध पुलिस से है, इसका अनुसरण उन सभी विभागों द्वारा करना आवश्यक है जिन्हें गिरफ्तारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये निम्न प्रकार हैं:

- i. वे पुलिसकर्मी जो गिरफ्तारी और गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं उन्हें सटीक, दृश्यता और स्पष्ट पहचान और उनके पदनाम के साथ नाम के बिल्ले लगाने चाहिए। इस तरह के सभी पुलिस कर्मियों को जो गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं उन्हें इन सबके विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करने चाहिए।
- ii. पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तारी करते हैं वह गिरफ्तारी के समय एक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करेंगे और ऐसे ज्ञापन को कम से कम एक गवाह द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा, जो या तो परिवार का एक सदस्य या इलाके का एक सम्मानित व्यक्ति हो सकता है जहां पर गिरफ्तारी की गई है। इसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा भी

प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा और उसमें गिरफ्तारी का समय और तिथि शामिल होनी चाहिए।

- iii. एक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में रखा गया है और एक पुलिस स्टेशन या पूछताछ केंद्र या अन्य लॉक अप में निगरानी में रखा गया है, उसे जितनी शीघ्र व्यावहारिक है उसके एक दोस्त या रिश्तेदार या अन्य परिचित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को सूचित करना चाहिए जिसे उसके कल्याण में रुचि है, कि उसे गिरफ्तार किया गया है और अब किसी विशेष स्थान पर हिरासत में रखा गया है, सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जिसमें गिरफ्तारी के ज्ञापन का सत्यापन गवाह स्वयं ऐसा एक दोस्त या गिरफ्तार व्यक्ति का कोई रिश्तेदार है।
- iv. गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने का समय, स्थान और हिरासत में रखे जाने वाला स्थल पुलिस द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए और जहां गिरफ्तार व्यक्ति का अगला दोस्त या रिश्तेदार जिले या शहर से बाहर रहता है वहां पर जिले के विधिक स्थानीय सहायता संगठन के माध्यम से क्षेत्र के संबंधित पुलिस स्टेशन पर तार के माध्यम से गिरफ्तारी के बाद 8 से 12 घंटे की अवधि के भीतर करना चाहिए।
- v. व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में हिरासत स्थल की प्रविष्टि एक डायरी में दर्ज की जानी चाहिए जिसमें उसके अगले करीबी दोस्त का नाम लिखा जाना चाहिए जिसे गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया है और उन पुलिस अधिकारियों के ब्यौरे दर्ज करने चाहिए जिनके अधिकार में उस गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है।
- vi. गिरफ्तार व्यक्ति को, उसके निवेदन पर, गिरफ्तारी

के समय उसकी छोटी-बड़ी चोटों के लिये जांच की जानी चाहिये और यदि उसके शरीर में कोई पाई जाती है, उसे उसी समय दर्ज कर देना चाहिए। 'निरीक्षण ज्ञापन' गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और उसकी एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए।

- vii. हिरासत के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच हर 48 घंटे बाद प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा की जानी चाहिए जिसकी नियुक्ति

निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा द्वारा नियुक्त अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल में से की गई है, साथ ही निदेशक, स्वास्थ्य सेवा को सभी तहसीलों और जिलों के लिए एक पैनल बनाना चाहिए।

- viii. गिरफ्तारी ज्ञापन सहित ऊपर उल्लिखित सभी दस्तावेजों की प्रतियां मैजिस्ट्रेट को उनके रिकार्ड के लिये भेज दी जानी चाहिए।
- ix. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को उसके वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, यद्यपि पूछताछ के सारे समय नहीं।
- x. सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों में एक पुलिस कंट्रोल रूम प्रदान करना चाहिए जिसमें गिरफ्तारी से संबंधित और गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत के स्थल की सूचना गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा, गिरफ्तारी करने के 12 घंटे के भीतर, संचारित की जाएगी और पुलिस नियंत्रण कक्ष पर और इसे एक विशिष्ट नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

प्र 23. सीबीईसी में गिरफ्तारी के लिए किन व्यापक दिशा निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए?

उत्तर: गिरफ्तार करने के निर्णय में अलग अलग मामलों में विभिन्न कारकों पर विचार करके लिए जाते हैं, जैसे, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, कितने परिमाण में शुल्क की चोरी की गई है या अनुचित तरीके से क्रेडिट का गलत लाभ उठाया, साक्ष्य की प्रकृति और गुणवत्ता, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना के साथ या गवाहों को प्रभावित करना, जांच के साथ सहयोग करना, आदि। गिरफ्तारी के लिए शक्ति का निष्पादन सावधानी के साथ मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद निष्पादित करना चाहिए जिनमें निम्न शामिल हो सकते हैं:

- i. अपराध की उचित जांच सुनिश्चित करना;
- ii. ऐसे व्यक्ति को फरार होने से रोकने के लिए;
- iii. वस्तुओं की संगठित तस्करी से जुड़े मामलों या छिपाने के माध्यम से सीमा शुल्क की चोरी;
- iv. बेनामी आयात/छद्मी एवं गैर-विद्यमान व्यक्तियों के नाम से किए जा रहे निर्यात/आईईसी, इत्यादि करने वाले अति चतुर या प्रमुख संचालक;
- v. जहां शुल्क से बचने का इरादा स्पष्ट है और अपराधी मन के तत्व/दोषी मन साफ नजर आता है;
- vi. साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना की रोकथाम;
- vii. गवाहों को डराना या प्रभावित करना; तथा
- viii. बड़ी मात्रा में शुल्क या सेवा कर की चोरी जिसकी कीमत कम से कम एक करोड़ रुपए से अधिक है।

प्र 24. एक संज्ञेय अपराध क्या है?

उत्तर: आमतौर पर, संज्ञेय अपराध का मतलब एक गंभीर वर्ग का

अपराध है जिसके संबंध में एक पुलिस अधिकारी के पास बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है और अदालत की अनुमति के साथ या बिना अनुमति लिए जांच शुरू करने का अधिकार है।

प्र 25. एक—गैर संज्ञेय अपराध क्या है?

उत्तर: गैर—संज्ञेय अपराध अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराध है जिसके संबंध में एक पुलिस अधिकारी के पास बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है और बिना अदालत के आदेश के जांच शुरू नहीं की जा सकती।

प्र 26. सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय और गैर—संज्ञेय अपराध क्या हैं?

उत्तर: सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 में, यह प्रदान किया जाता है कि जहां कराधीन वस्तुओं और/या सेवाओं से संबंधित अपराधों में कर चोरी 5 करोड़ रुपये से अधिक हो जाती है, वह संज्ञेय और गैर—जमानती हो जाएंगे। अधिनियम के अंतर्गत अन्य अपराध के गैर—संज्ञेय और जमानती हैं।

प्र 27. सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत उचित अधिकारी कब सम्मन जारी कर सकते हैं?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 70 विधिवत सीजीएसटी/एसजीएसटी के अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे सम्मन जारी कर एक व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिये बुलाएं जिससे वह व्यक्ति सम्मन जारी करने वाले व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत रहकर या तो साक्ष्य प्रस्तुत करे या दस्तावेज़ पेश करे या पूछताछ में कोई भी अन्य तथ्य रखे जो अधिकारी जानना चाहता है। दस्तावेजों या अन्य तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए दिया सम्मन कुछ निर्दिष्ट दस्तावेजों या सामान प्रस्तुत करने के लिए है या सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या कुछ निश्चित

विवरण के सामान जो सम्मन जारी किए गए व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में हो सकते हैं।

प्र 28. जिस व्यक्ति को सम्मन भेजा गया है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं?

उत्तर: जिस व्यक्ति को सम्मन भेजा गया है वह या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहने के लिये कानूनी तौर पर बाध्य है और कथित सम्मन जारी करने वाले अधिकारी के समक्ष सत्य प्रकट करने के लिये बाध्य है जिसने किसी विषय पर उसे सम्मन जारी किया है जो निरीक्षण का मामला है और उसे वे सब दस्तावेज़ और अन्य संबंधित सामग्री प्रस्तुत करनी होगी जिसकी आवश्यकता हो सकती है।

प्र 29. सम्मन प्राप्त करने के बाद गैर-उपस्थिति के क्या परिणाम हो सकते हैं?

जिस अधिकारी ने सम्मन जारी किया है उस अधिकारी के समक्ष कार्यवाही एक न्यायिक कार्यवाही के समान मानी जाएगी। यदि एक व्यक्ति बिना उचित औचित्य के सम्मन पर दी गई तारीख पर उपस्थित नहीं होता, उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि वह सम्मन प्राप्त करने से बचने के लिए फरार हो जाता है, तब उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 172 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है और इस मामले में यदि वह दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख/रिकार्ड नहीं प्रकट करता, उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 175 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि किसी मामले में वह झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तब उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अगर एक व्यक्ति सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिकारी के समक्ष पेश नहीं होता जिन्होंने उसे सम्मन जारी किया

है, तब सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 122(3)(डी) के अंतर्गत पच्चीस हजार रूपए तक के दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

प्र 30. सम्मन जारी करने के लिए क्या दिशा निर्देश हैं?

उत्तर: वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि सम्मन प्रावधानों का क्षेत्र/फील्ड में दुरुपयोग नहीं किया जाए। इन दिशानिर्देशों के कुछ महत्वपूर्ण मुख्य तथ्य यहां दिये जा रहे हैं:

पण सम्मन अंतिम उपाय के रूप में जारी किए जाएं जहां निष्पत्ति सहयोग नहीं कर रहे हैं और इस खंड का शीर्ष प्रबंधन के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए;

पपण सम्मन की भाषा कठोर और कानूनी नहीं होनी चाहिये जो अनावश्यक मानसिक तनाव और प्राप्तकर्ता के लिये शर्मिंदगी का कारण बन जाए;

पपपण अधीक्षकों द्वारा सम्मन सहायक आयुक्त और उसके उपर की रैंक के अधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त कर जारी किया जाना चाहिए और सम्मन में जारी करने का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए;

पअण जहां परिचालन कारणों से, कथित अधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में मौखिक/टेलीफोन पर अनुमति लेकर उसे लिखित रूप में दर्ज करने के बाद कथित अधिकारी को यथाशीघ्र संभव समय पर तदनुसार सूचित कर दें;

अण सभी मामलों में, जहां सम्मन जारी किए जाते हैं, सम्मन जारी करने वाले अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए या मामले

की फाइल में कार्यवाही का संक्षिप्त रिकॉर्ड, जिस अधिकारी ने सम्मन जारी करने की प्राधिकृति दी थी, उसे प्रस्तुत कर देनी चाहिए;

अपण बड़ी कंपनियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारियों जैसे सीईओ, सीएफओ, महाप्रबंधकों को आमतौर पर पहली बार सम्मन जारी नहीं किया जाना चाहिए उन्हें तभी सम्मन जारी करने चाहिए जब जांच-प्रक्रिया में संकेत मिलता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी है जिसके कारण राजस्व की हानि हुई है।

प्र 31. सम्मन जारी करने के समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?

उत्तर: आम तौर एक व्यक्ति को सम्मन देने से पहले निम्नलिखित सावधानियां अपनाई जानी चाहिए: –

- (i) सम्मन उपस्थिति के लिये जारी नहीं किया जाना चाहिए जहां यह उचित नहीं है। सम्मन की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब किसी जांच की कार्यवाही की जा रही है और उसमें व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है।
- (ii) आम तौर पर, सम्मन बारंबार जारी नहीं किये जाने चाहिए। जहाँ तक व्यावहारिक हो, आरोपी या गवाह का बयान कम से कम उपस्थितियों में दर्ज किया जाना चाहिए।
- (iii) सम्मन में दिए गए उपस्थिति के समय का सम्मान करें। किसी भी व्यक्ति को उसके बयान दर्ज करने से पहले ज्यादा देर तक प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए सिवाय उस परिस्थिति को छोड़कर जब एक रणनीति के मामले के तहत जानबूझकर ऐसा करने का निर्णय लिया गया है।

- (iv) प्राथमिकता के साथ, बयान कार्यालय समय के दौरान दर्ज किये जाने चाहिए हालांकि मामलों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बयान दर्ज करने के स्थान और समय के मामले में अपवाद किया जा सकता है।

प्र 32. क्या अधिकारियों का कोई ऐसा वर्ग है जो सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिकारियों की सहायता के लिए आवश्यक हैं?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत, निम्न अधिकारियों सशक्त किया गया है और एमजीएल निष्पादन के लिये इन्हें सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिकारियों की सहायता करना आवश्यक हैं। सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम में निर्दिष्ट की गई श्रेणियां निम्न प्रकार से हैं:

- i. पुलिस;
- ii. रेलवे,
- iii. सीमा शुल्क;
- iv. जीएसटी कर संग्रह में संलग्न राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारी
- v. भू-राजस्व के संग्रह में संलग्न राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारी
- vi. सभी गांव के अधिकारी
- vii. अन्य कोई भी श्रेणी के अधिकारी जिन्हें केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

अपराध और दंड अभियोजन और संयुक्तिकरण

20. अपराध और दंड, अभियोजन और संयुक्तिकरण

प्र 1. सीजीएसटी/एसजीएसटी के अंतर्गत निर्धारित अपराध क्या हैं?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम अध्याय XVI अपराध और दंड को संहिताबद्ध करता है। अधिनियम की धारा 122 में 21 अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है, धारा 10 के अंतर्गत निर्धारित दंड के अतिरिक्त कराधीन व्यक्ति द्वारा आपसी निपटारा प्राप्त करने के लिए जो इसका हकदार नहीं है।

कथित अपराध इस प्रकार हैं:-

- 1) चालान/बिल के बिना आपूर्ति करना या झूठे/गलत बिल/चालान के साथ आपूर्ति करना;
- 2) बगैर आपूर्ति किए चालान/बिल जारी करना;
- 3) 3 महीने की अधिक अवधि के लिए एकत्रित किए कर का भुगतान न करना;
- 4) सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 3 महीने से अधिक अवधि के लिए एकत्रित कर का भुगतान न करना;
- 5) गैर-कटौती या स्रोत पर कर की कम कटौती करना या धारा 37 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती (TDS) की रकम जमा नहीं करना;
- 6) गैर-संग्रह या कम-संग्रह या धारा 43सी के अंतर्गत स्रोत पर एकत्रित कर का भुगतान नहीं करना;
- 7) वस्तुओं और/या सेवाओं की वास्तविक प्राप्ति के बिना इनपुट कर क्रेडिट का लाभ प्राप्त/उपयोग करना;

- 8) धोखे से कोई प्रतिदाय/रिफंड प्राप्त करना;
- 9) धारा 17 के उल्लंघन में इनपुट सेवा वितरक से इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाना/उपयोग करना;
- 10) झूठी जानकारी या झूठे वित्तीय अभिलेख बनाकर प्रस्तुत करना या कर के भुगतान से बचने के लिए फर्जी खाते/दस्तावेज प्रस्तुत करना;
- 11) कर के लिए उत्तरदायी होने के बावजूद पंजीकरण कराने में विफलता;
- 12) पंजीकरण के लिए अनिवार्य क्षेत्रों के बारे में झूठी जानकारी प्रस्तुत करना;
- 13) किसी अधिकारी को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने में रुकावट डालना या रोकना;
- 14) निर्धारित दस्तावेजों के बगैर माल परिवहन करना;
- 15) कारोबार के आंकड़े दबाना जिससे कर की चोरी की जा सके;
- 16) अधिनियम में निर्दिष्ट की गई विधि अनुसार खातों/दस्तावेज बनाए रखने में विफलता या अधिनियम में निर्दिष्ट अवधि के लिये खातों/दस्तावेज बनाए रखने के लिए विफल रहना;
- 17) अधिनियम/नियम के अनुसार एक अधिकारी द्वारा जानकारी/दस्तावेज की मांग पर विफल रहना या किसी भी कार्यवाही के दौरान झूठी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करना;
- 18) किसी भी जब्ती किये जाने वाले माल की आपूर्ति/परिवहन/भंडारण;
- 19) किसी अन्य व्यक्ति के जी.एस.टी.आई.एन. का उपयोग कर चालान/बिल या दस्तावेज जारी करना;

- 20) किसी भी सामग्री से छेड़छाड़/साक्ष्य नष्ट करना;
- 21) हिरासत/जब्त/अधिनियम के अंतर्गत संलग्न माल का निपटान/छेड़छाड़ करना;

प्र 2. शब्द दंड का क्या अर्थ है?

उत्तर: शब्द "दंड"को सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन न्यायिक घोषणाओं और न्यायशास्त्र के सिद्धांतों (judicial pronouncements and principles of jurisprudence) में दंड की प्रकृति का निम्नांकित उल्लेख किया गया है:

- एक अस्थायी सजा या संविधि द्वारा लगाई गई पैसे की राशि,जिसे किसी निश्चित अपराध करने के लिए सजा के रूप में भुगतान किया जाता है;
- कानून द्वारा दंड लगाना या अनुबंध पर करना या कुछ करने में विफल होना जिसे करना पक्ष का कर्तव्य था।

प्र 3. दंड लगाते समय किस सामान्य अनुशासन का पालन किया गया है?

उत्तर: दंड लगाना एक निश्चित अनुशासनात्मक व्यवस्था के अधीन है जो न्यायशास्त्र, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (principles of natural justice) और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समझौतों के संचालन पर आधारित है। ऐसे सामान्य अनुशासन अधिनियम की धारा 126 में प्रतिष्ठापित किये गये हैं। तदनुसार—

- किसी भी मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किये बिना और उचित सुनवाई के कोई दंड नहीं लगाया जाएगा, यह व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये आरोपों को गलत साबित करने के लिये अवसर प्रदान करता है,
- दंड मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर निर्भर करता है,

- दंड कानून के प्रावधानों या उसके नियमों के उल्लंघन में लगाए गये आरोप के परिमाण और गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए,
- दंड लगाने के आदेश में उल्लंघन की प्रकृति स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जानी चाहिए,
- कानून के प्रावधान जिनके अंतर्गत दंड लगाया गया है उन्हें निर्दिष्ट किया जाना चाहिए
- धारा 126 आगे यह स्पष्ट करती है कि, विशेषकर इन मामलों में कड़े दंड नहीं लगाए जाएं—
- कोई भी मामूली उल्लंघन (मामूली उल्लंघन को ऐसे मामले में प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है जहां शामिल कर 5000 रुपये से कम है), या
- कानून की एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है, या
- दस्तावेज में आसानी से संशोधन योग्य गलती/चूक (रिकार्ड में त्रुटि के रूप में स्पष्ट समझाई गई है) जिसे बिना धोखाधड़ी के इरादे या घोर लापरवाही के किया गया है।

इसके अतिरिक्त, जहाँ कहीं भी सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम में दंड निश्चित राशि या निश्चित प्रतिशत पर प्रदान किया गया है, वही लागू होगा।

प्र 4. सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम में कितने परिमाण में दंड प्रदान किया जाता है?

उत्तर: धारा 122(1) में प्रावधान करती है कि कोई भी कराधीन व्यक्ति है जिसने धारा 122 में उल्लिखित कोई अपराध किया है उसे दंड स्वरूप निम्नलिखित में सबसे अधिक राशि का भुगतान करना होगा:

- करवंचना की राशि, धोखे से रिफंड के रूप में प्राप्त राशि, क्रेडिट के रूप में लाभ उठाया, या कटौती नहीं करना या एकत्र नहीं करना या कम कटौती करना या थोड़ा कम एकत्र करना, से संबंधित राशि या
- 10,000/- रुपए की राशि

इसके अतिरिक्त धारा 122(2) में प्रावधान है कि कोई भी पंजीकृत कराधीन व्यक्ति जो बार-बार कम कर का भुगतान करता है वह सजा के लिए उत्तरदायी है जो निम्न में सबसे अधिक होगी :

- कम अथवा नहीं भुगतान किए कर का 10 प्रतिशत या
- 10,000/- रुपये

प्र 5 क्या कराधीन व्यक्ति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के लिये कोई दंड निर्धारित किया गया है?

उत्तर: हाँ। धारा 122(3) किसी व्यक्ति पर 25,000/- रुपये तक का विस्तारित दंड लगाने का प्रावधान करती है जो –

- 21 में से किसी भी अपराध में सहयोग और सहायता करता है,
- किसी भी तरीके (चाहे प्राप्त, आपूर्ति, भंडारण या परिवहन के लिए)से ऐसे माल/वस्तुओं का लेनदेन करता है जो जब्ती के लिए उत्तरदायी हैं,
- अधिनियम का उल्लंघन करते हुए सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करता है या लेनदेन करता है,
- अधिकारी द्वारा सम्मन भेजे जाने पर पेश नहीं होता,
- किसी आपूर्ति के लिये चालान/बिल जारी करने या कानून के अंतर्गत अनिवार्य चालान/बिल के हिसाब जारी करने में विफल रहता है।

प्र 6. किसी उल्लंघन के लिए क्या दंड दिया जाता है जिसे सीजीएसटी/एसजीएसटीअधिनियम के अंतर्गत अलग से निर्धारित नहीं किया गया है?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 125 प्रदान करती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये नियम जिनके लिये अलग से कोई दंड निर्धारित नहीं किया गया है उसे दंडित किया जाएगा जिसका दंड 25,000 रुपये तक लगाया जा सकता है।

प्र 7. वैध दस्तावेजों के बिना परिवहन की जाने वाली वस्तुओं या बिना उपयुक्त खातों के रिकार्ड के उसे हटाने का प्रयास करने पर उसके लिये क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

उत्तर: यदि कोई व्यक्ति किसी माल की ढुलाई करता है या ऐसे माल की ढुलाई करते समय बिना दस्तावेज (यानी चालान/बिल औरघोषणा) के भंडारण करता है जो अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किये गये हैं या आपूर्ति या किसी माल/वस्तुओं का भंडारण करता है जिसे उसके द्वार रखे बहियों या खातों में दर्ज नहीं किया गया है, तब ऐसी वस्तुएं तथा वाहन जिसमें उन वस्तुओं को ले जाया जा रहा है, जब्ती के लिये उत्तरदायी होंगी।

जहां मालिक आगे आता है : ऐसी वस्तुओं को लागू कर और 100 प्रतिशत कर के बराबर दंड की राशि सहित या कथित भुगतान के बराबर की सुरक्षा राशि देकर ही छोड़ा जा सकता है।

छूट प्राप्त वस्तुओं के मामले में दंड राशि वस्तुओं के मूल्य की 2 प्रतिशत अथवा ₹25000/-, जो भी कम हो, होगी।

जहां मालिक आगे नहीं आता है : ऐसी वस्तुओं को लागू कर और वस्तुओं के मूल्य के 50 प्रतिशत बराबर दंड की राशि सहित या

कथित भुगतान के बराबर की सुरक्षा राशि देकर ही छोड़ा जा सकता है।

छूट प्राप्त वस्तुओं के मामले में दंड राशि वस्तुओं के मूल्य की 5 प्रतिशत अथवा रु 25000/—, जो भी कम हो, होगी।

प्र. 8. ऐसे व्यक्ति के लिये क्या दंड निर्धारित किया गया है जो संरचना योजना (composite scheme) के विकल्प का चयन करता है बावजूद इसके कि वह कथित योजना का पात्र नहीं है?

उत्तर: धारा 10(5) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि एक व्यक्ति जिसने अपने कर दायित्व के लिये संरचना योजना के विकल्प का चयन किया है जब यह ज्ञात हो जाता है कि वह इसके लिये पात्र नहीं है तब कथित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कथित व्यक्ति देय कर के बराबर की राशि के लिए दंड का उत्तरदायी होगा अर्थात् एक सामान्य कराधीन व्यक्ति के रूप में और यह कि यह दंड उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त होगा।

प्र 9. कुर्की से क्या मतलब है?

उत्तर: शब्द कुर्की को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। इस अवधारणा को रोमन कानून से लिया गया है जिसमें जब्त करना या सम्राट के हाथों में लेना, और सम्राट के जेब या खजाने में स्थानांतरित करना है। शब्द 'जब्त' को अय्यर के विधि शब्दकोश में परिभाषित किया गया है "दंड के माध्यम से सार्वजनिक राजकोष के लिये हथियाना (निजी संपत्ति); संपत्ति से वंचित कर राज्य के लिये जब्त करना"

संक्षेप में इसका अर्थ वस्तुओं के हक का स्थानांतरण सरकार को होना है।

प्र 10. सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत किन परिस्थितियों में वस्तुओं/माल को जब्त किया जा सकता है?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियमकी धारा 70 के अंतर्गत, वस्तुएं/माल जब्ती के लिये उत्तरदायी होगा यदि कोई व्यक्ति:

- इस अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन के परिणाम में माल की आपूर्ति और उस कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप अधिनियम के अंतर्गत कर की चोरी करता है, या
- अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक तरीके से वस्तुओं/माल का सही खाते नहीं रखता है, या
- बिना पंजीकरण का आवेदन किये कर के लिये उत्तरदायी वस्तुओं की आपूर्ति करता है, या
- सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी वाहन का इस्तेमाल माल की दुलाई के माध्यम के लिए करता है (जब तक मालिक की जानकारी के बिना किया गया हो)
- कर भुगतान से बचने के इरादे के साथ अधिनियम/नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।

प्र 11. सक्षम अधिकारी द्वारा वस्तुओं/माल जब्त करने के मामले में वस्तुओं/माल का क्या होता होता है?

उत्तर: जब्त करने पर, जब्त वस्तुओं/माल पर सरकार का स्वामित्व हो जाता है और इस संबंध में सक्षम अधिकारी जिन पुलिस अधिकारियों को अनुरोध करता है वह प्रत्येक पुलिस अधिकारी वस्तुओं/माल का कब्जा प्राप्त करने में उसकी सहायता करेंगे।

प्र 12. जब्त करने के बाद, क्या उस व्यक्ति को यह विकल्प देना आवश्यक है कि वह भुगतान कर कथित वस्तुओं/माल को छुड़ा redeem ले?

उत्तर: हाँ। धारा 130(2) के अनुसार, जब्त की गई वस्तुओं/माल के

लिये उत्तरदायी स्वामी या प्रभारी को जब्ती के बदले जुर्माने (जब्त किये माल की बाजार कीमत से अधिक नहीं) का विकल्प दिया जाना चाहिए है। यह जुर्माना कर की राशि और अन्य शुल्कों के अतिरिक्त होगा जो इस तरह के माल के संबंध में देय होंगे।

प्र 13. क्या कोई वाहन जो वस्तुओं/माल को बिना निर्धारित दस्तावेजों के ले जाया जा रहा है जब्त किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ। धारा 130 प्रदान करती है कि कोई भी वाहन जो वस्तुओं/माल को बिना निर्धारित दस्तावेजों या अधिनियम के अंतर्गत घोषणा के ले जाया जा रहा है, जब्ती के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, अगर वाहन का मालिक यह साबित कर देता है कि वस्तुएं/माल बिना आवश्यक दस्तावेजों/घोषणा के उसकी जानकारी के बिना अथवा मिलीभगत या उसके एजेंट की जानकारी अथवा मिलीभगत के बिना ले जाया जा रहा था, तो वाहन जब्त नहीं होगा जैसा कि उपर बताया गया है।

प्र 14. अभियोजन पक्ष क्या है?

उत्तर: अभियोजन कानूनी कार्यवाही का प्रारंभ या शुरुआत है; अपराधी के विरुद्ध औपचारिक आरोप निष्पादित करने की प्रक्रिया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 अभियोजन को किसी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही को प्रारम्भ या शुरुआत करने के रूप में परिभाषित करती है।

प्र 15. कौन से अपराध हैं जो सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाने अधिकार/आदेश देते हैं?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 73 अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रमुख अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है जो आपराधिक कार्यवाही और अभियोगप्रारम्भ करने का आदेश देते हैं। नीचे 12 ऐसे प्रमुख अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है:

- 1) बिना चालान/बिल जारी किये आपूर्ति करना या झूठे/गलत चालान/बिल जारी करना;
- 2) बिना आपूर्ति किये चालान/बिल जारी करना;
- 3) 3 महीने से भी अधिक अवधि के लिये एकत्रित किये कर का भुगतान ना करना;
- 4) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 3 महीने से भी अधिक समय के लिये एकत्र किये गये किसी कर को जमा नहीं करना है;
- 5) बिना वस्तुओं/माल और/या सेवाओं की वास्तविक प्राप्ति किए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना या उपयोग करना;
- 6) किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से रिफंड प्राप्त करना,
- 7) झूठी जानकारी प्रस्तुत करना या वित्तीय अभिलेखों की जालसाजी करना या कर के भुगतान से बचने के लिए फर्जी खातों/दस्तावेज प्रस्तुत करना;
- 8) किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों का निष्पादन करने में अवरोध उत्पन्न करना या रोकना;
- 9) जब्ती के लिए उत्तरदायी वस्तुओं/माल से निपटना दूसरे शब्दों में, जब्ती के लिए उत्तरदायी वस्तुओं/माल की रसीद, आपूर्ति, भंडारण या ढुलाई करना;
- 10) अधिनियम के उल्लंघन करने वाली सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करना/निपटना;
- 11) किसी भी महत्वपूर्ण साक्ष्य अथवा दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना अथवा नष्ट करना ।
- 11) अधिनियम/नियम द्वारा आवश्यक किसी जानकारी देने में विफलता या झूठी जानकारी देना;
- 12) को प्रतिबद्ध करने का प्रयास या ऊपर 11 अपराधों में

से किसी एक को करने का प्रयास करना या सहयोग देना।

प्र 16. सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर क्या दंड निर्धारित किया जाता है?

उत्तर: धारा 132(1) में दंड की योजना नीचे प्रदान की जाती है

अपराध में संलग्नता	दंड (कारावास का विस्तार ---)
5 करोड़ रुपये से भी अधिक कर की चोरी अथवा अपराध दोहराना 250 लाख रुपये	5 साल और जुर्माना
2 करोड़ और 5 करोड़ रुपये के बीच कर की चोरी	3 साल और जुर्माना
1 करोड़ और 2 करोड़ रुपये के बीच कर की चोरी	1 साल और जुर्माना
झूठा रिकार्ड अधिकारी का कार्य बाधित करना रिकार्ड से छेड़छाड़	छः महीने

प्र 17. सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराध क्या हैं?

उत्तर: सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 132(4) और 132(5) के अनुसार

- सभी अपराध जिनमें कर की चोरी 5 करोड़ रुपये से कम है वह गैर-संज्ञेय और जमानती होंगे,
- सभी अपराध जिन में कर की चोरी 5 करोड़ रुपये से अधिक है वह संज्ञेय और गैर जमानती होंगे।

प्र 18. क्या अभियोजन प्रारम्भ करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है?

उत्तर: हाँ। किसी भी व्यक्ति पर किसी अपराध के लिए बिना नामित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

प्र 19. सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए “mens-rea” या दोषी मानसिक स्थिति आवश्यक है?

उत्तर: हाँ, हालांकि, धारा 135 मानसिक अवस्था (अर्थात् दोषी मानसिक स्थिति या mens-rea) के अस्तित्व को मानती है जो एक अपराध करने के लिए आवश्यक है, जिसे अगर मानसिक अवस्था ऐसी नहीं होती तो नहीं किया जा सकता था।

प्र 20. दोषी मानसिक स्थिति क्या है?

उत्तर: एक अपराध करते समय, एक “दोषी मानसिक स्थिति” मन की वह अवस्था है जिसमें –

- कृत्य जानबूझकर किया गया है;
- कृत्य और इसके असर समझ में आ रहे थे और नियंत्रित किये जा सकते थे;
- जिस व्यक्तिने यह कृत्य किया है उसे ऐसा करने के लिये मजबूर नहीं किया गया था और यहां तक कि कथित अपराध करने के लिए बाधाओं को भी पार किया था;
- व्यक्ति को विश्वास है या विश्वास करने का कारण है कि कृत्य कानून के प्रतिकूल है।

प्र 21. क्या एक कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है या सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियमके अंतर्गत किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियमकी धारा 137 प्रदान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने व्यापार के संचालन के लिए एक कंपनी का प्रभारी है या कंपनी के व्यवसाय संचालन के प्रति जिम्मेदार है, कंपनी सहित, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और उसे कंपनी द्वारा किये अपराध करने के लिये दंडित किया जाएगा क्योंकि कथित व्यक्ति कंपनी के मामलों का प्रभारी था। यदि कंपनी द्वारा कोई निम्न अपराध किया जाता है –

- आपसी सहमति/मिलीभगत से किया गया है, या
- लापरवाही के कारण है –

अगर यह कृत्य कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा किया गया है तब कथित अधिकारी को कथित अपराध का दोषी मान लिया जाएगा और वह कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगा और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

प्र 22. अपराधों के संयुक्तिकरण (compounding of offences) का क्या मतलब है?

उत्तर: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 'संयुक्तिकरण/compounding को किसी प्रतिफल या किसी निजी कारणवश अभियोग को रोकने के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्र 23. क्या सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संयुक्तिकरण किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ। सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियमकी धारा 138 के अनुसार, किसी भी अपराध का, निम्नलिखित के अतिरिक्त, निर्धारित भुगतान की राशि पर संयुक्तिकरण किया जा सकता है और इस तरह के संयुक्तिकरण या तो अभियोजन शुरू करने से पहले या बाद में करने की अनुमति है:

- 12 प्रमुख अपराधों (रूपर प्रश्न 16 में उल्लिखित हैं) में

से क्रम 1 से 6, यदि एक व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है उसने इनमें कथित अपराधों में से किसी एक के संबंध में संयुक्तिकरण पहले कर लिया है;

- 12 प्रमुख अपराधों (ऊपर प्रश्न 16 में उल्लिखित हैं) में से क्रम 1 से 6 में सहायता/सहयोग करने, यदि एक व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है उसने इनमें कथित अपराधों में से किसी एक के संबंध में संयुक्तिकरण पहले कर लिया है;
- एस.जी.एस.टी. अधिनियम/आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध (ऊपर अपराधों के अतिरिक्त) 1 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक राशि की आपूर्ति के संबंध में, यदि अपराध का दोषी व्यक्ति ने पहले ही कथित अपराधों के संबंध में संयुक्तिकरण कर लिया है;
- कोई अपराध जो एन.डी.पी.एस.ए. या एफ.ई.एम.ए. या सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी.के अतिरिक्त भी किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अपराध है;

संयुक्तिकरण के लिए अनुमति केवल कर, ब्याज और दंड का भुगतान करने के बाद दी जानी चाहिए और पहले से ही किसी भी कानून के अंतर्गत शुरू की गई किसी कार्यवाही को यह प्रभावित नहीं करेगा।

प्र 24. क्या अपराध के संयुक्तिकरण के लिये कोई मौद्रिक सीमा निर्धारित सीमा की गई है?

उत्तर: हाँ। संयुक्तिकरण की राशि की न्यूनतम सीमा निम्नलिखित राशियों से अधिकतम राशि होगी:—

- संलग्न कर का 50 प्रतिशत, या
- 10,000/— रुपये

संयुक्तिकरण की राशि के लिए ऊपरी सीमा निम्न राशियों से अधिक होगी:—

- संलग्न कर का 150 प्रतिशत, या
- 30,000 रुपये।

प्र 25. सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध में संयुक्तिकरण का क्या असर है?

उत्तर: धारा 138 की उप-धारा (3) यह प्रदान करती है कि संयुक्तिकरण की राशि का भुगतान करने पर इस अधिनियम के अंतर्गत आगे कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए और पहले से चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।

आई.जी.एस.टी. अधिनियम का अवलोकन

21. आई.जी.एस.टी. अधिनियम का अवलोकन

प्र 1. आई.जी.एस.टी. क्या है?

उत्तर: "एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर" (आई.जी.एस.टी.) का मतलब आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति पर करारोपण है।

प्र 2. अंतर-राज्यीय आपूर्ति क्या है?

उत्तर: अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति का मतलब किसी भी आपूर्ति से है जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान अलग राज्यों में हैं। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 7)

प्र 3. जी.एस.टी. के अंतर्गत वस्तुओं और/या सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कैसे कर लगाया जाएगा?

उत्तर: अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर केंद्र द्वारा आई.जी.एस.टी. कर लगाया और एकत्र किया जाएगा। मौटे तौर पर आई.जी.एस.टी. सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. को जोड़ कर प्राप्त किया जाता है और सभी अंतर-राज्यीय वस्तुओं और/या सेवाओं की कराधीन आपूर्ति पर लगाया जाएगा। अंतर-राज्यीय विक्रेता अपनी खरीद के मूल्य संवर्धन पर आई.जी.एस.टी., सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. के उपलब्ध क्रेडिट को समायोजित करने के बाद आई.जी.एस.टी. का भुगतान करेंगे। निर्यातक राज्य को केंद्र को आई.जी.एस.टी. के भुगतान में इस्तेमाल किया एस.जी.एस.टी.का क्रेडिट हस्तांतरित करना होगा। आयात करने वाला डीलर आई.जी.एस.टी. के क्रेडिट का दावा करते हुए अपने ही राज्य में अपने उत्पादन कर के दायित्व का निर्वहन करेंगे। केंद्र आयात करने वाले राज्य को एस.जी.

एस.टी. के भुगतान में इस्तेमाल किया आई.जी.एस.टी. का क्रेडिट हस्तांतरितकरेगा। केंद्रीय एजेंसी को प्रासंगिक जानकारी भी प्रस्तुत कर दी जाएगी जो एक क्लियरिंग हाउस तंत्र के रूप में कार्य करेगी, दावों को सत्यापित कर और संबंधित सरकारों को कोष के हस्तांतरण की सूचना देंगी।

प्र 4 आई.जी.एस.टी. कानून की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर: आई.जी.एस.टी. कानून को 9 अध्यायों और 25 अनुभागों में विभाजित किया गया है। मसौदा, अन्य बातों के साथ, वस्तुओं की आपूर्ति के स्थानके निर्धारण के लिए नियम निर्दिष्ट करता है। जहां आपूर्ति में वस्तुओं की आवाजाही शामिल है, आपूर्ति का स्थान वह स्थल होगा जहां जिस समय वस्तुओं की आवाजाही प्राप्तकर्ता के स्थान पर डिलीवरी के बाद समाप्त हो जाती है। जहां आपूर्ति में वस्तुओं की आवाजाही शामिल नहीं होती, आपूर्ति का स्थान कथित वस्तुओं के लिये उस समय वह स्थल होगा जहां प्राप्तकर्ता को माल की डिलीवरी की गई है। वस्तुओं/माल को एसेम्बल या साइट पर स्थापित करने के मामलों में, आपूर्ति स्थल वह स्थान होगा जहां पर इन वस्तुओं/माल को एसेम्बल या स्थापित किया गया है। अंत में, जहां वस्तुओं/माल की आपूर्ति किसी वाहन पर की गई है, तब आपूर्ति का स्थान वह होगा जहां पर कथित वस्तुओं को वाहन पर डाला गया है। कानून सेवा की आपूर्ति के स्थान का निर्धारण भी प्रदान करता है जहां पर आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता दोनों भारत में स्थित हों (घरेलु आपूर्ति) अथवा जहां पर आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता दोनों भारत के बाहर स्थित हों (अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति), इसकी चर्चा विस्तृत रूप से अगले अध्याय में की गई है।

यह सरलीकृत प्रावधान का अनुचर करते हुए आईजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत ऑनलाईन सूचना द्वारा कर का भुगतान एवं भारत में किसी गैर-पंजीकृत व्यक्ति को भारत में पंजीकरण लेने पर भारत के बाहर स्थित सेवा प्रदाता को डेटाबेस पहुँच जैसे कुछ अन्य

विषिष्ट प्रावधान भी प्रदान करता है। (आईजीएसटी अधिनियम की धारा 14)

प्र 5 आई.जी.एस.टी. मॉडल के क्या लाभ हैं?

उत्तर: आई.जी.एस.टी. मॉडल के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

- क) अंतर-राज्यीय लेन-देन पर अविरल आई.टी.सी. श्रृंखला के रखरखाव;
- ख) अंतर-राज्यीय विक्रेता या खरीदार के लिए अग्रिम कर का भुगतान या पर्याप्त धन जुटाना आवश्यक नहीं है;
- ग) निर्यात राज्यों में रिफंड का दावा नहीं किया जाएगा, क्योंकि कर का भुगतान करते समय आईटीसी का उपयोग किया जाता है;
- घ) स्वयं-निगरानी मॉडल;
- ङ.) कर प्रणाली को सरल रखते हुए करनिष्पक्षता सुनिश्चित करता है;
- च) सरल लेखा के साथ करदाता पर अनुपालन का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालता;
- छ) उच्च स्तर की अनुपालन सुविधाएं प्रदान करेगा और इस प्रकार उच्च राजस्व संग्रह क्षमता सुनिश्चित करता है। मॉडल 'व्यापार से व्यापार' (बी 2 बी) के साथ-साथ 'व्यापार से उपभोक्ता'(बी 2 सी) को नियंत्रित कर सकता है।

प्र 6. आई.जी.एस.टी. के अंतर्गत आयात/निर्यात करारोपण कैसे किया जाएगा?

उत्तर: जीएसटी (आई.जी.एस.टी.) के करारोपण प्रयोजनों के लिये सभी आयात/निर्यात अंतर-राज्यीय आपूर्ति के रूप में माने जाएंगे। कर की घटनाएं गंतव्य सिद्धांत का अनुसरण करेंगी और कर राजस्व

एस.जी.एस.टी. के मामले में उस राज्य को प्राप्त होंगे जहां आयातित माल और सेवाओं का उपभोग किया जा रहा है। वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर आई.जी.एस.टी.के भुगतान का पूरा का पूरा हिस्सा आईटीसी के रूप में उपलब्ध होगा। वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात शून्य दर से होगा। निर्यातक के पास विकल्प होगा कि वह बंध-पत्र के अंतर्गत बिना शुल्क भुगतान के निर्यात करे एवं आईटीसी के धनवापसी का दावा करे अथवा निर्यात के समय आईजीएसटी का भुगतान करे एवं आईजीएसटी के धनवापसी का दावा करे। आयात पर आईजीएसटी के करारोपण का प्रावधान सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत है एवं सीमा शुल्क अधिनियम के करारोपण के साथ में आयात के समय करारोपित किए जाएंगे। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5)

प्र 7. आई.जी.एस.टी. का भुगतान कैसे किया जाएगा?

उत्तर: आई.जी.एस.टी.का भुगतान आईटीसी का उपयोग या नकद द्वारा किया जा सकता है। हालांकि, आई.टी.सी. का उपयोग आई.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए निम्न पदानुक्रम में किया जाएगा, –

- आई.जी.एस.टी ही का उपलब्ध आई.टी.सी. का उपयोगआई.जी.एस.टी.के भुगतान के लिये किया जाएगा;
- जब एक बार आई.जी.एस.टी.का आई.टी.सी. रिक्त/पूरा हो जाता है सी.जी.एस.टी.के आई.टी.सी. कोआई.जी.एस.टी.भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा;
- यदि दोनों आई.जी.एस.टी.के आई.टी.सी.औरसी.जी.एस.टी.के आई.टी.सी. रिक्त/पूरे हो गये हैं, तब ही डीलर को एस.जी.एस.टी.के आई.टी.सी. का उपयोग कर आई.जी.एस.टी.के भुगतान की अनुमति दी जाएगी।

शेष आई.जी.एस.टी. दायित्व, यदि कोई हो, नकद में भुगतान का उपयोग कर निर्वहन किया जाएगा। जी.एस.टी. प्रणाली क्रेडिट का उपयोग कर

आई.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए इस पदानुक्रम के अनुरक्षण को सुनिश्चित करेगी।

प्र 8. केंद्र, निर्यातक राज्य और आयातक राज्य का प्रकार निपटान कैसे किया जाएगा?

उत्तर: केंद्र और राज्यों के बीच खाते का निपटान दो प्रकार से किया जाएगा, जिन्हें निम्नांकित दिया जा रहा है:

- केंद्र और निर्यातक राज्य: निर्यातक राज्यकेंद्र सरकार को एस.जी.एस.टी. के आई.टी.सी. के समतुल्य राशि का भुगतान करेगा जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा इस्तेमाल किया है।
- केंद्र और आयातक राज्य: केंद्रआई.जी.एस.टी.के आई.टी.सी. के समतुल्य राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्तियों पर एस.जी.एस.टी. के भुगतान के लिये करेगा।

निपटान राज्यों के लिये निपटान अवधि में सभी डीलर द्वारा प्रस्तुत विवरण के संचयी आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार राशि का निपटान सी.जी.एस.टी.और आई.जी.एस.टी. के बीच सम्पन्न किया जाएगा।

प्र 9. एसईजैड इकाई एवं डिवेलपर को की गई आपूर्ति के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा?

उत्तर: एसईजैड इकाई एवं डिवेलपर को आपूर्ति शून्य दर से होगी उसी तरीके से जैसा कि भौतिक निर्यात में किया गया है। आपूर्तिकर्ता के पास विकल्प होगा कि वह एसईजैड को आपूर्ति बिना कर भुगतान के कर सकता है एवं उस आपूर्ति पर इंपुट कर का धनवापसी दावा कर सकता है (आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16)

प्र 10. क्या आईजीएसटी एवं सीजीएसटी अधिनियम में व्यापार प्रक्रिया एवं अनुपालन आवश्यकता एक जैसी हैं?

उत्तर: प्रक्रियाएं जैसे पंजीकरण, रिटर्न भरने एवं कर भुगतान के लिए प्रक्रिया एवं अनुपालन आवश्यकता एक जैसी हैं। इसके अतिरिक्त, आईजीएसटी कर निर्धारण, लेखा-परीक्षा, मूल्यांकन, आपूर्ति का समय, बिल, लेखा, रिकार्ड, न्याय निर्णय, अपील इत्यादि प्रावधानों को सीजीएसटी अधिनियम से लेता है (आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20)

वस्तुओं और सेवाओं का
आपूर्ति स्थल

22. वस्तुओं और सेवाओं का आपूर्ति स्थल

प्र 1. जी.एस.टी. के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति स्थल की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर: जी.एस.टी. का बुनियादी सिद्धांत है कि कथित आपूर्ति के उपभोग के गंतव्य पर प्रभावी ढंग से करारोपण किया जाए यानि खपत के स्थान पर। इसलिए आपूर्ति स्थल का प्रावधान स्थान निर्धारित करता है अर्थात कराधीन अधिकार क्षेत्र जहां कर की पहुंच होनी चाहिए। आपूर्ति का स्थान यह निर्धारित करता है कि क्या एक लेनदेन अंतर-राज्यीय है या राज्य के भीतर। दूसरे शब्दों में, वस्तुओं की आपूर्ति के स्थान का निर्धारित करना कि क्या एक आपूर्ति किसी राज्य में एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. के अधीन है या उस पर आई.जी.एस.टी. करारोपण किया जाएगा यदि वह अंतर-राज्यीय आपूर्ति है, के लिए महत्वपूर्ण है।

प्र 2. वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में आपूर्ति स्थान के प्रावधान में भिन्नता क्यों है?

उत्तर: वस्तुएं/माल साकार/भौतिक होने के कारण उनके उपभोग के गंतव्य स्थान को निर्धारित करने में कोई महत्वपूर्ण समस्या पैदा नहीं होती। सेवाओं के मामले में अप्रत्यक्षता निम्न कारकों के कारण आपूर्ति के स्थान का निर्धारण करने में गंभीर समस्या उत्पन्न करती है:

- (i) सेवा की डिलीवरी के तरीके को आसानी से बदला जा सकता है। उदाहरण के लिये दूरसंचार सेवा को ज्यादातर पोस्ट-पेड से प्री-पेड; बिल के पते को बदला जा सकता है, बिल भेजने वाले का पता बदला जा सकता है, सॉफ्टवेयर की मरम्मत या रखरखाव ऑनसाइट से ऑनलाइन बदला जा सकता है; पहले बैंकिंग सेवाओं के लिये बैंकों में जाना आवश्यक था, अब ग्राहक कहीं से भी बैंक की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं;

- (ii) सेवा प्रदाता, सेवा प्राप्तकर्ता और प्रदान की गई सेवा का पता नहीं लगाया जा सकता या उन्हें आसानी से दबाया जा सकता है क्योंकि उनमें कुछ भी ठोस/भौतिक गतिविधि नहीं है और उन्हें खोजा नहीं जा सकता;
- (iii) सेवा की आपूर्ति के लिए, सेवा प्रदाता का कोई निश्चित स्थान अनिवार्य नहीं है और यहां तक कि सेवा प्राप्तकर्ता सेवा को कहीं भी रास्ते में प्राप्त कर सकता है। बिल का स्थान रातोंरात बदला जा सकता है;
- (iv) कभी-कभी एक ही तत्व विभिन्न स्थानों पर प्रवाहित हो सकते हैं, उदाहरण के लिये, निर्माण या एक रेलवे लाइन, एक राष्ट्रीय राजमार्ग या एक नदी पर पुल जैसी अन्य सेवाओं के संबंध में जो एक राज्य में शुरू होती हैं और दूसरे राज्य में समाप्त होती हैं। इसी प्रकार एक फिल्म के प्रदर्शन के लिए वितरण का कॉपीराइट कई राज्यों के लिये एकमात्र लेनदेन के साथ सौंपा जा सकता है या एक विज्ञापन या एक कार्यक्रम एक ही समय पर सारे देश में प्रसारित किया जा सकता है। एक एयरलाइन मौसमी टिकट जारी कर सकता है, जिसमें 10 टिकट सम्मिलित हैं जिसके द्वारा देश में किसी भी दो स्थान के बीच यात्रा के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली मेट्रो द्वारा जारी किए गए कार्ड को नोएडा, या दिल्ली या फरीदाबाद में रहने वाला व्यक्ति दिल्ली मेट्रो को भुगतान की प्राप्ति के समय स्थान या यात्रा के समय में भेद करने में सक्षम किये बिना उपयोग कर सकता है;
- (v) सेवाएं लगातार विकसित हो रही हैं और इस तरह नई चुनौतियां भी निरंतर उत्पन्न होती रहेंगी। उदाहरण के लिए 15-20 साल पहले कोई भी डीटीएच, ऑनलाइन

जानकारी, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, इंटरनेट, मोबाइल दूरसंचार आदि के बारे में सोच भी नहीं सकता था।

प्र 3. किसी लेनदेन में आपूर्ति स्थान का चयन निर्धारित करने के लिये किन प्रतिनिधित्व/प्रॉक्सी या मान्यताओं का प्रयोग किया जा सकता है?

उत्तर: सेवाओं के लेनदेन में शामिल विभिन्न तत्व आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिये प्रतिनिधित्व के रूप में प्रयोग किये जा सकते हैं। एक धारणा या प्रॉक्सी आपूर्ति के स्थान का निर्धारण करने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक उचित परिणाम देती है। उन्हें यहां नीचे दिया जा रहा है:

- (क) सेवा प्रदाता का स्थान;
- (ख) सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान;
- (ग) ऐसा स्थान जहां गतिविधि होती है/प्रदर्शन का स्थान;
- (घ) वह स्थान जहां इसका उपभोग किया गया है; और
- (ङ.) स्थान/व्यक्ति जिसके वास्तविक लाभ प्रवाहित हो रहे हैं

प्र 4. बी2बी (पंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति) और बी2सी (अपंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति) के लेन-देन के संबंध में आपूर्ति के स्थान के लिए अलग नियमों की क्या आवश्यकता है?

उत्तर: बी2बी लेन-देन के संबंध में, प्राप्तकर्ता द्वारा करों के भुगतान को क्रेडिट के रूप में लिया जाता है ताकि कथित लेनदेन पूरे किये जा सकें। बी2बी की आपूर्ति पर एकत्रित जी.एस.टी. प्रभावी रूप में सरकार का दायित्व उत्पन्न करता है और कथित प्राप्तकर्ता की आपूर्ति की सम्पत्ति उतनी अधिक होगी कि वह अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपने भविष्य के करों का भुगतान करने के लिये उपयोग करने का हकदार हो सके। बी2बी के लेन-देन के लिए प्राप्तकर्ता के

स्थान, लगभग सभी स्थितियों में प्राप्तकर्ता द्वारा आगे क्रेडिट लिया जाना है इस बात का ध्यान रखता है। प्राप्तकर्ता आमतौर पर आगे अपने ग्राहक को आपूर्ति करता है। आपूर्ति केवल तब प्रयुक्त होती है जब एक बी2बी लेनदेन आगे बी2सी लेनदेन में परिवर्तित होता है। बी2सी लेनदेन के संबंध में, आपूर्ति अंत में प्रयुक्त हो जाती है और भुगतान किया गया कर वास्तव में सरकार को प्राप्त हो जाता है।

प्र 5. जहां वस्तुओं/माल को हटा दिया जाता है वहां आपूर्ति का स्थान क्या होगा ?

उत्तर: वस्तुओं/माल की आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां उस समय जहां पर प्राप्तकर्ता के स्थान पर डिलीवरी करने के पश्चात वस्तुओं/माल की आवाजाही समाप्त हो जाती है। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 10)

प्र 6. जब एक आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तुओं/माल की आपूर्ति तीसरे व्यक्ति के निर्देश पर किसी व्यक्ति पर की जाती है तब आपूर्ति स्थान क्या होगा?

उत्तर: ऐसा मान लिया जाएगा कि तीसरे व्यक्ति ने वस्तुएं/माल प्राप्त कर ली हैं और कथित वस्तुओं/माल की आपूर्ति का स्थान उस व्यक्ति के व्यापार का प्रमुख स्थान होगा। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9)

प्र 7. जब वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति एक वाहन जैसे जहाज, हवाई जहाज, रेल या मोटर वाहन आदि द्वारा की जाती है, तब आपूर्ति स्थान क्या होगा?

उत्तर: ऐसे माल के संबंध में, आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां पर वस्तुओं/माल को वाहन पर डाला जाता है। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9)।

हालांकि, सेवाओं के संबंध में, आपूर्ति का स्थान वह निर्धारित स्थान

होगा जहां से उस वाहन द्वारा यात्रा के लिए प्रस्थान किया था।
(आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 12 एवं 13)

प्र 8. आपूर्ति के स्थान के लिये बी2बी सेवाओं आपूर्ति के संबंध में स्वतः(डिफॉल्ट) अनुमान क्या है

उत्तर: आई.जी.एस.टी. अधिनियम में प्रयुक्त किये शब्द पंजीकृत करदाता और गैर-पंजीकृत करदाता हैं। आपूर्ति के मामले में अनुमान पंजीकृत व्यक्ति के लिए उसके स्थान से है। चूंकि प्राप्तकर्ता पंजीकृत है, प्राप्तकर्ता का पता हमेशा वहाँ पर है और उसी को आपूर्ति के स्थान के लिए प्रॉक्सी के रूप में लिया जा सकता है।

प्र 9. अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं के संबंध में आपूर्ति के स्थान का डिफॉल्ट अनुमान क्या है?

उत्तर: अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं के संबंध में, आपूर्ति का सामान्य स्थान प्राप्तकर्ता का स्थान है। हालांकि कई मामलों में, प्राप्तकर्ता के पते उपलब्ध नहीं होते, इस तरह के मामलों में, सेवाओं की आपूर्तिकर्ता के स्थान को आपूर्ति के स्थान के लिए प्रॉक्सी के रूप में लिया जाता है।

प्र 10. अचल संपत्ति के संबंध में आपूर्ति का स्थान अचल संपत्ति का स्थान है। मान लीजिए कि दिल्ली से मुंबई के लिए एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है और वह सड़क कई राज्यों को कवर करती है। आपूर्ति का स्थान क्या होगा?

उत्तर: जहाँ कहीं भी अचल संपत्ति एक से अधिक राज्यों में स्थित है, सेवाओं की आपूर्ति को प्रत्येक राज्य में प्राप्त की गई सेवाओं और निर्धारित मूल्य के यथानुपात पृथक रूप से लिया जाएगा, समझौते की शर्तों के अनुबंध के अनुसार या, अनुबंध की अनुपस्थिति में, दूसरे किसी ऐसे आधार पर जिसे इस संबंध में निर्धारित किया जा सकता है। (घरेलु आपूर्ति हेतु आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 12(3) का स्पष्टीकरण खंड)

प्र 11. किसी कार्यक्रम, को आयोजित करने के लिये प्रदान की गई सेवाओं की आपूर्ति का स्थान क्या होगा, जैसे, आईपीएल क्रिकेट श्रृंखला जो कि कई राज्यों में आयोजित की जाती हैं?

उत्तर: किसी कार्यक्रम के मामले में, यदि सेवा प्राप्तकर्ता पंजीकृत है, तब कार्यक्रम, को आयोजित करने के लिये सेवा की आपूर्ति का स्थान ऐसे व्यक्ति के स्थान होगा।

हालांकि, यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत नहीं है, आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चूंकि कार्यक्रम कई राज्यों में आयोजित किया जा रहा है और इन सेवाओं के लिये एक समेकित (consolidated) राशि चार्ज की गई है, तब आपूर्ति का स्थान प्रत्येक राज्य द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के अनुपातिक मूल्य पर मान ली जाएगी। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 12(7) का स्पष्टीकरण खंड)

प्र 12. कूरियर अथवा डाक द्वारा माल के परिवहन के संबंध में माल की आपूर्ति का स्थान क्या होगा?

उत्तर: घरेलु आपूर्ति के मामले में: यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत है, तब उस व्यक्ति का स्थान आपूर्ति का स्थान होगा।

हालांकि, यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत नहीं है, तब आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा, जहां वस्तुओं को परिवहन के लिए सौंप दिया जाता है। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 12)

अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति हेतु: परिवहन सेवाओं की आपूर्ति का स्थान, कूरियर सेवाओं को छोड़कर, वस्तुओं का गन्तव्य स्थान होगा। कूरियर हेतु वस्तुओं की आपूर्ति का स्थान वह होगा जहां वस्तुओं को कूरियर को सौंप दिया जाता है। यद्यपि, यदि कूरियर सेवाएं आंशिक रूप से भारत में दी जाती हैं, आपूर्ति का स्थान भारत माना जाएगा। (आई.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 13(3), 13(6) एवं 13(9))

प्र 13. जब एक व्यक्ति मुंबई से दिल्ली और वापस मुंबई यात्रा करता है तब आपूर्ति का स्थान क्या होगा?

उत्तर: यदि व्यक्ति पंजीकृत है, तो आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता का स्थान होगा। यदि व्यक्ति पंजीकृत नहीं है, तब मुंबई से दिल्ली की आगे की यात्रा का आपूर्ति स्थान मुंबई होगा, वह स्थान जहां से उसने यात्रा की शुरुआत की थी।

हालांकि, वापसी यात्रा के लिए, आपूर्ति का स्थान दिल्ली होगा क्योंकि वापसी की यात्रा को अलग यात्रा के रूप में समझा जाएगा। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 12(9) का स्पष्टीकरण खंड))

प्र 14. मान लीजिए कि मैसर्स एअर इंडिया द्वारा एक व्यक्ति को भारत में कहीं भी यात्रा के लिए एक टिकट/पास जारी किया गया है। इस स्थिति में आपूर्ति का स्थान क्या होगा?

उत्तर: उपरोक्त मामले में, चालान/बिल जारी करने के समय यात्रा प्रारम्भ करने का स्थान उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि यात्रा करने का अधिकार भविष्य के लिये है। तदनुसार, आपूर्ति का स्थान यात्रा प्रारम्भ करने का स्थान नहीं हो सकता। ऐसे मामले में, डिफॉल्ट नियम लागू होगा। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 12(9) का प्रावधानिक खंड))

प्र 15. मोबाइल कनेक्शन के लिए आपूर्ति का स्थान क्या होगा? क्या यह आपूर्तिकर्ता का स्थान हो सकता है?

उत्तर: घरेलू आपूर्ति के लिए/हेतु मोबाइल सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का स्थान आपूर्ति का स्थान नहीं हो सकता क्योंकि मोबाइल कंपनियां कई राज्यों में सेवाएं प्रदान कर रही हैं और इनमें से कई सेवाएं अंतर-राज्यीय हैं। यदि आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति स्थान के रूप में लिया जाता है तब उपभोग सिद्धांत (consumption principle) खंडित हो जाएगा और सारा राजस्व कुछ राज्यों में चला जाएगा जहां आपूर्तिकर्ता स्थित हैं।

मोबाइल कनेक्शन का आपूर्ति स्थान इस पर निर्भर करेगा कि क्या कनेक्शन पोस्टपेड या प्रीपेड आधार पर है। पोस्टपेड कनेक्शन के मामले में, आपूर्ति का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता के बिल में दिये पते का स्थान होगा।

प्री-पेड कनेक्शन के मामले में, आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां पर इस कनेक्शन के लिए भुगतान प्राप्त होता है या इस तरह के प्री-पेड वाउचर बेचे गये हैं। हालांकि, अगर रिचार्ज इंटरनेट/ई-पेमेंट के माध्यम से किया जाता है, रिकॉर्ड पर सेवा प्राप्तकर्ता के पते का स्थान सेवा की आपूर्ति के स्थान के रूप में लिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति हेतु: टेलीकॉम सेवाओं की आपूर्ति का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान होगा।

प्र 16. गोवा में एक व्यक्ति दिल्ली में शेरों के दलाल से एनएसई (मुंबई में) पर शेर खरीदता है (मुंबई में)। आपूर्ति का स्थान क्या होगा?

उत्तर: आपूर्ति का स्थान सेवाओं के प्राप्तकर्ता के रिकार्ड/अभिलेखों पर दिया पता होगा। इसलिये गोवा आपूर्ति का स्थान होगा।

प्र 17. मुंबई से एक व्यक्ति कुल्लू-मनाली के लिए जाता है और मनाली में आईसीआईसीआई बैंक से कुछ सेवाओं प्राप्त करता है। आपूर्ति का स्थान क्या होगा?

उत्तर: यदि सेवा व्यक्ति के खाते से जुड़ी हुई नहीं है, तब आपूर्ति का स्थान मनाली होगा यानि सेवा आपूर्तिकर्ता का स्थान होगा। हालांकि, अगर सेवा व्यक्ति के खाते से जुड़ी है, तब आपूर्ति का स्थान मुंबई होगा, सेवा आपूर्तिकर्ता के रिकार्ड पर सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान।

प्र 18. गुड़गांव से एक व्यक्ति एयर इंडिया के विमान से दिल्ली के लिए यात्रा करता है और अपनी यात्रा का बीमा मुंबई में करता है। आपूर्ति का स्थान क्या होगा?

उत्तर: बीमा सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रिकार्ड/अभिलेखों पर सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान आपूर्ति का स्थान होगा। इसलिये गुड़गांव आपूर्ति कास्थान होगा। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 11(13) का प्रावधानिक खंड)

जी.एस.टी. पोर्टल पर
दृश्यपटल व्यापारिक
(Frontend Business) प्रक्रिया

23. जी.एस.टी. पोर्टल पर दृश्यपटल व्यापारिक (Frontend Business) प्रक्रिया

प्र 1. जी.एस.टी.एन. क्या है?

उत्तर: वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) एक गैर-लाभ गैर-सरकारी कंपनी है, जो करदाताओं और अन्य हितधारकों सहित केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को आईटी के बुनियादी ढांचे और सेवा की साझा सुविधाएं प्रदान करेगा। पंजीकरण की फ्रंटएंड सेवाएं, रिटर्न और सभी करदाताओं के लिए भुगतान जी.एस.टी.एन. द्वारा प्रदान किये जाएंगे। यह सरकार और करदाताओं के बीच एक इंटरफेस होगा।

प्र 2. जी.एस.टी.एन. निर्मित करने की आवश्यकता क्यों थी?

उत्तर: जीएसटी सिस्टम प्रोजेक्ट एक अद्वितीय और जटिल आईटी पहल है। यह अनोखा है क्योंकि यह पहली बार है कि करदाता के लिए एक समान अंतरफलक स्थापित करने और केन्द्र और राज्यों के बीच एक साझा और साझा आईटी बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए पहली बार है। वर्तमान में, केंद्र और राज्य अप्रत्यक्ष कर प्रशासन विभिन्न कानूनों, विनियमों, प्रक्रियाओं और प्रारूपों के तहत काम करते हैं और परिणामस्वरूप आईटी सिस्टम स्वतंत्र साइटों के रूप में काम करते हैं। जीएसटी कार्यान्वयन के लिए उन्हें एकीकृत करना जटिल होगा क्योंकि इसमें संपूर्ण अप्रत्यक्ष कर पारिस्थितिकी तंत्र को सम्मिलित करना शामिल होगा ताकि सभी कर प्रशासन (केंद्र, राज्य और संघ शासित प्रदेशों) को आईटी परिपक्वता के समान स्तर पर समान स्वरूप और करदाताओं और अन्य के लिए इंटरफेस के साथ लाने के लिए बाहरी हिस्सेदार। इसके अलावा, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय व्यापार (आईजीएसटी) को राज्यों और केंद्रों के बीच एक मजबूत निपटान तंत्र की आवश्यकता होगी। यह केवल तभी संभव है जब मजबूत हो

आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और सर्विस रीड है जो हितधारकों (करदाताओं, राज्यों और केंद्र सरकार, बैंक और आरबीआई सहित) में जानकारी के प्रसंस्करण और आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जीएसटीएन बनाया गया था।

प्र 3. जी.एस.टी.एन. की उत्पत्ति क्या है?

उत्तर: दिनांक 21.07.2010 को आयोजित राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की 2010 की चौथी बैठक में मजबूत आई.टी. बुनियादी ढांचे की आवश्यकता की चर्चा की गई। उक्त बैठक में अधिकार प्राप्त समिति, डॉक्टर नंदन नीलकेनी की अध्यक्षता तथा अतिरिक्त सचिव (राजस्व), सदस्य (बी. – सी.), सी. बी. ई. सी., महानिदेशक (सिस्टम), सी. बी. ई. सी., वित्त मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार, अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य सचिव तथा पांच राज्यों के आयुक्त, व्यापार कर (महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात) की सदस्यता में ढैज के लिए आई.टी. बुनियादी ढांचे पर सशक्त समूह के निर्माण की मंजूरी दी। अन्य बातों के साथ समूह के लिए यह अनिवार्य था कि, एक राष्ट्रीय जानकारी जीएसटी नेटवर्क (GSTN) बुलाया जाना और संरचना और NIU/SPV, के लिए संदर्भ की शर्तों की सिफारिश करने के लिए आम पोर्टल को लागू करने के लिए उपयोगिता (NIU/एसपीवी) की स्थापना के लिए रूपरेखा के लिए विस्तृत कार्यान्वयन रणनीति और प्रशिक्षण, जैसे अन्य मदों के अलावा इसके निर्माण के लिए रोड मैप आउटरीच आदि।

मार्च 2010 में, वित्त मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय सूचना ने इस बात की सिफारिश की कि ढैज सहित बड़े और जटिल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी कंपनियों का गठन होना चाहिए जो कि तकनीकी और प्रणालीगत की जांच का विभिन्न पहलुओं के बारे में केंद्र सरकार को अवगत कराये।

ई.जी. के तौर-तरीके पर चर्चा करने के लिये 2 अगस्त 2010 से

8 अगस्त 2011 के बीच सात बैठकें हुई थी। गहन विचार-विमर्श करने के बाद, ई.जी. ने जी.एस.टी. व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिये एक विशेष प्रयोजन साधन/माध्यम (Special Purpose Vehicle) स्थापित करने की सिफारिश की। भारी मांग भरे माहौल को ध्यान में रखते हुए कुशल और विश्वसनीय सेवाओं के प्रावधान सक्षम करने के लिए, ई.जी. ने जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. में गैर-सरकारी संरचना के साथ सरकार की 49 प्रतिशत (केंद्र 24.5 प्रतिशत और राज्य 24.5 प्रतिशत) हिस्सेदारी/इक्विटी की कुछ मुख्य मापदंडों पर विचार करने के बाद जैसे प्रबंधन की स्वतंत्रता, सरकार का रणनीतिक नियंत्रण, संगठनात्मक संरचना में लचीलापन, निर्णय लेने में तेजी और सक्षम मानव संसाधनों की नियुक्तियों और उन्हें रोके रखना आदि की सिफारिश की।

जी.एस.टी.एन. की भूमिका की संवेदनशीलता को देखते हुए और इसमें जो जानकारी उपलब्ध होंगी, ई.जी. ने जी.एस.टी.एन. पर सरकार के रणनीतिक नियंत्रण के मुद्दे पर भी विचार किया। समूह ने सिफारिश की थी कि एस.पी.वी. पर सरकार का रणनीतिक नियंत्रण बोर्ड की संरचना, विशेष प्रस्तावों के तंत्र और शेरधारकों के समझौतों, सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर आरम्भ, और जी.एस.टी.एन. एस.पी. वी. और सरकारों के बीच समझौतों के उपायों के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, हिस्सेदारी ढांचा यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्तिगत रूप से केंद्र और राज्य सामूहिक रूप से प्रत्येक 24.5 प्रतिशत के हितधारक होंगे। संयुक्त रूप में, सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी किसी भी निजी संस्था से काफी अधिक होगी।

ई.जी. ने इस कंपनी को चलाने के लिए प्रौद्योगिकी विनिर्देश की जरूरत को भी प्रवृत्त किया ताकि वहाँ रिटर्न का 100 मिलान रहे। व्यापार का ज्ञान भारत और राज्य सरकार के अधिकारियों के पास है। भारत सरकार और राज्यों के अधिकारियों के पास व्यावहारिक ज्ञान है। हालांकि, वहां अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान से लैस व्यावसायिकों

को स्वतंत्र रूप से इस कंपनी को चलाने की आवश्यकता होगी, उसी तरह जैसे एन.एस.डी.एल. जो व्यावसायिकता और स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। ई.जी. ने एक गैर-सरकारी कंपनी की भी सिफारिश की थी जिसे परिचालन में स्वतंत्रता होगी।

यह सिफारिशें राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की 2011 में हुई तीसरी बैठक के समक्ष 19 अगस्त 2011 और 14 अक्टूबर 2011 को आयोजित चौथी बैठक में प्रस्तुत कर दी गई थी। जी.एस.टी.एन. के संबंध में जी.एस.टी. के लिए आईटी बुनियादी ढांचे पर ई.जी. के प्रस्ताव और सरकार के रणनीतिक नियंत्रण के साथ धारा 25 की गैर-लाभ प्राप्त कंपनी के गठन को राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ई.सी.) ने 14.10.11 को आयोजित बैठक में अपनी स्वीकृति दे दी।

राजस्व विभाग की एक विशेष प्रयोजन के साधन की स्थापना के लिये की गई टिप्पणी जिसे वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के नाम से जाना जाता है उपरोक्त पंक्तियों के उल्लेखानुसार मंत्री परिषद द्वारा 12 अप्रैल 2012 को उस पर विचार किया गया और अनुमोदित भी कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नांकित स्वीकृतियां भी दे दी:

- i. वित्त मंत्रालय द्वारा उपयुक्त और इच्छुक गैर-सरकारी संस्थानों की पहचान की जाएगी और जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. को निगमित करने से पूर्व उसमें निवेश कर अंतिम रूप दिया जाएगा।
- ii. एस.पी.वी. पर सरकार का रणनीतिक नियंत्रण इस तरह के बोर्ड की संरचना, विशेष संकल्प के तंत्र और शेयरधारकों के समझौतों, सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का अधिष्ठापन और जी.एस.टी.एन. एस.पी. वी. और सरकारों के बीच समझौतों के उपायों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

- iii. जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. के निदेशक मंडल में 14 निदेशक के साथ केंद्र से 3 निदेशक, 3 राज्यों से, केंद्र और राज्यों के संयुक्त अनुमोदन तंत्र के माध्यम से नियुक्त किये गये निदेशक मण्डल के एक अध्यक्ष, 3 निदेशक निजी इक्विटी हिस्सेदारी धारकों, 3 स्वतंत्र निदेशक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे और खुली चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित जी.एस.टी.एन., एस.पी.वी. का एक सी.ई.ओ. होगा।
- iv. जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. में रणनीतिक नियंत्रण के कार्यान्वयन और आवश्यक डोमेन विशेषज्ञता लाने के लिए सरकार के अधिकारियों को सक्षम कर उनकी प्रतिनियुक्ति हेतु प्रासंगिक नियमों में छूट दी जाएगी।
- v. जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. का स्वयंधारी (Self Sustaining) राजस्व मॉडल होगा, जहां यह करदाताओं और कर अधिकारियों को सेवाओं का लाभ उठाने पर उपयोगकर्ता प्रभार लगाने के लिए सक्षम होगा।
- vi. जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. अप्रत्यक्ष कर से संबंधित एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिये बहुल कर प्राधिकरणों के लिये एकमात्र राष्ट्रीय एजेंसी होगी। तदनुसार, किसी भी अन्य सेवा प्रदाता को समान एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिये जी.एस.टी.एन. एस.पी.वी. की सेवाओं के लिये औपचारिक व्यवस्था में प्रवेश करना आवश्यक होगा।
- vii. एसपीवी के प्रारम्भिक गठन एवं गठन के बाद काम काज के लिए केंद्र सरकार द्वारा तीन साल की अवधि के लिए 315 करोड़ रुपये की एक-मुश्त गैर-आवर्ती अनुदान-सहायता प्रदान की गई।

प्रश्न 4. समानता संरचना और GSTN के राजस्व मॉडल क्या है?

उत्तर: (क) इक्विटी संरचना :- कैबिनेट निर्णय के अनुपालन में, GST नेटवर्क कंपनी अधिनियम, की धारा 8 के तहत एक नहीं के लिए लाभ, गैर-सरकारी, निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में 1956 निम्न इक्विटी संरचना के साथ पंजीकृत किया गया था:

केंद्र सरकार	24.5%
राज्य सरकार	24.5%
एच. डी. एफ. सी.	10%
एच. डी. एफ. सी. बैंक	10%
आई. सी. आई. सी. आई. बैंक	10%
एन. एस. ई. स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी	10%
एल. आई. सी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	11%

सशक्त समिति के राज्य वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय सरकार की एक लंबी अवधि की विचार-विमर्श के बाद GSTN को अपने वर्तमान रूप बनाया गया।

(ख) राजस्व मॉडल : प्रारंभिक GSTN-SPV 2013 की स्थापना करने के लिए भारत सरकार ने 315 करोड़ कि राशि सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृत किया. 31.03.2013 से 31.03.2016 के दौरान कुल राशि में से 143.96 करोड़ रुपये जारी किये गए लेकिन इस जारी की गई राशि में से 62.11 करोड़ रुपये खर्च किये गए और शेष अनुमोदित राशि भारत सरकार को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान वापस किया गया. GSTN को यह राशि अधिकृत बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराये गए जिसका मुख्य उद्देश्य IT प्लेटफार्म कि स्थापना हेतु जिसकि मुख्य भूमिका 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तालमेल करना था. राजस्व मॉडल GSTN

के लिए अधिकार प्राप्त मंत्रियों की समिति राज्य वित्त के अंतर्गत जो उपयोगकर्ता शुल्क समान रूप से केन्द्र और राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा द्वारा अनुमोदित किया गया है। राज्यों के लिए उपयोगकर्ता प्रभार उन्हें पंजीकृत करदाताओं की संख्या पर आधारित के बीच में हो जाएगा

प्र 5. जी.एस.टी.एन. द्वारा क्या सेवाएं प्रदान की जाएंगी?

उत्तर: जी.एस.टी.एन. आम जी.एस.टी. पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा:

- (क) पंजीकरण (मौजूदा करदाता मास्टर परिवर्तन और पी.ए.एन. आधारित पंजीकरण क्रमांक जारी करेगा);
- (ख) भुगतान गेटवे और बैंकिंग सिस्टम के साथ एकीकरण सहित भुगतान प्रबंधन;
- (ग) रिटर्न दाखिल और प्रसंस्करण करेगा;
- (घ) खाता प्रबंधन, अधिसूचनाएं, जानकारी, और स्थिति का पता लगाने सहित करदाता प्रबंधन;
- (च) कर प्राधिकरण खाते और खाता बही प्रबंधन;
- (छ) केन्द्र और राज्यों के बीच निपटान की संगणना (आई. जी.एस.टी. निपटान सहित) आई.जी.एस.टी. के लिए क्लियरिंग हाउस;
- (ज) आयात पर जी.एस.टी. का प्रसंस्करण और मिलान और सीमा शुल्क के ई.डी.आई सिस्टम के साथ एकीकरण;
- (झ) आवश्यकता आधारित जानकारी और व्यावसायिक ज्ञान / इंटीलिजेंस सहित एम.आई.एस.
- (ट) आम जी.एस.टी. पोर्टल और कर प्रशासन सिस्टम के बीच इंटरफेस का रखरखाव;

- (ठ) हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना;
- (ड) कर अधिकारियों को विश्लेषण और व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करना; तथा
- (ढ) अनुसंधान कार्यान्वित करना, सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन और हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

प्र 6 जी.एस.टी.एन. और राज्यों/सी.बी.ई.सी. के बीच इंटरफेस सिस्टम क्या है?

उत्तर: जी.एस.टी. व्यवस्था में, जबकि करदाता सम्मुख पंजीकरण के आवेदन चालान/बिलों की अपलोडिंग, रिटर्न दाखिल करना, कर भुगतान करने जैसी मूल सेवाओं की जी.एस.टी. व्यवस्था द्वारा प्रदान की जाएगी, कर का भुगतान जी.एस.टी. सिस्टम द्वारा आयोजित किया जाएगा, सभी वैधानिक कार्य (जैसे कि पंजीकरण के अनुमोदन, रिटर्न का निर्धारण, जांच और लेखा परीक्षा के आयोजन आदि) राज्यों और केंद्र सरकार के कर अधिकारियों द्वारा आयोजित किये जाएंगे।

इस प्रकार, जी.एस.टी.एन. द्वारा फ्रंटेंड प्रदान किया जाएगा और बैकेंड मॉड्यूल राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा स्वयं विकसित किया जाएगा। हालांकि 24 राज्यों (मॉडल 2 राज्य के रूप में कहा गया है) ने जी.एस.टी.एन. से उनके भी बैकेंड मॉड्यूल विकसित करने का अनुरोध किया है। सी.बी.ई.सी. और बाकी राज्यों (मॉडल 1) ने स्वयं बैकेंड मॉड्यूल विकसित और आयोजित करने का निर्णय लिया है।

प्र 7. पंजीकरण में जी.एस.टी.एन. की क्या भूमिका होगी?

उत्तर: पंजीकरण के लिए आवेदन जी.एस.टी. पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा।

कुछ प्रमुख डेटा जैसे पी.ए.एन., व्यापारिक प्रकृति, आधार कार्ड, सी.आई.एन./डी.आई.एन. आदि (जो लागू हो) को ऑनलाइन संबंधित

एजेंसी यानि सीबीडीटी, यूआईडी, एमसीए आदि के विरुद्ध विधिमाम्य किया जाएगा, इस प्रकार कम से कम दस्तावेज सुनिश्चित करता है।

आवेदन डेटा, स्कैन किए गए संलग्न दस्तावेज जी.एस.टी.एन. द्वारा राज्यों/केंद्र को भेज दिये जाएंगे जो उसके बदले पूछताछ करने के बाद, अनुमोदन या अस्वीकृति सूचित कर जी.एस.टी.एन. में डिजिटल हस्ताक्षरित पंजीकरण कर देगा जिसे बाद में करदाता द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।

प्र 8. जी.एस.टी.एन. में इंफोसिस की क्या भूमिका है?

उत्तर: जी.एस.टी.एन. ने मैसर्स इंफोसिस को एकल प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी), के रूप में डिजाइन, विकास, जी.एस.टी. सिस्टम के इस्तेमाल के लिए नियुक्त किया है, जिसमें सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उपकरण और बुनियादी सुविधाओं सहित गो-लाइव से 5 साल की अवधि के लिए संचालन और अनुरक्षण शामिल है।

प्र 9. जी.एस.टी. आम पोर्टल की बुनियादी विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर: जी.एस.टी. पोर्टल इंटरनेट द्वारा (करदाताओं और उनके सीए/कर अधिवक्ता आदि) और कर अधिकारियों आदि द्वारा इंटरनेट पर सुलभ होगा। पोर्टल सभी जी.एस.टी. से संबंधित सेवाओं के लिए एकल आम पोर्टल होगा उदाहरण के लिए –

- i. करदाता पंजीकरण (नया, समर्पण (surrender), निरस्तीकरण, आदि);
- ii. चालान/बिल अपलोड, खरीद के जी.एस.टी. रिटर्न दाखिल करने हेतु क्रेता के सावधिक रजिस्टर के ऑटो-मसौदा तैयार करता है;
- iii. एजेंसी बैंक के एकीकरण सहित कर का भुगतान;
- iv. आई.टी.सी. और नकद खाता बही और देयता/दायित्व रजिस्टर;

Mismatched आईटीसी को देखने के लिए, कर देयता, दाखिल की स्थिति आदि का दावा है कि कर दाताओं (SME, बड़े उद्यम, लघु उद्यम आदि), जो अपने खरीद बिक्री रजिस्टर डेटा GST अनुरूप प्रारूप, एकीकरण के उनके लेखा संकुल/ईआरपी GST सिस्टम आदि के साथ में परिवर्तित करने की तरह सुविधाओं के विभिन्न प्रकार की आवश्यकता कर सकते हैं की विस्तृत विविधता होगी। जैसा कि बीजक प्रणाली का होना आवश्यक है परन्तु एक स्वचालित तरीका के रूप में यह व्यावहारिक रूप से असंभव है. उन्हें बड़ी संख्या में एक वेब पोर्टल के माध्यम से चालान अपलोड करने के लिए हो सकता है. GST सिस्टम के साथ सहभागिता करने के लिए बड़े संगठनों की आवश्यकता चालान दाखिल करने के स्तर के रूप में हो सकती है। इसलिए एक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होगी, जो ऐसे करदाताओं को GST अनुपालन में मदद कर सकती हैं।

GST शासन टैक्स भुगतानकर्ता की सुविधा कि सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा. यह पारिस्थितिकी तंत्र के तृतीय पक्ष अनुप्रयोगों, जो उन्हें ळैज समर्थक होने के लिए डेस्कटॉप मोबाइल पर इंटरफेस के विभिन्न प्रकार प्रदान कर सकते हैं का उपयोग कर दाता विकल्प भी प्रदान करेगा।

उपर्युक्त सभी कारणों से तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं, जो GST सिस्टम और ऐसे अनुप्रयोगों को विकसित करने की क्षमता के लिए उपयोग किया है की एक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है। इन सेवा प्रदाताओं को एक जेनेरिक नाम, GST सेविंग प्रदाताओं या जीएसपी दिया गया है।

प्र 12. जी.एस.टी. सुविधा प्रदाताओं की क्या भूमिका होगी?

त्वरित GST अनुपालन गतिविधियों की निगरानी के लिए जीएसपी आवेदन दाखिल करने की सुविधाओं जैसे रिटर्न दाखिल, सुलह

रजिस्टर डेटा (ऑटो पॉपुलेटेड डेटा सहित), स्वीकृति/अस्वीकृति/संशोधन, करदाताओं के लिए डैशबोर्ड्स विकसित करेगा. वे भूमिका आधारित पहुँच प्रदान कर सकते हैं जैसे GST आधारित गतिविधियों जैसे uploading विजक, रिटर्न दाखिल, जिसकि जरूरत मध्यम या बड़ी कंपनियों को हो सकती है, कर पेशेवर अपने ग्राहक के GST अनुपालन गतिविधियों एवं प्रतिपालन हेतु, GST सिस्टम के साथ एकीकरण।

प्र 13. जी.एस.पी का उपयोग करने में करदाताओं के क्या लाभ हैं?

उत्तर: प्रारम्भ से ही यह स्पष्ट किया जाता है कि करदाता द्वारा जीएसटी के तहत सभी वांछनीय कार्य जीएसटी पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। वैकल्पिक तौर पर एक अतिरिक्त चैनल जीएसपी सुलभ कराया जा रहा है जिसके द्वारा कुछ कार्य किए सकते हैं। जीएसटी के अनुपालन में करदाताओं के विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम कुछ विशिष्ट समाधान जो जीएसपी के माध्यम से उपलब्ध हो सकते हैं, निम्नलिखित हैं:—

1. उनके मौजूदा लेखांकन सॉफ्टवेयर से उत्पन्न विभिन्न चालू बीजक प्रारूप यथा सीएसवी, पीडीएफ, एक्सेल, वर्ड फारमैट का जीएसटी के अनुरूप प्रारूप में रूपान्तरण।
2. उनके खरीद पंजी के आंकड़े (जो एक्सेल, सीएसवी इत्यादि में हो सकते हैं) का जीएसटी पोर्टल पर स्वतः समन्वयन।
3. चूंकि जीएसटी प्रणाली में प्रवेश हेतु सिर्फ एक यूजर आईडी/पासवर्ड प्रदान किया जाएगा, अतः वैसे संगठन जिनकी विभिन्न शाखाएँ हैं, शाखा वार बीजक अपलोड का कार्य।
4. वैसे कंपनी जो अनेक राज्यों में पंजीकृत हैं द्वारा एकल पटल के माध्यम से अपनी सभी शाखाओं का एकीकृत दृश्य की प्राप्ति।

5. जीएसटी व्यवसायियों को उनके ग्राहक करदाताओं के लिए प्रबंधन एवं जीएसटी अनुपालन संबंधी कार्य हेतु कुछ विशिष्ट एप्लिकेशन की जरूरत होंगी

उपरोक्त केवल उदाहरण मात्र हैं । विभिन्न करदाताओं के और अधिक जरूरतें होंगी जो जीएसटी के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं।

प्रश्न 14. जीएसटीएन द्वारा करदाताओं हेतु विकसित एवं पोषित जीएसटी आम पोर्टल पर करदाता क्या-क्या कार्य कर सकेंगे?

उत्तर : जीएसटी आम पोर्टल जीएसटी के तहत करदाताओं की सभी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होंगी। जैसे कार्यों की उदाहरण सूची जो जीएसटी पोर्टल पर करदाता के द्वारा निष्पादित किए जा सकेंगे, निम्नलिखित हैं:—

- पंजीकरण हेतु आवेदन, पंजीकरण में संशोधन, पंजीकरण का रद्दीकरण और प्रोफाइल प्रबंधन
- कर का भुगतान दंड एवं ब्याज सहित
- करदाता के दर्जे में परिवर्तन यथा सामान्य से कम्पौंडिंग और इसके प्रतिकूल
- बीजक का आंकड़ा अपलोड करना / विभिन्न रिटर्न / वार्षिक विवरण दाखिल करना
- विशिष्ट एआरएन (आवेदन संदर्भ संख्या) के द्वारा रिटर्न/ कर खाता / नकद खाता आदि के स्थिति पर निगाह रखना
- धन वापसी हेतु आवेदन दाखिल करना
- रिटर्न/ कर खाता/नकद खाता का स्थिति पुनर्विलोकन

प्र 15. जी.एस.टी.एन. द्वारा विकसित किये गये जी.एस.टी. सिस्टम के

संबंध में राज्य और केंद्र सरकार से कर अधिकारियों की क्या भूमिका होगी?

उत्तर: अधिकारियों को बैकेंड पर निम्न कार्यों के लिए जी.एस.टी.एन. की जानकारी का उपयोग करने की आवश्यकता होगी:

- करदाताओं के नामांकन/पंजीकरण के लिए अनुमोदन/अस्वीकृति;
- राज्य कर का कर प्रशासन (आंकलन/लेखा परीक्षा/रिफंड/अपील/जांच);
- एमआईएस और अन्य कार्य;

प्र 16. क्या जी.एस.टी.एन. प्रत्येक चालान/बिल पंक्ति के लिये जी.एस.टी.आई.एन. सिस्टम में एक विशिष्ट पहचान उत्पन्न करेगा?

उत्तर: नहीं, जी.एस.टी.एन. ऐसी कोई भी नई पहचान उत्पन्न नहीं करेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.आई.एन., चालान/बिल नंबर और एचएसएन/एसएसी कोड सहित वित्तीय वर्ष के संयोजन प्रत्येक पंक्ति को अद्वितीय बना देंगे।

प्र 17. क्या बीजक आंकड़ा प्रतिदिन के आधार पर अपलोड किया जा सकता है ?

उत्तर : हाँ, जीएसटी पोर्टल पर करदाता किसी भी समय बीजक आंकड़ा अपलोड कर सकता है। आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक शीघ्र अपलोड करने की स्थिति में प्राप्तकर्ता करदाता को बीजक आंकड़े के शीघ्र समाधान में मदद मिलेगी साथ ही इससे आपूर्तिकर्ता रिटर्न दाखिल करने के अंतिम दिन में मौजूद व्यस्तता को टाल सकेंगे।

प्र 18. क्या जी.एस.टी.एन. जी.एस.टी. पोर्टल पर चालान/बिल का डेटा अपलोड करने के लिए टूल्स प्रदान करते हैं?

उत्तर: हाँ, जी.एस.टी.एन. करदाताओं को स्प्रेडशीट (माइक्रोसॉफ्ट

एक्सेल की तरह) जैसे टूल्स लागत से मुक्त प्रदान किये जाएंगे ताकि वे चालान/बिल का डेटा उसमें संकलित करने और एक ही बार में अपलोड करने में सक्षम हो पाएं। यह एक ऑफलाइन टूल होगा जिसका उपयोग बिल के डेटा को बिना ऑनलाइन भरा जा सकता है और उसके बाद कई सौ चालान/बिल एक साथ एक ही बार में अपलोड किये जा सकेंगे।

प्र 19. क्या जी.एस.टी.एन. खाता बहियों और अन्य खातों को देखने के लिए मोबाइल आधारित एप्स उपलब्ध कराएंगे?

उत्तर: हाँ, जी.एस.टी. पोर्टल को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसे किसी भी स्मार्ट फोन पर देखा जा सकता है। इस प्रकार नकदी खाता बही, दायित्व खाता बही, आई.टी.सी. खाता बही आदि को मोबाइल फोन पर कॉम्पटिबल ब्राउजर के माध्यम से देखा जा सकता है।

प्र 20. क्या जी.एस.टी.एन. कर व्यावसायिक को बिना करदाता के यूजर आईडी और पासवर्ड पूछने की जरूरत के उनके ग्राहकों (करदाताओं) की ओर से काम करने में सक्षम करने के लिये अलग यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान करेंगे, जैसा कि मौजूदा समय में होता है?

उत्तर: हाँ, जीएसटीएन जीएसटी व्यवसायी को उनके ग्राहक की ओर से काम करने हेतु अलग से यूजर आईडी/पासवर्ड प्रदान करेगी ताकि वे अपने ग्राहको से उनके यूजर आईडी/पासवर्ड पुछे बिना उनका काम कर सकें। जीएसटी कानून के तहत ऐसे व्यवसायी अपने ग्राहक करदाताओं के सभी काम कर पाएंगे।

प्र 21. एक बार उपरोक्त सुविधा में चुने जाने के बाद क्या करदाता कर व्यावसायिक बदलने में सक्षम होंगे?

उत्तर: हाँ, जीएसटी पोर्टल पर कोई भी करदाता पूर्व में चयनित जीएसटी व्यवसायी को अचयनित करने के बाद नए जीएसटी

व्यवसायी को चयनित कर जीएसटी व्यवसायी को बदल सकते हैं।

प्र 22. क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर या राज्य वैट के तहत मौजूदा करदाताओं को जी.एस.टी. के अंतर्गत नए सिरे से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा?

उत्तर: नहीं, वैसे कर के करदाता जिनका सम्मिलन जीएसटी में हो रहा है और उनका पैन सीबीडीटी डेटाबेस से पुष्ट हो चुकी है, को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें जीएसटी पोर्टल के माध्यम से अस्थायी जीएसटीआईएन उपलब्ध कराया जाएगा जो छः माह के लिए वैध होगी। वैसे करदाता को जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन नामांकन प्रपत्र के अनुसार प्रासंगिक आंकड़े प्रदान करना होगा। आंकड़ा प्रविष्टि पूरा होने पर करदाता की स्थिति स्थानांतरित के रूप में बदल जाएगी। जीएसटी लागू होने के दिन करदाता की स्थिति "सक्रिय" में बदल जाएगी और वह जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी प्रशासन के तहत विभिन्न जरूरतों यथा कर का भुगतान, रिटर्न का दाखिला आदि के अनुपालन में सक्षम होंगे। जीएसटीएन ने ऐसे सभी करदाताओं को अस्थायी आईडी और पासवर्ड निर्गत कर चुका है और करदाता को इसकी जानकारी देने हेतु उक्त अस्थायी आईडी और पासवर्ड का साझा कर प्राधिकरण के साथ किया जा चुका है। जीएसटी पोर्टल पर मौजूदा करदाताओं का जीएसटी में नामांकन 8 नवंबर, 2016 से प्रारम्भ किया गया था और मार्च, 2017 के अंत तक बहुत अधिक संख्या में करदाताओं ने अपने अस्थायी आईडी को सक्रिय किया और स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा किया। अधिक जानकारी <http://www.gst.gov.in/help> पर उपलब्ध है।

प्रश्न 23: करदाताओं के लाभ हेतु जीएसटी पोर्टल पर काम करने के विभिन्न पहलुओं पर कौन-कौन सी सामग्री जीएसटीएन के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ?

हाँ, जीएसटीएन कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर रहा है जिसमें जीएसटी पोर्टल पर होने वाले सभी प्रक्रियाओं का विडियो समाहित होगा। इसे जीएसटी पोर्टल से साथ साथ सभी कर प्राधिकारणों के वेबसाइट पर सुलभ कराया जाएगा। कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण के अतिरिक्त, विभिन्न यूजर मैनुअल, एफएक्यू (अधिकतर पुछे जाने वाले प्रश्न) आदि भी करदाता के शिक्षण हेतु जीएसटी पोर्टल पर सुलभ कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, करदाताओं हेतु एक सहायता मेज (हेल्पडेस्क) का भी निर्माण किया गया है। करदाता ईमेल helpdesk@gst.gov.in या दूरभाष (0124-4688999) के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण सामग्री, अधिकतर पुछे जाने वाले प्रश्न, नामांकन प्रक्रिया के लिए पुस्तिका <http://www.gst.gov.in/help> पर उपलब्ध हैं।

प्र 24. क्या जी.एस.टी. आम पोर्टल पर करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और पंजीकरण के डेटा गोपनीय रखे जाएंगे?

उत्तर: हाँ, जी.एस.टी.एन. करदाताओं द्वारा प्रस्तुत उनकी निजी और व्यापारिक जानकारियां को जी.एस.टी. आम पोर्टल पर गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रहा है। भूमिका आधारित प्रवेश नियंत्रण (आरबीएसी) (Role Based Access Control) (RBAC) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा और पारगमन और भण्डारण दोनों के दौरान करदाताओं के महत्वपूर्ण डेटा का एन्क्रिप्शन सुनिश्चित किया जाएगा। केवल अधिकृत कर अधिकारी इन डेटा को देख और पढ़ने में सक्षम होंगे।

प्र 25. जी.एस.टी. सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जी.एस.टी.एन. द्वारा क्या सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं?

उत्तर: जी.एस.टी. सिस्टम परियोजना द्वारा आंकड़ों और सेवा सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा ढांचे को सम्मिलित किया गया है। हाई एंड फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने, विराम और गतिविधि के दौरान डेटा एन्क्रिप्शन, समग्र ऑडिट ट्रेल, लगातार हैशिंग एल्गोरिद्म का प्रयोग करते हुए छेड़छाड़/टैंपर प्रूफिंग, ओएस और होस्ट हार्डनिंग आदि का उपयोग के अतिरिक्त, जी.एस.टी.एन. एक प्राथमिक और माध्यमिक सुरक्षा संचालन कमान एवं नियंत्रण केंद्र स्थापित कर रहा है, जो लगातार अग्रसकिय रहकर निगरानी करेगा और वास्तविक समय में दुर्भावनापूर्ण हमलों से रक्षा करेगा। जी.एस.टी.एन. सामान्यतः ज्ञात और अज्ञात खतरों के खिलाफ रक्षा करने के लिए स्रोत कोड की निरंतर स्कैनिंग के माध्यम से सुरक्षित कोडिंग प्रथाओं को सुनिश्चित करेगा।

परिवर्ती प्रावधान

24. परिवर्ती प्रावधान

प्र 1. क्या जी.एस.टी. से पूर्व पहले कानून के अंतर्गत आई.टी.सी. के रूप में उपलब्ध पिछले रिटर्न का सेनवैट/आई.टी.सी. (या वैट क्रेडिट) आगे जी.एस.टी व्यवस्था के अंतर्गत आगे ले जाया जाएगा?

उत्तर: संयोजन योजना के अंतर्गत कर भुगतान करने का विकल्प रखने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त, एक पंजीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में उतना सेनवैट क्रेडिट (या वैट क्रेडिट) लेने के हकदार होंगे जो नियुक्त दिन से पहले अंतिम अवधि की रिटर्न द्वारा आगे ले जाया गया है व जो इस सम्बंध में दी गई शर्तों के मानने पर मिलेगा। (सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 140 (1))

प्र 2. वे शर्तें/परिस्थितियां क्या है

उत्तर शर्तें इस प्रकार हैं:-

- (i) इस अधिनियम के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में क्रेडिट की वर्णित राशि स्वीकार्य है।
- (ii) पंजीकृत व्यक्ति ने मौजूदा कानून (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और वैट) के अंतर्गत अपेक्षित सभी रिटर्न प्रस्तुत किए हैं, जो तत्काल नियुक्ति की तिथि से पूर्व छह माह की अवधि के लिए उपलब्ध कराये गये हैं।
- (iii) क्रेडिट की वर्णित राशि अधिसूचना संख्या के अंतर्गत बेची गई वस्तु से संबंधित नहीं है और उस पर भुगतान किए गए वैट की वापसी का दावा करना

एस.जी.एस.टी कानून के अंतर्गत निम्न वर्णित एक और शर्तें होगी:-

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (3), धारा 5, धारा 6, धारा 6ए या उपधारा (8) से संबंधित कोई भी दावा

जिसका आरोपण वर्णित दावे से अधिक है, जिसकी केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकृत और टर्नओवर) नियम 1957 के नियम 12 में निर्धारित अवधि के भीतर ठीक प्रकार से पुष्टि नहीं हुई है। वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा करने योग्य नहीं होगा।

हालांकि उपरोक्त वर्णित क्रेडिट के बराबर राशि मौजूदा कानून के अंतर्गत वापस कर दी जायेगी जब वर्णित दावा, केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकृत और टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12 में निर्धारित तरीके से साबित किया गया हो।

प्र 3. माना एक पंजीकृत व्यक्ति, मौजूदा कानून (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के अंतर्गत 2017-2018 की जून तिमाही में पूंजीगत वस्तुएं खरीदते हैं। हालांकि चालान 30 जून के भीतर प्राप्त हुआ है लेकिन पूंजीगत वस्तुओं को 5 जुलाई, 2017 (यानि जीएसटी व्यवस्था में) पर प्राप्त किया गया है। क्या इस तरह के व्यक्ति को जीएसटी व्यवस्था में सेनवैट का पूरा क्रेडिट मिलेगा।

उत्तर हों, यह 2017-18 में क्रेडिट के हकदार होंगे, बशर्ते इस तरह की क्रेडिट मौजूदा कानून में सेनवैट क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य है और सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 (2) के तहत सीजीएसटी में क्रेडिट के रूप में भी स्वीकार्य है।

प्र 4 पिछले कानून में 'X' और 'Y' मदों पर पूंजीगत वस्तुओं के रूप में वैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। चूंकि वे जी.एस.टी. में शामिल किये जाते हैं, क्या अब पंजीकृत कराधीन व्यक्ति इनका दावा कर सकता है?

उत्तर: वह केवल तब क्रेडिट का हकदार होगा जब ऐसी वस्तुओं / माल पर आई.टी.सी. पहले कानून में स्वीकार्य था और वह जी.एस.टी. में भी स्वीकार्य होगा। चूंकि दो मदों पर क्रेडिट पहले कानून के अंतर्गत उपलब्ध नहीं था, कथित व्यक्ति जी.एस.टी. में यह दावा नहीं कर सकता। (एस.जी.एस.टी अधिनियम की धारा 140 (2) के लिए प्रावधान)

प्र 5 मान लिया जाये कि कथित व्यक्ति ने गलत तरीके से क्रेडिट (प्रश्न संख्या 4 का संदर्भ प्राप्त करें) का लाभ प्राप्त किया है, क्या जी.एस.टी कानून या मौजूद कानून में वसूली की जाएगी?

उत्तर: जब तक की मौजूदा कानून के अंतर्गत पुनः प्राप्ति नहीं की जाएगी, आई.टी.सी. से संबंधित पुनःप्राप्ति को गलत तरीके से समझा जाएगा, जी.एस.टी. के अंतर्गत कर के बकाए के रूप में वसूल किया जाएगा।

प्र 6. दो पंजीकृत कराधीन व्यक्तियों के उदाहरण दें जो पहले कानून के अंतर्गत पंजीकरण के लिये जिम्मेदार नहीं थे लेकिन जी.एस.टी. के अंतर्गत उन्हें पंजीकृत करना अनिवार्य है?

उत्तर: मान लेते हैं कि एक निर्माता जिसका टर्नओवर/कुल बिक्री 60 लाख रुपए है और वह पहले एस.एस.आई. छूट का फायदा उठा रहा था, उसे जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा क्योंकि उसका कारोबार 20 लाख रु की मूल सीमा से अधिक है—धारा 22 एक व्यापारी जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से बिक्री करता है उसकी टर्नओवर सीमा से कम है उसे जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई सीमा नहीं होगी – धारा 24।

प्र 7. क्या एक सेवा प्रदाता को किसी नियत दिन स्टॉक के रूप में रखी इनपुट पर वैट के भुगतान के लिये आई.टी.सी. की अनुमति दी जाएगी?

उत्तर: हाँ, वह धारा 140 (3) के प्रावधानों के अनुसार स्टॉक में रखे गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के हकदार होंगे।

प्र 8. एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति के पास उसके पहले रिटर्न से पिछले कानून के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही में 10,000 रुपये आई.टी.सी. जमा है। अब, वह जी.एस.टी. में संरचना योजना

में परिवर्तित हो जाता है, क्या वह आईटीसी को आगे जीएसटी में ले जा सकता है?

उत्तर: यदि वह संयोजन योजना के लिए विकल्प चुनता है तो पंजीकृत व्यक्ति जी.एस.टी के अतिरिक्त आई.टी.सी. को आगे नहीं बढ़ा सकेगा—धारा 140 (1)

प्र 9. सीएसटी (अर्थात् केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम) के अंतर्गत रिटर्न/वापसी (Sales return) टर्नओवर/कुल बिक्री से कटौती के रूप में 6 महीने के भीतर स्वीकार्य है? यदि, मान लें कि, एक खरीदार द्वारा बिक्री के 6 महीने के बाद वस्तुएं/माल जी.एस.टी. में वापस किया गया है, क्या वह सीएसटी या जी.एस.टी. में कराधीन होगा?

उत्तर: जहां किसी भी वस्तु पर बिक्री के समय मौजूदा कानून के तहत कर का भुगतान किया गया है जो कि नियम तिथि से 6 माह पूर्व न हो और ऐसी वस्तु को नियम दिन के बाद खरीदार द्वारा वापिस कर दिया जाता है, बिक्री वापसी को जी.एस.टी में वर्णित बिक्रेता की आपूर्ति के रूप में माना जाए और ऐसी आपूर्ति पर कर का भुगतान करना होगा, यदि

- (i) वस्तु जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत कर योग्य है तथा
- (ii) क्रेता जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत पंजीकृत है।

हांलाकि, विक्रेता इस प्रकार के को वापस करने का हकदार है। (सी.एस.टी., इस मामले में) यदि मौजूदा कानून के अंतर्गत इसका भुगतान किया जाता है यदि उपरोक्त क्रेता जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत अपंजीकृत व्यक्ति है और वस्तुओं को नियत दिन से 6 माह (या अधिकतम 2 माह के भीतर) के भीतर लौटा देता है और वस्तु पहचाने जाने योग्य है।—142(1)

प्र 10. क्या एक निर्माता या जॉब वर्कर कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा यदि इनपुट या अर्ध-तैयार माल पहले कानून

के अंतर्गत जॉबवर्क के लिए भेजा गया था और नियत दिन के बाद जॉबवर्क पूरा होने के बाद वापस लौटा जाता है?

उत्तर: निर्माता या जाब वर्कर द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई कर देय नहीं होगा:

पहले कानून के प्रावधानों के अनुसार नियत दिन से पहले इनपुट्स/अर्द्ध तैयार माल जॉब वर्कर के पास भेजा जाता है।

जॉब वर्कर नियत दिन (या 2 महीने की विस्तारित अवधि) से छह महीने के भीतर उस माल को वापस लौटा देता है।

निर्माता और जॉब वर्कर निर्धारित प्रपत्र में नियत दिन पर जॉब वर्कर के पास रखे गये स्टॉक के विवरण घोषित करेंगे।

संबंधित धारा 141(1), 141 (2) और 141 (4) है

हालांकि, यदि वर्णित इनपुट/अर्द्ध निर्मित वस्तु छह माह के भीतर वापस नहीं की जाती है (या अधिकतम 2 माह की विस्तारित समय अवधि के भीतर), उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट की वसूली लिए उत्तरदायी है।

प्र 11. यदि जॉब वर्कर निर्धारित समय के भीतर वस्तुएं/माल वापस नहीं करता है, उस स्थिति में क्या होता है?

उत्तर: नौकरी श्रमिक द्वारा उस वस्तु पर कर का भुगतान किया जाएगा यदि वे नियत दिन से छह माह (या अधिकतम विस्तारित 2 माह की अवधि के भीतर) के भीतर निर्माता के व्यवसाय के स्थान पर नहीं लौटाये जाते हैं। धारा 141(1), 141(2)

प्र 12. क्या एक निर्माता तैयार माल को परीक्षण के प्रयोजन के लिये किसी अन्य कराधीन व्यक्ति के परिसर पर हस्तांतरित कर सकता है?

उत्तर: हाँ, पहले कानून के प्रावधानों के अनुसार एक निर्माता कथित वस्तुओं/माल को किसी अन्य कराधीन व्यक्ति के परिसर

में निर्यात के लिये नियत दिन के 6 महीने के भीतर या विस्तारित अवधि पर कर का भुगतान करने के बाद या बिना कर का भुगतान किये हस्तांतरित कर सकता है (या अधिकतम 2 माह की विस्तारित अवधि के भीतर)—धारा 141(3)

प्र 13. पहले कानून के अंतर्गत यदि तैयार वस्तुओं/माल को कुछ प्रक्रियाएं करने के लिये कारखाने से बाहर ले जाया जाता है और नियत दिन पर या उसके बाद वापस लौटा दिया जाता है, क्या उस पर जी.एस.टी. देय होगा?

उत्तर: जहां वस्तुओं/माल को कोई प्रक्रिया पूरा करने के लिये भेजा जाता है और जो विनिर्माण नहीं है नियत दिन (या विस्तारित 02 महीने की अवधि) से 6 महीने के भीतर लौटा दिया जाता है वहां जी.एस.टी. में निर्माता या जॉब वर्कर द्वारा कोई कर देय नहीं होगा (या अधिकतम दो माह की विस्तारित अवधि के भीतर) नियुक्त दिन से—धारा 141(3)

प्र 14. जीएसटी में परिक्षण/अन्य प्रक्रिया जो मौजूदा कानून के अंतर्गत निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, के लिए नौकरी श्रमिक को भेजी गई विनिर्मित वस्तुओं पर कब कर देय होगा?

उत्तर: वैसे विनिर्मित वस्तुएं जो परिक्षण/अन्य प्रक्रिया में मौजूदा कानून के तहत निर्माण प्रक्रिया नहीं के लिए नौकरी श्रमिक को नियत तिथि से पहले भेजी गई थी और नियत तिथि से 6 माह (अधिकतम विस्तारित अवधि दो माह के भीतर) के भीतर वापस नहीं की जाती, उस पर कर देय होगा। इसके अतिरिक्त निर्माता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट क्रेडिट भी वसूली का हकदार होगा। यदि उक्त वस्तु, नियत तिथि से 6 माह के अंदर वापस नहीं किए जाते (नियम 145 (3))।

प्र 15. क्या धारा 141 में स्वाचालित रूप से 2 माह के विस्तार की चर्चा है?

उत्तर: नहीं, यह स्वचालित नहीं है इसे पर्याप्त कारण दिखाये जाने पर आयुक्त द्वारा विस्तारित किया जा सकता है।

प्र 16. कीमतों में संशोधन के लिए डेबिट/क्रेडिट नोट(स) जारी करने के लिए क्या समय सीमा है?

उत्तर: कराधीन व्यक्ति कीमतों में संशोधन करने के 30 दिनों के भीतर डेबिट/क्रेडिट नोट(स) या पूरक चालान/बिल जारी कर सकता है।

किसी मामले में जहां कीमतें कम करके संशोधित की जाती हैं कराधीन व्यक्ति को अपने कर दायित्व कम करने के लिए अनुमति केवल तब दी जाएगी जब चालान या क्रेडिट नोट प्राप्तकर्ता ने अपनी आई.टी.सी. की कथित कर देयता में उसी समरूपता में कमी की है – धारा 142 (2)

प्र 17. मौजूदा कानून के अंतर्गत लंबित कर के रिफंड/ब्याज का क्या परिणाम होगा?

उत्तर: लंबित कर के रिफंड के दावों का निपटारा मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा – धारा 142 (3)

प्र 18. मौजूदा कानून के अंतर्गत लंबित सेनवैट/आई.टी.सी. के दावों की किसी अपील या संशोधन का क्या परिणाम होगा? यदि ऐसा कहें, वह उत्पादन के दायित्व से संबंधित है तब?

उत्तर: दोनों मामलों में इसका निपटारा मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा – धारा 142 (6)/ 142 (7)

प्र 19. यदि अपीलीय या पुनरीक्षण आदेश निर्धारिती के पक्ष में जाता है, क्या जी.एस.टी. में रिफंड दिया जाएगा? यदि निर्णय निर्धारिती के विरुद्ध जाता है, तब उस स्थिति में क्या परिणाम होगा?

उत्तर: रिफंड केवल मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। किसी मामले में यदि कोई वसूली की जानी है तब इसे जी.

एस.टी. के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में लिया जाएगा – धारा 142 (6) और 142 (7)

प्र 20. मौजूदा कानून के अंतर्गत प्रस्तुत संशोधित रिटर्न(नों) से उत्पन्न रिफंड के साथ जी.एस.टी. में कैसे निपटा जाएगा?

उत्तर: रिफंड मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार में वापस किये जाएंगे – धारा 142 (a)(b)

प्र 21. मौजूदा कानून के अंतर्गत किये अनुबंध के अनुसरण में, यदि वस्तुओं या सेवाओं की जी.एस.टी. में आपूर्ति की गई है तो कौन सा कर देय होगा?

उत्तर: इस तरह की आपूर्ति पर जी.एस.टी. देय होगा – सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 142 (10)

प्र 22. मौजूदा कानून के अंतर्गत वस्तुओं/सेवाओं की विशेष आपूर्ति पर कर लगाया जा सकता है। अगर जी.एस.टी. व्यवस्था में वास्तविक आपूर्ति की जाएगी तो क्या जी.एस.टी. भी देय होगा?

उत्तर इस प्रकार की आपूर्ति पर कोई कर देय नहीं होगा। मौजूदा कानून-धारा 142(11) के तहत वस्तुओं वे सेवाएं जी.एस.टी. के अंतर्गत कर योग्य है।

प्र 23. मौजूदा कानून के अंतर्गत निर्धारित दिन के बाद स्थापित किसी भी आकलन या न्यायनिर्णय की कार्यवाही के अनुसरण में कर, ब्याज या दण्ड की राशि रिफंड होती है। क्या जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत ऐसी रकम वापस होगी?

उत्तर मौजूदा कानून के तहत इस तरह की रकम की नकद वापसी नहीं की जायेगी-सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 142(8) (बी)

प्र 24. यदि आईएस.डी. द्वारा सेवाएं, पहले कानून के अंतर्गत प्राप्त की गई हैं, क्या इससे संबंधित आई.टी.सी. को जी.एस.टी. व्यवस्था में वितरित किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, बिना इस पर विचार किये कि क्या कथित सेवाओं के संबंध में चालान(नों)/बिलों को नियत दिन पर या उसके बाद प्राप्त किया गया है – सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 140(7)

प्र 25. जहां किसी भी वस्तु की बिक्री की जाती है, जिस पर राज्य वैट कानून के अंतर्गत स्रोत पर कटौती की जानी चाहिए और एक चालान भी नियम दिन से पहले जारी किया गया था, इस अधिनियम के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती की जाएगी यदि भुगतान नियम तिथि के बाद किया जाता है?

उत्तर नहीं, ऐसे मामलों में जी.एस.टी. के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

प्र 26. वस्तु को नियम दिन से छह माह पूर्व की मंजूरी पर नहीं भेजा गया था, लेकिन विनिदिष्ट दिन से 6 माह के बाद वह विक्रेता को वापस कर दी जाती है, तो क्या जी.एस.टी. के अंतर्गत कर देय होगा?

उत्तर हाँ यदि इस प्रकार की वस्तु जी.एस.टी. के अंतर्गत कर योग्य है और वह व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसने इसे खरिज कर दिया है या स्वीकार नहीं किया है, तो उसे नियम दिन से 6 माह (या दो माह की अधिकतम विस्तारित अवधि के भीतर) के बाद वापस लौटाता है। इस मामले में कर भी उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसने मंजूरी के आधार पर वस्तु भेजी है—धारा 142 (12)

करदाता सेवाएं महानिदेशालय
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

www.cbec.gov.in